हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

10 मार्च, 2021

खण्ड–1, अंक–5

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 10 मार्च, 2021

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

मंत्री परिषद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा

बैठक का समय बढ़ाना

मंत्री परिषद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

मंत्री परिषद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

मंत्री परिषद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

मंत्री परिषद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

मंत्री परिषद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

मंत्री परिषद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

वर्ष 2020–21 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

वर्ष 2020–21 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

विधायी कार्य–

(i) पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक

(1) दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2021
(2) दि हरियाणा योग आयोग बिल, 2021
(3) दि हरियाणा एन्टरप्राईजिज प्रमोशन (अमैंडमैंट) बिल, 2021

(ii) विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक

(1) दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2021

'मेरा फौजी कॉलिंग' फिल्म के सम्बन्ध में सूचना

विधायी कार्य (पुनरारम्भ) –

(2) दि हरियाणा गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2021

बैठक का समय बढ़ाना

विधायी कार्य (पुनरारम्भ) –

(3) दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2021

विधेयक का स्थगितकरण

विधायी कार्य (पुनरारम्भ) –

(4) दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रेगुलेशन अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 2021

हरियाणा विधान सभा
बुधवार, 10 मार्च, 2021

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की कार्यवाही के दौरान ही हमारे दो बंधु हमें छोड़कर चले गये हैं। मैं उनके सम्बन्ध में शोक प्रस्ताव पढ़ रहा हूं।

यह सदन भूतपूर्व संसद सदस्य श्री मनोहर लाल सैनी के 9 मार्च, 2021 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जनवरी, 1940 को हुआ। वे वर्ष 1977 व 1980 में दो बार लोक सभा के सदस्य चुने गए। उनकी शैक्षणिक एवं सामाजिक कार्यों में विशेष रूचि थी। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन हवलदार वेदपाल, गांव छुडानी, जिला झज्जर के 6 मार्च, 2021 को हुए दुःखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से भूतपूर्व संसद सदस्य श्री मनोहर लाल सैनी के 9 मार्च, 2021 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करती हूं।

उनके निधन से देश एक अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं हवलदार वेदपाल, गांव छुडानी, जिला झज्जर के 6 मार्च, 2021 को हुए दुःखद एवं असामयिक निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक–संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करती हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में अभी जो शोक प्रस्ताव रखे हैं। मैं भी अपने आपको उनकी भावनाओं से जोड़ता हूं व अपनी ओर से शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह

इन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें ताकि उनको शांति प्राप्त हो सके।

मैं इस सदन की भावनाओं को शोक–संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं दिवंगत आत्माओं के सम्मान में उन्हें श्रद्धाजलि देने के लिए दो मिनट का मौन धारण करने के लिए इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को खड़ा होने के लिए अनुरोध करता हूं।

(इस समय सदन के सदस्यों ने सभी दिवंगत आत्माओं के सम्मान में खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

————————

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है

Status of R.U.Bs and R.O.Bs

***986. Smt. SeemaTrikha:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the status of all the Railway Under Bridges and Railway Over Bridges which are being constructed in the Badkhal Assembly Constituency togetherwith the time by which these are likely to be constructed?

Deputy Chief Minister (DushyantChautala): Sir, at present, no Railway Under Bridge or Railway Over Bridge is being constructed in the Badkhal Assembly Constituency.

श्रीमती सीमा त्रिखा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहती हूं और पूछना भी चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लक्कड़पुर व गुरुकुल में एक रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाना है। मैं इन दोनों की स्थिति के बारे में पूछना चाहती हूं कि लक्कड़पुर व गुरुकुल में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा? इस बारे में मुझे पूरी जानकारी दी जाये।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने गुरुकुल टू मथुरा रोड पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने के बारे में पूछा है। इसके लिए डिपार्टमैंट को अतिरिक्त 14 कैनाल और 13 मरला भूमि की जरूरत है। मैं माननीय सदस्या से भी आग्रह करूंगा कि वे अपने सहयोग से डिस्ट्रिक्ट लैवल पर ई–भूमि पोर्टल पर जितनी

जल्दी जमीन अपलोड करवा देगी, सरकार उस जमीन को एक्वायर करके तुरन्त प्रभाव से वहां पर आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य शुरू करने का काम करेगी। जहां तक लक्कड़पुर में फुट ओवर ब्रिज बनाने की बात है तो इसके लिए हमें approximately additional 1400 secure yard जमीन की जरूरत है जैसे ही ई–भूमि पोर्टल पर यह जमीन अपलोड करवा देंगी तो तुरन्त प्रभाव से उस कार्य को भी कम्पलीट करवाने का काम किया जायेगा।

श्रीमती सीमा त्रिखा : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहती हूं कि ये जो लक्कड़पुर का रेलवे ओवरब्रिज है यहां पर 30 दिन में लगभग 20 लोग रेलवे एक्सीडैंट्स में कट जाते हैं। वहां पर यह सिलसिला पिछले लगभग 20 साल से चल रहा है। हमारे द्वारा पिछली पंचवर्षीय योजना में भी इसके लिए पूरा प्रयास किया गया था लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं हो पाई। मेरा अनुरोध है कि हमने वहां पर दो सर्वे सरकार के माध्यम से करवाये हैं। जिसमें हम टू–व्हीलर्ज और पैदल चलने वालों के लिए एक ओवरब्रिज बनाया जा सकता है। मैं उसके लिए सिर्फ आश्वासन ही नहीं चाहती बल्कि मैं यह चाहती हूं कि इसके लिए की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही को जल्दी से जल्दी अंजाम दिया जाये।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्या ने बात कही है हमारी ओर से उस रेलवे ओवरब्रिज का रफ कॉस्ट एस्टीमेट लगभग 15.60 करोड़ रुपये का ऑलरेडी बन चुका है। इस रेलवे ओवरब्रिज के लिए जैसे वॉलंट्री लैंड अलॉट होगी तो इसका कार्य उसी समय शुरू हो जायेगा। इस मामले में जो ई–भूमि पर लैंड एक्वीजिशन का प्रोसैस है सरकार उस दिशा में जल्दी से जल्दी कार्यवाही शुरू करेगी।

श्री नीरज शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि जो आनंदपुर का अण्डरब्रिज है वहां पर बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। बरसात के मौसम में वहां पर कई बार बहुत सी गाड़ियां डूब चुकी हैं। अध्यक्ष जी, इसके अलावा मैं मंत्री जी के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि बाटा पुल और नीलम पुल इन दोनों पुलों की हालत बहुत ही ज्यादा जर्जर है। रिपेयरिंग के लिए इन दोनों पुलों को कई बार बंद किया जा चुका है जिसके कारण पूरे शहर के वाहन चालकों को बड़ी भारी परेशानी होती है। मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से रिकवैस्ट है कि इन दोनों पुलों की रिपेयर का काम

जल्दी से जल्दी करवाया जाये। इसके अलावा मेरी एक मांग यह भी है कि बल्लभगढ़ से सोहना रोड पर जो टू–लेन का पुल है उसको जल्दी से जल्दी फोर लेन का बनाया जाये। मैं इस सम्बन्ध में सरकार की योजना के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का यह प्रयास रहा है कि हरियाणा प्रदेश के स्टेट और नैशनल हाईवेज ही नहीं बल्कि जो भी हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उन सभी को फाटक मुक्त करने का काम किया जाये। हरियाणा प्रदेश में आज के दिन अण्डरब्रिजिज व ओवरब्रिजिज के 41 वर्क्स अण्डर प्रोसैस है जिनकी कुल लागत 1162 करोड़ रुपये है। इसके अलावा अण्डरब्रिजिज व ओवरब्रिजिज के 26 कार्यों को निकट भविष्य में टेक–अप किया जायेगा। अण्डरब्रिजिज व ओवरब्रिजिज के 09 कार्य हमने अभी इस फाईनैंशियल ईयर में सैंक्शन किये हैं जिनमें से 06 अण्डरब्रिजिज व ओवरब्रिजिज के कार्य को कंस्ट्रशन एजेंसी को अलॉट भी कर दिया है। हरियाणा प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरे प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में अण्डरब्रिजिज व ओवरब्रिजिज के कार्यों को करवाया जा रहा है। जो माननीय सदस्य ने दो स्पैसिफिक रेलवे ओवरब्रिजिज की रिपेयर की बात की है और एक अण्डरपास की बात की है। जहां तक रेलवे ओवरब्रिजिज की रिपेयर का सवाल है हमारी सरकार इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी आवश्यक कदम उठायेगी। जहां पर वॉटर लोगिंग की समस्या है वहां पर ड्रेनेज के सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाये मैं इसको एग्जामिन करवाने के लिए तुरंत एक टीम कांस्टीच्यूट करके जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करूंगा। यह एरिया एम.सी.एफ. के अण्डर आता है। जहां तक रोड की एक्सपैंशन का सम्बन्ध है अगर हमारे पास जिला प्रशासन की तरफ से कोई प्रपोजल आयेगी तो हमारा विभाग उसके ऊपर अवश्य विचार करेगा।

श्रीमती सीमा त्रिखा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को एक जानकारी देना चाहती हूं कि जो नीलम फ्लाई ओवर की बात माननीय सदस्य ने की है वह अधूरी है। अभी पिछले कुछ महीने पहले वहां पर एक हादसा हो गया था जिसकी वजह से पूरा फ्लाई ओवर नीचे से जल गया था। अब उसकी रिपेयर का काम लगभग पूरा हो चुका है।

———————

To Open a Medical College

***969. Shri Sombir Sangwan:** Will the Medical Education Minister be pleased to state-

(a) whether it is fact that an announcement has been made by the Government to open a medical college in each district of the State; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Medical college in Charki Dadri togetherwith the details thereof?

चिकित्सा शिक्षा मन्त्री (श्री अनिल विज) :

(क) प्रत्येक जिले में चिकित्सा महाविद्यालय चरणबद्व तरीके से खोला जाएगा ।

(ख) वर्तमान में स्थापित किए जा रहे चिकित्सा महाविद्यालय जब उच्च स्तर पर पहुँच जायेंगे तब ही सरकार द्वारा अगले चरण में चरखीदादरी में एक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण बारे विचार किया जाएगा ।

श्री सोमवीर सांगवान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो उन्होंने अपने जवाब में यह कहा है कि जब प्रदेश के दूसरे चिकित्सा महाविद्यालयों में व्यवस्था उच्च स्तर पर पहुंच जायेगी उसके बाद ही चरखी दादरी में भी एक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के बारे में विचार किया जायेगा यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है क्योंकि दादरी में जिला स्तर का हॉस्पिटल है लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। पिछली सरकार के समय से हमने सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए 350 एकड़ जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है। दादरी में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए हम सभी प्रकार से सरकार को कोआपरेट करने के लिए तैयार हैं। स्पीकर सर, दादरी में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में सरकार के स्तर पर बाकायदा तौर पर घोषणा की गई है इसलिए मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुनः बार–बार यही रिकवैस्ट है कि दादरी को भी प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय की सुविधा तुरंत प्रभाव से प्रदान की जाये।

श्री अनिल विजः स्पीकर सर, हमारा विभाग दादरी में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के विषय पर पुनर्विचार कर लेगा।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि 6 साल पहले जब श्रीमती श्रुति चौधरी एम.पी. थी उस समय उन्होंने चौधरी बंसी लाल जी के नाम पर भिवानी के लिए एक मैडीकल कॉलेज स्वीकृत करवाया था। मैं माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में डिटेल्ड इन्फर्मेशन चाहती हूं।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि उस हॉस्पिटल का काम अलॉट कर दिया गया है। मैसर्ज ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी इंडिया लिमिटेड को वह काम दिया गया है और उस पर कार्य प्रगति पर है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हर सत्र में माननीय मंत्री जी का यही बयान होता है कि हम इस काम को करेंगे लेकिन अभी तक यह काम पूरा नहीं हुआ है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया है कि वर्क अलॉट हो गया है और कार्य पूर्ण भी हो जायेगा।

To Construct New Building of Tehsil

***769. Shri Balbir Singh:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the buildings of Israna and Matlouda Tehsil are in dilapidated condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct New buildings of Israna and Matlauda Tehsil togetherwith the time by which the above said buildings are likely to be constructed ?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): Sir,

(a) The Tehsil building of Israna is in a dilapidated condition and is presently running in the building of Rajiv Gandhi Seva Kendra Israna. The Tehsil office at Matlouda is presently running in the building of Rajiv Gandhi Seva Kendra, Matlouda.

(b) Land measuring 18 Kanal 6 Marla for construction of the building of Tehsil building Israna has been identified and construction work for the new building will be taken up after demolition of dilapidated building of

Tehsil building Israna. So far as construction of Tehsil building Matlouda is concerned, land is being identified.

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न लगाया हुआ है कि मेरे हल्के इसराना में तहसील की बिल्डिंग पूरी तरह से खराब है और लोगों को दिक्कत यह आती है कि पटवारी तो पुरानी बिल्डिंग में बैठते हैं और तहसीलदार ब्लॉक की बिल्डिंग में बैठते हैं। कई बार लोग पटवारी से दस्तखत करवा कर जब तहसीलदार साहब के पास पहुंचते हैं तब तक तहसीलदार साहब वहां से निकल जाते हैं जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को पूरे दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी प्रकार से मतलौडा में भी तहसील की बिल्डिंग पूरी तरह से खराब है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन तहसीलों की बिल्डिंग कब तक बन कर तैयार हो जायेंगी?

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बहुत स्पष्ट जवाब दिया गया है। जवाब में लिखा हुआ है कि इसराना तहसील का कार्य राजीव गांधी सेवा केन्द्र में चल रहा है वह इसलिए दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर तहसील के लिए कोई क्लीयर लैंड उपलब्ध नहीं थी। ये स्थानीय विधायक हैं अगर ये हमें मतलौडा में क्लीयर जमीन उपलब्ध करवा दें तो हम वहां पर भी काम शुरू करवा सकते हैं। जहां तक इसराना की बात है तो वहां पर हमारे पास 18 कनाल 6 मरला जमीन उपलब्ध हो चुकी है और वर्ष 2022 तक इस बिल्डिंग का काम पूरा कर लिया जायेगा।

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, ठीक है। इसराना में तो जमीन उपलब्ध हो गई है लेकिन मतलौडा के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है तहसीलदार साहब जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर भी जगह उपलब्ध है इसलिए जल्द से जल्द यह कार्य पूरा करवाया जाये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अगर मतलौडा में क्लीयर जमीन माननीय सदस्य उपलब्ध करवा देंगे तो वहां पर भी हम 2022 तक उस बिल्डिंग का काम कम्पलीट करवा देंगे। इसराना में जमीन उपलब्ध हो चुकी है और दूसरे विभाग को ड्राइंग एण्ड ऐस्टीमेट्स बनाने के लिए भेज रखी है। जल्द ही उसका काम अलॉट कर दिया जायेगा।

————————

To Open a Government Girls College

***928. Shri Sanjay Singh:** Will the Education Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government Girls College in Sohna Assembly Constituency;

(b) if so, the time by which it is likely to be opened?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : नहीं, श्रीमान् जी।

श्री संजय सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि सोहना नगर परिषद् है और लगभग 2 लाख की आबादी अकेले सोहना शहर की है। सोहना शहर के आसपास हमारा मेवात का एरिया तावडू तथा राजस्थान बॉर्डर तक 40–50 किलोमीटर तक कोई भी महिला कॉलेज नहीं है। सोहना में अगर महिला कॉलेज बन जायेगा तो मेवात की जो हमारी महिला कॉलेज की पुरानी मांग है वह भी पूरी हो जायेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि सोहना में महिला कॉलेज बनाने की जरूरत है।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सोहना के आसपास कॉलेज हैं। सोहना से 4 किलोमीटर की दूरी पर निरंकारी कॉलेज है जिसमें 858 लड़के और 511 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया था कि 15 किलोमीटर के दायरे में हम लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए कॉलेज उपलब्ध करवायेंगे। ऐसा नहीं कहा गया था कि सरकारी कॉलेज उपलब्ध करवायेंगे। अभी हमारे पास 67 महिला कॉलेज हैं और 15 कॉलेज और खोलने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में की है जिन पर काम शुरू हो गया है। माननीय सदस्य ने सोहना में महिला कॉलेज खोलने की बात कही है हम इसकी फिजिबिलिटी चैक करवा लेते हैं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि अगर जरूरत होगी तो हम इस केस को भी टेकअप कर लेंगे।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र के कॉलेज के लिए मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन्होंने कॉलेज तो खोल दिये हैं लेकिन उनमें स्टाफ नहीं है। वहां पर न तो सैंक्शंड स्टाफ है और न कंट्रैक्चुअल स्टाफ है जिसके कारण वहां लड़कियों की शिक्षा बाधित हो रही है। मेरे अपने जिले नूंह में भी यही हाल है और

जो नगीना कॉलेज है उसमें भी यही हाल है इसलिए मंत्री जी यह सुनिश्चित करें कि जहां भी कॉलेज खोलें वहां पर स्टाफ का प्रबंध अवश्य किया जाए। जिससे कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। मेरा यह संबंधित सवाल है इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि कॉलेज खोलने के बाद उसमें स्टाफ का भी प्रबंध होना चाहिए क्योंकि स्टाफ न हो तो वह और भी बुरी बात है, उससे बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं।

————————

To Construct Building of Sub-Division

***1011. Shri Harvinder Kalyan:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct office building of Gharaunda Sub-Division and residential accommodations of various categories for the officials of said sub division togethewith the details thereof?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): Sir, land for consturction of the Gharaunda Sub-Division and residential accommodations of various categories for the revenue officeals of said sub division is being identified and constructin wrok of the building will be taken up there after.

श्री हरविन्द्र कल्याण : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में यह कहा है कि जमीन की उपलब्धता देखी जा रही है तो मैं इस विषय में आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि घरौंडा शहर के अन्दर कोई भी ऐसी सरकारी जमीन नहीं है लेकिन घरौंडा शहर के तीन किलोमीटर के आस–पास के दायरे में जो गांव हैं उन गांवों की पंचायत से जमीन लेने की बात चली हुई है और मुझे उम्मीद है कि वहां जमीन उपलब्ध हो जाएगी। अगर वहां जमीन उपलब्ध हो जाएगी तो इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। ऐसा आश्वासन मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से लेना चाहूंगा।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी है। जितना मेरे संज्ञान में है इसको वर्ष 2016 के अन्दर सब–डिविजन में अपग्रेड किया गया था और उसके बाद शायद अलग–अलग प्रकार की लैंड पैचिज को देखा गया था। वहां शायद डिफैंस की भी एक लैंड है और डिफैंस के साथ

लैंड एक्सचेंज का जो कार्य रहता है वह बड़ा लम्बा है। अगर माननीय सदस्य डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमें किसी पंचायत की या किसी और डिपार्टमैंट की क्लीयर लैंड उपलब्ध करवा दें तो अपग्रेडेशन के अन्दर जहां अकॉमोडेशन बननी है, ऑफिस कॉम्पलैक्स बनना है उसको हमारी सरकार तुरंत करवा देगी।

श्री मेवा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मेवा सिंह जी, यह घरौंडा उप मंडल का प्रश्न है उस पर आप नहीं बोल सकते हैं।

श्री मेवा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि लाडवा में भी मंडी के अन्दर एक किसान रेस्ट हाऊस है जिसमें एस.डी.एम. ऑफिस भी चल रहा है, उसी में डी.एस.पी. ऑफिस है, उसी में सैक्रेटरी का ऑफिस है जिससे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। हम भी वहां पर जगह उपलब्ध करवा देंगे। मेरा भी उप–मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वहां भी जल्दी से जल्दी एस.डी.एम. ऑफिस और दूसरे ऑफिसिज और क्वार्टर बनवाने का कष्ट करें।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लाडवा की बात कर रहे हैं, समालखा के विधायक अलग खड़े हो रहे हैं। पिछले प्रश्न के अन्दर सोहना, तावडू और बाढ़डा की बात भी आई थी। हमने तमाम जगह जहां से भी अकॉमोडेशन और ऑफिस कॉम्पलैक्स की रिक्वायरमैंट की बात आई है वहां पर जमीन लेने के लिए ई–भूमि पोर्टल पर डाल दिया है। अगर माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि वहां जमीन उपलब्ध है या जमीन उपलब्ध करवा सकते हैं तो हम कल ही ई–भूमि पोर्टल पर उनकी डिमांड डाल देते हैं। ये जैसे ही जमीन को ई–भूमि पोर्टल पर डालेंगे और डिप्टी कमिश्नर की कमेटी की रिपोर्ट हमारे चीफ सैक्रेटरी की कमेटी को भेजेगी तो तुरंत प्रभाव से कार्यवाही की जाएगी क्योंकि ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेन ऑफिसिज हैं इसलिए हमारी सरकार का लक्ष्य है कि इनको जल्द से जल्द कम्पलीट करवाया जाए ताकि लोगों की सुविधाएं बढ़ें।

श्री धर्मसिंह छौक्कर : अध्यक्ष महोदय, मेरे समालखा की भी एक डिमांड है।

श्री अध्यक्ष : छौक्कर जी, आप प्लीज बैठ जाईये । अब सारे स्टेट की डिमांड एक प्रश्न के ऊपर थोड़े ही हो जाएंगी। आप अपना प्रश्न लिख कर भेजिए।

———————

To Provide Canal Based Drinking Water

***745. Shri Satya Prakash Jrawta:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide canal based drinking water under Jal Jiwan Mission to all the Villages of Pataudi Assembly Constituency; and

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to supply the drinking water to areas declared as dark zone be the Government in Pataudi Assembly Constituency from the Mewat Canal which is passing from KMP togetherwith the details thereof?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) नहीं श्रीमान जी।

(ख) नहीं श्रीमान जी।

श्री सत्य प्रकाश जरावताः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि 73 गांव और 14 ढाणियां ऐसी हैं जहां जमीन के अन्दर पीने का पानी बिल्कुल खराब है। अगर एन.सी.आर. चैनल से लक्कड़पुर होते हुए के.एम.पी. एक्सप्रैस–वे के साथ–साथ पीने का पानी लाया जाए तो यह समस्या दूर हो सकती है। इसके लिए हम कासण गांव में 50 एकड़ जमीन का प्रस्ताव भी सरकार के पास भेज चुके हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार ने जो ''जल जीवन मिशन'' के तहत हर घर मे टुंटी लगाने का प्रावधान किया है उसके लिए सरकार ने पहले हर घर में पानी पहुंचाना चाहिए क्योंकि टुंटी तो तभी लगेंगी जब हर घर में पानी होगा। अध्यक्ष महोदय, इन 73 गांवों की जमीन में पीने का पानी नहीं है इसलिए पहले पानी की व्यवस्था हो जाए और उसके बाद ही सरकार टुंटी लगाए तो बेहतर होगा। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री बनवारी लालः अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने अभी बताया कि इनके क्षेत्र में पानी की कमी है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा इनके क्षेत्र में कुल 123 गांव हैं और 28 ढ़ाणियां हैं। इनमें पानी की स्थिति इस प्रकार है। 98 गांवों और 23 ढ़ाणियों में 40 से 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन वाटर सप्लाई दी जा रही है। 25 गांवों और 5 ढाणियों में 55 लीटर से अधिक के.एल.डी.पी. के हिसाब से पानी

.....

@ Reply given by the Coopration Minister

दिया जा रहा है। इसके अलावा जो इन्होंने मांग की है कि इनको एन.सी.आर. चैनल से पानी मिल जाये, के लिए 2.24 क्यूसिक नहरी पानी के लिए स्वीकृति मिल चुकी है और जल्दी इस पर काम भी शुरू हो जायेगा तथा 6155.50 लाख रुपये इस कार्य के लिए सैंग्शन हो चुके हैं और इस प्रकार यहां पर जो 23.50 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछेगी उससे 33 गांवों को फायदा मिलेगा। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा कि इनके यहां बहुत समय से पानी की कमी है, के ध्यानार्थ इरिगेशन और वाटर रिसोर्सिज डिपार्टमैंट से 37.50 क्यूसिक नहरी पानी की डिमांड की गई है और यह प्रस्ताव इरीगेशन और वाटर रिसोर्सिज डिपार्टमैंट के पास विचाराधीन है। जहां तक मेवात कैनाल से पीने के पानी की आपूर्ति की बात है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा अभी यह नहर अस्तित्व में नहीं है जब मेवात कैनाल बन जायेगी तो इससे जो पानी पब्लिक हैल्थ को मिलेगा उस पानी को इनके एरिया तक निर्धारित सोर्सिज के माध्यम से पहुंचाकर पानी की आपूर्ति करने का काम किया जायेगा।

.....

Construction of New Kharif Channels

***1033. Shri Amit Sihag:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the number of new kharif channels announced by the Government in Sirsa District since forming of the new Government in 2014; and

(b) the number of new kharif channels constructed by the Government in Sirsa District during the abovesaid period?

@**मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल)** :

(क) श्रीमान जी, 2014 में नई सरकार के गठन के बाद से सिरसा जिले में सरकार द्वारा चार नए खरीफ चैनलों की घोषणा की गई है।

(ख) उपरोक्त चारों में से किसी का निर्माण नहीं किया गया है। हालांकि, दो चैनलों क्रमशः रत्ताखेड़ा खरीफ चैनल तथा नाईवाला खरीफ चैनल को 2011 में योजनाबद्ध किया गया था, जिन्हें जल्द ही पूरा करने की घोषणा 24.12.2016 को गई थी जो क्रमशः फरवरी तथा अगस्त, 2019 के दौरान पूरा किया गया।

.....

@ **Reply given by the Ariculture and Farmers Welfare Minister**

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, पिछले विधान सभा सत्र में मैंने कालुआना खरीफ चैनल को बनवाने के बारे में अपनी मांग रखी थी और उस समय मुझे जवाब दिया गया था कि पानी की कमी के कारण इस चैनल को नहीं बनाया जा सका। उस समय मैंने एक प्रश्न भी उठाया था कि कहीं इस चैनल को न बनाने का कारण पानी की कमी की बजाय राजनीतिक विल तो नहीं है। इस चैनल को कांग्रेस राज में मंजूर किया गया था। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त मैंने यह बात भी सदन के माध्यम से कही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यहां पर चार और खरीफ चैनल मंजूर कर दिए गए हैं तो माननीय मंत्री जी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है तो मैंने कहा था कि आप जांच कराइये और आज माननीय मंत्री जी ने खुद कहा है कि वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद चार नए खरीफ चैनलों को मंजूर किया गया है। इस बयान से मेरी बात सच सिद्ध हुई है, के मद्देनज़र मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर यहां पर पानी की कमी है तो चार नए खरीफ चैनल किस आधार पर मंजूर किए गए तथा पहले से मंजूरशुदा कालुआना खरीफ चैनल को क्यों नहीं बनाया गया?

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, ओटू झील से निकलने वाले उक्त चैनलों को बिना मानसून के सिर्फ 600–700 क्यूसिक पानी ही मिलता है। अमूमन मानसून का पीरियड 15–20 दिन का ही होता है। यहां पर 3188 क्यूसिक पानी की क्षमता वाले 10 चैनल आलरेडी चल रहे हैं जिनकी कुल लम्बाई 4412.61 किलोमीटर है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन को यह जानकारी भी देना चाहूंगा कि वर्ष 2010 में निर्माणाधीन घग्घर बारूवाली लिंक चैनल में पानी की उपलब्धता न होने के कारण 8.87 करोड़ रुपये के लिए पी.ए.सी. का पैरा तक बन गया था जिसमें यह प्रश्न उठाया गया था टैक्निकल तौर पर नहर को सिंचाई के प्रयोजन हेतु बनाया जाता है लेकिन यह नहर कभी भी अपनी अधिकृत क्षमता के हिसाब से नहीं चली और जब पानी ही उपलब्ध नहीं हो सका तो इस नहर को बनाने का कोई औचित्य नहीं था। अध्यक्ष महोदय, विभाग ने सभी तथ्यों को एग्जामिन करवाने के बाद तथा सभी प्रकार की संभावनाओं को तलाशने के बाद निर्णय लिया कि यहां पर पानी उपलब्ध नहीं है, अतः इस चैनल को नहीं बनाया जा सकता।

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पानी की कमी है लेकिन उसी चैनल से कालुआना खरीफ चैनल बननी थी। माननीय मंत्री जी ने

चार चैनल मंजूर कर दिये, क्या उस समय पानी की कमी नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय 29500–आर जी.बी.एस.एम. (घग्गर बनी सदेवा ममरखेड़ा) लिंक चैनल जिसके माध्यम से कालुआना खरीफ चैनल निकलना था। अध्यक्ष महोदय, यह दिनांक 16 फरवरी, 2014 को मंजूर कर दिया गया था। इसके लिये एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रवूल भी मिल गया था और भूमि अधिग्रहण अधिनियम सैक्शन 4–5 भी इशू कर दिया गया था। सरकार ने 30 करोड़ रुपये भी मंजूर कर दिये थे। उस समय 29500–आर की कैपेसिटी 253 क्यूसिक थी, जो अपग्रेड करके आज की तारीख में 609 क्यूसिक और 30 प्रतिशत कैपेसिटी ओवरफ्लो भी करता है तो भी 792 क्यूसिक की कैपेसिटी बनती है। कालुआना खरीफ चैनल की कैपेसिटी केवल और केवल 180 क्यूसिक है। अध्यक्ष महोदय, जो चार चैनल मंजूर किये हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ लेकिन सरकार उसके लिये आज तक जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाई। अध्यक्ष महोदय, कालुआना खरीफ चैनल के लिये सौ प्रतिशत किसान आज की तारीख में अपनी जमीन देने को तैयार है। अध्यक्ष महोदय, जो प्रोजैक्ट पहले आया उसे तो सरकार ने नामंजूर कर दिया और जो प्रोजैक्ट बाद में आए, उसे सरकार ने मंजूर कर दिया फिर भी सरकार उन चैनलों को बनवा नहीं सकी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से फिर से अनुरोध करता हूँ कि राजनीति के कारण ही इसे नामंजूर किया गया है। क्या सरकार कालुआना खरीफ चैनल को मंजूर करके 14 गांव के किसानों को उनके हक का पानी देने का काम करेगी? धन्यवाद।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी में एक बात लाना चाहूँगा कि जो चार चैनलों के बनाने की घोषणा हुई थी, वह ड्रॉप कर दी गई है क्योंकि विभाग ने कहा है कि फिजिबिलिटी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब पानी ही नहीं है तो चैनल बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसमें 3188 क्यूसिक की क्षमता के चैनल ऑलरेडी है और उसके अंदर थोड़ा सा 25–30 प्रतिशत पानी पहुँच जाता है। बारिश के 15–20 दिन को छोड़कर उन चैनल में पानी की की कैपेसिटी भी पूरी नहीं कर पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, नया चैनल बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

.....

Number of Sale Deed in Violation of Law

***1051. Shri Bharat Bhushan Batra:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

(a) the number of sale deeds registered in State in violation of the Haryana Urban Development Regulation Act, 1975 during the Covid period from 1st Feb, 2020 to 31st Dec, 2020; and

(b) the steps taken by the Government for cancellation of sale deeds registered in State in violation of law?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला) : (क) राज्य में कोविड अवधि के दौरान 1 फरवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक हरियाणा शहरी विकास विनियमन अधिनियम, 1975 के उल्लंघन में 6223 विक्रय विलेख पंजीकृत हुए थे।

(ख) उक्त कानून की धारा 7–क का उल्लंघन करने वाले पंजीकृत विक्रय विलेखों को रद्द नहीं किया जा सकता। हरियाणा शहरी विकास विनियमन अधिनियम, 1975 में इस तरह के विलेखों को रद्द करने के लिए न तो कोई प्रावधान है और न ही पंजीकरण अधिनियम, 1908 में ऐसा कोई प्रावधान है।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार अनधिकृत कॉलोनियों को रोक पायेगी या रोकने में असमर्थ है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि हरियाणा शहरी विकास विनियमन अधिनियम, 1975 के अल्लंघन में 6223 विक्रय विलेख पंजीकृत हुए थे। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा शहरी विकास विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7–क का उल्लंघन करने वाले कितने पंजीकृत विक्रय विलेखों को रद्द किया गया? अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई, कृपया करके माननीय उप–मुख्यमंत्री जी यह बात भी सदन को बताने की कृपा करे।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इस बात के लिये पूरी तरह से गंभीर है कि इस प्रदेश में किसी भी प्रकार की इल्लीगल कॉलोनाइजेशन न हो। पिछले अक्टूबर, 2020 से लेकर अब तक रेवेन्यू सिस्टम को रिवैम्प किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि अगर हरियाणा का नागरिक और हरियाणा से बाहर का नागरिक भी अपनी डील को रजिस्टर्ड कराने के लिये कानून के मुताबिक समय की मांग करता है तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तमाम

ड्यूज और तमाम एन.ओ.सीज. उसको मिल सकती हैं। हमारी सरकार इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है। जहां बात एक्शन की थी कि सरकार ने क्या एक्शन लिया तो मैं बताना चाहता हूं कि 8 सब–रजिस्ट्रार्ज और रजिस्ट्रार्ज को 6223 गलत रजिस्टर डीड करने की वजह से चार्जशीट किया हुआ है और उनके खिलाफ एफ. आई.आर. भी लॉज करवाई हुई है । पुलिस इनकी वैरीफिकेशन कर रही है । अब 8 महीने बाद हमने उनको रिइंस्टेट करके दूसरे कमिश्नरेट में डिप्यूट किया है ताकि वे लोग इंवैस्टिगेशन को प्रभावित न कर सकें ।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट रेगुलेशन एक्ट के सैक्शन 10(2) के तहत माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने कितनी अनअथॉराइज्ड कॉलोनीज के अगेंसट एक्शन लिया है ? इस समय सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बैठे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अनअथॉराइज्ड कॉलोनीज के अगेंस्ट कोई कम्पलेंट करता है तो क्या सरकार मुझे हाउस में एश्योर करती है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा ?

श्री दुष्यन्त चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल रेवेन्यू विभाग से संबंधित नहीं है बल्कि यह सवाल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट से संबंधित है । फिर भी मैं इसका एक लाइन में जवाब दे देता हूं । ऐसे मामलों में हमारी सरकार पूरी तरह से गम्भीर है । अगर हमारे पास किसी भी तरह की कोई कम्पलेंट आती है तो हम उस पर पूरी गम्भीरता से एक्शन लेते हैं । इसी कारणवश हमारे प्रदेश में आज तक इस तरह की इल्लीगल कॉलोनाइजेशन के विरूद्ध कुल 2127 एफ.आई.आरज. लॉज हुई हैं ।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि अगर यह सवाल दूसरे विभाग से संबंधित है तो इसका उस विभाग के माननीय मंत्री जी भी जवाब दे सकते हैं ।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मैं अवैध कॉलोनीज के विषय में कहना चाहता हूं कि एक बार जब वे कॉलोनीज बन गई, उनमें मकान बन गए, उन मकानों की रजिस्ट्री भी हो गई तो फिर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट उन मकानों को गिरा देता है । इस समय सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय बैठे हुए हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं उन मकानों को गिरा देने से सरकार को क्या लाभ हुआ ? सरकार को तो तब लाभ होता जब सरकार म्यूनिसिपल एरिया में बने हुए मकानों से डिवैल्पमैंट चार्जिज लेकर उनको

रैगुलराइज कर देती । एक आदमी अपनी पूरी जिन्दगी की कमाई लगाकर जब कोई प्लॉट खरीदता है और उस पर मकान बना लेता है तो फिर सरकार द्वारा उसको अनअथॉराइज्ड कॉलोनी में बना हुआ बताकर गिरा दिया जाता है । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः पूछना चाहता हूं उन मकानों को गिरा देने से सरकार को क्या लाभ हुआ ? इसमें सिवाय नुकसान के सरकार को कुछ भी हासिल नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, अनअथॉराइज्ड कॉलोनीज में बने हुए मकानों को इसलिए गिराया जाता है ताकि भविष्य में उन मकानों को देखकर और लोग भी वहां पर मकान न बनाएं । सरकार को अनअथॉराइज्ड कॉलोनीज में लोगों को मकान बनाने से रोकना तो पड़ेगा । (विघ्न)

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति ने वहां पर अपना मकान बना लिया मैं पूछता हूं कि उस बेचारे का क्या कसूर है ? टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट के लोग उनसे पैसे खाकर मालामाल हो गये और उन्होंने अपनी कोठियां बना लीं । जिस रजिस्ट्रार ने उनकी रजिस्ट्री की वह रजिस्ट्रार मालामाल हो गया, सरकार को इससे रेवेन्यू मिला, सरकार भी मालामाल हो गई और इससे म्यूनिसिपैलिटी को डिवैल्पमैंट चार्जिज के रूप में रेवेन्यू मिला और उसको भी लाभ हुआ । मैं पूछता हूं कि मकान को खरीदने वाले का क्या दोष है ? अध्यक्ष महोदय, सरकार का उन मकानों को गिराने का फैसला बिल्कुल गलत और वाहियात है । सरकार के इस फैसले में कोई दम नहीं है।

.....

To Pay Outstanding Amount to the Farmers

***882. Smt. Shailly Choudhary:** Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state-

(a) the details of outstanding amount for the payment of sugarcane lying pending in Naraingarh Sugarcane Mill for the year 2019-20 and 202021; and

(b) the time by which the said outstanding amount is likely to be paid togetherwith whether there is any proposal under consideration of the Government to take the said sugar mill under its control?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क) श्रीमति जी, नारायणगढ़ चीनी मिल, नारायणगढ़ की तरफ़ पिराई सीज़न 2019–20 तथा 2020–21 (दिनांक 04.03.2021 की स्थिति) के लिए भुगतान हेतु गन्ने की बकाया राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

विवरण	सीज़न 2020–21 (04.03.2021 की स्थिति अनुसार)	सीज़न 2019–20 (अन्तिम स्थिति)
कुल पिराई किया गया गन्ना (क्विंटल में)	38,75,000	55,33,883
देय गन्ना मूल्य (लाख रुपयों में)	135,62.50	186,24.56
अदा किया गया गन्ना मूल्य (लाख रुपयों में)	28,17.33	186,24.56
बकाया गन्ना मूल्य (लाख रुपयों में)	107,45.17	Nil
बकाया आगामी तिथियों के चैक (लाख रुपयों में)	-	731.70

(ख) नारायणगढ़ चीनी मिल लि0, नारायणगढ़ द्वारा सीज़न 2019–20 के दौरान गन्ना किसानों को उनके गन्ने के भुगतान हेतू 4251.62 लाख रुपये के आगामी तिथियों के चैक दिए गए थे, जिसमें से 3519.92 लाख रुपये की अदायगी की जा चुकी है तथा शेष 731.70 लाख रुपये राशि के आगामी तिथियों के चैक भुगतान के लिए बकाया है। हालांकि इनका भुगतान दिनांक 26.03.2021 तक कर दिया जाएगा।

बाजार में चीनी की कम मांग तथा चीनी के घटे मूल्यों के कारण सीज़न 2020–21 में चीनी बिक्री कार्य काफी धीमा है तथा नारायणगढ़ चीनी मिल लि0, नारायणगढ़ के गोदाम में 35 करोड़ रुपये तक की कीमत के चीनी स्टॉक का ढेर लग गया है। जबकि बकाया के भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। चीनी के मूल्यों में कमी के कारण, यह अनुमान है कि नारायणगढ़ चीनी मिल की ओर वर्तमान सीज़न का लगभग 50 करोड़ रुपये बकाया के रूप में देय रहेगा तथा उसका भुगतान किसानों को आश्वासित आगामी तिथियों के चैक दे कर किया जाएगा।

राज्य सरकार ने उपायुक्त, अम्बाला को अध्यक्ष तथा श्री नरेन्द्र पाल मलिक, एच0सी0एस0 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी–सह–कार्यकारी निदेशक व श्री मनोज बंसल, हरको बैंक के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक को निदेशक वित्त के रूप में भी प्रबन्धन तथा नारायणगढ़ चीनी मिल, नारायणगढ़ के सहज परिचालन के लिए नियुक्त किया है ताकि चीनी मिल में किसानों के हितों की सुरक्षा तथा सरकार की

सर्वोच्च प्राथमिकता कि किसानों के बकाया के भुगतान में प्राथमिकता सुनिश्चित की जा सके।

श्रीमती शैली : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मुझे पिछली बार भी माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था । मैं पूछना चाहती हूं कि पिछले साल की गन्ने की किसानों को कितनी पेमेंट की जा चुकी है और इस साल की कितनी पेमेंट बकाया है और वह पेमेंट किसानों को कब तक दे दी जाएगी ? इसके अलावा मैं पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार की इन मिलों को अपने अधीन लेने की कोई योजना है ? अगर ऐसी योजना है तो मुझे बताया जाए कि इन मिलों को सरकार अपने अधीन कब तक ले लेगी ?

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि हमारे कोओपरेटिव और प्राइवेट किसी भी शुगर मिल की पिछले क्रसिंग सीजन की गन्ने की कोई पेमेंट बाकी नहीं है । केवल एक मिल का पी.डी.सी. (post-dated checks) 3–4 करोड़ रुपये के आसपास पैंडिंग है जोकि 26 मार्च तक क्लीयर हो जाएगा । इस सीजन में भी हमने टाइमली मिल चलाए और प्रक्रिया के तहत हम किसानों को चीनी बेचकर समय पर गन्ने की पेमेंट कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है । हम किसानों को गन्ने की साथ–साथ पेमेंट कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्या को दोबारा बताना चाहता हूं कि हमारे कोओपरेटिव और प्राइवेट किसी भी शुगर मिल की पिछले क्रशिंग सीजन की गन्ने की कोई पेमेंट बाकी नहीं है । केवल एक मिल का पी.डी.एफ. चैक बकाया है जिसकी दिनांक 26.3.2021 की लास्ट डेट है। इस प्रकार यह सिर्फ थोड़ी सी पेमैंट ही बकाया है, बाकी सारी पेमैंट दी जा चुकी है।

श्रीमती शैली: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पिछली बार मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि उनकी गन्ने की फसल की 17 मार्च तक पेमैंट दे दी जाएगी। विभाग द्वारा किसानों को चैक तो दे दिये जाते हैं, परन्तु उनकी फसल की पेमैंट नहीं मिलती। आज इतना समय व्यतीत होने के बाद भी किसानों को उनकी फसल की पेमैंट नहीं मिली है ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि इस साल की किसानों की गन्ने की फसल की पेमैंट कब तक दे दी जाएगी ? उन किसानों को पेमैंट लेने के लिए बार–बार धरना देना पड़ रहा है। आज भी वहां पर मिल के बाहर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे एरिया में किसानों के पास खेती के अलावा कमाई का कोई दूसरा साधन नहीं है। अध्यक्ष

महोदय, मेरे कहने का मतलब यही है कि हमें सरकार ने किसानों को उनकी पेमैंट दिलवाने के लिए बार–बार न कहना पड़े। मेरा यही कहना है कि किसानों को उनके गन्ने की फसल की पेमैंट समय पर दी जाए।

श्री अध्यक्षः शैली जी, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है।

श्रीमती शैलीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे सवाल के जवाब में पिछली बार भी आश्वासन दिया था, परन्तु आज तक उन किसानों को उनकी गन्ने की फसल की पेमैंट नहीं मिली है।

श्री अध्यक्षः शैली जी, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है। अगर पेमैंट नहीं दी जाती है तो आप लिखित में भेज दें। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्रीमती शैलीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पिछली बार भी आश्वासन दिया था, लेकिन कहने और करने में फर्क है क्योंकि आज तक उन किसानों की गन्ने की फसल की पेमैंट नहीं हुई है।

श्री अध्यक्षः शैली जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः शैली जी, प्लीज, अब आप बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि वैसे तो कल मैंने अपने रिप्लाई में नारायणगढ़ शुगर मिल का उल्लेख कर दिया था। आज मैं फिर इसके बारे में विस्तार से बताना चाहूंगा कि वहां पर पिछली साल की 60 करोड़ रुपये की पेमैंट बकाया है। इसके लिए पी.डी.सी (Post-dated Cheque) दिये गये थे और उनमें से लगभग 55 करोड़ रुपये की पेमैंट के पी.डी.सी. ऑनर हो चुके हैं। पिछले साल के सिर्फ 5 करोड़ रुपये के पी.डी.सी. बकाया हैं और वे ऑन डेटिड चैक होते हैं। ये पी.डी.सी. डेट के हिसाब से आते रहेंगे और यह 5 करोड़ रुपये की पेमैंट भी क्लीयर हो जाएगी। जहां तक इस वर्ष की गन्ने की फसल की पेमैंट देने की बात है तो इसमें टोटल 102 करोड़ रुपये का टोटल गन्ना परचेज किया गया था। जिसके लिए लगभग 40 करोड़ रुपये की पेमैंट की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जो 60–62 करोड़ रुपये की पेमैंट बकाया है, वह पिछले सालों के बैकलॉग की वजह से ही है। इसमें अच्छी बात यह है कि आज के दिन हमारे शुगर मिलों में 30 करोड़ रुपये की चीनी का स्टॉक है। यह चीनी का सारा स्टॉक एक साथ नहीं बेचा जा सकता है। इसका रेगुलेशन सैंट्रल

एजेंसी के द्वारा किया जाता है और इसमें तय पैरामीटर्ज के हिसाब से ही हर महीने की चीनी बेच सकते हैं। अगर हम एक साथ सारी चीनी बेच देंगे तो चीनी के रेट्स डाउन आ जाएंगे। शुगर मिलों में केवल 7–8 महीने ही चीनी बनती है, परन्तु उसकी सप्लाई 12 महीने तक करनी होती है। इसलिए स्टेजिज के हिसाब से ही चीनी को बेचा जाता है। फिर भी सरकार स्पैशल प्रमीशन लेने का प्रयास कर रही है कि चीनी के सारे स्टॉक बेचने की अनुमति मिल जाए। इस प्रकार इस वर्ष का जो गन्ने की फसल का 60–62 करोड़ रुपये बकाया है, उसमें से भी 25–30 करोड़ रुपये की पेमैंट की जा सकेगी। यानी इस चीनी के स्टॉक को बेचकर इस बैकलॉग की पेमैंट की जा सकेगी। इसमें कोई ऐसा कारण होगा जिसके कारण पिछले साल का 60–62 करोड़ रुपये का बैकलॉग था। इस साल का जो बैकलॉग बचेगा, वह उससे 10–15 करोड़ रुपये कम ही बचेगा। हमें इसको एक–एक साल में ठीक करना है। पहले नारायणगढ़ शुगर मिल बन्द होने के कगार पर आ गयी थी, लेकिन हम उसको सरकारी हस्तक्षेप से लाइन पर ले आए हैं।

श्रीमती शैली: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस मिल को सरकार को अपने अधीन लेना चाहिए। आजकल वहां पर जो बिजली बनायी जा रही है, उसको भी सरकार ही खरीद रही है। क्यों न सरकार उसको अपने अधीन ले ले ? अन्त में, मेरा यही कहना है कि सरकार किसानों के गन्ने की पेमैंट कर दे।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, किसान ये सोचते हैं कि उनके पास चैक आ गये हैं तो उनको उनकी गन्ने की फसल की पेमैंट मिल जाएगी, लेकिन 1–1 साल तक उनको पेमैंट नहीं मिल रही है।

श्री अध्यक्ष: किरण जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री जय प्रकाश दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 14 शुगर मिलों में से केवल 1 शुगर मिल में ही समस्या है। बाकी दूसरी शुगर मिलों में कोई भी चैक ऑन डेटिड नहीं जाते हैं। इस शुगर मिल की निगरानी करने के लिए उस जिले के उपायुक्त को लगा रखा है।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को ही उस शुगर मिल की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी है।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि उनको इसके लिए चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम इस समस्या का समाधान कर रहे हैं।

————————————

Number of Houses Allotted To Bpl Families

***909. Shri Shishpal Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state the number of houses allotted to the BPL families during the year 2020-21 in State together with the number of families to whom the amount has been released?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमानजी, आवास बोर्ड हरियाणा, द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान 744 निवास इकाई बी.पी.एल परिवारों को आंबटित की गई हैं। आवास बोर्ड की पॉलिसी के अनुसार किसी स्कीम में बी.पी.एल परिवारों को कोई आर्थिक सहायता/अनुदान जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। पी.एम.ए.वाई (यू) के अधीनवर्ष 2020–21 के दौरान जनवरी 2021 तक 8660.60 लाख रुपये को आर्थिक सहायता की राशि उनके मकानों के निर्माण के लिए 10070 ई.डब्लू.एस लाभार्थियों को सीधी मुहैया कराई गई है। पी.एम.ए.वाई (जी) के अधीन 1197.66 लाख रुपये की राशि वर्ष 2020–21 के दौरान 21502 के लक्ष्य में से सीधी उनके मकानों के निर्माण के लिए 1197 लाभार्थियों को जारी की गई है।

श्री शीशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला क्वैश्चन यह था कि प्रदेश में बी.पी.एल. कार्ड बनाये जा रहे हैं या नहीं और यदि बी.पी.एल. कार्ड बनाये जा रहे हैं तो इस साल कितने बी.पी.एल. कार्ड बनाये गये हैं? इस क्वैश्चन में से यह क्वैश्चन काट दिया गया है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के जवाब में बताया कि वर्ष 2020–21 में 21502 मकान बनाने थे और इसमें से 1197 मकानों के लिए 1197.66 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। सरकार की तरफ से 1197 मकान बनाये गये हैं, यह 10 परसैंट के आंकड़े को भी नहीं छू रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से बी.पी.एल. कोर्डों की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं कि क्या हरियाणा प्रदेश में बी.पी.एल. कार्ड बनाये जा रहे हैं? मुझे इस बात की जानकारी है कि बी.पी.एल. कार्ड ऑनलाइन के माध्यम से तो बनाये

.....

@ Reply given by the Ariculture and Farmers Welfare Minister

जा रहे हैं लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया इतनी टैक्नीकल है कि जिसके कारण गांव के लोगों को धक्के खाने को मजबूर होना पड़ रहा है और वे मुझे आकर कहते हैं कि हमारे बी.पी.एल. कार्ड कब बनाये जायेंगे? अध्यक्ष महोदय, आज के दिन प्रदेश के बी.पी.एल. परिवारों के मकानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। गांवों की स्थिति के हिसाब से देखा जाये तो 1197 मकान बनाने का मतलब है कि साल में हर 5 गांवों पर एक मकान बनाया गया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर गरीब को किस प्रकार से वर्ष 2022 तक घर देने का सपना पूरा किया जायेगा। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर बताने का काम करें।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन परिवारों की संख्या के साथ–साथ राज्य में वर्ष 2020–21 के दौरान बी.पी.एल. परिवारों को आबंटित मकानों की संख्या बताने की कृप्या करेंगे जिनको राशि जारी की गई है? हमने जिन परिवारों को राशि जारी की गई हैं उनके बारे में माननीय सदस्य को जानकारी दे दी गई है।

श्री अध्यक्ष : शीशपाल जी, इस क्वैश्चन में आपने बी.पी.एल. कार्डों के बारे में नहीं पूछा है। आपने मकानों के बारे में पूछा है वह माननीय मंत्री जी ने बता दिया है।

श्री शीशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न विधान सभा में लगाया था उसकी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि ये दोबारा से प्रश्न लिखकर भेज दें। हम इनको इस प्रश्न का लिखित रूप में जवाब दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : शीशपाल जी, आप इस प्रश्न को दोबारा लिखकर माननीय मंत्री जी को भेज दीजिए।

———————

To Construct Sports Stadium

***1038. Shri Vinod Bhayana:** Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that there is no sports stadium in Hansi City;

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct any sports stadium in Hansi togetherwith the time by which it is likely to be constructed ?

Minister of State for Sports & Youth Affairs (Sardar Sandeep Singh): Sir,

(a) There is no sports stadium in Hansi City.

(b) There is no such proposal under consideration of the Government.

श्री विनोद भ्याना : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि हांसी शहर में खेल स्टेडियम नहीं है और सरकार का न ही खेल स्टेडियम बनाने का विचार है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते बड़ा हर्ष हो रहा है कि हांसी शहर और देहात ने देश को राष्ट्रीय स्तर के और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। इसके अलावा मुझे यह कहते हुए भी बड़ा हर्ष हो रहा है कि हांसी के खिलाड़ियों ने जहां ओलम्पिक्स में, एशिया कॉमन वैल्थ गेम्स में और अंतरराष्ट्रीय गेम्स में न केवल भाग लिया बल्कि देश के लिए पदक भी जीतकर लाये थे। आज उस हांसी में इन खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कोई खेल स्टेडियम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी निवेदन है कि कृपया करके इन खिलाड़ियों की सहूलियत के लिए कोई अच्छा मल्टी गेम स्टेडियम बनाया जाये ताकि खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़े।

खेल एवं युवा राज्य मंत्री (सरदार संदीप सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में लगभग 12 खेल परिसर हैं और 13 नर्सरियां बनी हुई हैं। मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं कि हमें स्टेडियम की तरफ नहीं देखना चाहिए बल्कि हमें फील्ड की तरफ देखना चाहिए क्योंकि स्टेडियम वहां पर बनाये जाते हैं जहां पर गेम्स करवाई जाये या टूर्नामैंट आदि करवाये जायें। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1966 से लेकर आज तक हरियाणा प्रदेश ने कोई गेम्स होस्ट, मैं दोबारा वर्ड यूज करना चाहूंगा कि कोई गेम्स होस्ट नहीं की थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें ''खेलो इंडिया'' यूथ गेम्स को होस्ट करने का मौका दिया है और यह पहली बार हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य हमें मैदान के लिए जमीन उपलब्ध करवा देते हैं तो हम हांसी शहर व देहात के खिलाड़ियों के लिए मैदान बनवा देंगे। सरकार की तरफ से हांसी शहर व देहात में रेसलिंग, बॉक्सिंग

और कबड्डी इत्यादि जो फेमस गेम है, इन गेम्स को प्रोवाइड करवाने का काम किया जायेगा। हम स्टेडियम के स्थान पर कोई खेल का मैदान तैयार करके दे सकते हैं। जिससे खिलाड़ियों को आने वाले समय में बहुत फायदा होगा क्योंकि जो स्टेडियम बनाने पर जो खर्चा आता है उस खर्चे से हम खिलाड़ियों को तैयार करने का काम करेंगे।

श्री विनोद भ्याना : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि मुझे वहां पर स्टेडियम से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे पास वहां पर खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए कोई मैदान नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे हमें वहां पर कोई अच्छा मैदान डिवैल्प करके दें ताकि वहां पर हमारे सभी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रॉपर जगह अवेलेबल हो सके। खेल के मैदान के लिए जगह देने की जिम्मेदारी हमारी है।

.....

Construction of New Water Works

***932. Shri Dura Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the new water works for supplying the canal water in Sector-3 of Fatehabad is likely to be constructed?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान् जी, सैक्टर–5, फतेहाबाद के लें–आऊट प्लान में कुल 24.16 एकड़ भूमि जलघर के लिए निर्धारित की गई है। अब तक जलापूर्ति नलकूपों द्वारा की जा रही है। इन सैक्टरों में पर्याप्त आबादी होने के उपरान्त हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नहरी पानी आधारित जलघर के निर्माण बारे कार्यवाही की जाएगी। जिसके लिए निविदा निमंत्रण के उपरान्त तीन वर्ष का समय लगेगा।

श्री दूड़ा राम : स्पीकर सर, फतेहाबाद में वॉटर वर्क्स के लिए हुडा ने जगह छोड़ रखी है। यह सारे का सारा सैक्टर डिवैल्प हो चुका है। वहां पर नहरी पानी नहीं जाता है। सैक्टर 3, 5 और 7 पूरी तरह से आबाद हो चुके हैं। वहां पर जो ट्यूबवैल हैं उनका पानी बहुत ही ज्यादा खराब है। वहां पर सभी लोगों की डिमाण्ड है कि वहां पर नहरी पानी की सप्लाई होनी चाहिए। जब नहरी पानी की सप्लाई के लिए बूस्टिंग स्टेशन की स्थापना के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह उपलब्ध है और आबादी भी है तो वहां पर जल्दी से जल्दी कैनाल बेस्ड वॉटर

सप्लाई की शुरुआत की जाये। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मेरी इस मांग को मंत्री जी कब तक पूरा कर देंगे।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, जिस सैक्टर की चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं उसमें कुल 1542 प्लॉट्स हैं। वहां पर लगभग 560 मकानों का निर्माण हुआ है और 497 मकानों के अंदर रिहायश हुई है। वहां पर अभी पूरी तरह से रिहायश नहीं हुई है। जब तक वहां पर आबादी बढ़ेगी हम जल्दी से जल्दी नहरी पानी की सप्लाई की व्यवस्था करने का काम कर देंगे।

श्री दूड़ा राम : स्पीकर सर, मंत्री जी सैक्टर–5 की बात बता रहे हैं। वहां पर सैक्टर 3 भी है और वहां पर सैक्टर 7 भी है जिनमें पूरी आबादी बस चुकी है। इन सभी सैक्टर्स में नहर का पानी नहीं जा रहा है।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, फतेहाबाद में दो कैनाल बेस्ड वॉटर वर्क्स ऑलरेडी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हम वहां पर कैनाल बेस्ड तीसरे वॉटर वर्क्स का निर्माण भी जल्दी से जल्दी करवाने के लिए कार्यवाही शुरू कर देंगे।

To Construct Guru Ravidas Mandir

***870. Shri Ishwar Singh**: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Guru Ravidas Mandir in 5 acres of land in Kurukshetra; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed?

Urban Local Bodies Minister (Shri Anil Vij): (a) & (b) No Sir

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में यह मुद्दा बड़ी भावुकता के साथ उठा था कि दिल्ली में एक मंदिर तोड़ दिया गया। मेरा सवाल यह है कि हमारे मैनीफैस्टो में सरकार ने यह घोषणा की हुई है कि हम कुरूक्षेत्र में संत शिरोमणी गुरू रविदास जी के नाम से एक भव्य मंदिर 5 एकड़ जमीन पर बनायेंगे। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कुरूक्षेत्र के पास 2 किलोमीटर दूर उमरी गांव में 5 एकड़ जमीन पंचायत द्वारा दे दी गई है। उपायुक्त, कुरूक्षेत्र से यह प्रस्ताव मंजूर हो कर भी चला गया है। सरकार के नोटिस में भी है कि वहां पर मंदिर बनेगा। यह केवल मंदिर ही नहीं बनेगा बल्कि इसमें कोचिंग

सैन्टर, कम्प्यूटर सैन्टर, स्मार्ट क्लास रूम्स वगैरह की सुविधा भी होगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि जब जमीन दे दी गई है मैं केवल प्रावधान जानना चाहता हूं तो फिर जवाब नहीं में क्यों आया है?

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अपने विभाग से संबंधित जानकारी दे पा रहा हूं। हमारे विभाग के पास इस प्रकार की कोई प्रोपोजल नहीं आई है और न ही कोई प्रस्ताव पारित हुआ है।

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारे मैनीफैस्टो में है और सभी को पता है कि इस काम के लिए 5 एकड़ जमीन दे दी गई है और उसकी ईयरमार्किंग भी हो गई है।

श्री अध्यक्षः क्या सरकार के ध्यान में कोई ऐसी बात है कि वहां पर मंदिर बनेगा?

श्री ईश्वर सिंहः सर, ग्राम पंचायत की तरफ से 5 एकड़ जमीन दे दी गई है।

श्री अध्यक्षः ईश्वर सिंह जी, जमीन किसको दी गई है?

श्री ईश्वर सिंहः सर, ग्राम पंचायत की तरफ से तो जमीन सरकार को दी गई है।

श्री अध्यक्षः यह तो इन्क्वायरी का विषय है कि 5 एकड़ जमीन किसको दी गई। अगर जमीन दी गई है तो उसका पता करना पड़ेगा।

श्री अनिल विजः सर, जहां तक कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड की बात है जिसको मैं देख रहा हूं, उसके पास यह जमीन नहीं आई है। अगर किसी और विभाग के पास यह जमीन गई है तो उसका हम पता करवा लेंगे।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आपके मैनीफैस्टो में इस बात का जिक्र है और ग्राम पंचायत की तरफ से संत शिरोमणि गुरू रविदास जी के नाम पर मंदिर बनाने के लिए जमीन भी सरकार को दे दी गई है तो वहां पर मंदिर बनना चाहिए।

श्री अनिल विजः सर, हमारे विभाग के पास ऐसी कोई प्रोपोजल नहीं है।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, यह जमीन पंचायत विभाग से संबंधित है। इस जमीन का रैजोल्यूशन हो चुका है और रैजोल्यूशन उपायुक्त, कुरूक्षेत्र के पास आ चुका है। सरकार इसको जल्दी ही टेकअप करेगी।

———————

Vendors (Fad) Distribution Scam in Faridabad

***743. Shri Neeraj Sharma:** Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state—

(a) the action taken by the Government in the vendors (Fad) distribution scam caught in Dabua Vegetable Market, Faridabad; and

(b) the reasons for which vendors distribution has not been cancelled so far togetherwith the details thereof?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल):

(क) सम्बन्धित सचिव–कम–कार्यकारी अधिकारी, मार्किट कमेटी फरीदाबाद द्वारा वैण्डरों को स्थान वितरण करने संबधी पॉलिसी दिनांक 25.09.2018 के दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण 08.11.2019 को निलंबित कर दिया गया तथा उसको कठोर दण्ड देने के लिए हरियाणा सिविल सेवाएं (दंड एवं अपील) नियम, 2016 की धारा–7 के अन्तर्गत चार्जशीट जारी की गई। उसे 07.10.2020 को बहाल कर दिया गया।

(ख) वैण्डरों को स्थान वितरण करने का निर्णय निरस्त नहीं किया गया क्योकि कुछ अलॉटियों नें माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी थी और यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गम्भीर और भ्रष्टाचार का मुद्दा है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं बहुत दिन से इसके पीछे पड़ा हूं क्योंकि इसमें रेहड़ी वाले, रिक्शा वाले तथा विधवा औरतें शामिल हैं जिनको उनके हक से वंचित किया गया है। माननीय मंत्री जी सदन को कह रहे हैं कि कोर्ट के अन्दर मामला विचाराधीन है। कोर्ट में दो चीजों का स्टे है। पहला स्टे यह है कि जिस सैक्रेट्री के खिलाफ जांच हुई उसका एस.डी.एम. बड़खल का एरिया पड़ता था। अफसरों ने सांठगांठ करके एस.डी.एम. बल्लभगढ़ से उसकी जांच करवाई। पॉलिसी वर्ष 2018 में आ गई थी और एस.डी.एम. बल्लभगढ़ ने 2017 की पॉलिसी पर रिपोर्ट दे दी कि आबंटन ठीक हुआ है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उसके बाद एस.डी.एम. बड़खल की तरफ से दोबारा जांच हुई। इस केस से संबंधित मेरे पास बहुत सारे दस्तावेज हैं जिनमें मेरे भाई के भी कागज हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री, मुख्यमंत्री, विजिलैंस, डी.जी.पी., सैक्रेट्री तथा डायरेक्टर तक मैं सभी के पास गया हूं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस केस से संबंधित मेरे पास इतने

दस्तावेज हैं जिनके 10 हजार रुपये से अधिक तो फोटोस्टेट करवाने में लग गये होंगे। जवाब में सदन को गुमराह किया जा रहा है और जहां तक माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अलॉटमैंट को लेकर कोर्ट में कोई स्टे नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ 704 अलॉटमैंट्स थी जिसके संबंध में जो लोग कोर्ट में गये थे और केवल उन्हीं अलॉटमैंट्स पर स्टे है। मंत्री जी, ये कल की अखबार की फोटो हैं जिनको मैं आज सदन में लाया हूं। इनमें तीसरी नम्बर साईट थी जिसका शैड नहीं बना और अलॉटमैंट कर दी गई। मरे हुए लोगों के नाम अलॉटमैंट हो गई जिसकी मैंने सी. एम. विन्डो में शिकायत की तो सी.एम. विन्डो के eminent person के नाम अलॉटमैंट कर दी गई। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि सरकार जो यह कहती है कि इस राज में खर्ची–पर्ची नहीं चलती है अगर इस अलॉटमैंट में खर्ची–पर्ची न चली हो तो नीरज शर्मा राजनीति तो छोड़ो हर चीज से सन्यास ले जाएगा। मैं अपनी राम कथा में चला जाऊंगा लेकिन गरीबों को उनका हक दिला दो। सदन को गुमराह मत करो। अलॉट्मैंट रद्द करने पर कोई स्टे नहीं है।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे छोटे भाई नीरज शर्मा जी बड़े जागरूक एम.एल.ए. हैं। इस मामलें में ये मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी मिले थे। अगर अलॉटमैंट में कोई भी किसी भी प्रकार की अनियमित्ता पाई गई तो वहां के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। माननीय सदस्य मुझे कोई भी एक केस बतायें। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो इसकी हम किसी दूसरे अधिकारी से उसकी जांच करवा लेते हैं।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस मामले में राकेश खटाना, eminent person, सी.एम. विन्डो और गजेंद्र पाल, एक्स काउंसलर का नाम शामिल है। आप वहां डेली वीडियोग्राफी करवा लीजिए। इसी तरह फड़ों का मामला है। फड़ किराए पर नहीं जा सकती। मैं यह जानना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो लोग वहां फड़ लगा रहे हैं क्या उनके नाम पर वहां पर्ची कटी हुई है? अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस सारे मामले के लिए विधायक दल की एक कमेटी बना दीजिए और उसमें चाहे केवल बी.जे.पी. के विधायक रख लेना कांग्रेस के विधायक मत रखना। अगर उन अलॉटमैंट ्स में कोई भी एक्चुवल अलोटी मिल जाए तो मैं विधान सभा में पूरे सदन के समक्ष ब्यान दे रहा हूं कि मैं हर चीज से बिल्कुल सन्यास ले जाउंगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, देखिये सरकार के ऊपर बड़ा गम्भीर आरोप लगा है। उसमें मुझे लगता है कि इस मामले की किसी बहुत उच्च अधिकारी से जांच होनी चाहिए।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, हम मार्केटिंग बोर्ड के सबसे बड़े अधिकारी से इसकी जांच करवाएंगे और उसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमैंट के उच्च अधिकारी से इसकी जांच करवाएंगे तब यह ठीक होगा। अगर आप उसी डिपार्टमैंट के अधिकारी से जांच करवाएंगे तो नीचे के अधिकारी तो वही बोलेंगे जो उच्च अधिकारी कहेंगे।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप एम.एल.एज. की एक कमेटी बना दीजिए और उसमें बेशक केवल बी.जे.पी. के ही एम.एल.एज. रख दें।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, हम आई.ए.एस. अधिकारी से जांच करवा देंगे। उसमें एक भी कसूरवार को छोड़ा नहीं जाएगा और जो गलत अलॉटमैंट हुई हैं उनको कैंसिल किया जाएगा।

श्री नीरज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को एक जानकारी और देना चाहता हूं कि अलॉटमैंट शाम 4.00 बजे चालू हुआ और शाम 7.00 बजे खत्म हो गया तो आप मुझे बता दीजिए कि 180 मिनट में 704 अलॉटमैंट्स कैसे हो सकती हैं? आप सदन को सिर्फ वह वीडियोग्राफी दिखा दें जो अलॉटमैंट करते समय की गई थी। जिससे इस केस का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, हम इस मामले के सहयोग के लिए अपने साथी विधायक को भी आमंत्रित करेंगे। इनके पास जो भी सबूत हैं वे हमें दें और हम उन पर कार्रवाई करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप इस मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाईये।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य इतने गम्भीर आरोप सदन के पटल पर लगा रहे हैं तो आप इसकी एक संसदीय कमेटी गठित कीजिए। इसमें खाली ऑफिसर्ज की कमेटी से कोई फायदा नहीं होगा। इसके बारे में आपने खुद भी माना है कि यह अच्छा नहीं हुआ है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप एम.एल.एज. की एक कमेटी बनाएं।

श्री अध्यक्ष : नीरज जी, आप लिखकर दे दीजिए। उसके बाद कमेटी गठित कर देंगे।

To Solve the Problem of Water Logging

***800. Shri Indu Raj:** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that there is problem of water logging in the fields of villages Gharwal, Banwasa, Kohla, Rindhana, Dhanana, Kathura and Chappra in the Baroda Assembly Constituency; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to solve the abovesaid problem?

@मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): हां श्रीमान जी, एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री इंदुराज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हमारे गांव घड़वाल, बणवासा, कोहला, रिढ़ाना, धनाना, कथूरा तथा छपरा आदि गांवों में बाढ़ के पानी की बहुत भारी समस्या है। अभी मंत्री जी ने बताया है कि सरकार किसान हितैषी है। हमारे वहां हजारों एकड़ ऐसी जमीन है जिसमें सेम की फसल बाढ़ की चपेट में आती है। मंत्री जी ने इस पर विचार करने की बात की है। मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वे हमें यह बताएं कि आप इसकी रोकथाम के लिए कब काम शुरू करेंगे?

11:00 बजे

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, जब बरोदा विधान सभा का चुनाव हुआ तो मुझे इंदुराज नरवाल जी के विधान सभा क्षेत्र के इन गांवों में जाने का मौका मिला था। मैंने देखा कि जिन गांवों की बात माननीय सदस्य ने कही है, इनमें पिछले 10–15 सालों से जल भराव की समस्या थी और जिसकी वजह से यहां पर फसल नहीं बोई जा रही थी और इस बारे में आज तक विपक्ष के किसी नेता ने आवाज तक नहीं उठाई थी लेकिन हमने इन गांवों का स्वतः संज्ञान लिया और मोटर लगाकर इन गांवों की जमीन पर खड़े पानी को निकालने का काम किया और यही कारण है कि आज यहां पर 95 परसेंट जमीन पर गेहूं की फसल बोई जा चुकी है। हमारे विभाग ने पानी की मोटरें लगाकर जमीन से पानी हटाया और जमीन को सुखाने का काम किया और आज वहां पर गेहूं की बिजाई हो पाई है। अध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि विभाग और सिंचाई विभाग ने एक योजना बनाई है कि यहां पर जो दूसरी 12–13 लाख एकड़ सेम की समस्या से ग्रसित जमीन है, इस जमीन में से 1 लाख एकड़ जमीन को इस बार क्लीयर करवाने के साथ साथ आगे भी एक

.....

@ Reply given by the Ariculture and Farmers Welfare Minister

नीति बनाकर सोच समझकर सार्थक कदम उठाने का काम किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह के हालात हमने इन गांवों में जाकर देखे उससे हमें पहली बार पता चला कि वैसे ही एक जिले का इतना नाम किया गया कि यहां पर बहुत काम किए गए। बरोदा हलके के लोगों ने बताया कि बरोदा की हालत बहुत खराब थी, अब हमने इस दिशा में आगे बढ़ने का काम किया है और निश्चित रूप से जल भराव की समस्या का समाधान करके दिखायेंगे।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को आश्वासन दीजिए कि कब तक यह काम शुरू कर देंगे?

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के कहने भर से काम शुरू कर दिया था और जिन गांवों में जल भराव की समस्या थी, उस पानी को मोटरें लगाकर निकाल दिया गया है। 15–20 साल के बाद पहली बार इस क्षेत्र में गेहूं की फसल बोई गई है।

श्री इंदुराज : अध्यक्ष महोदय, चुनाव के समय में सरकार ने यहां पर टैम्परेरी प्रावधान किए थे जिनको अब वहां से उठा लिया गया है। यहां पर जो भी जैनरेटर या पाईप वगैरह लगाए गए थे उनको वहां से उठा लिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी को अपने हलके की वह बात याद दिलाना चाहूंगा जब ये चुनाव के दौरान हमारे यहां मुडलाना गांव में गए थे तो इनका कितना गरिमामयी स्वागत किया गया था, उसी आदर व सम्मान के दृष्टिगत मैं इनसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहां के गांवों में सेम की समस्या की तरफ सरकार गम्भीरतापूर्वक ध्यान देने का काम करे और चुनाव के दौरान जो अन्य बड़ी–बड़ी घोषणायें की गई थी, उन पर भी विचार करने का काम करे?

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मोटरें व पाईप वगैरह इनके यहां के गांवों में तभी तो रखें जायेंगे जब वहां पर पानी होगा? अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय सदस्य के इलाके से जल भराव की समस्या का समाधान करने का जिम्मा अपने उपर लिया हुआ है। अतः माननीय सदस्य को निश्चिंत रहना चाहिए।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

.....

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Establish Gramudyogs in Rural Areas

***892 Smt. Nirmal Rani**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the policies made by the Government for Women Entrepreneurs interested in establishing Gramudyogs in rural area of State?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : महोदय, वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

वक्तव्य

हाल ही में, राज्य सरकार द्वारा "हरियाणा उद्यम व रोजगार नीति – 2020" दिनांक 28.12.2020 को अधिसूचित की गई जोकि 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर 2025 तक पांच साल की अवधि के लिए प्रभावी है।

नई हरियाणा उद्यम व रोजगार नीति– 2020 का उद्देश्य हरियाणा को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थान दिलाने, क्षेत्रीय विकास, निर्यात विविधीकरण और आजीविका के अवसरों में वृद्धि को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य राज्य में 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करना और 5 लाख रोजगार उत्पन्न करना है। नीति उन सेवाओं के क्षेत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करती है जो राज्य के सकल मूल्य वर्धन में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान दे रहे है, एम.एस.एम.ई. को मजबूत करने और आठ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैः 1. ऑटो, ऑटो घटक और लाइट इंजीनियरिंग 2. कृषि आधारित, खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध उद्योग 3. कपड़ा और परिधान 4. इलेक्ट्रोनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) 5. रक्षा और एयरोस्पेस विनिर्माण 6. दवा और चिकित्सा उपकरण 7. रासायनिक और पेट्रोकेमिकल 8. बड़े पैमाने पर ऊर्जा और डेटा भंडारण।

यह नीति आकर्षक राजकोषीय प्रोत्साहन की पेशकश करती है, जिसमें निवेश अनुदान, ब्याज अनुदान, स्टैंप डयूटी रिफंड, बिजली शुल्क वापसी, रोजगार अनुदान और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण सहायता शामिल हैं। यह नीति एम.एस.एम.ई. की उत्पादकता, गुणवत्ता और बाजार तक पहुंच बढ़ाने और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है, जिसमें राज्य में व्यवसाय करने में सहजता, भूमि, श्रम शक्ति एवं संस्थागत तंत्र में विनियामक सुधार के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ वैश्विक मानको से मेल खाती है बल्कि उनसे ऊपर है।

महिला उद्यमियों द्वारा एम.एस.एम.ई. उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा उद्यम व रोजगार नीति – 2020 में निम्नलिखित नीतिगत पहल की गई हैः

1. **नेट एसजीएसटी के बदले में निवेश अनुदानः** पहले 7 वर्षों में नेट एसजीएसटी का 75 प्रतिशत, अगले 3 वर्षों में 35 प्रतिशत जो कि बी, सी व डी श्रेणी के ब्लॉकों में 150 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के एफसीआई के साथ महिला/अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति द्वारा संचालित सुक्ष्म उद्योग को देय है।
2. **स्टार्ट–अप के लिए विशेष प्रावधानः** सामान्य वर्ग के लिए लीज रेंटल अनुदान का 30 प्रतिशत और केवल महिला संस्थापकों के स्टार्ट–अप के लिए 45 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति, 1 वर्ष की अवधि तक अधिकतम 5 लाख रुपये।
3. **रोजगार सृजन अनुदानः** हरियाणा से संबंधित व्यक्तियों की क्षमता निर्माण हेतु (कुशल/अर्ध–कुशल/गैर–कुशल) {जिसके पास हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र हो} अनुदान रु0 48,000/– प्रति वर्ष अनुसूचित जाति/महिला तथा रु0 36,000/– प्रति वर्ष सामान्य श्रेणी के लिए बी, सी और डी श्रेणी ब्लॉक में 7 वर्ष के लिए वेतननिधि या अनुबंध पर प्रत्यक्ष रोजगार के लिए।
4. **श्रम सुधारः** सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित डाटा सेंटर यूनिट व अन्य उद्योगों में महिलाओं के लिए तीन कार्यशील शिफ्टों में कार्य करने का प्रावधान किया गया है।
5. **पूंजीगत अनुदानः** इस लाभ के तहत, उद्यमी को ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निगम सीमा के बाहर व्यवसाय इकाई स्थापित करने हेतु संयंत्र और मशीनरी और भवन की लागत पर 15 प्रतिशत की अनुदान अधिकतम रु0 20.00 लाख मिलेगी व महिला/एससी/एसटी आवेदकों के लिए अधिकतम पूंजी अनुदान रु0 25.00 लाख हैं। हालांकि, कपड़ा इकाईयों के मामले में, महिलाओ के लिए उद्यमी पूंजीगत अनुदान ज्यादा है @ 15 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रु0 25 लाख, (अन्य के लिए 10 प्रतिशत, अधिकतम रु0 20 लाख तक)।
6. **महिला उद्यमियों के लिए ऋण सहायताः** महिला उद्यमियों/महिला सरकारी समितियों/महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को राज्य भर में 5 वर्षो के लिए वार्षिक मियादी ऋण रु0 12 लाख तक 8 प्रतिशत ब्याज का अनुदान प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। अनुदान संबंधित वर्ष के दौरान भुगतान किए गए कुल एसजीएसटी की राशि से अधिक नहीं होगा।
7. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम**

   यह योजना खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लागू की गई है, जिसमें नए स्वरोजगार सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और पारंपरिक कारीगरों पर ध्यान रखते हुए किया गया है। इस योजना के तहत, महिला उद्यमियों को विशेष श्रेणी के तहत कवर किया गया है और योजना के तहत नए उद्यम स्थापित करने के लिए उन्हें निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाते हैः–

क्रमांक	वर्ग	लाभार्थी योगदान	अनुदान की दर	
			शहरी	ग्रामीण
1	सामान्य श्रेणी	10%	15%	25%
2	विशेष श्रेणी (एससी/ एसटी/ ओबीसी/ अल्पसंख्यक/ महिला आदि सहित)	05%	25%	35%

उपरोक्त के प्रकरण में यह देखा जा सकता है कि हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों के लिए पर्याप्त उद्यमशीलता के अवसर पैदा कर रही है।

.....

To Release the Water in Rivers

***797. Shri Mewa Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to release the water in Rakshi and Saraswati rivers for re-charging of underground water; if so, the time by which it is likely to be released?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां, श्रीमान जी। राक्षी नदी में पानी छोड़ने के लिए, वर्ष 2019 में चौटांग नाले के बुबका हैड पर बुबका गांव के समीप विधानसभा क्षेत्र रादौर पर एक क्रॉस रेगुलेटर बनाया गया और जिससे मानसून ऋतु में राक्षी नदी में पानी छोड़ा जाता है। राक्षी नदी भूजल–पुनर्भरण में सहायक है।

हरियाणा सरकार द्वारा सरस्वती नदी में पानी छोडने के लिए सरस्वती नदी पुनरोद्धार तथा धरोहर विकास परियोजना (प्रथम चरण) 388.16 करोड़ रु0 अनुमानित लागत की एक परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। केन्द्रीय भूजल बोर्ड चण्डीगढ़ के माध्यम से इस परियोजना के बनने से संभावित भूजल पुनर्भरण क्षमता का आंकलन करवाया गया है जिसमें यह पुष्टी की गई है कि इस परियोजना के तहत भूजल पुनर्भरण की अच्छी संभावना है। यह परियोजना 2024 तक पूर्ण होने की संभावाना है।

To Solve the Problem of Water Logging

***900. Shri Kuldeep Vats :** Will the Chief Minster be pleased to state whether it is a fact that there is problem of water logging during the rainy season in villages Desalpur, Bupania, Shahpur, Gangarwa, Surehti, Jagratpur, Khudan, Chhapar, Munda Khera, Silana and Subana of Badli Assembly Constituency; if so, the time by which the said problem to be solved?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :हां, श्रीमान जी। इन गांवों में वर्षा ऋतु में सेम की समस्या होती है। मौजूदा बुनियादि ढांचे से इलैक्ट्रिक/डीज़ल पम्प सेटस लगाकर बरसात के मौसम के दौरान पानी निकालने का काम पूरा कर दिया गया है।

.....

To Develop the Kotla Lake

***757. Shri Aftab Amhed**: Will the Tourism Minister be pleased to state the progress made by the Government to develop the Kotla Lake situated in village Aankeda of District Nuh, Mewat so far togetherwith the time by which the said lake is likely to be developed?

पर्यटन मंत्री (श्री कंवर पाल) : नहीं, श्रीमान जी, पर्यटन विभाग, हरियाणा के पास गांव अन्केडा, जिला नूंह, मेवात में स्थित कोटला झील को विकसित करने का कोई प्रसताव विचाराधीन नहीं है।

.....

Total Amount Spent On Civilian Rifle Training Scheme

***806. Shri Surender Panwar**: Will the Home Minister be please to state the total amount spent on Civilian Rifle Training Scheme by the Director General Haryana, Home Guards during the year 2019-2020 without taking approval of the State Advisory Committee which was mandatory as per the rules togetherwith the number of times audit of the said expenditure had been conducted by the A.G., Haryana?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): श्रीमान जी,वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान महा आदेशक गृह रक्षी द्वारा सविलियन राईफल ट्रेनिंग स्कीम के तहत कुल 85,66,427 खर्च किये गये हैं। इस स्कीम के तहत ऐसा कोई नियम नहीं है कि खर्चे की स्वीकृति स्कीम में निर्दिष्ट राज्य सलाहकार समिति से लेनी हो।

इस स्कीम के स्वपोषित होने के कारण इसका आन्तरिक आडिट महा लेखाकार हरियाणा द्वारा नहीं किया जाता है।

.....

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

To Solve the Problem of Drinking Water Tubewell

189. Shri Neeraj Sharma: Will the Urban Local Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the drinking water Tubewell is lying out of order from the last 4 years in the Pyali Park of Faridabad and the boundary wall of said park has also been damaged; and

(b) if so, the steps taken by the Government to solve the above said problems?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज):

(क) हाँ, श्रीमान जी।

(ख) नगर निगम, फरीदाबाद ने प्रस्तुत किया है कि नए ट्यूबवेल की स्थापना हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा रुपये 7.92 लाख के अनुमान की मंजूरी प्राप्त की गयी है तथा निविदाये आमंत्रित करने उपरांत मामले की निविदाये दरे मंजूरी प्रक्रिया में है। इसके अतिरिक्त प्याली पार्क की दीवार तथा फूटपाथ की मरम्मत हेतु नगरनिगम, फरीदाबाद द्वारा रुपये 74.00 लाख का अनुमान (बड़खल विधानसभा क्षेत्र में वार्ड न0 12 के विभिन्न पार्क हेतु) तैयार कर लिया गया है तथा मंजूरी लेने हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।

.....

To Replace the Main Sewerage Line

307. Dr. Krishan lal Middha: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the sewerage line in Urban Estate & Defense Colony in Jind City is completely chocked; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of Government to replace the main sewer line to solve the abovesaid problem?

मुख्यमंत्री (मनोहर लाल) :श्रीमान् जी,

(क) शहरी सम्पदा जीन्द शहर में सीवर लाइन अस्थाई रूप से रूक जाती है एवं आवश्यकता पड़ने पर समय–समय पर तुरन्त इसकी सफाई या मरम्मत की जाती है।

(ख) सफीदों बाई–पास रोड़ जीन्द के साथ मौजूदा मुख्य सीवर लाइन की प्रतिस्थापना के लिए रुपये 225 लाख का अनुमान तैयार किया जा रहा है। अनुमान और डी.एन. आई.टी. के मूल्याकंन व स्वीकृति के बाद इस की निविदा आमंत्रित की जाएगी तथा स्वीकृति के बाद छह महीनें की अवधि में काम पूरा कर दिया जाएगा।

.....

Reservation and Subsidy in Industrial Plot/Sheds

298. Shri Jaiveer Singh:

Shri Shishpal Singh Keharwala: will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether any representation has been received in the subordinate office of Industries and Commerce Department for giving reservation and subsidy in allotment of Industrial Plot/Sheds from the people belonging to Schedule Castes/Schedule Tribes or their organizations in state;

(b) if so, the details of the effective policy and budget allocated by the Government after receiving the said representation; and

(c) whether it is a fact that no such kind of provision of subsidy upto 70% and reservation has been implemented in State whereas it has already been in practice in the various states like Gujrat and Karnatka etc?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) :

क. हाँ श्रीमान् जी, इस संबंध में 17 दिसंबर 2020 को डॉ अंबेडकर कोपरेटिव फेडरेशन से एक प्रतिवेदन अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा के निदेशालय के माध्यम से प्राप्त हुआ था।

ख. अनुसूचित जाति श्रेणी के औद्योगिक प्लॉट आवंटियों को प्लॉट की लागत पर 10 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है और एच.एस.आई.आई.डी.सी के बोर्ड ने 22 दिसंबर, 2020 की बैठक में इसे अनुमति दी गई । उक्त छूट एच.एस.आई. आई.डी.सी द्वारा स्वयं दी जाएगी और इसके लिए कोई बजटीय प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

ग. हां, जैसा कि ऊपर बताया गया है 10 प्रतिशत छूट के अलावा, अनुसूचित जाति श्रेणी के आवेदकों को औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन में आरक्षण और सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं है।

To Construct the Field Passages

215. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct following field passages falling under the Gohana Assembly Constituency-

(i) from main phirni to field of Tara Chand S/o Prabhu up to field of Hari singh and Chand Ram in Village Majri;

(ii) from the field of Devender S/o Richhpal to Dharampal S/o Suraj Bhan in Village Machhri;

(iii) from the field of Jogeneder S/o Bharat Singh at culvert on main road to the field of Surat Singh S/o Jaichand in Village Rehmana;

(iv) from Railway line to field of Madud in village Karewari;

(v) from field of Balwan S/o Nafe Singh to field of Hoshiyar Singh S/o Chandgi Ram in Village Rollad-Latifpur?

उप–मुख्यमन्त्री (श्री दुष्यन्त चौटाला): नहीं, श्री मान जी, जिला प्रशासन से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

To fill up the Vacant Posts

200. Shri Subhash Gangoli: Will the Health Minister be pleased to state-

(a) the details of the vacant posts of Doctors and other staff in Civil Hospital, Safidon city; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to fill up the vacant post of the Doctors and other staff in the above said hospital togetherwith the time by which these are likely to be filled up?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री अनिल विज) :

(क) श्रीमान जी, एक कथन सदन के पटल पर रखा है।

(ख) चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है। ये पद चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के बाद भरे जाने की संभावना है। अन्य पैरा चिकित्सा अमले के लिए मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है।

कथन

नागरिक हस्पताल, सफीदों में चिकित्सा अधिकारियों तथा अन्य पैरा चिकित्सा अमले का ब्यौरा

क0सं0	श्रेणी का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए	रिक्त
1	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2	0	2
2	चिकित्सा अधिकारी	11	1	10
3	दन्तक सर्जन	1	1	0
4	नर्सिंग सिस्टर	2	0	2
5	स्टाफ नर्स	18	15	3
6	औषधाकारक	3	3	0
7	प्रयोगशाला तकनीशियन	2	2	0
8	रेडियोग्राफर	1	0	1
9	दन्तक सहायक	1	0	1
10	जन स्वास्थ्य नर्स	1	0	1
11	लिपिक	3	2	1
12	बहु उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष)	2	2	0
13	बहु उद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	2	0	2
14	ऑपरेशन थियेटर सहायक	1	1	0
कुल		**50**	**27**	**23**

Details of Property of HSVP

367. Shri Bharat Bhushan Batra: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the land measuring 4005 sq meter at Urban Estate, Rohtak has been transferred to ULB department for construction of multi national parking?

(b) the year in which the Urban Estate, Rohtak was build up carved out and auctioned by HSVP;

(c) the copy of zoning plan of the complete property of Urban Estate, Rohtak;

(d) whether the alleged 4005 sq meter area was left out as a open area as per zoning plan of Urban Estate;

(e) the authority competent to transfer the HSVP land to ULB Department;

(f) the authority under whose signature the said land has been transferred;

(g) the authority competent to lease out said land for 99 years in favour of developers/constructors/SPV and

(h)for the authority under whose signature the said land has been leased out?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) पुराने पुलिस स्टेशन, शहरी सम्पदा रोहतक की भूमि को स्थानीय निकाय विभाग को बहुस्तरीय पार्किंग के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 12631 दिनांक 29.05.2016 के अनुरूप दिनांक 19.07.2017 को हस्तांतरित किया गया है । तथापि इस स्थल का क्षेत्रफल केवल 2414.40 वर्ग मीटर है।

(ख) पुराने पुलिस स्टेशन भवन की भूमि का कब्ज़ा पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2012 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को दिया गया था । संशोधित सीमांकन व कटिबद्ध प्लान अनुसार, जो कि दिनांक 13.01.2014 को अनुमोदित हुआ, इस भूमि को एक शॉपिंग मॉल के लिए नियोजित किया गया । उक्त स्थल की नीलामी दिनांक 31.01.2014 को की गई ।

(ग) प्रश्नाधीन स्थल की कटिबंध प्लान की प्रति अनुलग्नक–1 पर है ।

(घ) इस स्थल को शॉपिंग मॉल के लिए नियोजित किया गया था ।

(ड़) अध्यक्ष, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सरकारी विभागों को भूमि हस्तांतरित करने के लिए सक्षम हैं । प्राधिकरण की घटनोपरांत स्वीकृति अनुमोदन भी प्राप्त की गई थी ।

(च) भूमि को शहरी निकाय विभाग को बहुस्तरीय पार्किंग के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने बारे माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति को मुख्य प्रशासक, ह.श.वि.प्रा. कार्यालय द्वारा पत्र दिनांक 30.05.2017 द्वारा जारी किया गया एवम् भूमि का कब्ज़ा भूमि सम्पदा अधिकारी ह.श.वि.प्रा. कार्यालय रोहतक द्वारा 19.07.2017 को दिया गया।

(छ) डेवलपर के पक्ष में तथाकथित भूमि को पट्टे पर देने का निर्णय मूलभूत संरचना हेतु कमेटी ऑफ सैकरेटरी (सी.ओ.एस.आई.) की बैठक दिनांक 08.03.2019 में लिया गया।

(ज) निर्माण पूरा होने के बाद, पट्टा समझौते को कार्यान्वयन किया जाएगा, जोकि स्थल पर चल रहा है।

.....

Details of Group Housing Projects

204. Shri Rakesh Daultabad: Will the Chief Minister be pleased to state to the details of group housing residential colony licenses (including its expiry date) and occupation certificates issued by the Town and Country Planning Department to M/s CHD Developers Ltd. and or Rao Phool Singh & others and M/s Empire Realtech Pvt. Ltd. from the year 2008 to 2020 in various sectors of Gurugram District together with the current status of each project alongwith the action taken or likely to be taken by the Government against the developer for delay in delivery of their projects?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हाँ, जिला गुरूग्राम में वर्ष 2008 से 2020 के बीच ग्राम एंव नगर आयोजना विभाग द्वारा मैसर्स सी एचडी डिवैल्पर्ज लिमिटिड, धर्मपाल सिंह एंव अन्य सीएचडी डिवैल्पर्ज लिमिटिड सहयोग से राव फुल सिंह एवं अन्य ओर मैसर्स एम्पायर रियलटैक प्राईवेट लिमिटिड को मिलाकर कुल चार लाइसेंस

जारी किए है। इन लाइसेंसो का विवरण लाइसेंस के नवीनीकरण, भवन प्लान की स्वीकृति तथा कब्जा प्रमाण पत्र (ओक्युपेशन सर्टिफिकेट) के साथ अनुलग्नक–1 पर संलग्न हैं।

क्रमांक संख्या	कंपनी का नाम	लाइसेंस नं0	लाइसेंस दिनांक	क्षेत्र (एकड में)	सैक्टर नं0	लाइसेंस समाप्ति की तारीख	भवन निर्माण की स्वीकृती	ओसी/सीसी जारी करने की तारीख
1	मैसर्स सी अच डी डिवैलपर्ज लिमिटिड	17 of 2014	10.06.2014	10.025	34	09.06.2019	28.04. 2015	अभी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
2	धर्मपाल सिंह एव अन्य सीअचडी डवलोपरस लिमिटिड सहयोग से	50 of 2008	04.03.2008	16.47	71	03.03.2018 (दिनांक 05.02.2019 को नवीकरण के लिए आवेदन किया है)	22.03. 2011 और संशोधित दिनांक 20. 06.2013	12.04.2017, 18.09.2018 और पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 05.10. 2018
3	राव फुल सिंह और अन्य	52 of 2008	19.03.2008	10.54	71	18.03.2018	22.03. 2011 और संशोधित दिनांक 20. 12.2011	26.11.2013, 06.10.2015, 12.04.2017 और 18.09. 2018
4	मैसर्स एम्पायर रियलटैक प्राईवेट लिमिटिड	69 of 2012	03.07.2012	12.34	106	02.07.2020	17.09. 2012	अभी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्त सभी लाइसेंस परियोजनाएं अभी विकसित हो रही है। नियम 13 हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास व विनियमन, 1976 का नियम 13, जबकी लाइसेंसी अपने प्रोजक्ट को लाइसेंस के खत्म, होने से पहले पुरा न कर पाने की स्थिति में, उस परियोजना को पुरा करने के लिए लाइसेंसी को अपने लाइसेंस का नवीनीकरण का अवसर प्रदान करता है। यदि परियोजना को निष्पादित करने वाले कॉलोनाईजर के प्रदर्शन को संतोषजनक नही पाया जाता है, तो उन लाइसेंसो का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और विभाग ऐसे लाइसेंस रद् द करने की प्रक्रिया करेगा। इसके अतिरिक्त, फलैट/प्लॉट के कब्जा देने में देरी करना बिल्डर–क्रेता के बीच द्वी–पक्षीय समझौते के अधीन है। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि वर्ष 2003 के भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ओदशों के अनुसार डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड और एक अन्य बनाम निदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा एवं अन्य के शीर्षक से सिविल अपील न ं0 550 में बिल्डर क्रेता समझौते में विभाग हस्तक्षेप नही कर सकता। हालाँकि, यदि डेवलपर बिल्डर–क्रेता के समझोते के अनुसार परियोजना को वितरित नही करता है, तो आवंटी के पास उचित कानूनी मंच या हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (HRER) के पास जाने का

विकल्प है। हरियाणा सरकार ने क्रेताओं कि शिकायतों के तीव्र निष्पादन हेतु राज्य में दो अथोरिटी बनाई गई हैं।

.....

To Remove the Electricity Wires

228. Shri Mewa Singh: Will the Power Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to remove the electricity wires of 11 KV passing over the houses of village Sonti in Ladwa Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which these are likely to be removed?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : श्रीमान, (क) एवं (ख) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा खतरनाक लाइनों की पहचान करने के लिए वर्ष 2018 में सर्वेक्षण पूरा किया गया था तथा लाडवा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव सोंटी के घरों के ऊपर से गुजर रही 11 के.वी. बिजली लाइन को खरनाक लाइन के रूप में नहीं पहचाना गया था।

11 के.वी. डब खेड़ा ग्रामीण घेरलू आपूर्ति (आर.डी.एस.) फीडर की बिजली लाइन गांव सोंटी के घरों के ऊपर से गुजर रही है जोकि लाल डोरा के बाहर आते हैं। उक्त फीडर लगभग 15 वर्ष पहले बनाया गया था तथा बिजली लाइन 7 घरों के ऊपर से गुजर रही है जो बाद में बनाए गए थे। उपरोक्त लाइन की शिफ्टिंग के लिए कोई आवेदन पत्र उत्तर हरियाणा बिजल वितरण निगम द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है।

हालांकि, उक्त लाइन शिफ्ट करने की अनुमानित लागत 05.15 लाख रुपये है। यू.एच.बी.वी.एन. द्वारा अपनाई गई हरियाणा सरकार की अधिसूचना के अनुसार, यह कार्य लाभार्थियों द्वारा अनुमानित लागत जमा करवाने के बाद किया जाएगा तथा 30 दिनों के अन्दर पूरा किया जाएगा।

.....

To Develop Website of Gram Panchayat

232. Shri Varun Chaudhry: Will the Deputy Chief Minister be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to develop website of each Gram Panchayat in State showing the budget allocation, Development works being carried out

under various schemes and the contact details of public representative at village Panchayat level?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : महोदय, पंचायतों की वेबसाइटों को एनआईसी ,दिल्ली की सहायता से भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय के राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल के अंतर्गत विकसित किया गया है जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों ,प्रशासन की स्थापना ,पत्र/अधिसूचनाएं ,सरकारी आदेश , अधिनियम एवं नियम आदि के विवरण का प्रावधान है। इसके अलावा भारत सरकार के पंचायतीराज मंत्रालय काsई-ग्राम स्वराज पोर्टल केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के बजट , विकास कार्यों और जनप्रतिनिधियों का ब्यौरा देता है। इसके अलावा विकास एवं पंचायत विभाग राज्य योजनाओं कोई-ग्राम स्वराज पोर्टल के तहत शामिल करने का काम कर रहा है।

To Construct Bye-pass

237. Shri Ram Kumar Gautam : Will the Deputy Chief Minister be pleased be state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Bye-pass in Narnaund Town of Narnaund Assembly Constituency; if so, the time by which is likely to constructed?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): हॉ, श्रीमान जी। नारनौंद कस्बे में बाई–पास के निर्माण का प्रस्ताव है। ई–भूमि पोर्टल पर 5.24 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है, इसलिए इस समय कोई समय सीमा नही दी जा सकती।

.....

To Desilt and Clean the Ponds

269. Shri Bishan Lal Saini : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that ponds of villages in Radaur Assembly Constituency are full of dirty water and weeds; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to desilt and clean the above said ponds togetherwith the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :– (क) नहीं श्रीमानजी। इस विधान सभा क्षेत्र में स्थित कुल 107 गांवों औरएक कस्बे में कुल तालाब है जिनमें 179 से प्रदूषित 135, एवं अतिप्रवाही तालाब है।

(ख) हाँ श्रीमान जी। **13, 49 और 73** प्रदूषित ,oa अतिप्रवाही तालाबों की पुनर्स्थापना के लिए जिसमें डी-सिल्टिंग और सफाई शामिल हैं, क्रमशः वित्तीय वर्ष 2021-22,2022-23,2023-24 की कार्य योजनाओं में लिये गये है।

To Drain Out the Water

289. Shri Deepak Mangla: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there is no proper arrangements for drainage of the rainy water in Palwal city due to which the water is accumulated on the roads; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to make proper arrangements to drain out the water in Palwal city togetherwith the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज):

(क) हां श्रीमान जी।

(ख) बरसाती पानी की निकासी के लिए रेलवे रोड की दोनों तरफ और बाल भवन के पास आर.सी.सी.निर्मित नाला बनाने के लिए 132.00 लाख रुपये का एक अनुमान अमृत योजना के तहत तैयार किया गया है और यह निविदा प्रक्रिया के अधीन है।

.....

Arrangement of Wheat Procurement By the Government

364. Shri Balraj Kundu: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) The process likely to be adopted by the Government for wheat procurement in State.

(b) The payment schedule and per acre quantity of wheat of the farmer likely to be purchased by the Government: and

(c) Whether all the procurement of wheat is likely to be made by the Government Agencies or through private companies together with the details thereof ?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) रबी खरीद सीजन 2021–22 के दौरान गेहूं की खरीद मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से आनलाइन की जाएगी तथा अदायगी ई–खरीद पोर्टल के माध्यम से की जाएगी ।

(ख) किसानों द्वारा दिए गए विकल्प अनुसार आनलाइन अदायगी सीधे किसानों के खाते में या आढ़तियों के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में की जाएगी । प्रति एकड खरीद की जाने वाली गेहूं की मात्रा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा दिए गए उत्पादकता के आंकडों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(ग) गेहूं की खरीद सरकारी एजेसियों द्वारा की जाएगी।

.....

To Construct Judicial Complex

274. Shri Sanjay Singh : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Judicial Complex in Sub-division Tauru; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं, श्रीमान् जी।

.....

To Auction Shops and to Set up Dharam Kanta

353. Shri Sita Ram Yadav: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for auction of shops of grain and vegetable market of Ateli and Kanina and to set up dharam kanta in both the Mandies; if so, the time by which the auction of shops at said mandies is likely to be made and dharma kanta is likely to be set up in both mandies?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): जी हाँ, श्रीमान्; इन मंडियों में दुकानों की नीलामी तथा धर्मकांटा लगाने का कार्य वित्तीय वर्ष 2021–22 में पूर्ण होने की संभावना है ।

.....

To Develop a Park

337. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to develop a park in Badhra Town of Badhra Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which the said park is likely to be constructed?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

(क) जी हां, श्रीमान जी!

(ख) जिला प्रशासन से अनुमान प्राप्त हो चुका है तथा पार्क सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन की तारीख से 6 माह के भीतर विकसित करवा दिया जाएगा।

.....

To Upgrade a Purchase Centre

315. Shri Amit Sihag: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade a purchase centre in village Goriwala of Dabwali Assembly Constituency upto full fledged Anaj Mandi; if so, the time by which it is likely to be upgraded?

कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): जी नहीं, श्रीमान्; प्रश्न के इस भाग का सवाल ही नहीं उठता।

.....

Shortage of Doctors

325. Shri Ram Niwas: Will the Health Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there is shortage of Doctors in Civil Hospital, Narwana; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to fill up the vacant posts of Doctors in above said Hospital togetherwith the time by which said posts are likely to be filled up?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री अनिल विज):

(क) हां श्रीमान जी।

(ख) चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है। ये पद चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के बाद भरे जाने की संभावना है।

.....

Construction of Passage

190. Shri Neeraj Sharma: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the passage which connects Faridabad-Gurugram Road to village Mangar of NIT Faridabad Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which its construction work is likely to be started?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) :

(क) तथा

(ख) नहीं, श्रीमान जी, यद्यपि, फरीदाबाद–गुरूग्राम सड़क से गांव मांगर तक जोड़ने वाली 18 फीट चौड़ी पक्की सड़क पहले से ही है।

.....

Details of amount provided to the farmers

308. Dr. Krishan lal Middha: Will the Horticulture Minister be pleased to state-

(a) The year wise detail of amount provided to the farmers by the Horticulture Department during the financial year 2015-16 to 2020-21 in district Jind together with the name, address and contact numbers of the said farmers to whom the amount has been provided; and

(b) The name of the schemes under which said amount is provided by the Government together with the amount thereof.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): जी, श्रीमान जी,

(क) उद्यान विभाग, हरियाणा द्वारा वर्ष 2015–16 से 2020–21 तक जींद जिले के अंतर्गत 9403 किसानों को कुल 42 करोड़ 72 लाख रुपये की अनुदान राशि जारी

की गई है। वर्षवार विवरण अनुलग्नक–1 में दिया गया है। पूर्ण विवरण जिसके लगभग 414 पृष्ठ हैं माननीय सदस्य को अलग से भेजा जा रहा है।

(ख) उद्यान विभाग, हरियाणा द्वारा जींद जिले के किसानों को 42 करोड़ 72 लाख रुपये की अनुदान राशि विभिन्न परियोजनाओं में जारी की है जिसका विवरण अनुलग्नक–2 में दिया गया है।

Annexure -1

Year-wise (2015-16 to 2020-21) number of beneficiaries and subsidy amount in horticulture of Jind District.

Sr. No.	**Year**	**Total No. of Beneficiaries**	**Total Subsidy Amount**
1.	2015-16	2333	60354892
2.	2016-17	1289	61581275
3.	2017-18	1641	59361768
4.	2018-19	1334	55251007
5.	2019-20	1346	103209901
6.	2020-21	1460	87440035
	Total	**9403**	**427198878**

Annexure -2

Year wise and scheme wise details of amount provided to the farmers in horticulture in Jind district (2015-16 to 2020-21)

Sn.	**Year**	**Name of Scheme**	**No. of Beneficiaries**	**Subsidy Amount(Rs.)**
1	2015-16	MIDH	847	57102493
		MI	19	1301292
		RKVY	168	608318
		GAP	94	117600
		SCSP	1189	1047487

		IHD	16	177702
		Sub. Total	**2333**	**60354892**
2	2016-17	MIDH	682	57589575
		MI	14	273290
		RKVY	176	2509210
		GAP	337	28100
		SCSP	80	1181100
		Sub. Total	**1289**	**61581275**
3	2017-18	MIDH	1180	50820283
		MI	18	4154569
		RKVY	159	2501355
		GAP	251	136018
		SCSP	30	821250
		IHD	3	928293
		Sub. Total	**1641**	**59361768**
4	2018-19	MIDH	1214	47092410
		MI	37	2038073
		RKVY	6	2125874
		GAP	19	135400
		SCSP	36	2201250
		IHD	22	1658000
		Sub. Total	**1334**	**55251007**
5	2019-20	MIDH	1226	95653557
		MI	42	1441448
		GAP	20	140000
		SCSP	17	1425150

		IHD	41	4549746
		Sub. Total	**1346**	**103209901**
6	2020-21	MIDH	1343	82507825
		MI	13	1406173
		SCSP	21	828360
		IHD	83	2697677
		Sub. Total	**1460**	**87440035**
		G. Total	**9403**	**427198878**

Abbreviations:

NHM= National Horticulture Mission

MIDH= Mission for Integrated Development for Horticulture

MI= Micro Irrigation

IHD= Integrated Horticulture Development

GAP= Good Agriculture Practices

SCSP= Scheduled Caste Sub Plan

RKVY= RashtriyaKrishiVikasYojana

Problem of Drinking Water

216. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that there is problem of drinking water in villages Rolad Latifpur, Jauli, Tihar Kalan, Luhar Tibba, Mohana, Rehmana, Baghru, Tihar Malik, Pinana and Mahipur of Gohana Assembly Constituency; if so, the time be which adequate drinking water is likely to be supplied in the abovesaid villages?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं, श्रीमान।

.....

To Construct the Building of School

201. Shri Subhash Gangoli: Will the Education Minister be pleased to statewhether there is any proposal under consideration of the Government to construct the building of Kisan Model School in village Bhambhewa of Safidon Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be constructed?

शिक्षा मन्त्री (श्री कंवर पाल): नहीं, श्रीमान जी।

.....

Number of Unauthorized Sale Deeds

368. Shri Bharat Bhushan Batra: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) the district wise number unauthorized sale deeds executed in relation to unauthorized/unapproved colonies during the period from year 2017 to October, 2019 and October, 2019 to October, 2020 in violation of Section 7-A of the Haryana Urban Development Regulation Act, 1975; and

(b) the number of FIRs, registered in State in relation to unauthorized colonies/plotting under Haryana Urban Development Regulation Act, 1975 from year 2014 to 2019 and 2019 to December, 2020?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला):

(क) वर्ष 2017 से अक्तूबर, 2019 तथा अक्तूबर, 2019 से अक्तूबर, 2020 की अवधि के दौरान हरियाणा षहरी विकास अधिनियम, 1975 की धारा 7–क के उल्लंघन में राज्य में 49197 बैयनामा पंजीकृत हुए थे।

(ख) वर्ष 2014 से 2019 तथा 2019 से दिसम्बर, 2020 तक हरियाणा षहरी विकास विनियमन अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत, राज्य में अनाधिकृत कॉलोनियों/प्लॉटिंग के संबंध में 1127 एफ.आई.आर. दर्ज की गईं हैं।

कम संख्या	जिलों के नाम	वसीका संख्या	एफ.आई.आर. संख्या
1.	अम्बाला	1089	--
2.	भिवानी	614	24
3.	चरखी दादरी	7-क लागू नही	--

4.	फरीदाबाद	1480	205
5.	फतेहाबाद	520	32
6.	गुरूग्राम	14228	68
7.	हिसार	383	48
8.	झज्जर	1708	50
9.	जींद	2929	24
10.	कैथल	1353	--
11.	करनाल	1325	66
12.	कुरूक्षेत्र	1325	106
13.	महेंन्द्रगढ	3950	30
14.	नुह	1755	08
15.	पलवल	4040	75
16.	पंचकुला	22	32
17.	पानीपत	112	--
18.	रेवाडी	3118	58
19.	रोहतक	2642	129
20.	सिरसा	1603	--
21.	सोनीपत	4954	112
22.	यमुनानगर	47	60
		49197	**1127**

.....

To Remove the Electricity Wires

229. Shri Mewa Singh: Will the Power Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to remove the electricity wires of 11 KV passing over the houses of BPL Colony in village Jalkheri of Ladwa Assembly Constituency;and

(b) if so, the time by which these are likely to be removed?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिहं) : श्रीमान (क) एवं (ख) उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यू.एच.बी.वी.एन.) द्वारा खतरनाक लाइनों की पहचान करने के लिए वर्ष 2018 में सर्वेक्षण पूरा किया गया था तथा लाडवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव जलखेड़ी की बी.पी.एल. कालोनी के घरों के ऊपर से गुजर रही जलखेड़ी

ग्रामीण घरेलू आपूर्ति (आर.डी.एस.) 11 के.वी. बिजली लाइन को खतरनाक लाइन के रूप में नहीं पहचाना गया था।

उक्त फीडर लगभग 10 वर्ष पहले बनाया गया था तथा बिजली की लाइन बी.पी.एल. कालोनी के 5 घरों के ऊपर से गुजर रही है जो बाद में बनाए गए थे। बी.पी.एल. कालोनी के निवासियों ने उपरोक्त लाइन की शिफ्टिंग के लिए 21.12.2020 को आवेदन किया जिसके लिए 2.16 लाख रुपये (अनुमानित) का आवश्यक एस्टीमेट तैयार किया गया। यू.एच.बी.वी.एन. द्वारा अपनाई गई हरियाणा सराकर की अधिसूचना के अनुसार, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बी.डी.पी.ओ.) बबैन जिला कुरूक्षेत्र को 02.03.2021 को उपरोक्त राशि जमा करवाने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि यू.एच.बी.वी.एन. द्वारा शिफ्टिंग का कार्य पूरा किया जा सके। यह कार्य अनुमानित राशि जमा करवाने के बाद किया जाएगा तथा 30 दिनों के अन्दर पूरा किया जाएगा।

.....

To Construct Road

238. Shri Ram Kumar Gautam: Will the Deputy Chief Minister be pleased be state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct road from Narnaund to Hisar via villages Moth, Masudpur, Chanot, Mirzapur, & Kharkhari?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : हाँ, श्रीमान जी। नारनौंद से हिसार वाया गाँव मोथ, मसूदपुर, चनौट, मिर्जापुर, और खरखरी तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव है।

.....

Completion of Construction Work

290. Shri Deepak Mangla: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the time by which the pending construction works of the building of Senior Citizen, Digital Liabrary, Community Centre, Swaran Jayanti Park in Mohan Nagar and the office of Municipal Council in Palwal are likely to be completed?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज): श्रीमान जी, नगर परिषद पलवल ने प्रस्तुत किया है कि वरिष्ठ नागरिक, डिजिटल पुस्तकालय, सामुदायिक केंद्र व स्वर्णजयंती पार्क के लंबित निर्माण कार्य अगले छहः माह के भीतर पूरे होने की

संभावना है। नगर परिषद, पलवल के कार्यालय भवन के निर्माण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई, राजस्व विभाग द्वारा नगर पालिका कोइ सकार्य के लिए चिन्हित भूमि हस्तांतरित करने उपरांत अमल में लाई जाएगी।

.....

Exploitation of Shopkeepers by Waqf Board Officers

365. Shri Balraj Kundu: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that the officers of Waqf Board are exploiting the shopkeepers by not receiving the rent and threatening to vacate their shops and houses built on the land of Waqf Board in Meham since the year 2017 whereas it is clearly mentioned in the agreement of Waqf Board that after every 3 years their agreement will be renewed and rent will be increased by 10% and;

(b) Whether there is any policy formulated by the Government for the said tenants of Waqf Board staying for at least 20 years; if not, the reasons thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): महोदय,

(क) (i) नहीं, श्रीमान् जी, यह तथ्य सही नहीं है कि हरियाणा वक्फ बोर्ड के अधिकारी वर्श 2017 से महम में हरियाणा वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी दुकानों और मकानों को खाली करने के लिए दुकानदारों का षोशण कर रहे है और किराए की वसूली नहीं कर रहे हैं। वक्फ भूमि पट्टा अधिनियम, 2014 के नियम 18 के उप–नियम(1) में संशोधन के अनुसार, कोई पट्टा समझौता में स्वतः नवीनीकरण प्रदान करने वाला खण्ड नहीं है। हालॉकि, वक्फ भूमि पट्टा अधिनियम, 2014 के नियम 18 के उप–नियम(2) में संषोधन के अनुसार सुझाव दिया गया है कि बोर्ड पट्टे को नवीनीकृत करते हुए, वर्तमान पट्टेदार को वरीयता देगा, यदि वह उच्चतम बोली से मेल खाता है। इस प्रकार, मूल वक्फ भूमि अधिनियम, 1995 की धारा 56 में किया गया संषोधन जो कि (1995 की अधिनियम संख्या 43) के वक्फ संषोधन अधिनियम, 2013 (2013 की अधिनियम संख्या 27)में वक्फ भूमि पट्टा अधिनियम (संशोधन) नियम 2014 के नियम 18 के साथ पढे, जिसके परिणामस्वरुप बिना बोली के पट्टा का नवीनीकरण नहीं किया गया था। चुंकि पट्टो का

नवीनीकरण नहीं किया जा रहा है, इसलिए वक्फ बोर्ड के अधिकारी पट्टेदारों का किराया जमा नहीं कर रहें थें।

इसके अलावा मौजुदा पट्टे धारक बोली प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक नहीं है क्योंकि उन्हें डर है कि किराया तेजी से बढ सकता है।

(ii) महोदय, यह सही है कि वर्श 2013 के वक्फ भूमि अधिनियम के संषोधन से पहले पट्टादाता और पट्टेदार के बीच किए गए पट्टे समझौते के एक खण्ड में उल्लेख किया गया था कि प्रत्येक तीन वर्शो के बाद 10 प्रतिषत किराया बढाया जाएगा या जैसी भी स्थिति हो, परन्तु वर्श 2013 में वक्फ भूमि अधिनियम में किए गए संषोधन में यह खण्ड निरर्थक हो गया है जैसा कि उक्त पैरा में कहा गया है कि वक्फ भूमि पट्टा अधिनियम, 2014 के नियम 18 के उप–नियम (प) में संषोधन के अनुसार पट्टे के स्वतः नवीनीकरण पर रोक लगाई गई है।

(ख) नहीं श्रीमान् जी, 20 वर्शो से रह रहे वक्फ बोर्ड के किरायेदारों के लिए सरकार द्वारा कोई निति नहीं बनाई गई है। वास्तव में वक्फ भूमि अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या 43) एक केन्द्रीय अधिनियम है। भूमि पट्टा नियमों को लागु करने की षक्तियां केंद्र सरकार के पास है। वक्फ भूमि अधिनियम, 1995 की धारा 56 की उप धारा(प) द्वारा प्रदत्त षक्तियों के अभ्यास में केंद्र सरकार ने वक्फ भूमि पट्टा अधिनियम, 2014 बनाया है।

.....

To Develop Bharat Yatra Kendra Bhondsi and Damdama Lake

275. Shri Sanjay Singh: Will the Tourism Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop Bharat Yatra Kendra Bhondsi and Damdama Lake as tourist spots; it so, details thereof?

पर्यटन मंत्री (श्री कवंर पाल): श्रीमान् जी, नहीं। पर्यटन विभाग हरियाणा के पास भौंडसी में भारत यात्रा केन्द्र को विकसित करने हेतू कोई प्रस्ताव नही है और ना ही विभाग के पास दमदमा झील के विकास बारे कोई प्रस्ताव है क्योंकि दमदमा झील पर्यटन विभाग हरियाणा के नियंत्रण में नही है।

हालांकि, पर्यटन विभाग हरियाणा द्वारा दमदमा झील के नजदीक दमदमा में सारस पर्यटक स्थल चलाया जा रहा है जिसमें कमरे, सम्मेलन कक्ष, बार, तथा रेस्तरॉ इत्यादि की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

To set up Flour Mill

354. Shri Sita Ram Yadav: Will the cooperation Minister bepleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up a flour mill in Ateli, if so, the time by which the said flour mill is likely to be set-up?"

सहकारिता मंत्री (डॉ. बनवारी लाल): नहीं महोदय्, अटेली मे हैफेड द्वारा आटा मिल लगाने बाबत कोई प्रस्ताव नहीं है।

.....

To Widen & Road

338. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the road from Badhra Town to Jui and Badhra Town to Satnali road; and

(b) if so, the time by which these roads are likely to be widened?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): (क) तथा (ख) नहीं, श्रीमान जी।

.....

To Increase the Income of Farmers

316. Shri Amit Sihag: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state the total average income of farmers of Haryana in 2020 in comparison to 2014 togetherwith the steps taken by the Government to increase the income of farmers in state?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): महोदय जी, कृषि और किसान कल्याण विभाग, हरियाणा के पास राज्य में किसानों की औसत आमदनी के बारे में प्रमाणित आंकड़े नहीं है। हालांकि, किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तथा राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न योजनाए/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा उठाए कदमः–

1. राज्य सरकार धान, गेहूं, सरसों, मक्का, बाजरा, मूंग, सूरजमुखी, मूंगफली और चना सहित 9 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य बजट से कर रही है।

2. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी एम–किसान) के तहत राज्य के सभी किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये नकद राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जा रही है।

3. राज्य ने गन्ने का मूल्य 350 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया, जो देश में सबसे अधिक है।

4. राज्य सरकार ने खरीफ 2020 में मेरा पानी–मेरी विरासत योजना शुरू की जिसके तहत पानी की अधिक खपत वाली फसल (धान) को वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, सब्जियां और फलों में विविधिकरण किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा धान को वैकल्पिक फसलों में विविधीकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहन के रूपमें 7000/– रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी प्रदान कर रही है।

5. हिसार कार्गो हवाई अड्डे की 100 कि0 मी0 के परिधि क्षेत्र में 30 इन्टिग्रेटिड पैक हाउस की स्थापित किए जाने की योजना है।

6. हरियाणा ने एफ0पी0ओ0 के गठनका बीड़ा उठाया है और अब तक 76,000 किसान सदस्यों के साथ 486 एफ0पी0ओ0 का गठनकियागयाहै।

7. वर्टिक्ल फार्मिंग के तहत 1127 हेक्टेयर क्षेत्र पॉली हाउस और 2865 हेक्टेयर क्षेत्र बैम्बू स्टैकिंग में कवर किया गया है।

8. राज्य सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष(ए0आई0एफ0) के तहत ब्याज अधीनता को निष्पादित करने के लिए 280/–करोड़ रुपये की 100 परियोजना एंपारित की है।

9. मंडियों में ई–नेम लागू करने के साथ–साथ किसान फ्रैश आउटलेट स्थापित करते हुए बेहतर विपणन अवसर पैदा किए गए।

10. हरियाणा सरकार सोनीपत जिले के गनौर में 545 एकड़ क्षेत्र में भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट की स्थापना कर रही है।

.....

To Provide Free Insurance to Cattle

326. Shri Ram Niwas: Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide free insurance to stock farmers for their cattle i.e. buffalo, cow, goat etc. in the State?

पशुपालन एंव डेयरी मन्त्री (श्री जय प्रकाश दलाल): हां श्रीमान् जी, विभाग द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति के किसानों के पषुओं जैसे कि भैंस, गाय, बकरी इत्यादि के लिए मुफ्त बीमा उपलब्ध करवाया जा रहा है।

.....

To Start Construction Work of Road

191. Shri Neeraj Sharma: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the road of village Kureshipur is in bad condition in NIT Faridabad Assembly Constituency togetherwith the time by which the construction work of said road is likely to be started?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): हां, श्रीमान जी। सड़क ठीक हालत में नहीं है। सड़क को हाल ही में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) से स्थानांतरित किया गया है। इस सड़क की मरम्मत की अनुमानित लागत 92.38 लाख रुपये का अनुमान सरकार की स्वीकृति के लिए विचाराधीन है। इसलिए इस स्तर पर कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

.....

To Metal the Unmetalled Passages

309. Dr. Krishan lal Middha: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the unmetalled passage of fields in State during the financial year 2021-22 under Mukhyamantri Kisan Khet Sadak Marg Yojana; and

(b) if so, the Assembly wise length of passages likely to be metalled by the Government in State?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला): नहीं, श्रीमान जी।

.....

Repair of Roads

217. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that following roads of Gohana Assembly Constituency are damaged:—

(i) Village Nyat to village Jauli;

(ii) Village Dubheta to Rollad-Latifpur;

(iii) Main road of village Tihar Kalan;

(iv) from village Hullaheri to village Chitana; and

(b) if so, the time by which the above said roads are likely to be repaired/ constructed?

कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): (क) तथा (ख) ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

ब्यौरा

इन सड़कों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

1. **गांव नयात से गांव जौली:–** यह सड़क हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल से सम्बन्धित है । इस सड़क की लम्बाई 3.16 कि0मी0 है । इसकी विशेष मरम्मत का कार्य प्रगति पर है तथा इसके 31.03.2021 तक पूरा होने की संभावना है ।

2. **गांव दुभेरा से रौलद लतीफपुर :–** इस सड़क की लम्बाई 3.54 कि0मी0 तथा राजस्व रास्ता 8 करम चौड़ा है । यह सड़क रख–रखाव हेतू लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कों) को मार्च, 2020 के दौरान हस्तांतरीत कर दी गई थी । यह सड़क यातायात सुगम है तथा वार्षिक मरम्मत के अन्तर्गत पैच लगाकर ठीक रखी जा रही है ।

3. **गांव तिहाड़ कलां की मुख्य सड़क:–** यह सड़क लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कों) से सम्बन्धित है । इस सड़क की लम्बाई 0.96 कि0मी0 है । इस सड़क के सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ा करने का कार्य प्रगति पर है जो कि 30.04.2021 तक पूरा होने की संभावना है ।

4. **गांव हुल्लाहेडी से गांव चिटाना:–** यह सड़क हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंड़ल से सम्बन्धित है । इस सड़क की लम्बाई 2.94 कि0मी0 है । हाल ही में इस सड़क की मरम्मत की गई है तथा यह अक्टूबर, 2023 तक दोष दायित्व अवधि के अन्तर्गत है । यह सड़क यातायात सुगम है तथा पैच लगाकर ठीक रखी जा रही है ।

.....

To Re-construct the Bus Stand

230. Shri Mewa Singh: Will the Transport Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the bus stand of Babain is indilapidated condition;

(b) whether it is also a fact that the ground level of abovesaid bus stand is very low in comparison to the main road and has no boundry wall; and

(c) the action taken by the Government to re-construct the abovesaid Bus Stand of Babain as the estimate of abovesaid work has been submitted to the Government few days ago?

परिवहन मंत्री (पंडित मूलचन्द शर्मा):

(क) जी नहीं, श्रीमान्। बस अड्डा बबैन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में नहीं है।

(ख) जी हाँ, बस अड्डे का ग्राउण्ड स्तर मुख्य सड़क से नीचा है और चार दीवारी भी नहीं है।

(ग) कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा बस अड्डे की चार दीवारी का अनुमानित आंकलन प्राप्त हो चुका है और आगामी कार्रवाई की जा रही है।

.....

To Install CCTV Cameras

291. Shri Deepak Mangla: Will the Home Minister be please to state-

(a) whether it is a fact that the CCTV Cameras are likely to be installed be the Government in every city of state-

(b) if so, whether there is any proposal under condideration of the Government to install the CCTV Cameras in Palwal City togetherwith the time by which these are likely to be installed?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : हां श्रीमान् जी। सदन के पटल पर एक वक्तव्य रखा गया है।

(A) वक्तव्य

I. फरीदाबाद और करनाल में स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट लगाने बारे।

(1) जिला फरीदाबाद में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली और यातायात प्रबन्धन की स्थापना के लिए स्मार्ट सीटी परियोजना के तहत इसको मैसर्स हनीवेल ऑटोमेषन इंडिया लिमिटेड को आवंटित किया गया है, लगभग 1500 कैमरे यातायात प्रबन्धन प्रणाली के लिए 94 जंक्षन शहर भर में स्थापित किए जाने हैं स्मार्ट सीटी मिषन के तहत 700 सी0सी0टी0वी0 कैमरे अभी तक लगाये गये हैं।

(2) इसी प्रकार स्मार्ट सीटी परियोजना के तहत 760 सी.सी.टी.वी. कैमरे करनाल में करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटीड कम्पनी द्वारा रूपये 159 करोड़ में लगाए जाने की प्रक्रिया जारी है। करनाल में स्थापित किए जाने वाले कैमरो में निश्चित, 360°ANPR, RLVD आदि शमिल है। शेष कैमरों के प्रमुख भाग को स्थापित करने के लिए NHAI से अनुमति का इन्तजार है। पयोजना " स्मार्ट सिटी मिशन" के तही जल्द ही पुरा होने की संभावना है।

II. गुरूग्राम में कानून एवं व्यवस्था और यातायात प्रबन्धन के लिए गमाडा गुरूग्राम के साथ सी.सी.टी.वी. निगरानी प्रणाली लगाने बारे योजना बनाई गई है। गुरूग्राम व फरीदाबाद में सी.सी.टी.वी. कैमरे निगरानी प्रणाली लगाने के लिए 45.55 करोड रूपये की राषि सरकार द्वारा हरियाणा पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत स्वीकृत की गई है। गुरूग्राम में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के लिए 45.55 करोड रूपये में से 25 करोड रूपये की राषि गमाडा गुरूग्राम को हस्तान्तरित की गई है। वर्तमान में यह परियोजना गमाडा गुरूग्राम के साथ विचाराधीन है। शेष राषि 20.55 करोड रूपये हारट्रोन के पास जमा हैं। यह शेष राषि 20.55 करोड रूपये का उपयोग अन्य जिलों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने के लिए किया जाएगा।

III. राजमार्ग की सुरक्षा के लिए सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने बारे।

हरियाणा राज्य इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 1 पर 120 सी सी टी वी कैमरे निम्नलिखित जिलों में लगाने के लिये 7,54,00,000/– रूपये का आपूर्ति आदेश दिया गया है:–

क्रमांक संख्या	जिलों के नाम जिनमें सी सी टी वी कैमरे लगाये जायेंगे	स्थानों की संख्या जहां सी सी टी वी कैमरे लगाये जायेंगे ।
1	अम्बाला	22
2	कुरूक्षेत्र	24
3	करनाल	28
4	पानीपत	22
5	सोनीपत	24
	कुल	120

अंबाला जिले में 22 स्थानों के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और शेष जिलों में स्थापना का कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा

(B)

इस अलावा वर्तमान में 20.55 करोड रूपये (45.55 करोड़ – 25.00 करोड़) हरियाणा राज्य इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड व 9.95 करोड रूपये पुलिस मुख्यालय की प्रेरित सोसायटी में उपलब्ध हैं। पुलिस मुख्यालय हरियाणा के पत्र क्रमांक 9143/पी–5 दिनांक 26.10.2020 द्वारा कानून प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित जिलों में सिटी वाईड निगरानी प्रणाली बनाने की अनुमति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया है।

क्रमांक संख्या	जिलों के नाम जिनमें कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये सी सी टी वी कैमरे लगाये जाने हैं
1	सोनीपत
2	रोहतक
3	झज्जर
4	हिसार
5	सिरसा
6	पानीपत
7	यमुनानगर
8	रेवाड़ी
9	पलवल
10	पंचकुला
11	अम्बाला
12	कुरूक्षेत्र
13	कैथल
14	फतेहाबाद
15	जीन्द
16	हाँसी
17	भिवानी
18	चरखी दादरी
19	नारनौल
20	नूंह

.....

To set up Oil Mill

355. Shri Sita Ram Yadav : Will the Co-operation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up a oil mill of Hafed in Kanina; if so, the time by which the said oil mill is likely to be set-up?

सहकारिता मंत्री (डॉ0 बनवारी लाल): नहीं श्रीमान जी, कनीना में हैफेड की नई तेल मिल स्थापित करने कि लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नही है।

.....

To Construct Block Level Sports stadium

339. Smt. Naina Singh Cahutala: Will the Minister of State for Sports and Youth Affairs be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct block level Sports Stadium in Badhra Town; and

(b) if so, the time by which the construction work of sports stadium is likely to be started?

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (सरदार संदीप सिंह) : श्रीमान जी, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Repair of Roads

218. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Deputy Chief Minister be pleased to State-

(a) whether it is a fact that the following roads of Gohana Assembly Constituency are damaged-

(i) main road from village Karewari to village Chattia;

(ii) from main road of village Juan to Rehmana road;

(iii) from village Khijarpur Jaat Majra road to Chitana road;

(iv) from village Juan to village Sitawali;

(v) from village Karewari to village Chitana;

(vi) from village Badwasni to village Bhatgaon;

(vii) from village Badwasni to village Baghru; and

(b) if so, the time by which the above said roads are likely to be repaired?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): (क) तथा (ख) नहीं, श्रीमान जी।

.....

मंत्री परिषद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, विधायक तथा 27 अन्य विधायकों (श्री डॉ. रघुवीर सिह कादियान, श्री भारत भूषण बत्तरा, श्रीमती किरण चौधरी, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री आफताब अहमद, श्री जयवीर सिंह, श्री जगबीर सिह मलिक, मोहम्मद इलियास, श्री राजेन्द्र सिंह जून, श्री अमित सिहाग,

श्री कुलदीप वत्स, श्री बलबीर सिंह, श्रीमती शकुन्तला खटक, श्री वरूण चौधरी, श्री नीरज शर्मा, श्री धर्म सिंह छौक्कर, श्री सुभाष गांगोली, राव दान सिंह, श्रीमती शैली, श्री मामन खान, श्री मेवा सिंह, श्री बिशन लाल, श्री इंदूराज, श्रीमती रेणु बाला, श्री शमशेर सिंह गोगी, श्री शीशपाल तथा श्री सुरेन्द्र पंवार) की तरफ से हरियाणा मंत्रिमंडल के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव की एक सूचना प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार हैः–

"हम श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास व्यक्त करते हैं।"

अब मैं उन सदस्यगण से जो इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दिए जाने के पक्ष में हैं, अनुरोध करता हूँ कि वे अपने–अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(इस समय जो सदस्य इस प्रस्ताव पर अनुमति दिए जाने के पक्ष में थे, वे अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गए।)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, क्योकि 18 से अधिक सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हैं अतः अनुमति प्रदान की जाती है। अब मैं सदन के सदस्यों की संख्या अनुसार प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दो घण्टे का समय निर्धारित करता हूँ। अब मैं श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, विधायक से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आफताब अहमदः सर, दो घंटे का समय तो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए बहुत थोड़ा है। मेरा अनुरोध है कि इसके लिए ज्यादा समय फिक्स किया जाए।

श्री अध्यक्षः आफताब जी, जिस दिन बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी उस दिन आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे। उस समय यह निर्णय लिया गया था कि अविश्वास प्रस्ताव पर दो घंटे ही चर्चा की जायेगी। अतः आप प्लीज बैठिए और अब श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को अपना अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने दे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (गड़ी–सांपला–किलोई): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

> "हम श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास व्यक्त करते हैं।"

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> "हम श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास व्यक्त करते हैं।"

चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने से पहले, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के बॉर्डर्ज पर किसान आंदोलन के दौरान 250 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा करते हुए शहीद होते हैं, वे भी हमारे भाई हैं और जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं, वे भी हमारे भाई हैं। जिस प्रकार से हम उनके लिये श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उसी प्रकार से हम हमारे किसान भाइयों के लिये भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सरकार ने शोक प्रस्ताव में उन शहीद किसानों के नाम शामिल नहीं किये, हालांकि मैंने उन शहीद किसानों के नाम दिये थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करता हूँ कि उन शहीद किसानों के नाम भी शोक प्रस्ताव में शामिल किये जायें। सरकार के मंत्री हमारे किसान भाइयों के बारे में कहते हैं कि ये लोग तो कुदरती ही मर गये हैं। अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेतागण किसानों के बारे में पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि ये तो केवल पंजाब के हैं। अध्यक्ष महोदय, 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने महिलाओं की आड़ में हमारे ऊपर न जाने कितने कटाक्ष किये थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी बहन व बेटियां अपने छोटे–छोटे बच्चों के साथ सर्दी के मौसम में दिल्ली बॉर्डर्ज पर बैठी हुई हैं, क्या वे महिलाएं नहीं है, अर्थात् माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उनका दर्द दिखाई नहीं देता है। सरकार ने वहां पर उनके बिजली व पानी के कनैक्शन काट दिये और उनके द्वारा बनाये गये शौचालय को उखाड़ दिये, इससे ज्यादा हमारे लिये शर्म की क्या बात हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार बहुमत की सरकार नहीं है। वर्ष 2019 के विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। यह सरकार तो जजपा की बैसाखियों पर चल रही है। जजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से न जाने क्या–क्या वायदे किये थे। जजपा विधान सभा चुनाव में कहा करती थी कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जमुना पार कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विधान सभा चुनाव में इस बार 75 पार का नारा दिया हुआ था। अध्यक्ष महोदय, आज दोनों पार्टी एक–दूसरे के यार बने हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में कहा था, जिसे सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा था कि चौधरी देवी लाल कहते थे कि किसानों को समझाया नहीं जा

सकता केवल बहकाया जा सकता है। चौधरी देवी लाल बेशक मेरे राजनीति विरोधी रहे हैं लेकिन मेरे बुजुर्ग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या आज जजपा चौधरी देवी लाल के पद चिन्हों पर चल रही है? अध्यक्ष महोदय, भाजपा व जजपा सरकार लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास खो चुकी है। आज सरकार का कोई भी नुमाइंदा अपने–अपने हल्के के गांवों में नहीं जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश की स्थिति यह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कैमला गांव में हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है और स्थानीय लोग हेलीकॉप्टर को ही लैंड नहीं करने देते। माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय हेलीकॉप्टर से उचाना जाते हैं तो वहां के स्थानीय लोग हेलीकॉप्टर को लैंड नहीं करने देते। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आज हरियाणा सरकार की क्या स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की तुलना मुगल का जो आखरी शासक शाहआलम था, उससे की जा रही है। इतिहास इस बात का गवाह है कि मुगल का जो आखरी शासक शाहआलम था, उसकी सलतनत सिर्फ दिल्ली से पालम तक थी, उसी तरह से हरियाणा सरकार का सिलसिला केवल चण्डीगढ़ से पंचकूला तक ही सीमित है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 26 जनवरी, 2021 को राष्ट्रीय ध्वज पानीपत में फहराना था लेकिन उन्हें जनता के विरोध के कारण पंचकूला आकर झंडा फहराना पड़ा था। यह स्थिति आज सरकार की है। रोम जल रहा था और नीरो बांसूरी बजा रहा था, यही स्थिति हम सबके सामने है। प्रजातंत्र में वाद–विवाद, तर्क–वितर्क और संवाद होता रहता है। अध्यक्ष महोदय, हम प्राइवेट मैम्बर बिल लेकर आये थे और सदन ने उसे निरस्त कर दिया और सदन ने यह कहा कि इस प्राईवेट मैम्बर बिल में तीन कृषि कानून का जिक्र किया गया है, यह केन्द्र सरकार का विषय है और इस पर स्टे भी लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हम केवल यह चाहते थे कि ए.पी.एम.सी. एक्ट में अमैंडमैंट हो ताकि एम.एस.पी. से कम फसल खरीद पर सजा का प्रावधान हो, इस बारे में ए.पी.एम.सी. एक्ट में अमैंडमैंट लाना चाहते थे, जिसे सदन ने निरस्त कर दिया। अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के विधायक भी कहते हैं कि एम.एस.पी. लागू होना चाहिए, इसलिए हम प्राइवेट मैम्बर बिल लेकर आये थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में कृषि कानूनों की बात नहीं करूंगा क्योंकि उनकी बात करते ही आप कहोगे कि ये तो सैंटर्ल एक्ट्स हैं, इसलिए विधान सभा में इन पर चर्चा नहीं हो सकती । यह ठीक बात है। अतः मैं सदन में सैंटर्ल एक्ट्स की बात नहीं करूंगा । हालांकि ऐग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता था लेकिन अब उसकी डैफीनेशन चेंज हो गई है । मैं इस पर भी

चर्चा नहीं करूंगा । आज मुझे तकलीफ इसलिए है कि हरियाणा प्रदेश का किसान, बहन–बेटियां दिल्ली के बॉर्डर पर बैठी हुई हैं । वहां पर अकेले हरियाणा के किसान नहीं बैठे हैं बल्कि उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब आदि राज्यों के किसान बैठे हुए हैं । हरियाणा को छोड़कर किसी भी प्रदेश ने किसानों के रास्ते को रोकने का काम नहीं किया । हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के लिए सर्दियों में वाटर कैनन, पिपली में किसानों पर लाठीचार्ज, आंसुगैस के गोले, सड़कों को खोदने जैसे कार्यों का सहारा लिया । जो सरकार सड़कों को बनाती है उसी सरकार ने सड़कों को खोदने का काम किया । इस तरह का काम हरियाणा सरकार के अलावा किसी अन्य प्रदेश की सरकार ने नहीं किया, इसलिए आज यह सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है । सरकार ने किसानों को रोकने के लिए पुलिस को बांस की लाठियों की जगह लोहे की लाठियां दे दी । सरकार को समझना चाहिए कि किसान का सिर फौलाद का बना होता है, इसलिऐ वह लोहे की लाठियों से नहीं टूट सकता । आज सवाल यह है प्रदेश का किसान बॉर्डर पर क्यों आन्दोलन कर रहा है ? किसान इसी सरकार के किये हुए वायदे को पूरा न करने के कारण बॉर्डर पर बैठा हुआ है । सरकार ने किसान से अपने मैनीफैस्टो में एम.एस.पी. से संबंधित वायदा किया गया था । जे.जे. पी. के मैनीफैस्टो में वायदा किया गया था कि 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' पर फसल खरीदने का कानून बनाया जाएगा, फसल की खरीद पर 10 परसैंट या 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा लेकिन न ऐसा कानून बनाया, न 10 परसैंट बोनस दिया और न ही 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया गया । बी.जे.पी. ने वर्ष 2014 में अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था कि किसान को फसल का 50 परसैंट मुनाफे के साथ दाम दिया जाएगा । उसके बाद वर्ष 2014 में अपने घोषणा पत्र में वायदा किया कि किसान को हर फसल की खरीद पर 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' सुनिश्चित किया जाएगा । इसके बाद कहा गया कि किसान की आमदनी को दोगुनी कर दिया जाएगा । मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार किसान की आमदनी दोगुनी कैसे करेगी ? कल सदन में माननीय मंत्री जी भी किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात कह रहे थे । मेरे पास इसी सरकार का दिया हुआ रिकॉर्ड है। वर्ष 2014–15 में पैडी की 'कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन' 1886 रुपये प्रति क्विंटल निकाली गई, स्टेट ने 2000 रुपये प्रति क्विंटल रिकमैंड किया, सी.सी.पी.ए. 1360 रुपये मिला और एम.एस.पी. 1360 रुपये मिला । स्पष्ट है कि किसान की लागत

बढ़ रही है । इसी प्रकार से वर्ष 2015–16 में लागत 1886 से बढ़कर 1994 हो गई और सरकार ने एम.एस.पी. 2193 रुपये प्रति क्विंटल रिकमैंड किया था लेकिन एम. एस.पी. केवल 1410 रुपये प्रति क्विंटल मिला । इसका मतलब है कि किसान अपनी लागत भी पूरी नहीं कर पा रहा है । इसी प्रकार से वर्ष 2017–18 में 'कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन' 2657 रुपये प्रति क्विंटल निकाली गई, स्टेट ने 2860 रुपये प्रति क्विंटल रिकमैंड किया, लेकिन 1550 रुपये प्रति क्विंटल मिला । पुनः स्पष्ट है कि किसान की लागत बढ़ रही है । इसी प्रकार से 2018–19 में 'कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन' 2657 रुपये प्रति क्विंटल निकाली गई, स्टेट ने 2860 रुपये प्रति क्विंटल रिकमैंड किया, लेकिन 1550 रुपये प्रति क्विंटल मिला । पुनः स्पष्ट है कि किसान की लागत बढ़ रही है । इसी प्रकार से 2019–20 में 'कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन' 2677 रुपये प्रति क्विंटल निकाली गई, स्टेट ने 2650–2750 रुपये प्रति क्विंटल रिकमैंड किया, लेकिन भाव सिर्फ 1815 रुपये प्रति क्विंटल मिला इसी प्रकार से 2020–21 में 'कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन' 2482 रुपये प्रति क्विंटल निकाली गई, स्टेट ने 2730 रुपये प्रति क्विंटल रिकमैंड किया, लेकिन भाव सिर्फ 1868 रुपये प्रति क्विंटल मिला । मेरे पास सभी फसलों का डाटा है लेकिन मैं मुख्य रूप से 2 फसलों की ही बात कर रहा हूं । 2014–15 में गेहूं की फसल की 'कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन' 1943 रुपये प्रति क्विंटल निकाली गई, स्टेट ने 2000 रुपये प्रति क्विंटल रिकमैंड किया, लेकिन भाव सिर्फ 1450 रुपये प्रति क्विंटल मिला । स्पष्ट है कि किसान की लागत बढ़ रही है । इसी प्रकार से 2015–16 में गेहूं की 'कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन' 1974 रुपये प्रति क्विंटल निकाली गई, स्टेट ने 2172 रुपये प्रति क्विंटल रिकमैंड किया, लेकिन भाव सिर्फ 1525 रुपये प्रति क्विंटल मिला। वर्ष 2017–18 में 2050 रुपये प्रति क्विंटल 'कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन' निकाली गई और हरियाणा सरकार ने 2469 रुपये प्रति क्विंटल रिकमैंड किया तथा किसानों को 1785 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिला। वर्ष 2019–20 में 2021 रुपये प्रति क्विंटल 'कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन' निकाली गई और हरियाणा सरकार ने 2250 रुपये प्रति क्विंटल रिकमैंड किया तथा किसानों को 1925 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिला। वर्ष 2020–21 में 2084 रुपये प्रति क्विंटल 'कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन' निकाली गई और हरियाणा सरकार ने 2290 रुपये प्रति क्विंटल रिकमैंड किया तथा किसानों को 1975 रुपये प्रति क्विंटल भाव मिला। इस प्रकार किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे होगी ? फर्टिलाईजर पर 5 प्रतिशत टैक्स लगा दिया है और पैस्टिसाईड्स पर 28

प्रतिशत तक टैक्स बढ़ा है। इस प्रकार इन चीजों की कीमत दोगुनी हो गयी है। डीजल के दाम बढ़ गये हैं, लेकिन किसानों की आमदनी नहीं बढ़ पायी है। इस प्रकार सरकार का वायदा कैसे पूरा होगा ? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने का वायदा कहां पर गया ? अध्यक्ष महादेय, मैं अपनी बात रखने के लिए ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कल बहुत सारी बातें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संबंध में उठायी गयी थी। सबको पता है कि राज्यपाल महोदय वही कहते हैं जो सरकार उनको लिखकर देती है। हम भी सरकार में रहे हैं, इसलिए हमें भी इन बातों का पता है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार की अपनी उपलब्धियां और दिशा–निर्देश दिए जाते हैं। पिछले साल के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ें और इस साल के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ लें, इनमें कोई उपलब्धि नहीं है। हम इसको निराशाजनक प्रशंसा पत्र कह सकते हैं और उसमें कुछ नहीं है। कल बेरोजगारी के बारे में बड़े–जोर से बातें कही गयी। सी.एम.आई.ई. एक प्राईवेट संस्था है जिसने लिखा है कि आज हरियाणा प्रदेश बेराजगारी में सबसे ऊपर है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि यह 5 सितम्बर, 2019 का श्री दुष्यंत जी का वक्तव्य है। शर्मनाक आंकड़ें – बेरोजगारी के मामले में हरियाणा प्रदेश देश में सबसे ऊपर नम्बर 1 पर पहुंच गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी एक और तो हरियाणा प्रदेश की नौकरियां, हरियाणा प्रदेश से बाहर के कैंडिडेट्स को दे रहे हैं और दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा देश में सबसे ऊचीं दर 28.7 प्रतिशत पर पहुंच चुका है। आपने एन.एस. ओ. का 7 प्रतिशत बेरोजगारी वाला आंकड़ा बताया है। मेरे पास भी आंकड़ें हैं जिसमें वर्ष 2011–12 में 2.8 प्रतिशत बेराजगारी थी और इस सरकार के समय में वर्ष 2017–18 में यह बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गयी है। इस प्रकार प्रदेश में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं ये आंकड़े अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। मुख्यमंत्री जी न तो एन.एस.ओ. के आंकड़े मान रहे और न ही सी.एम.आई.ई. के आंकड़े मान रहे। इस बात को तो मानेंगे कि अभी कुछ दिन पहले पानीपत के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 13 पदों के लिए चपरासियों की भर्तियां निकली थी और उनके लिए 14,871 एप्लीकेशंज आयी थी। मुख्यमंत्री जी इससे बेरोजगारी का रिकार्ड देख सकते हैं। इन एप्लीकेशंज में बी.ए., बी.एस.सी, एम.ए., एम.टेक, बी.टेक. किये हुए कैंडिडेट्स की तादाद भी थी। यह प्रदेश में बेराजगारी का रिकार्ड है। सरकार ने पिछली योजना के दौरान लगभग 18,000 पदों के लिए डी ग्रूप की भर्ती निकाली

थी और उसके लिए करीब 25 लाख कैंडिडेट्स ने एप्लाई किया था। मैं ये सभी बातें वही बता रहा हूं जो अखबारों में लिखी हुई हैं। हालांकि मैं इसके लिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसके अतिरिक्त एक अखबार में लिखा हुआ है कि unemployment in Haryana is the highest in the country. इस प्रकार सारे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में है और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। इसमें सरकार के वायदे का क्या हुआ ? सरकार ने वर्ष 2015 में वायदा किया कि Enterprises and Employment Policy के तहत प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमैंट आएगा और 4 लाख से ज्यादा लोगों को इम्पलायमैंट दिया जाएगा। सरकार का यह वायदा कहां गया ? हरियाणा प्रदेश में 24,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमैंट आया है। मैं ये बातें आर.टी.आई. द्वारा प्राप्त किये गये आंकड़ों के अनुसार ही बता रहा हूं। सरकार को इस बात के लिए निश्चिंत रहना चाहिए क्योंकि ये मेरे द्वारा बनाये गये आंकड़ें नहीं हैं। बल्कि ये आंकड़ें आर.टी.आई. द्वारा मांगी गयी सूचना में दिये गये हैं। इसमें आर.टी.आई. के अनुसार लगभग 32 हजार लोगों को एम्प्लॉयमैंट मिला है। ई.पी.पी.बी. अर्थात् अर्ली प्रोवीजन ऑफ प्रीजवर्ड बेनिफिट्स के मातहत जो 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमैंट देने का काम किया गया है, के संबंध में कहना चाहता हूँ कि सब कुछ साथ में समेट ले जाओ, अपने झूठे वायदों को, अगले चुनाव में भी तुम्हें फिर इनकी जरूरत पड़ेगी। सरकार ने माननीय राज्यपाल महोदय का बड़ा जोर शोर से धन्यवाद किया। किस बात के लिए माननीय राज्यपाल महोदय का धन्यवाद किया? मैं इस बारे में इस सदन में बताना चाहूंगा कि प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75 फीसदी आरक्षण देने का कानून पास करने पर माननीय राज्यपाल महोदय का धन्यवाद किया। इस बात का जिक्र सबसे पहले जे.जे.पी. के ''जन सेवा पत्र'' में लिखा हुआ था। मैं इस बारे में अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं कहूंगा। उसमें क्या लिखा हुआ था उसे मैं पढ़कर सुना देता हूं। रोजगार मेरा अधिकार कानून लागू किया जायेगा जिसमें 75 प्रतिशत नौकरी हरियाणा के युवाओं को आरक्षित होगी। इस ''जन सेवा पत्र'' में कहीं पर भी प्राइवेट कम्पनियों का जिक्र नहीं किया गया है। मैं सैद्धांतिक तौर पर इस बिल का विरोध नहीं करता हूं।

श्री दुष्यंत चौटाला : हुड्डा साहब, आप तो वकील हो।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि ''जन सेवा पत्र'' लिखने से पहले इस चीज को भी देख

लेते। इसमें यह बात मैंने तो नहीं लिखी है। प्रदेश की जनता को बहकाने का काम तो हरियाणा सरकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, उप–मुख्यमंत्री जी इस बात को मान लें कि यह ''जन सेवा पत्र'' इन्होंने नहीं लिखा है तो मैं फिर बैठ जाऊंगा।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब को हमारी पार्टी का नाम तो याद हो गया।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अब सरकार ने हरियाणा डोमिसाइल के लिए 15 साल के स्थान पर इसकी कंडीशन 5 साल की कर दी और यह कहा जा रहा है एस.सी. और बी.सी. कैटेगरी के लोगों पर यह कंडीशन लागू नहीं होती है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे एक स्टेट का नाम बता दो जिसमें दो किस्म के डोमिसाइल हो। सरकार ने जो एक्ट बनाया है उसमें बकायदा तौर पर यह बात लिखी हुई है। मेरे पास कई समाचार–पत्रों की कटिंग हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं। मैं इस महान सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब सरकार यह कह रही है कि 'will seek industries body suggestion for 75% reservation. जब सरकार ने एक्ट बना दिया तो फिर किस बात का सुजैशन ले रही है? इस बारे में मुझे बताया जाये। Haryana's 75% private jobs quota move 'will spell disaster': industry body ऐसा एफ.आई.सी.सी.आई. लिख रही है। 'Alarming Dictate' ऐसा हिन्दु अखबार लिख रहा है। 'A bad job' ऐसा इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं सैद्धांतिक तौर पर इस बिल का विरोध नहीं करता हूं लेकिन जो सरकार ने हरियाणा डोमीसाइल के लिए 15 साल की बजाए 5 साल का प्रावधान किया है, मैं इसका विरोध कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हरियाणा में निजी कम्पनियों में 75 फीसदी आरक्षण समझ से परे है। मैं अपनी तरफ से यह बात नहीं कह रहा हूं। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस तरह की बातें कर रहे हैं, केन्द्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी तक यह कह रही हैं कि is Haryana Act legal? अर्थात् हरियाणा सरकार ने जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को उद्योगों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी जो कानून बनाया है क्या यह उचित है? इस तरह की बातें कही जा रही हैं। यह आपके सामने है। जो सरकार ने प्रमाण पत्र में फेर बदल किया है। कल भी इस महान सदन में सरकार ने कहा था कि एक तरफ तो सरकार 75 फीसदी रिजर्वेशन की बात करती है और दूसरी तरफ

हरियाणा का निवासी होने के लिए 5 साल की बात की जाती है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि सरकार को इस बात के लिए किसने सलाह दी? यह बात किसके दिमाग में आई और इसका क्या मकसद है? क्या हरियाणा में इसका डैमोग्राफी चेंज करने का मकसद है या जो हरियाणा प्रदेश का मूल निवासी है उनके हक पर कुठाराघात करने जैसा है? जो शैड्यूल कॉस्ट के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, एक्स सर्विस मैन है या स्पोर्ट्स मैन हैं, जिनका सरकार ने कोटा निर्धारित कर रखा है। यह उनके हकों पर डाका डालने का काम होगा, जो बहुत गलत काम होगा। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह किसी भी प्रकार से प्रदेश के हित में नहीं है। मैं सरकार से इसको 15 साल करने का आग्रह करता हूं। यहां पर डोमीसाईल के सम्बन्ध में महाराष्ट्र का जिक्र किया गया है। मैं सरकार की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में डोमीसाईल समयावधि 15 साल है। मैं यह बात चैलेंज के साथ कहता हूं कि सरकार मुझे देश के किसी भी प्रदेश में दिखा दे जहां पर दो डोमीसाईल बने हों। अब मैं प्रदेश में कानून व्यवस्था के बारे में बात करना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, हरियाणा प्रदेश में क्राईम रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2019 में 1066 हत्यायें हुई हैं, 1653 रेप हुए, 193 गैंग रेप हुए, 1818 केसिज में हत्या की कोशिश की गई, 3513 अपहरण हुए और 1886 बच्चों के खिलाफ अपराध हुए यानि हर रोज दो–तीन हत्यायें, पांच रेप, 10 अपहरण और 5 बच्चों के अपराध हुए हैं। एन.सी.आर.बी. द्वारा वर्ष 2018 के आंकड़े बताये गये हैं उनके अनुसार हरियाणा में औसतन हर रोज 3 से 4 हत्यायें, 5 से 6 रेप, 50 वाहन चोरी, 54 डकैती, चोरी व लूट और फिरौती जैसी वारदातें होती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड एन.सी.आर.बी. में दर्ज वर्ष 2018 के आंकड़ों के मुताबिक नशे के मामले में हरियाणा पंजाब से आगे निकल गया है। हरियाणा में एन.डी.पी.सी. एस. के 2587 मामले सामने आये जोकि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा हैं। इसी प्रकार से साल 2018 में हरियाणा में नशीले पदार्थों से 86 मौतें हुई हैं जबकि पंजाब में इससे कम 78 मौतें हुई हैं। इसी तरह हरियाणा में नकली शराब पीने से हरियाणा प्रदेश में 162 लोगों की मृत्यु हुई है। अध्यक्ष जी, वर्ष 2020 का आधा साल तो लॉक–डाऊन में गुजर गया। पूरा हरियाणा एक पुलिस स्टेट बना हुआ था फिर भी लॉक–डाऊन के दौरान हरियाणा प्रदेश में शराब की तस्करी हुई। आज अगर हम पिछले दिनों की खबरों पर नजर डालें तो हमें लगेगा कि सरेआम फायरिंग और हत्यायें हो रही हैं। चाहे हम कोई भी अखबार उठा कर देख लें

उसमें हरियाणा में अपराध, हत्या और लूटपाट के समाचार भरे पड़े हैं। अध्यक्ष जी, इस सरकार ने घोटालों की तो लाइन लगाई हुई है। अगर मैं प्रदेश के सारे के सारे घोटालों की डिटेल में जाऊंगा तो उसमें बहुत ज्यादा समय लग जायेगा इसलिए मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि सबसे पहले गिरदावरी से घोटालों की षुरुआत हुई अर्थात् सबसे पहले गिरदावरी घोटाला, मुआवजा घोटाला, रैक्सीज दवाई खरीद घोटाला, गॉलवॉल्यूम सीड्स घोटाला, बावल भूमि अवार्ड घोटाला, नई उद्योग नीति घोटाला, सरस्वती कुंज मैम्बरशिप घोटाला, धान व बाजरा खरीद घोटाला, कपास नकली बीज व नकली कीटनाशक खरीद घोटाला, फसल बीमा घोटाला, भूमि अधिग्रहण घोटाला, मीटर खरीद घोटाला, अवैध माईनिंग घोटाला, गुरूग्राम मैट्रो रूट बदलाव घोटाला, हाईडल प्रोजैक्ट घोटाला, रोडवेज में किलोमीटर स्कीम घोटाला, एच.सी.एस. भर्ती घोटाला, आटा घोटाला, रोडवेज फर्जी टिकट घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, मीटर खरीद घोटाला–2, शराब घोटाला और रजिस्ट्री घोटाला इत्यादि बहुत से घोटाले हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। स्पीकर सर, मैं वर्तमान गठबंधन सरकार के ऊपर अक्षरशः लागू होने वाली एक बात सुनाना चाहता हूं। एक गांव में एक सांग आ गया। कोई व्यक्ति ले आया। उस सांग का जो सांगी था वह बेसुरा था। जब वह बेसुरा सांगी बेसुरा सांग गाने लगा तो एक बुढ़ा व्यक्ति लाठी लेकर स्टेज के चारों तरफ घूमने लग गया। यह देखकर जो सांगी गा रहा था वह डर गया और वह चुप हो गया। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को यह कहना चाहता हूं कि वे मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुने। स्पीकर सर, जैसा कि मैंने पहले बताया सांगी डर गया इस पर उस बुढ़े व्यक्ति ने यह कहा कि भाई तेरे को मैं कुछ नहीं कहता मैं तो उसको तलाश कर रहा हूं जो इस सांग को लाया था। इसी प्रकार से लोग वर्तमान सरकार की कारगुजारी के कारण सत्ता पक्ष के लोगों को गांवों में नहीं घुसने दे रहे हैं। खट्टर साहब, को मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं पिछले पांच साल की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं तो बीते एक साल की बात कर रहा हूं। एक साल के अंदर ही इस सरकार के हालात तो वे हो गये कि जैसे कहीं पर लोन बांटने का कार्यक्रम चल रहा था तो वहां पर एक आदमी तहसीलदार के सामने पेश हो गया कि मेरे को ट्रैक्टर चाहिए। अध्यक्ष महोदय, तहसीलदार ने गवाही के लिए नम्बरदार को बुलाया तथा पूछा कि नम्बरदार साहब क्या इस आदमी को लोन की जरूरत है। गवाही के दौरान नम्बरदार ने बताया कि

तहसीलदार साहब इस आदमी के पास तो सबकुछ है, इसके पास तो ट्रैक्टर है। इसको लोन की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही उसकी लोन की ऐप्लीकेशन तहसीलदार ने रिजैक्ट कर दी। बाहर आते ही उस आदमी ने नम्बरदार से पूछा कि मेरी और आपकी बात हो गई थी फिर आपने ऐसा क्यों कहा और मेरा लोन रिजैक्ट करवा दिया। इसके बदले मैं आपकी कुछ सेवा पानी कर देता। तो नम्बरदार ने कहा कि अगले सप्ताह आप दोबारा ऐप्लीकेशन दे देना अबकी बार आपके हक में गवाही दे दूंगा। अगले सप्ताह फिर दोनों तहसीलदार के पास पहुंचे। तहसीलदार ने नम्बरदार से फिर गवाही मांगी कि बताओं इसकी क्या पोजीशन है और क्या इसको लोन की जरूरत है तो नम्बरदार ने कहा कि तहसीलदार साहब यह तो बहुत गरीब आदमी है और इसके पास कुछ भी नहीं है तथा इसको लोन की सख्त जरूरत है। तहसीलदार ने कहा कि नम्बरदार साहब पिछले सप्ताह तो आप कह रहे थे कि इसके पास सबकुछ है फिर एक सप्ताह में ऐसा क्या हो गया कि इसके पास कुछ भी नहीं बचा। नम्बरदार बोला कि सर, जैसा खड़ा नाश इसका हुआ है ऐसा खड़ा नाश एक सप्ताह में होता मैंने किसी का नहीं देखा। एक सप्ताह में ही इसका बिल्कुल नाश हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार की जो पोजीशन पिछले एक साल में हुई है वैसी हालत मैंने भी किसी की नहीं देखी। सत्तापक्ष के विधायक अपने हल्कों में भी नहीं जा पा रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब को इन बातों के जवाब अपने जवाब में अवश्य दूंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास बहुमत है। अगर आप मुझे बतायेंगे तो मैं बहुमत के आधार पर आपकी बात सुन भी लूंगा लेकिन अगर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आपकी सरकार ने यह किया है, वह किया है तो आप उचाना में जा कर बताइये, आप कैमला में जा कर बताइये। फिर मैं मान लूंगा कि आपकी सरकार की क्या–क्या उपलब्धियां हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि यह अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे भी जरूर कहना चाहूंगा। आपने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि जो व्हीप का उल्लंघन

करेगा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जायेगा। इस प्रकार से आपने अपने पद की गरिमा को धूमिल किया है। आप विधायकों को डरा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, मैंने तो पत्रकारों द्वारा पूछे हुए सवालों का जवाब दिया था। मैंने तो रूल्ज की बात बताई थी। रूल्ज के अनुसार अगर कोई पार्टी की तरफ से जारी की गई व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपको इतना ही विश्वास है तो आप सीक्रेट वोटिंग करवाइये। आप विधायकों के हाथ न उठवा कर सीक्रेट वोटिंग करवाइये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब को कहना चाहता हूं कि व्हीप तो कांग्रेस पार्टी ने भी जारी किया हुआ है। दो विधायकों के बागी होने का डर इनको भी है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान (बेरी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं हरियाणा सरकार के खिलाफ और अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे डिस्टर्ब न किया गया तो मैं केवल 5–6 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर लूंगा बाकी का समय मैं अपने दूसरे साथियों के लिए छोड़ दूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों आया, हरियाणा प्रदेश के लोग इस सरकार में विश्वास क्यों नहीं करते? कौन से ऐसे हालात पैदा हो गये कि यह अविश्वास प्रस्ताव आया? इसमें न ही तो एम.एल.एज. की हॉर्स ट्रेडिंग हुई, न ही कोई डिसिडैंट है और न ही कोई मुख्यमंत्री का दावेदार है। इस अविश्वास प्रस्ताव का आधार जो आंसू हिन्दुस्तान के किसान के अपमान का प्रतीक बन गये, जो हिन्दुस्तान का संघर्ष और उसकी तकलीफ और उन हालात से पैदा हुआ अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा विधान सभा में आया है। आप हिन्दुस्तान के इतिहास में देख लेना यह अविश्वास प्रस्ताव जो लोगों के लिए लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार और लोगों द्वारा जिस ढंग से जो विरोध लोकतंत्र में हो रहा है वह इस अविश्वास प्रस्ताव का आधार है। इस अविश्वास प्रस्ताव का आधार है कि कौन लोग सरकार के साथ हैं, कौन लोग कुर्सी के साथ चिपके हुए हैं और कौन लोग किसानों के साथ खड़े हुए हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव इस बात का दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। स्पीकर सर, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कहना चाहता हूं कि यह अविश्वास

कहां से आया। यह अविश्वास की चिंगारी कोरोना काल में रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से जो तीन कृषि कानून लाए गये और उन कृषि कानूनों के खिलाफ आन्दोलन हुआ। अब भी संघर्ष हो रहा है। लोगों ने इसमें बहुत सारी तकलीफें भी झेली हैं। वहां से अविश्वास शुरू हुआ है। स्पीकर सर, मेरा गवर्नर एडर्स पर जो स्पीच था वह भी इसमें जोड़ा जाए क्योंकि मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा अर्थात गवर्नर एडर्स पर जिसने भी जो बात कही हैं मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं हाऊस को सिर्फ यह बात कहना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी बात आ गई थी कि बी.जे.पी. और जे.जे.पी. के एम.एल.एज, एम.पीज., मंत्रीगणों, उप–मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का घेराव हो रहा है। काले झंडे दिखाकर विरोध किया जा रहा है। इनके घरों और कोठियों के सामने प्रदर्शन किये जा रहे हैं। मैं यह बात अपनी रिप्लाई में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सच्चाई सुनना और सच्चाई बोलना भी मोक्ष की तरफ ले जाता है। गांव के बाहर इनकी एंट्री बैन के बोर्ड लगे हुए हैं कि बी.जे.पी. और जे.जे.पी. के सदस्यों की एंट्री बन्द है। पंचायतों के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार के फैसले सुनाए जा रहे हैं। लोकतन्त्र में जो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं आज मैं उनकी हैसियत, उनकी दशा और उनका स्टेटस बता रहा हूं। स्पीकर सर, झण्डा फहराने के स्थान पर स्थान बदले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और उप–मुख्यमंत्री जी के हैलीकोप्टर को उतरने नहीं दिया गया। पूरे देश में 70 साल के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा कि मुख्यमंत्री और उप–मुख्यमंत्री जी के हैलीकोप्टर को न उतरने दिया हो। मैं फैक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं। स्पीकर सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए। ऐसे हालात पैदा होने का क्या कारण था। जो दूसरे मुद्दे थे मैं उन दूसरे मुद्दों पर तो नहीं जाना चाहता। दूसरे मुद्दे तो हमारे मैंबर्स बताएंगे। मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ यह बात कहना चाहूंगा कि जो देश का किसान हिन्दुस्तान का किसान बोर्डर पर बैठा हुआ है उसके पास एक मैसेज जाना चाहिए क्योंकि वह बोर्डर पर बैठा टकटकी लगाए इंतजार कर रहा है। स्पीकर सर, यह अविश्वास प्रस्ताव मामूली अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। इस संबंध में तो अखबार भरे पड़े हैं। एम.एल.एज. व मंत्रियों के घरों पर किसान व महिलाओं द्वारा हजारों–हजारों की संख्या में मैमोरैंडम दिये जा रहे हैं। ऐसा किस बात से हो रहा है। स्पीकर सर, यह सिर्फ इस बात से हुआ है कि एक तरफ तो किसान आन्दोलन कर रहा है और एक तरफ बात–चीत का रास्ता खोला जा रहा है। जब बात–चीत का रास्ता खोला गया और सात–सात,

आठ–आठ घण्टे किसानों के साथ बात की गई उसको पूरा देश देख रहा है। किसानों के साथ जितनी बातें हुई उसमें किसान के साथ साजिशें रची गई। एक तरफ बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ साजिशें हो रही है। किसानों को कुछ का कुछ कहा जा रहा है। प्रैजीडैंट एड्रस में भी तिरंगे झण्डे व गणतंत्र दिवस का जिक्र किया गया और वह जिक्र सिर्फ एक देश को यह बताने के लिए किया कि यह एक सैक्शन है उसको लांछित करने के लिए प्रधानमंत्री की रिप्लाई में यह बात आई। जब बी.जे.पी. की राष्ट्रीय मीटिंग में यह बात चल रही है तो नकली किसानों को डैप्यूटेशन पर मिलवाया जा रहा है। बी.जे.पी. की राष्ट्रीय मीटिंग में यह फैसला हुआ कि जातिवाद का रंग देने के लिए फलां–फलां जाति के लीडर मनाने जाएंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी केस दायर करवाया गया है तथा तीन आदमियों की ऐसी कमेटी बनवाई गई है जिन्होंने इन कृषि बिलों का समर्थन करने का काम किया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, इस तरह की टिप्पणी करके आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एलीगेशन लगाने का काम कर रहे हैं। इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली काम करता है, यह किसी के अंडर काम नहीं करता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट सरकार के कहने से काम नहीं करता है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे से कुछ गलत कहा गया है तो आप उसे प्रोसिडिंग्ज से निकाल दीजिए। सरकार द्वारा जिस तरह से काम किया जा रहा है, यह घाव पर नमक छिड़कने के समान है क्योंकि जहां एक तरफ वार्ता का दौर चल रहा है तो वही दूसरी ओर अविश्वास की भावना बनी हुई है। एक तरफ से वार्ताएं की जा रही हैं वही दूसरी ओर आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसान आंदोलन के लिए विदेश से फंडिंग हो रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? किसानों के समर्थन में आए लोगों पर अटैक करवा दिया गया और यही नहीं माननीय प्राइम मिनिस्टर ने तो यहां तक कहा कि वे किसानों से एक टेलिफोन की दूरी पर हैं। अध्यक्ष महोदय, 22 जनवरी, 2021 को बातचीत का दौर बंद हुआ था लेकिन उस दिन से लेकर आज 10 मार्च तक एक टेलिफोन की काल तक नहीं आई जिससे किसान भाइयों में अविश्वास पैदा होता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, कडकती ठंड में, रोड्ज पर, खुले आसमान के नीचे अपनी मां–बाप अपने बच्चों से दूर दिल्ली बार्डर पर पड़े किसानों के दिल में इस तरह की घटनाओं ने अविश्वास पैदा करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटी तकलीफ नहीं है।

आखिर किसान को किस दर्द के साथ ऐसे खुले में पड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, इसका कारण है उसका भय कि यदि उसकी जमीन चली जायेगी तो उसकी आने वाली पीढ़ी खत्म हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, जबकि वार्ताओं का दौर चल रहा है तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए जिससे की किसान भाइयों में अविश्वास की भावना पैदा हो। लोकतंत्र में अगर कोई सरकार लोगों का विश्वास खो दे तो यह उस सरकार के लिए अच्छी बात नहीं होती है। आज लोकतंत्र कोठियों में बंद होकर रह गया है। जनता के नुमाइंदों को अपने हलके के लोगों के बीच में जाना चाहिए लेकिन ये लोग अपने हलकों में लोगों से नहीं मिल रहे है, इसका सीधा सा मतलब है कि आज जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी के मंत्री–विधायकों के प्रति विश्वास नहीं रह गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे डिप्टी सी.एम. साहब अभी सदन में नहीं बैठे हैं लेकिन हमारी बहन नैना जी बैठी हुई हैं अतः मैं उनके समक्ष ही कहना चाहूंगा कि इनका एक बयान आया था कि हम मर जायेंगे लेकिन बीजेपी का समर्थन कभी नहीं करेंगे। ऐसी बाइट्स इन्होंने बाढ़डा हलके में दी थी। आज मैं इनसे रिक्वैस्ट करूंगा कि वे आज सभी बंधनों को तोड़कर, झांसी की रानी बनकर बगावत करें क्योंकि हिंदुस्तान के किसान का आंसू केवल आंसू नहीं है बल्कि वह हिंदुस्तान के किसान का अपमान है, वह आंसू इस सदन का अपमान है तथा इस प्रदेश के लोगों का अपमान है। अतः इन बातों को ध्यान में रखकर नैना जी आप बगावत करो और पूरा सदन आपका इसके लिए साथ देगा। जहां तक बात डिप्टी सी.एम. की है वह यहां पर नहीं बैठे हैं, जब रिजल्ट आया था तो मेरी 15 मिनट तक उनसे बात हुई थी। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहूंगा लेकिन वह जिस बात को प्रदेश की जनता को कहकर आए थे, के मद्देनज़र मैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि चौधरी देवीलाल एक युग पुरूष थे और महान नेता थे। उन्होंने अपना सारा जीवन हिंदुस्तान के कमेरे वर्ग के लिए, किसान के उत्थान और कल्याण के लिए लगा दिया था। अगर डिप्टी सी.एम. साहब अपनी आंख बंद करके देखें और इनको चौधरी देवी लाल का फोटो नज़र आये तो अपनी आत्मा की आवाज पर इनको अविश्वास प्रस्ताव के लिए वोट देने का काम करना चाहिए। अगर इन्होंने गलती की तो फिर इनको हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा, आने वाले समय और इतिहास माफ नहीं करेगा। (शोर एवं व्यवधान) चौधरी रणजीत सिंह जी भी यह सब बातें सुन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर डिप्टी सी.एम. को 250 शहीद किसानों के खून के धब्बे अपनी कुर्सी पर नज़र

आये तो इन्हें आज ही अपनी कुर्सी को छोड़कर चले जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय को 250 शहीद किसानों के खून के धब्बे अगर उप–मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर नजर आते हैं तो इन्हें इस सत्ता की कुर्सी को छोड़कर चले जायें, नहीं तो आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है ज़ोर कितना बाजु–ए–कातिल में है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ।

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जो कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने सदन में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आंदोलनरत किसानों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी और आंतकवादी कहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले तो यह कहना चाहता हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा उन भाजपा नेताओं के नाम सदन में बताएं, जिन्होंने किसानों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी और आंतकवादी कहा है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात नेता प्रतिपक्ष ने यह कही कि वहां पर किसानों के स्वर्गवास हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या नेता प्रतिपक्ष को ऐसा नहीं लगता कि इस घटना के लिये उनकी ही पार्टी पूरी तरीके से जिम्मेवार है। दिल्ली के बॉर्डर्ज पर जो किसान बैठे हुए हैं और कुछ दिनों के बाद एक किसान का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद दूसरे–तीसरे इस तरह से 60 वर्ष के उम्र के किसानों के स्वर्गवास होते जा रहे थे तो क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यह नैतिक कर्त्तव्य नहीं था कि वहां जाकर उन बूढ़े चाचा–ताऊ किसानों को समझाते और कहते कि आप लोग घर जाकर बैठों, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का टारगेट कुछ और है, इनके टारगेट का कृषि कानून से कोई संबंध नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी का टारगेट सत्ता हासिल करना है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने एक बात लाठी चार्ज के बारे में कही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि लाठी चार्ज का कोई तो मैडिकल प्रूफ होना चाहिए था, जिससे लगे कि वास्तव में लाठी चार्ज हुआ है और लोगों को चोटें आई हैं। लाठी चार्ज किसे कहते हैं, यह बात अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूँ कि श्री कुलदीप बिश्नोई जो इस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं उनके और

उनके समर्थकों के साथ हुआ था। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने घृणा के साथ लाठी चार्ज करवाया था, जिसमें सैंकड़ों की संख्या में तो उनके समर्थकों की गाड़ियों को तोड़ा गया था तथा सैकड़ों की संख्या में ही लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। अध्यक्ष महोदय, इसको लाठी चार्ज करना कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से पूछना चाहता हूँ कि क्या श्री कुलदीप बिश्नोई के समर्थक किसान नहीं थे, वे भी किसान थे और उनके ऊपर घृणा की नजर से लाठी चार्ज किया गया था। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के नेतागण कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तीनों कृषि कानून बिना किसी सलाह के लेकर आई है। अध्यक्ष महोदय, इन कृषि कानून के संबंध में एक मत्वपूर्ण बात सदन को यह बताना चाहता हूँ कि इन कृषि कानूनों पर 19 साल से कार्यवाही चल रही थी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि किसान के बारे में चाहे कितना ही बढ़िया भाषण दे दिया जाए लेकिन उससे किसान का पेट नहीं भरता । जो पार्टी जैसा कर्म करेगी उससे पता चलेगा कि वह किसान हितैषी है या किसान के खिलाफ है । अध्यक्ष महोदय, अतीत में किसान के बारे में बड़ी–बड़ी बातें तो बहुत की गई लेकिन उसके लिए किया कुछ नहीं गया । अब मैं सदन में किसान से संबंधित कुछ आंकड़ें रखना चाहूंगा । मैं गेहूं और जीरी की फसल की खरीद के विषय में कोई जिक्र नहीं करूंगा । अगर ये फसलें हमने ज्यादा खरीदी हैं तो विपक्ष कह सकता है कि आपके समय में इन फसलों का उत्पादन ज्यादा हुआ होगा । अतः मैं इन दोनों फसलों की बात नहीं करूंगा । (विघ्न) मेरे पास इन दोनों फसलों के आंकड़े भी मौजूद हैं और हमने विपक्ष के कार्यकाल से 30 परसैंट ज्यादा जीरी की खरीद की है । पिछली सरकार ने वर्ष 2013–14 में किसान की एक किलोग्राम सरसों भी नहीं खरीदी थी और उस समय सरसों का रेट 3000 रुपये प्रति क्विंटल था । हमारी सरकार ने वर्ष 2020–21 में 7.49 लाख मीट्रिक टन सरसों खरीदी है और किसान को सरसों का 4425 रुपये प्रति क्विंटल भाव दिया है । इससे पता चलता है कि किसान हितैषी कौन है । अध्यक्ष महोदय, विपक्ष ने बाजरे के विषय पर बयान तो बहुत दिए लेकिन वर्ष 2013–14 में किसान का एक किलोग्राम बाजरा भी नहीं खरीदा गया और उस समय बाजरे का रेट 1250 रुपये प्रति क्विंटल था । हमारी सरकार ने वर्ष 2020–21 में 7,36,314.5 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा है और किसान को बाजरे का 2150 रुपये प्रति क्विंटल भाव दिया है । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013–14 में किसान का एक किलोग्राम चना भी नहीं खरीदा गया और उस समय

चने का रेट 3000 रुपये प्रति क्विंटल था । हमारी सरकार ने वर्ष 2020–21 में 10,636.46 मीट्रिक टन चना खरीदा है और किसान को चने का 4875 रुपये प्रति क्विंटल भाव दिया है । वर्ष 2013–14 में सूरजमुखी का न तो एम.एस.पी. था और न ही सरकार द्वारा इसे खरीदा गया था । हमारी सरकार ने वर्ष 2020–21 में 16,207 मीट्रिक टन सूरजमुखी खरीदी है और किसान को सूरजमुखी का 5650 रुपये प्रति क्विंटल भाव दिया है । पिछली सरकार के समय वर्ष 2013–14 में मक्के का न तो एम.एस.पी. था और न ही सरकार ने एक किलोग्राम भी मक्का खरीदा था । हमारी सरकार ने वर्ष 2020–21 में 4016.55 मीट्रिक टन मक्का खरीदा है और किसान को मक्के का 1850 रुपये प्रति क्विंटल भाव दिया है । (विघ्न) मैंने यही कहा है कि हमने फलां फसल फलां मीट्रिक टन खरीदी है । मैंने यह नहीं कहा कि हमने फलां फसल सारी खरीदी है लेकिन ये फसलें पिछली सरकार ने तो एक किलोग्राम भी नहीं खरीदी थी । पिछली सरकार के समय वर्ष 2013–14 में मूँग का न तो एम.एस.पी. था और न ही सरकार ने एक किलोग्राम भी मूँग खरीदी थी । हमारी सरकार ने वर्ष 2020–21 में 1099.65 मीट्रिक टन मूँग खरीदी है और किसान को मूँग का 7196 रुपये प्रति क्विंटल भाव दिया है । अतः हमने इन सभी फसलों को खरीदा है । अब मैं अपनी सरकार और पिछली सरकार में फसलों के भाव के अन्तर को बताना चाहूंगा । पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के 5 साल में गेहूं का रेट 270 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया था और हमने अपने कार्यकाल के 5 साल में गेहूं का रेट 575 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है । पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के 5 साल में धान का रेट 290 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया था और हमने अपने कार्यकाल के 5 साल में धान का रेट 558 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है । पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के 5 साल में सरसों का रेट 1220 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया था और हमने अपने कार्यकाल के 5 साल में सरसों का रेट 1375 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है । पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के 5 साल में बाजरे का रेट 410 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया था और हमने अपने कार्यकाल के 5 साल में बाजरे का रेट 900 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है । पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के 5 साल में चने का रेट 1270 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया था और हमने अपने कार्यकाल के 5 साल में चने का रेट 1875 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया है । पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल के 5 साल में सूरजमुखी का रेट घोषित ही नहीं किया था और हमने सूरजमुखी का रेट 5650 रुपये प्रति क्विंटल दिया है । पिछली

सरकार ने अपने कार्यकाल के 5 साल में मक्के का भी रेट घोषित नहीं किया था और हमने मक्के का रेट 1850 रुपये प्रति क्विंटल दिया है । पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 18 परसैंट से घटाकर 9 परसैंट कर किया था । इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हमारी सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 9 परसैंट से घटाकर 0 परसैंट कर दिया है । हमारी सरकार ने 'किसान समृद्धि योजना' के तहत हर किसान के खाते में 6000 रुपये प्रतिवर्ष देने का काम शुरू किया है । **(इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए ।)** उपाध्यक्ष महोदय, कहा जा रहा था कि इस सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया । इस समय सदन में माननीय सदस्य श्री शमशेर सिंह गोगी जी बैठे नहीं हैं । वे कह रहे थे सरकार सिर्फ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दे । इसके अलावा किसानों को कुछ नहीं चाहिए । स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि किसानों की फसल की उत्पादन लागत घटानी चाहिए । हमने अढ़ाई–तीन एकड़ जमीन के किसान द्वारा फसल पैदा करने के लिए 6 हजार रुपये प्रतिवर्ष डालकर उसके लगभग सारे खर्च घटा दिए हैं । हमने किसान को बीज, खाद आदि के पैसे ही दे दिए । जहां तक किसानों को फसल का मुआवजा देने की बात है तो हमने पिछले 6 सालों में 6 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा मुआवजा दिया है । ये सारी बातें सिद्ध करती हैं कि हमने जो किसानों की भलाई के लिए काम किये हैं, वे बेमिसाल हैं। लेकिन विपक्ष के लोग इससे सैटिसफाईड नहीं हैं, इसलिए ये लोग गड़बड़ करवाकर अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। अव्यवस्था फैलाने वाले और लोग हैं, लेकिन ये उसका सहयोग कर रहे हैं। विपक्ष के माननीय सदस्य कोई ऐसा उदाहरण बताएं जिसमें आज तक आंदोलनकारियों ने कहीं पर बैरीकेड तोड़े हों। ऐसा कोई एक उदाहरण हिन्दुस्तान के इतिहास का बता दें जिसमें आंदोलन के दौरान लोगों द्वारा ट्रैक्टर से बैरीकेड तोड़े गये हों। इस किसान आंदोलन के दौरान बैरिकेड तोड़े गये।

श्री बिशन लाल सैनीः उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः बिशन लाल जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री कंवर पालः उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य कोई ऐसा उदाहरण बता दें जिसमें आंदोलन के दौरान कोई लाल किले पर चढ़ा हो। माननीय सदस्य जब प्रेस से रूबरू हों, उस दौरान इसका जवाब दे दें। सरकार ने इस

मामले की इन्कवायरी करवाकर जिन अपराधियों को पकड़ा था, उनका पक्ष रखने के लिए विपक्ष के लोगों की तरफ से 70 वकीलों की टीम तैयार करके भेज दी। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने कल कहा था कि वह उस घटना की निन्दा करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगा कि यह कैसी निन्दा है जिसके पक्ष में 70 वकीलों की टीम तैयार करके भेज दी। विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कैमला की घटना का बार–बार जिक्र किया गया। वहां मौके पर पुलिस भी थी। उस दौरान डिस्टर्ब करने वाले केवल 200 आदमी थे और पुलिस के 1,000 से ज्यादा अधिकारी/कर्मचारी थे। पुलिस उनके ऊपर अव्यवस्था फैलाने के एवज में कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार जानती है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या था? इसके पीछे यही उद्देश्य था कि किसी तरीके से सरकार को लाठीचार्ज करवाने और गोलियां चलवाने के लिए मजबूर किया जाए। फिर इस सरकार को पूरी दुनिया में बदनाम कर दें। लेकिन सरकार षड़यंत्रकारियों के झांसे में नहीं आयी, परन्तु विपक्ष के लोग भी उनका कहीं न कहीं समर्थन कर रहे थे।

श्रीमती शकुंतला खटक: उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक: उपाध्यक्ष महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। कोई भी माननीय सदस्य बीच में न बोले। जब आपका बोलने का नम्बर आए तब आप अपनी बात रख लेना।

श्री कंवर पाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 26 जनवरी से 15 दिन पहले भी कहा था कि सरकार बल प्रयोग नहीं करेगी तो वे लोग सरकार को इसके लिए मजबूर करेंगे। इसके लिए चाहे उनको लाल किले से झंडा क्यों न उतारना पड़े ? परन्तु सरकार ने किसी को कुछ नहीं कहा। अभी थोड़ी देर पहले माननीय सदस्य डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान जी कह रहे थे कि किसानों की जमींनों पर कब्जा हो जाएगा। यहां पर सदन में सभी माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। आप यह बताएं कि किसानों की जमींनों पर कब्जा कैसे हो जाएगा ? इसके अतिरिक्त कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य बार–बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को गांवों में नहीं घूसने दिया जा रहा है। मुझे इस बात का दुःख है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब ने ब्यान दिया कि इनको गांवों में न घूसने दें और उस दौरान डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान साहब भी उनके साथ थे। उन्होंने भी कहा कि इनको गांवों में न घूसने दें। इस प्रकार लोकतंत्र कैसे चलेगा ? लोकतंत्र तो संवाद से ही

चलता है। कोई लोकल आदमी इस प्रकार की बात कह दे तो कोई बात नहीं होती, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेवार आदमी हैं। इनकी जिम्मेवारी इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि ये 9 योजनाओं से जन प्रतिनिधि बनते आ रहे हैं। लोगों ने 45 साल से इनको यह कहकर अपने कंधों पर बैठा रखा है कि आप ही हमारे नेता हैं। इसलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष की लोकतंत्र के प्रति जिम्मेवारी ज्यादा हो जाती है। शायद, यहां पर बैठे हुए माननीय सदस्यों के परिवारों में से कोई भी संविधान बनाने वाली टीम में नहीं था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ऐसे नेता हैं जिनके पिता जी संविधान बनाने वाली टीम में थे। इसलिए संविधान की रक्षा करने के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी और भी ज्यादा हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को कोई बात गलत लगती है तो उसका समाधान संवाद से निकाला जा सकता है। आर्य समाज ने कहा कि खंडन–मंडन होना चाहिए। पहले समाज में बहुत बुराईयां थी और उन्होंने कहा कि इनको दूर करने के लिए चर्चा होनी चाहिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष की पुश्तें ऐसी हैं जिन्होंने शिक्षा के प्रचार का काम किया है। दूसरों की भलाई के लिए काम किया है और खंडन–मंडन भी किया है। आज इस तरह की बातों की जरूरत क्यों पड़ रही है ? यह जरूरत इसलिए पड़ रही है कि किसी तरीके से सरकार और लोगों में टकराव पैदा किया जाए। विपक्ष के माननीय सदस्यों की सोच टकराव पैदा करने की है, परन्तु हमारी सरकार की सोच चीजों का समाधान करने की है।

श्रीमती शकुंतला खटकः उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः शकुंतला जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सोच संवेदनशीलता की है। हमारी यही सोच है कि संवेदनशील बनो, संवेदनहीन न बनो। धरने पर जो हमारी बहन–बेटियां बैठी हैं, सरकार उनसे बात करके उनकी समस्या का समाधान करे। हमने टकराव पैदा करने की कोई बात नहीं की है।

12.00 बजे

श्री कंवर पाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर हमारी सरकार की सोच किसानों के बीच टकराव पैदा करने की होती तो इतने बड़े आंदोलन में कहीं न कहीं लाठीचार्ज जरूर होता। इस बात को आप भी भलीभांति जानते हो। जब हमारे पास हजार से अधिक पुलिस कर्मी खड़े थे तो उस समय सिर्फ 200 किसान थे परन्तु हमने फिर भी लाठीचार्ज नहीं किया था।

हमने लाठीचार्ज इसलिए नहीं किया क्योंकि किसानों से हमारी टकराव करने की मंशा ही नहीं थी। (विघ्न)

श्रीमती शकुंतला खटक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसान आंदोलन के बारे में कहना चाहती हूं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : शकुंतला जी, आप प्लीज बैठ जायें।

श्री कंवर पाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले यह बात कहना चाहता हूं कि मैं इनसे केवल एक बात कहना चाहूंगा कि इन तीनों कृषि कानूनों में किस बात की कमी है? उस बारे में बताया जाये। ये लोग इस महान सदन में जो भी इन कृषि कानूनों के बारे में बातें करेंगे, उन बातों को हरियाणा प्रदेश की जनता सुनेगी। तब पता चलेगा कि इन तीनों कृषि कानूनों में कमी किस बात की है लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने इन तीनों कृषि कानूनो में कोई कमी नहीं बता पाये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कादियान जी से कहना चाहता हूं कि किसानों को डराने का काम न किया जाये कि उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जायेगा। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब से मैंने इन तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा करनी शुरू की है तब सरकार ने कहा कि ये तीनों कृषि कानून केन्द्र सरकार के द्वारा बनाये गये हैं इसलिए हमारी पार्टी ने इस सदन में चर्चा नहीं की। इनकी तरफ से यह कहना कि इन कानूनों को हरियाणा सरकार ने नहीं बनाया है ये तो केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये हैं। इन्होंने एग्रीकल्चर की डेफीनेशन ही बदल दी। (विघ्न)

श्री कंवर पाल : हुड्डा साहब, हरियाणा प्रदेश की जनता आपकी और हमारी तरफ देख रही है। आपको लगता है कि आप यहां पर अपनी बात करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जायेगी। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इन तीनों कृषि कानूनों पर दो घंटे के लिए इस सदन में चर्चा का समय रखा जाये उसके बाद ही हम इन तीनों कृषि कूननों की कमियां को बतायेंगे।

श्री कंवर पाल : हुड्डा साहब, हमारी सरकार कभी भी इन तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा करने से पीछे नहीं हटी है। हम तो आज भी इन पर चर्चा करने के लिए तैयार बैठे हैं।

श्री ईश्वर सिंह (गुहला) (एस.सी.) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया। मैं उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। इस सदन में किसान आंदोलन पर चर्चा हो रही है और इस आंदोलन में ऐसे–ऐसे उदाहरण पेश किए जा रहे हैं जैसे एक धनी व्यक्ति कहता है कि ये सारी मलकियत मेरी है और मैं ही इसका मालिक हूं। किसान दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं और इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। वे इसके हकदार हैं और अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। कुछ सरकार की समस्याएं भी होती हैं और कुछ सरकार की उपलब्धियां भी होती हैं जिसको कांग्रेस पार्टी द्वारा दरकिनार कर दिया गया है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक ही मुद्दा है कि सत्ता पक्ष के सदस्य गांवों में जाकर दिखा दे। किसी के परिवार में बैठकर दिखा दे। अब यह बात यहां पर आकर नहीं रूकी है। अब इस बात की भी नौबत आ गई है कि अगर प्रदेश में किसी के यहां आकस्मिक मौत हो जाती है तो उसके परिवार में जाकर दिखा दे। अब यह बात भी दोहराने लग गये हैं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना मैं समझता हूं निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाये उतनी कम है। अगर आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती तब तो इनको बहुत बढ़िया लगता। आज इनको यह बात अच्छी नहीं लगती। आज कांग्रेस पार्टी किसानों की ठेकेदार बनी हुई है। मैं जिस वर्ग से आता हूं। मेरे वर्ग के लोग मजदूरी करते हैं, सीरी का काम करते हैं, साझी का काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, जीरी लगाने का काम करते हैं, कनक काटने का काम करते हैं, तूड़ी उठाने का काम करते हैं, मशीनें चलाने का काम करते हैं और यहां तक ट्रैक्टर भी चलाने का काम करते हैं। उसके बावजूद भी हमारे लोग किसी भी खाते में नहीं आते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि हमारे कितने लोगों को पदाधिकारी बनाया है। जब देखो किसानों का ढ़िंढौरा पिटने में लगे रहते हैं। यह बात बता दो कि हमारे कितने लोगों को सैक्रेटरी बना रखा है और कितने लोगों को वाइस प्रेसिडेंट बना रखा है। पहली बात तो यह है कि एक गरीब आदमी को वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। हमारे गरीब लोगों की कोई जात ही नहीं पूछी जाती है। हमारे लोगों में भी तो हमदर्दी हो सकती है परन्तु हम लोगों को आज भी अछूत समझा जाता है इसलिए हम लोगों को यहां से हटा रखा है। मैं यह बात किसी को पसर्नली तौर पर नहीं कह रहा हूं। (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री ईश्वर जी को कहना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा इस प्रस्ताव से बाहर हो रही है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कादियान जी, प्लीज आप बैठ जायें। ईश्वर जी को अपनी बात रखने दीजिए और इन्होंने ऐसी कौन सी बात कह दी जो आपको अच्छी न लगी हो। (विघ्न)

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Deputy Speaker Sir, it is your duty. It is the duty of the Chair. Deputy Speaker Sir, you are the custodian of the House. This is an attack on federalism. उपाध्यक्ष महोदय, ईश्वर सिंह जी को आप कह दें कि ये अपने दायरे में रहकर बात करें। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों की ठेकेदार बनी हुई है जो कि ठीक नहीं है इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए इसलिए हम इनके वजूद को रिकग्नाइज करते हैं। हम कमेरे वर्ग की बात करते हैं। (विघ्न)

श्री ईश्वर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सदन में कमेरे वर्ग के हितों की बात कर रहा हूं। (विघ्न) इन्होंने आपके सामने इस बात को साबित कर दिया है कि मैं इतना सुपीरियर हूं कि मैं ही इस सदन के अंदर बोल सकता हूं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि इतने सुपीरियर मत बनो क्योंकि आप इस सदन के बहुत ही सम्मानित सदस्य हो। हम इनका मान–सम्मान भी करते हैं। मैंने इनको ऐसे कौन से शब्द कह दिये? उपाध्यक्ष जी, जब ये बोलते थे तब तो ठीक था। मेरी बात में दम है इसीलिए विपक्ष के साथियों को मेरी बात चुभी है। जिस सरकार के खिलाफ विपक्ष के साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आये हैं उस सरकार की उपलब्धियों को गिनवाने के बजाय मैं विपक्ष के साथियों की सरकार की वर्तमान सरकार के साथ तुलना करता हूं। उपाध्यक्ष जी, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी बहुत सीनियर सदस्य और बहुत ही अनुभवी नेता हैं जो लगातार 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मैं यह बताना चाहता हूं कि उनके शासनकाल के दौरान मिर्चपुर में एक घंटे के अंदर दलितों के 19 घरों को जलाकर राख कर दिया था। वहां पर एक बुजुर्ग और उसकी बेटी जिंदा जल गये थे। उस समय यह हुआ था कि वह अपाहिज लड़की थी उसका बुजुर्ग बाप उसको उठाने के लिए घर के अंदर गया था लेकिन आग ज्यादा बढ़ जाने के कारण दोनों बाहर नहीं आ सके और दोनों ही जिंदा जल गये थे। मैंने एक सप्ताह तक इंतजार किया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कोई

कार्यवाही करेंगे लेकिन एक सप्ताह तक जब सरकार के स्तर पर कुछ नहीं किया गयाा तो मैं और मैडम शैलजा वहां पर गये थे। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री जी 11 दिन के बाद मिर्चपुर में पता लेने गये थे कि मिर्चपुर में क्या हुआ था। इसी प्रकार से गुहन गांव के अंदर जो दलित उजड़ गये थे वे भी अभी तक वापिस नहीं आये हैं। ऐसे ही हरसोला गांव के उजड़े हुए दलित भी अभी तक गांव में वापिस नहीं आये। इसी तरह से कोलेखां गांव के उजड़े हुए दलित भी अभी तक गांव में वापिस नहीं आये।

श्री उपाध्यक्ष : ईश्वर सिंह जी, आप कृपा करके जल्दी वाईंड–अप करें।

श्री ईश्वर सिंह : उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे से बढ़िया किसान कोई हो ही नहीं सकता। असली किसान तो हम ही हैं। (शोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर सर, मैं एम.ए.एल.एल.एम. पास हूं। मैं कोई अनपार्लियामैंट्री वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से हमारा गुरू रविदास का मंदिर तोड़ दिया गया था। वहां पर पांच एकड़ जमीन पर सरकार द्वारा गुरू रविदास के मंदिर को बनाने की अनाउंसमैंट की गई है। इस प्रकार से वहां पर सरकार द्वारा एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाया जायेगा। डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को यह बताना चाहता हूं कि प्रदेश के किसानों के लिए जितनी बड़ी स्कीमें वर्तमान सरकार ने दी हैं इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। यहां पर यह बात की गई कि किसान की जीरी बिकी है। हरियाणा प्रदेश में पहली बार जीरी बेचने की एक मिसाल मिली है कि प्रदेश के किसी भी किसान को अपनी जीरी बेचने के लिए रात को मण्डी में नहीं ठहरना पड़ा। इसके लिए सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाये वह कम है। किसानों को अपनी जीरी बेचने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो इसलिए वर्तमान सरकार द्वारा सैलरों के अंदर परचेज सैंटर बनवाकर जीरी बिकवा दी गई है। इस प्रकार से किसानों की जीरी की फसल बेचने के समय में मण्डियों में किसी भी प्रकार की कोई भीड़ नहीं हुई। कोई भी किसी भी आधार पर यह नहीं कह सकता कि इस बार जीरी की फसल की बिक्री के समय हरियाणा प्रदेश के किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हुई है। (शोर एवं व्यवधान) डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को यह बताना चाहता हूं कि सभी किसी न किसी रूप में किसान के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरे रिश्तेदार और मेरे सगे सम्बन्धी किसान के रूप में काम कर रहे हैं।

क्या वे सभी किसान नहीं हैं? किसान की सिर्फ पोलिटिकल भाषा बोल कर उसका ठेकेदार बन जाना कि हम ही हमदर्द हैं, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। उससे समाज में कटुता पैदा हो जायेगी, उससे भाईचारा खत्म हो जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो ठेकेदार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। अन्नदाता तो स्वयं में ही ठेकेदार है जो सारी जनता का पेट भरता है। माननीय सदस्य केवल यह बता दें कि वे अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में हैं या विरोध में हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः ईश्वर सिंह जी, आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री ईश्वर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अविश्वास प्रस्ताव सदन में आया है वह गलत आया है और मैं इसका विरोध करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री नयन पाल रावत (पृथला): उपाध्यक्ष महोदय, कई दिनों से सदन में किसानों का मुद्दा चला आ रहा है जिस पर आज विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। इस देश और प्रदेश पर आजादी के बाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। उन्होंने किसानों के बारे में कभी नहीं सोचा। आज हमारे कांग्रेस के साथी कहते हैं कि उप–मुख्यमंत्री की कुर्सी किसानों के खून से दागित है जबकि कांग्रेस का तो दामन ही किसानों के खून से सना हुआ है। श्री मनोहर लाल जी की सरकार से पहले हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी जो सी.एल.यू. के नाम पर लोगों की जमीन हड़पने का काम करती थी। वह सरकार सैक्शन–4 और 6 के नोटिस जारी करके औने–पौने दामों में किसानों की जमीन बेचती थी। इसी प्रकार से यूरिया की दलाली किसी से छिपी हुई नहीं है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद यूरिया को नीम कोटिड कर दिया गया है। इन्होंने कभी किसानों को यूरिया नहीं पहुंचाया और न ही कभी समय पर डी.ए.पी. उपलब्ध करवाया। अब हमें पता चला है कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों को दोनों हाथों से लूटा है। माननीय मोदी जी और मनोहर लाल जी ने किसानों को बचाने और बसाने का काम किया है। किसानों के हित के लिए केन्द्र सरकार ने तीन कानून बनाए हैं वे किसानों के हित में हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार यह बात साफ कर चुकी हैं कि एम.एस.पी. पर खरीद की जायेगी। जहां तक कांट्रैक्ट फार्मिंग की बात है तो हुड्डा साहब की सरकार के समय में कांट्रैक्ट फार्मिंग का

कांसैप्ट आया था। हुड्डा साहब ** मुख्यमंत्री थे और हमारे श्री मनोहर लाल जी असली किसान हितैषी मुख्यमंत्री हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ** शब्द कहे हैं उसके बारे में मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य ने जो ** शब्द कहा है उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री नयन पाल रावतः उपाध्यक्ष महोदय, श्री मनोहर लाल जी प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए खड़े हुए हैं। कांग्रेस ने कभी किसान आंदोलन के नाम पर और कभी जाट आरक्षण के नाम पर इस प्रदेश की जनता के हितो पर कुठाराघात किया है। इसके लिए प्रदेश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के श्री नवजोत सिधू एम.एल.ए. अपनी सरकार को यह कहते हैं कि आप भी हरियाणा सरकार की किसानों की नीतियों को अपनाईये, इसमें पंजाब के किसानों का भी भला हो जाएगा। हमारी सरकार गन्ने का रेट 350/–रुपये प्रति क्विंटल दे रही है। बराबर में पंजाब में 330/–रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव दिया जा रहा है। हमारी सरकार मक्का का रेट 1850/–रुपये प्रति क्विंटल दे रही है। बराबर में पंजाब में 1000/–रुपये प्रति क्विंटल मक्के का भाव दिया जा रहा है। हमारी सरकार बाजरा 2100/–रुपये प्रति क्विंटल में खरीद रही है। राजस्थान में 1100/–रुपये प्रति क्विंटल बाजरे का भाव दिया जा रहा है। किसानों के हितैषी हमारी मनोहर लाल की सरकार हुई या कांग्रेस की सरकार हुई। कौन कहता है कि कांग्रेस पार्टी किसानों की हितैषी है। मैं एक जोक सुनाना चाहता हूं कि एक कोई विदेशी सेठ हरियाणा के किसी गांव में आ गया, उसने किसी मदारी को बन्दर को नचाते हुए देखा। उस बन्दर का नाम सुखचैन था। जब वह मदारी उस बन्दर को सिक्का निकालने के लिए कहता था तो वह सिक्का निकाल देता था। उस विदेशी सेठ ने देखा कि यह बन्दर तो बहुत अच्छा है जो पैसे निकाल रहा है क्योंकि जब वह मदारी उस बन्दर को कहता था कि सुखचैन पैसे निकाल तो वह सुखचैन नाम का बन्दर पैसे निकाल देता था। अगर आप कांग्रेस पार्टी के लोग इसी तरह से पैसे कमाने के चक्कर में रहे तो आप

**चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

इसमें अकेले रह जाएंगे। हुड्डा साहब तो जैसे–तैसे निकल जाएंगे। जब उसने देखा तो उसके एक–दो सिक्के थे। विदेशी बोला निकाल भाई सुखचैन। सुखचैन पर दो–चार सिक्के थे। वह खत्म हो गये। अब सुखचैन तो मना कर गया कि सिक्के नहीं हैं। वह कहने लगा कि खूब लिया सुखचैन लेन–देन में कुछ नहीं सूखे मारे नैन। कांग्रेस सरकार में तो लेन–देन की बात होती थी वह हमारी सरकार में नहीं होती है।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना) : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज जो मुद्दा सदन में है इससे गम्भीर मुद्दा पहले कभी सदन में नहीं आया। आज सारा हरियाणा चिन्तित है कि हरियाणा की विधान सभा में कौन सा विधायक किसका पक्ष लेगा लेकिन इस गम्भीरता को देखते हुए आप सभी अपने विचार रखिये और अपनी आत्मा की आवाज से वोट दीजिए। कहीं किसी के बन्धन में आकर वोट मत देना इसलिए हमारी आत्मा जो मानती है उसी हिसाब से हम अपने विचार रखेंगे। आपकी समझ में आए तो देख लेना। यह जो किसान आन्दोलन है उसको 100 दिन से ज्यादा दिन हो गये हैं। इस आन्दोलन में जो लोग कड़ाके की सर्दी, बरसात और अब गर्मी आने वाली है अपने परिवारों को छोड़कर बोर्डर पर डटे हुए हैं। आप इस तरह से अपने परिवार को छोड़कर एक दिन भी कहीं बिताकर आईये तो पता चलेगा कि उनकी वहां क्या हालत होगी। इस आन्दोलन को खत्म करने के लिए बी.जे.पी ने बहुत संगोष्ठियां की हैं। ट्रैक्टर रैलियां निकालने की कोशिश की गई लेकिन हर एरिया में पब्लिक ने उनके साथ क्या किया। बी.जे.पी. ने गांव–गांव में जाकर लोगों को समझाने की कोशिश की लेकिन क्या हुआ क्योंकि अब लोग समझ गये हैं। आगे ऐसा समय आएगा जिसमें लोग समझाएंगे। जो लोग समझ चुके हैं वे लोग आगे समझाएंगे। अभी भी आप लोगों ने उन किसानों को षड़यंत्रकारी की संज्ञा दी है। संसदीय कार्यमंत्री ने किसानों को षड़यंत्रकारी कहा है। (शोर एवं व्यवधान) देश का दुर्भाग्य यह है कि इस देश के जितने भी कृषि मंत्री हुए है। जैसे बी.जे.पी. के राधाकृष्णन ने तो यह कहा है कि किसान आत्म हत्या इसलिए करते हैं कि वे नामर्द हैं और डग्र्ज के अडीक्ट हैं और हरियाणा के कृषि मंत्री ने किसानों को षड़यंत्रकारी कहा है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): उपाध्यक्ष महोदय, जो किसानों को षड़यंत्रकारी कहने की बात मुझ पर थोपी जा रही है, ऐसे शब्दों का प्रयोग मैंने कभी नहीं किया। वास्तव में ऐसे शब्दों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के लोग

ही करते हैं। मैंने अगर कुछ बोला है तो केवल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही बोला है। मैं खुद किसान हूँ। किसान मेरे माईबाप हैं। मैं किसान की इज्जत करता हूँ। किसान के हित के लिए काम करता हूँ और कांग्रेस पार्टी की भर्तसना करता हूँ जो किसानों का शोषण करने का काम करती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, मैं डेटवाइज सारे बयानों के बारे में बताऊंगा। हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री जो आजकल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हैं, ने बयान दिया था कि किसान कायर और अपराधी है। यही नहीं मेरे सामने बैठे कृषि मंत्री ने शहीद किसानों के बारे में कहा था कि इनको तो मरना ही था, अगर वह दिल्ली बार्डर पर नहीं मरते तो घर पर मरते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलालः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का शोषण करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ने भोले–भाले किसानों का सदा ही शोषण करने का काम किया है। इसके लिए कांग्रेस के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री को अपने बयानों के लिए शहीद किसानों से माफी मांगनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलालः उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 साल से केवल मात्र किसानों का शोषण करने का ही काम किया है। किसान को गरीब रखा है और ये लोग किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते रहे हैं। ये लोग किसान विरोधी हैं और अपने निजी स्वार्थों के कारण इन्होंने किसानों को दिल्ली बार्डर पर बैठा रखा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से कृषि मंत्री जी ने किसानों के प्रति बयान दिया है उसके लिए इनको किसानों से माफी मांगनी चाहिए और साथ ही दलाल खाप से भी माफी मांगने का काम करना चाहिए कि इनसे गलती हो गई है और वे इन्हें अपनी खाप में शामिल कर लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी खाप व समाज से जब चाहे माफी मांग सकता हूँ लेकिन कांग्रेस के लोगों से माफी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मुझे उनके बयानों को स्पष्ट करने की बात कही थी, वह मैंने पूरे सदन को बता दी है। अगर दूसरे लोगों के बयानों के बारे में भी कहें तो मैं बता सकता हूँ। ये लोग कहते हैं कि किसानों का

मरना तो फैशन हो गया है, इनको मरना है तो मरने दो और इनकी कोई परवाह न करो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलालः उपाध्यक्ष महोदय, जीना मरना उपर वाले के हाथ में है लेकिन ये लोग किसानों को बहकाकर दिल्ली बार्डर पर ले गए थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोगों पर किसानों को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया जाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयवीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, आज किसान भोला नहीं है वह अपने अच्छे बुरे की हर बात समझता है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, देश में 15–16 करोड़ किसान परिवार हैं और हरियाणा में 16 लाख किसान परिवार हैं। आज किसान की हालत क्या है 86 प्रतिशत ऐसे मार्जिनल फारमर्ज हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है। एक ग्रामीण वित्तीय सर्वेक्षण रिपोर्ट है जोकि 16 अगस्त, 2019 को प्रकाशित हुई थी, बताती है कि देश का हर एक किसान परिवार एक लाख से उपर का कर्जदार है और उसकी मासिक आय छह हजार से नो हजार के बीच में है। किसान की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो गई है। आज देश में 50 प्रतिशत एम्पलॉयमैंट या काम खेती से प्राप्त होता है और इसी से आजीविका कमाकर लोग गुजारा करते हैं और 30 परसेंट जो यहां बैठे हैं, शहरों में बड़े बड़े शोरूम खोलकर, वे शोरूम किसान के बल पर ही चलते हैं। किसान जब कोई चीज खरीदता है तो वह टैक्स देता है जो सरकार को जाता है अर्थात सरकार को किसान ही तो चला रहा है। जिस दिन किसान की आमदनी बंद हो जायेगी उस दिन ये बड़े–बड़े शोरूम बंद हो जायेंगे, अतः इस बात को बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार शोरूम से नहीं बनती है। माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि किसानों ने ही हमें यहां पर चुनकर भेजा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी को बैठ जाना चाहिए। मैं इनके बारे में भी सदन को बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के वर्ष 2014 के लोक सभा के इलेक्शन में 44 पेज के मैनिफैस्टों में कहा गया था कि ये किसान की लागत के साथ में 50 परसेंट मुनाफा जोड़कर देंगे लेकिन दुर्भाग्य देखिए 20 फरवरी, 2015 को इसी पार्टी की तरफ से सैंटर गवर्नमैंट की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया गया कि ये लागत के साथ 50 परसेंट मुनाफा

जोड़कर किसान को नहीं दे सकते। अगर ऐसा है तो फिर आय को दोगुनी करने की बात क्यों की जा रही है? उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चरल एकोनोमिस्ट का सर्वे कहता है कि यदि किसानों की आमदनी 10.4 परसेंट के हिसाब से बढ़ती है तब जाकर किसान की आय दोगुनी हो सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इन तीनों काले कृषि कानूनों के बारे में सदन को कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः मलिक साहब, आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है, बाकि माननीय सदस्यों को भी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना है, इसलिए आप अपनी स्पीच समाप्त कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों के साथ हमेशा घोटाले ही हुए हैं जैसे– चालव घोटाला, सरसों घोटाला, सब्सिडी घोटाला, बीज घोटाला, मृदा कार्ड घोटाला, फसल बीमा योजना का घोटाला इस तरह से न जाने कितने घोटाले इस सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः मलिक साहब, प्लीज अब आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कांग्रेस पार्टी द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो आपकी अनुमति से सदन से कहना चाहता हूँ कि यह बात सही है कि किसान की हालत 60–70 वर्षों से कमजोर रही है। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरीः उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे साथी को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः बहन किरण जी, हर मैम्बर की बोलने की समय सीमा निर्धारित की हुई है और मलिक साहब को तो बोलने का समय ज्यादा दिया गया है, बाकी सदस्यों को भी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मौका मिलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटकः उपाध्यक्ष महोदय, आप हमें बोलने से नहीं रोक सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, आप मलिक साहब को बोलने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः बहन जी, बोलने के लिये कौन रोक रहा है, लेकिन बाकी मैम्बर्ज को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यगण वेल में आकर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर उनको बोलने के लिये ज्यादा समय देने बारे तर्क–वितर्क करने लगे लेकिन कुछ ही देर बार वे वापिस अपनी–अपनी सीटों पर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष : मलिक साहब, आप 2 मिनट में वाइंड अप कीजिए ।

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एम.एस. पी. खत्म नहीं होगी । मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व कृषि प्रधान और जो हमारे प्रदेश में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं उन्होंने कहा है कि यह व्यवहारिक नहीं है और यह लागू नहीं हो सकता । हरियाणा की मार्केट कमेटी के पूर्व सी.ए. ने 29.6.2020 को एक लैटर लिखा है । उसमें लिखा है कि –

"under your domain at Headquarter or in the field. This information is required in wake of the acute financial constraints that the Board is facing and the attention is likely to worsen in times to come. The self-explanatory note on how much staff is required most essentially i.e. bare minimum, how much can be spared for deployment in other departments. This report must reach by Wednesday i.e. 01.07.2020.

सी.ए. की इस चिट्ठी में कहा गया है कि उन कर्मचारियों की लिस्ट भेजो जो दूसरे विभागों में भेजे जा सकते हैं । मार्केटिंग बोर्ड पर 450 करोड़ रुपये का कर्ज है । वहां पर चोरियां होती हैं और भारी अनियमितताएं बरती जाती हैं । मार्केटिंग बोर्ड पर हर साल 50 करोड़ रुपये का कर्ज बढ़ जाता है जबकि पहले मार्केटिंग बोर्ड सरकार की आमदनी का साधन होता था । पहले यह महकमा मेरे पास रहा है । इस विभाग से पहले दूसरे विभागों को पैसे दिए जाते थे लेकिन आज यह विभाग स्वयं ही कर्जदार है । कहा जा रहा है कि ये कानून काले कैसे हैं ? मेरे पास इन कानूनों का सारा लेखा–जोखा है । सरकार मध्य प्रदेश सरकार से मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की हरदा विधान सभा क्षेत्र और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री की सिहोर विधान सभा क्षेत्र तथा होशंगाबाद की मण्डियों में 1 मई, 2020 को ये कानून बनने के बाद वहां की मण्डियों में होने वाली घटनाओं की रिपोर्ट मंगवा ले । मैंने माननीय कृषि मंत्री जी को उन घटनाओं की वीडियो भेजी है । मैं

चाहूंगा कि वे उसे देख लें । (विघ्न) वहां पर किसानों के साथ कई–कई करोड़ रुपये के धोखे हुए हैं । इसके अतिरिक्त इन कृषि कानूनों में एक कानून के सैक्शन–9 में यह प्रावधान किया गया है कि स्पोंसर लोन ले सकता है । मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के किसानों की 10–10 एकड़ जमीन पर 4.5 करोड़ रुपये में मॉर्टगेज की गई है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मलिक साहब, क्या आप सदन को उस क्लॉज के बारे में बता सकते हैं जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सत्तापक्ष के माननीय सदस्य कृषि कानून का सैक्शन–9 पढ़ लें । अगर मैं सैक्शन–9 को सदन में पढ़ूंगा तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा । (शोर एवं व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि government of the people, by the people, for the people. आज सारे देश का किसान चाहता है कि ये काले कानून वापिस हों और किसानों का सरकार के साथ टकराव खत्म हो । (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मलिक साहब, आप तो सीनियर मैम्बर हो । अगर आपकी कोई बात रह गई हो तो आप उसे लिखित में दे दीजिए । हम उसे विधान सभा की प्रोसीडिंग्ज में ऐड करवा देंगे ।

***श्री जगबीर सिंह मलिक :** ठीक है उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विषय से संबंधित कुछ कागजात विधान सभा के पटल पर रख देता हूं । आप उसे विधान सभा की प्रोसीडिंग्ज में ऐड करवा देना ।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं भाजपा के राज में हुए घोटालों के बारे में बताना चाहूंगा । भाजपा सरकार के राज में शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, चावल घोटाला, दवा खरीद घोटाला, शुगर मिल सिरा घोटाला, सरसों खरीद घोटाला, रोहतक में एलिवेटेड पार्किंग घोटाला, किलोमीटर स्कीम घोटाला, ग्वाल पहाड़ी घोटाला, जमुना रेत खनन घोटाला, अरावली खनन घोटाला, बिजली मीटर घोटाला, रोडवेज टिकट घोटाला, ओवरलोड वाहन घोटाला, सोनीपत पशु विभाग में घोटाला, किसानों की सब्सिडी का घोटाला, फसल बीमा योजना घोटाला, गेहूं घोटाला, कलस्टर घोटाला, आटा घोटाला, दवाई व टैस्टों के नाम पर अवैध वसूली, प्रधानमंत्री मातृत्व वेदना योजना में घोटाला, राज्य कर्मचारी बीमा निगम

***चेयर के आदेशानुसार उपरोक्त लिखित स्पीज को प्रौसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

घोटाला, ठेके की नौकरी में अवैध पैसा वसूली संबंधी घोटाला, जी.एस.टी. घोटाला, ड्रेन निर्माण में घोटाला, स्वर्ण जयंती घोटाला, गीता जयंती घोटाला, कबीर जयंती घोटाला, हरेडा में मनोहर ज्योति सोलर होम सिस्टम, रफ टोप सोलर पावर प्लांट, एल.ई.डी. स्ट्रीट लाइट्स के टेंडर में घोटाला, आयुष्मान योजना में घोटाला, फूड एंड सप्लाई विभाग में घोटाला, फर्जी व्हीकल रजिस्ट्रेशन घोटाला, आंगनवाड़ियों में अनाज का घपला, बीज निगम में घोटाला, अपर्णा ट्रस्ट के नाम पर घोटाला, फर्जी आधार कार्ड घोटाला, पशु बीमा घोटाला, पैंशन व गोल्डन कार्ड घोटाला, सफाई पर घोटाला, कूड़ा उठान के नाम पर घोटाला, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, जी.पी.एस. इंडेक्सिंग घोटाला, मृदा कार्ड घोटाला, हजारों करोड़ का जी.एस.टी. स्कैम जैसे अनेक घोटाले हुए हैं । इसके अतिरिक्त हरियाणा में अनेक भर्तियों में घोटाला किया गया है । इसी तरह से सरकार के विधायकों ने ही सरकार पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगाए हैं । लोकायुक्त ने भी हरियाणा सरकार की इनएफिशियंसी और ग्राफ्ट्स पर जीरो टोलरैंस को अडॉप्ट न करने के लिए भर्त्सना की है । इसी तरह यू.एस.बी.वी.एन.एल. में लाइनलॉसिज बहुत ज्यादा है । मेरा कहना है कि इसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों को दण्डित किया जाना चाहिए । इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के संबंध में मेरा कहना है कि सीवर के ढ़क्कनों को बदला जाना चाहिए । इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि इसे राइट टू सर्विस एक्ट में शामिल किया जाएगा। मेरा कहना है कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासिज देने के नाम पर बच्चों को लूटा जा रहा है । अतः सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए । इसके अतिरिक्त प्रदेश में जमीन घोटाला भी हुआ है । हरियाणा की अर्थव्यवस्था 20 प्रतिशत नीचे चली गई है । ऐसे में सरकार को हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की ओर भी ध्यान देना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा हरियाणा पुलिस का निरंतर मनोबल गिराया जा रहा है । मेरा कहना है कि ऐसा करना ठीक नहीं है ।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में किसानों के मुद्दे पर बहुत लम्बी–चौड़ी बातें की जा रही हैं । मैं पिछली सरकार के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और अपनी सरकार के कार्यकाल के 6 वर्ष की उपलब्धियों को कम्पेयर करना चाहता हूं । यह बात सही है कि पूरे देश में किसानों की हालत कमजोर है। कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को इस

बात को मानना पड़ेगा कि देश और प्रदेश में ज्यादातर समय उनकी पार्टी की ही सरकार रही है।

श्री भारत भूषण बतराः उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मुझे अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए।

श्री उपाध्यक्षः बतरा जी, आप बीच में ही बोल रहे हैं। प्लीज, आप बैठ जाएं। जब आपको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा तब आप अपनी बात रख लेना। आप इस सदन के सीनियर मैम्बर हैं और आप ही इस प्रकार से बीच में बोलेंगे तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी ? आपको बाद में अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री भारत भूषण बतराः उपाध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलालः उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य आंकड़े सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्षः बतरा जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। आपको अपनी बात रखने के लिए बाद में टाईम दिया जाएगा।

श्री जय प्रकाश दलालः उपाध्यक्ष महोदय, आज किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के पीछे देश में सबसे जिम्मेवार कोई पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों का शोषण किया, उनको बहकाया, उनके वोट लिए और उनको गरीब ही रखा। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा महत्व किसान वर्ग को दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ बातें रखना चाहूंगा जिनके द्वारा इन्होंने किसानों को गुमराह किया। इन्होंने इन तीन कृषि कानूनों को काले कानून बताकर किसानों को गुमराह किया, मंडियां टूट जाएंगी बताकर किसानों को गुमराह किया और एम.एस.पी. खत्म हो जाएगी बताकर किसानों को गुमराह किया। लेकिन आज तक इनकी पार्टी का कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं बता पाया कि हरियाणा प्रदेश की कौन सी मंडी खत्म हो गयी है, कौन सी फसल की एम.एस.पी. खत्म हो गयी या इन कृषि कानूनों से किसानों के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ा है ? सिर्फ ये भोले–भाले किसानों को डर दिखाकर बहकाने का काम करते रहे है। इनकी पार्टी की सरकार के समय में वर्ष 2013–14 में हमारे प्रदेश का खाद्यान उत्पादन 153.54 लाख मीट्रिक टन था जोकि हमारी सरकार के समय में वर्ष 2019–20 में बढ़कर 184.22 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इस प्रकार 20

प्रतिशत उत्पादन बढ़ा है। इनकी पार्टी की सरकार के 10 साल के समय में बाजरे की 6 लाख 6125 मीट्रिक टन की प्रिक्योरमैंट हुई थी और हमारी पार्टी की सरकार के 6 साल के समय में 13,13,824 मीट्रिक टन की प्रिक्योरमैंट की गयी है। इस प्रकार इनकी पार्टी की सरकार के समय से 116 प्रतिशत ज्यादा प्रिक्योरमैंट की है। इनकी पार्टी की सरकार के 10 सालों के समय में सरसों की 7.68 लाख मीट्रिक टन की प्रिक्योरमैंट हुई थी और हमारी पार्टी की सरकार के 6 साल के समय में 16.69 लाख मीट्रिक टन की प्रिक्योरमैंट की गयी है। इस प्रकार इनकी सरकार के समय से 117 प्रतिशत ज्यादा सरसों खरीदी गयी है। इनकी पार्टी की सरकार के 10 सालों के समय मक्का की प्रिक्योरमैंट नहीं की गयी और हमारी पार्टी की सरकार के 6 साल के समय में 4191 मीट्रिक टन की प्रिक्योरमैंट की गयी है। हमारी पार्टी की सरकार ने कपास की परचेज करने के लिए 28 नये प्रिक्योरमैंट सैंटर बनाए हैं, बाजरे की परचेज के लिए 198, सरसों की परचेज के लिए 182 और गेहूं की परचेज के लिए 1800 प्रिक्योरमैंट सैंटर बनाएं हैं। इसके अतिरिक्त धान की परचेज करने के लिए भी प्रिक्योरमैंट सैंटर बनाएं हैं। भारत सरकार ने वर्ष 2013–14 के आंकड़ें दिये हैं जिसमें प्रदेश को गेहूं की फसल के लिए 33,874 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था जोकि वर्ष 2020–21 में बढ़कर 75060 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। भारत सरकार द्वारा धान की फसल के लिए 63,928 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था जोकि वर्ष 2020–21 में बढ़कर 1,72,752 करोड़ रुपये हो गया है। इनकी पार्टी की सरकार के समय में सिर्फ 236 करोड़ रुपये की दालें खरीदी गयी थी और हमारी पार्टी की सरकार के समय में 10,530 करोड़ रुपये की दालें खरीदी गयी हैं। भारत सरकार द्वारा कपास के लिए वर्ष 2013–14 में 90 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था और हमारी पार्टी की सरकार के समय में 25,974 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कहते थे कि यह अडानी और अबांनी की योजना है। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा बल्कि सेठ–साहूकारों को ही फायदा होगा। इनकी पार्टी की सरकार ने सिर्फ 164.30 करोड़ रुपये किसानों को मुआवजे के तौर पर दिये थे, परन्तु हमारी पार्टी की सरकार के समय में 2980.74 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसके अलावा खरीफ की फसल के लिए 979 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। यह इसी बात का नतीजा है कि आज किसान स्वेच्छा से अपनी फसलों का बीमा करवा रहे

हैं। यह किसानों की सहायता करने वाली योजना है। इनकी पार्टी की सरकार के 10 सालों के समय में आपदा प्रबन्धन के लिए 827.01 करोड़ रुपये दिये गये थे और हमारी पार्टी की सरकार ने लगभग 2897 करोड़ रुपये दिये हैं। इनकी पार्टी की सरकार के समय में किसानों को 3,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था और हमारी पार्टी की सरकार के समय में 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। इनकी पार्टी की सरकार के समय में यूरिया के प्रति बैग का मूल्य 270 रुपये था और हमारी पार्टी की सरकार के समय यूरिया के प्रति बैग का मूल्य 266.50 रुपये है। इसके अतिरिक्त इनकी पार्टी की सरकार के समय में वर्ष 2014 तक गन्ने का उत्पादन 473.24 लाख क्विंटल था जोकि हमारी पार्टी की सरकार के समय में बढ़कर 654.78 लाख क्विंटल हो गया है। इस प्रकार गन्ने का उत्पादन 38 प्रतिशत बढ़ा है। हमारी पार्टी की सरकार ने मेहनत करके किसानों की भलाई के लिए नीतियां बनायी हैं। पहले चीनी का उत्पादन 45 लाख क्विंटल था और अब वह बढ़कर 67.84 लाख क्विंटल हो गया है। इस प्रकार इसके उत्पादन में भी 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इनकी पार्टी की सरकार के समय में चीनी की रिकवरी 8.98 प्रतिशत थी और यह हमारी पार्टी की सरकार के समय में बढ़कर 10.36 प्रतिशत हो गयी है। इनकी पार्टी की सरकार के समय में वर्ष 2005 से 2014 तक प्रति हेक्टयेर औसत उत्पादन 686 क्विंटल था। जो हमारी सरकार के 6 साल का औसत उत्पादन 786.87 क्विंटल है। कांग्रेस सरकार के समय में वर्ष 2013–14 में गन्ने का भाव 310 रुपये प्रति क्विंटल था और पूरे भारतवर्ष में अगर गन्ने का भाव देखा जाये तो सबसे ज्यादा कहीं पर है तो वह हमारा हरियाणा प्रदेश है और हमारी सरकार की नीतियों की वजह से ही गन्ने का भाव सबसे ज्यादा है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005–06 से वर्ष 2013–14 में गन्ने की 44572 टन पिराई क्षमता थी और हमारी सरकार में गन्ने की 46925 टन पिराई क्षमता है। मैं कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूं कि पानीपत में 354 करोड़ रुपये की लागत से 5000 टी.सी.डी. (टन डेली क्रेशिंग) क्षमता की चीनी मिल बनाने का काम चल रहा है। इसी तरह से करनाल और पलवल मिल की भी पिराई क्षमता बढ़ाई गई है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कृषि उपभोक्ताओं की बिजली सरचार्ज माफी योजना के माध्यम से वर्ष 2013–14 के दौरान 4853.40 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई थी और हमारी सरकार के वर्ष 2020–21 में 7115.33 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

जी के द्वारा जो ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना'' लागू की गई है उसके माध्यम से हरियाणा सरकार ने 18.93 लाख किसानों को 6000 रुपये की राशि के हिसाब से कुल 2214.73 करोड़ रुपये दिये हैं। इसी तरह से हमारी सरकार ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। दूग्ध उत्पादन के क्षेत्र में वर्ष 2013–14 के दौरान 74.42 लाख टन दूध था जो आज हमारी सरकार की नीतियों के कारण 117.37 लाख टन तक पहुंच गया है। अगर मैं प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता की बात करूं तो वर्ष 2013–14 में 800 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध मिलता था और आज यह बढ़कर 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध मिल रहा है। हमारी सरकार ने पशुधन बीमा योजना प्रारंभ की है और इसके तहत 3.17 लाख पशुओं का बीमा किया गया है जो पूरे देश में सर्वाधिक है। मैं बताना चाहूंगा कि गायों, भैंसों, बैल, ऊंटों के लिए 100 रुपये बीमा प्रीमियम और भेड़, बकरी और सुअर के लिए 25 रुपये के प्रीमियम पर तीन साल की अवधि के लिए कवर किया जाता है। इस योजना में बीमा कंपनियों द्वारा किसी पशु की मृत्यु होने पर मुआवजा प्रदान किया जायेगा और बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को अब तक 24 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर दिये जा चुके हैं। इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के लोगों को उपलब्ध करवाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसानों के लिए ''पशु किसान क्रेडिड कार्ड योजना'' लेकर आई है और इस योजना के तहत किसान भाइयों को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। जिस किसान के पास जमीन नहीं हैं उनको ''पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना'' का लाभ दिया जायेगा ताकि वह साहूकार के चंगुल से निकल सके। हमारी सरकार ने 32 हजार किसानों को पशु किसान क्रेडिट कार्ड बांट दिये हैं और 1.10 लाख क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। पशुपालन विभाग द्वारा स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जिन व्यक्तियों के पास आय का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं हैं उनको सरकार की तरफ से भेड़ व बकरी पालने के इच्छुक 1000 पशुपालकों को एक–एक भेड़ और बकरी फ्री में देने का काम किया जायेगा ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। वर्तमान में पशुपालन विभाग में 6 पॉलीक्लीनिक कार्यरत हैं और इस वर्ष बचे हुए 14 जिलों में भी वेटेनरी पॉलीक्लीनिक स्थापित करने का काम किया जायेगा। इसके लिए हमारी सरकार ने 56 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को 24 घंटे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध

करवाने हेतु मोबाइल वैन की सुविधा प्रदान करने का भी प्रस्ताव किया है। उपाध्यक्ष महोदय, 86 लाख ''सॉयल हैल्थ कार्ड बनाये गये हैं। इसी तरह से पहले भूमि एवं जल प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं 34 थी जिसे बढ़ाकर 111 कर दी गई हैं। प्रदेश में कुल 12 लाख एकड़ भूमि लवणीय है। इसके लिए सरकार ने निर्धारित किया है कि हर साल एक–एक लाख एकड़ भूमि को किसानों की भलाई के लिए ठीक करने का काम किया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पोंड अथॉरिटी बनाई है जिसके कारण 905 तालाबों को पुर्नजीवित करने का काम किया गया है और बाकी तालाबों को भी पुर्नजीवित करने का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी तरह से किसानों को फसल अवशेष को जलाने से रोकने के लिए 40055 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें 80 प्रतिशत अनुदान पर 4224 कस्टम हायरिंग सैंटरों के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई हैं। किसानों को ''मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना'' के माध्यम से 5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये और 1 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी किसानों के बीच जाकर कहती है कि इन तीनों कृषि कानूनों के माध्यम से सरकार मंडियां खत्म करने जा रही है लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2014 से वर्ष 2020 तक 21 नई अनाज मंडियों का निर्माण किया है और 11 सब्जी मंडियों का निर्माण किया है। हमारी सरकार द्वारा आने वाले समय में 537 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी का निर्माण, गन्नौर में करने का काम किया जायेगा जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी होगी। यह मंडी देखने लायक होगी और इसके लिए मैं पहले ही कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को इस मंडी में आने के लिए निमंत्रण भी देता हूं। इसी तरह से पिंजौर में 78 एकड़ भूमि पर 175 करोड़ रुपये की लागत से सेब व सब्जी मंडी बनाने का काम किया जा रहा है। गुरुग्राम जिले में भी 8 एकड़ भूमि पर फूल मंडी बनाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस बात का दुष्प्रचार कर रही है कि मंडियां खत्म हो रही हैं। हमारी सरकार मंडियां बनाने का काम रही है और सरकार से हरियाणा प्रदेश का किसान खुश है। इसी तरह से सोनीपत जिले में 16 एकड़ भूमि पर मसाला मंडी बनाने का काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत 1000 मंडियों को ई–नेम प्लेटफार्म के तहत जोड़ा जा रहा है और इसके तहत हरियाणा प्रदेश की 81 मंडियों को भी जोड़ा जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 25 अनाज मंडियों में ''अटल किसान मजदूर कैंटीन'' के तहत गरीब व्यक्तियों को 10 रुपये में भर पेट भोजन प्रदान किया जाता

है। इसके अलावा मैं इस सदन में बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ''भावांतर भरपाई योजना'' के तहत किसानों को उनकी सब्जियों के उचित मूल्य न मिलने पर 10 करोड़ रुपये मुआवजा के तौर पर दिया है। लेकिन मण्डी में जाने से पहले ओलावृष्टि हो जाये या ज्यादा बारिश की वजह किसान की फसल का नुक्सान हो जाये इसके लिए हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इसी प्रकार से हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में बागवानी बीमा योजना शुरू की गई है जिसके लिए 10 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। हमारी सरकार ने प्रदेश में 70 एफ.पी.ओज. बनाने का काम शुरू किया गया है। इसी प्रकार से हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में 11 एक्सीलैंस सैंटर्ज की स्थापना की गई है। हमारी सरकार संरक्षित खेती करने के लिए 200 करोड़ रुपये की लागत से एक नई योजना बनाने जा रही हैं। हमारी सरकार द्वारा एक हजार एकड़ के अंदर पॉली हाउसिज का भी निर्माण किया जायेगा। हमारे प्रदेश में सिंचाई की समस्या सबसे बड़ी है। इसके लिए हमारी सरकार ने विभिन्न मंचों और माध्यमों से अपनी एस. वाई.एल. कैनाल की मांग को बुलंद आवाज में उठाने का काम किया है। एस.वाई. एल. कैनाल का पानी हमारे दक्षिणी हरियाणा के लिए सबसे बड़ी सौगात होगी। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2020–21 के दौरान 1200 करोड़ रुपये की लागत से 220 चैनल्ज का सुधारीकरण किया है। इसी प्रकार से हमारी सरकार की 25 एकड़ में एक चैक बनाकर पूरे दक्षिण हरियाणा के लिए पानी की सप्लाई करने का काम करने की योजना है। हमारी सरकार ने अनाज के भण्डारण के लिए प्रदेश में बहुत सारे गोदाम बनाने का काम किया है। हैफड़ ने वर्ष 2021 के दौरान 1,47,000 मीट्रिक टन अनाज भण्डारण की क्षमता हासिल की है जिसको वर्ष 2022 में बढ़ाकर 2,25,000 मीट्रिक टन किये जाने का लक्ष्य है। प्रदेश में मछली उत्पादन वर्ष 2012–13 में 1,05,263 क्विंटल होता था वह अब बढ़कर 1,73,000 क्विंटल हो गया है। इस प्रकार से हमारी सरकार प्रदेश के किसानों के लिए बहुत सारी योजनायें चला रही है। विपक्ष के साथी तो सिर्फ किसानों को बहकाकर, काले कानूनों का डर दिखाकर और एम.एस.पी. खत्म करने का भय दिखाकर वोट की राजनीति करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सदा किसानों का शोषण करके और उनको तरह–तरह के सपने दिखाकर उनकी वोट हासिल करने का काम किया है। कांग्रेस के साथी प्रदेश के किसानों को कभी न होने वाले बातों का डर दिखा रहे

हैं। इनका एक ही मकसद है कि कुछ भी करके सत्ता हासिल की जाये। हमारी सरकार किसानों की सभी प्रकार से सहायता कर रही है। इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रदेश का पूरे का पूरा किसान वर्ग आज हमारी सरकार के साथ खड़ा है। प्रदेश के किसान का आशीर्वाद आज हमारी सरकार के साथ है। उपाध्यक्ष जी, विपक्ष के साथियों की परेशानी यह है कि प्रदेश का किसान अब जाग चुका है और वह इनके बहकावे में नहीं आयेगा। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)** अध्यक्ष जी, मैं विपक्ष के साथियों की गलतफहमी को दूर करने के लिए यह कहना चाहूंगा कि हम प्रदेश के किसानों के बीच में रहते हैं। हम किसानों के दुख–दर्द के साथी हैं। हमने प्रदेश के किसानों का कभी शोषण नहीं किया बल्कि उनके शोषण के खिलाफ सदा आवाज उठाई है। मैं स्वयं एक किसान परिवार में पैदा हुआ हूं। विपक्षी पार्टियों की पूर्व की सरकारों के समय में जो गलत नीतियां अपनाकर किसानों की समस्याओं को बढ़ाया गया है हम प्रदेश के किसानों की सभी समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान करने का काम करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी को किसी भी सूरत में खुश नहीं कर सकते लेकिन हम प्रदेश के किसान को निसंदेह पूर्ण रूप से खुश करेंगे। जहां तक किसानों की आमदनी को बढ़ाने का सम्बन्ध है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वर्ष 2022 तक देश के किसान की आमदनी को दोगुणा किया जायेगा। हमारी सरकार भी इसी दिशा में ठोस कदमों के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी ने 60 सालों तक देश और प्रदेश के किसानों का शोषण किया है इसलिए मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी आज सदन में एक प्रस्ताव लाकर किसानों से माफी मांगने का काम भी कर ले। स्पीकर सर, आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री रणधीर सिंह गोलन (पुंडरी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं पूरे सदन का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरी बात को ध्यान से सुनें क्योंकि मैं भी आजाद विधायक हूं और पहली बार इस सदन में आने का मौका मिला है। आज किसानों पर चर्चा चल रही है और इस देश का किसान, इस प्रदेश का किसान आज बहुत बदहाली में है, आज किसान की बहुत दुर्दशा हो रही है। जो किसान इस देश की 135 करोड़ जनता का पेट भरता है वह किसान आज बहुत बुरी हालत में है।

किसान अपनी किसानी के लिए अपनी खेती के लिए दिन रात, गर्मी और सर्दी में सभी प्रकार की समस्याएं सहन करता है। इस हरियाणा प्रदेश का कोई भी किसान जहां तक मेरी जानकारी है, आज कर्जबद्ध है। सभी की जमीन जायदाद आज बैंकों में गिरवी रखी हुई है। हम बड़े किसान पर भी चर्चा करते हैं और छोटे किसान पर भी चर्चा करते हैं लेकिन असली किसान वह है जो खेतों में काम करता है। जिसके पास जमीन न होने पर भी ठेके पर जमीन लेकर खेती करता है। आज जो वातावरण इस प्रदेश में पिछले लगभग 105 दिनों से चल रहा है जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार भी चिंतित है। हरियाणा सरकार पर विपक्ष के लोगों के आरोप लगाते हैं कि यह सरकार किसान विरोधी है लेकिन हरियाणा सरकार में हम 90 विधायक हैं उनमें से लगभग 60 प्रतिशत किसान हैं जो किसानी से सीधे भी जुड़े हुए हैं या कोई मजदूरी के तौर पर जुड़ा हो, चाहे खेती के तौर पर जुड़ा हुआ हो। आज किसान बहुत चिंता में है और मेरे विपक्ष के साथी इस बात की बार–बार चर्चा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया और उप–मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया। किसी विधायक और मंत्री को गांव के अन्दर नहीं घुसने दिया जाता है। यह अगर किसी की सोच है तो मेरे भाई कांग्रेस पार्टी के लोगों की सोच है जो दूसरे किसानों को भड़काते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। कल मेरे घर का भी कुछ लोगों ने घेराव किया था। मेरे कार्यालय का भी कुछ किसान भाईयों ने घेराव किया था और उन्होंने एक ही बात कही कि आप कल अविश्वास प्रस्ताव पर वोट सरकार के खिलाफ करें। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि क्या 60 किसान इस प्रदेश का निर्णय करेंगे? क्या 60 किसान ही मेरे हल्के की मेरे एम. एल.ए. शिप का दावा करेंगे? जिन 41 हजार लोगों ने मुझे जिता कर भेजा, वह 41 हजार जनता फैसला करेगी या ये 60 लोग फैसला करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी इस समय सदन में नही हैं, वे 10 साल तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने वाली कमेटी में भी रहे, उस समय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए ढिंडोरा क्यों पीट रहे हैं? 10 साल तक यह रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की, उनको आज किसान याद आया है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसान अगर किसानी चाहता है और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में

उपस्थित नहीं हैं, मैं उनसे भी और सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो पिछले 105 दिनों से इस प्रदेश में एक वातावरण तैयार हुआ है वह ठीक नहीं है। हम किसान के हित में हैं और पूरी सरकार किसान के हित में है। हमें सहानुभूतिपूर्वक बात करके इस आंदोलन को खत्म करने का काम करना चाहिए नहीं तो जो विपक्ष के साथी हैं वे यही चाहते हैं कि हम 6 साल से सत्ता से बाहर हैं, हम सत्ता में कैसे वापसी करें। इनको इस बात का दर्द है कि बी.जे.पी. राज क्यों कर रही है इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस आंदोलन को यथाशीघ्र समाप्त करवाया जाये। कल एक साथी ने कहा था कि एक कम्पनी ने जीरी खरीद में 200 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं कि 200 करोड़ का घोटाला कोई एक दिन में नहीं होता। 200 करोड़ रुपये की जीरी खरीदने के लिए एक महीने का समय लग जाता है। अगर हम एक महीने तक आंख बंद करके बैठे रहेंगे, आंख बंद करके भी कोई फैसला लेंगे तो भी ऐसे घोटाले नहीं हुआ करते हैं। जहां तक सरकार की बात है, चाहे जीरी की बात हो, चाहे गेहूं की बात हो, चाहे मूंग की बात हो, चाहे मक्की और बाजरे की बात हो और चाहे सूरजमुखी की बात हो, हमारी सरकार ने उसको खरीदने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की और चर्चा करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : गोलन जी, आप जल्दी से अपनी बात समाप्त करें।

श्री रणधीर सिंह गोलन : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं यह अविश्वास प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है और न ही कांग्रेस के सदस्य किसान की बात करते हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव तो ये अपने हित में लेकर आए हैं कि हमारा हल कैसे होगा लेकिन ये हल होने वाला नहीं है क्योंकि सरकार का पूर्ण बहुमत है। हम इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हैं। बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, मेरा निवेदन है कि आप समय का ख्याल रखें।

श्रीमती किरण चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, जब आप दूसरे सदस्यों को बोलने के लिए 14–15 मिनट दे रहे हैं तो फिर हमें भी इतना ही समय दीजिए।

श्री अध्यक्ष : इस तरह सभी 14–15 मिनट बोलेंगे तो बहुत टाईम लगेगा।

श्रीमती किरण चौधरी(तोशाम) : अध्यक्ष जी, आप बोलने का सबको बराबर टाईम दीजिए। जिन्होंने हाऊस ओपन किया है उनकी तो मैं मान सकती हूं कि उनको तो टाईम ज्यादा मिलना चाहिए लेकिन बाकी सदस्यों को आप इतना समय दे रहे हैं

और मेरे समय पर कटौती की जाती है। अध्यक्ष जी, आपसे मेरे को यह अपेक्षा है कि आप बिल्कुल सही करोगे। You would not be prejudiced at all. I am hoping justice from you. अध्यक्ष जी, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में खड़ी होती हूं और साथ ही साथ मैं तीन–चार चीजें बोलूंगी, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती इसलिए बीच में कोई व्यवधान न हो। ये जो तीनों काले कानून लाए गये हैं। ये पूरी तरह से कोरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए और किसान भाईयों को पूरी तरह से निचौड़कर रखने के लिए लाए गये हैं। दुर्भागय की बात यह है कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, मर्यादा में रहें, ऐसे नहीं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, हमारे किसान भाईयों को ये कानून सबसे ज्यादा इफैक्ट करते हैं। इसके बावजूद इन तीनों काले कानूनों को जबरन किसान भाईयों के गले के नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है, जिसकी मैं पूरी निन्दा करती हूं। आज हमने देखा है कि किसान भाई किस तरह से आन्दोलन पर हैं और परेशानियां झेल रहे हैं। माताएं–बहनें सड़कों के ऊपर बैठी मांग कर रही है कि इन काले कानूनों को निरस्त किया जाए लेकिन सरकार पूरी तरह से उनकी अनसुनी कर रही है और सरकार उनकी तरफ नहीं देख रही है। अध्यक्ष जी यह स्टेट सबजैक्ट है। मैं आपकी सरकार के मंत्री के ब्यान को पढ़कर बता देती हूं कि जब 22 नवम्बर 2019 को राज्य सभा में कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर जी से पूछा गया कि किसान की परिभाषा क्या है? तो उन्होंने अपने जवाब में कहा कि परिभाषा में क्या बताऊं खेती राज्य का मामला है इसलिए किसान की परिभाषा वे ही बताएं। आज ये हमारा हक छीनकर केन्द्र के पास ले जाते हैं और वे वहां पर कानून बनाते हैं तो ये तो हमारे हरियाणा के किसानों के हक के ऊपर डाका डालने वाली बात हो रही है। इस बात को हमारे पूरे सदन को समझना होगा कि अगर हम इस तरह से अपने अख्तिहार उनको इतने आराम से दे देंगे तो आने वाले समय में भी कानून इस तरह के बनाए जाएंगे जो हमारे हित में नहीं होंगे। अध्यक्ष जी, साथ ही साथ हमारे यहां जो बात कही गई आप ज्यादा समय नहीं दोगे इसलिए मैं यह बात कर रही हूं। यह कहा गया कि मंडियां बन्द नहीं होंगी। हम भी नहीं कह रहे है कि मंडियां बन्द हों लेकिन ये जो तीन काले कानून इन्होंने बनाए हैं उन कानूनों के अन्दर इस तरह के प्रावधान हैं कि ये मंडियां अपनी मौत अपने आप खत्म हो जाएंगी। तभी तो उसमें एम.एस.पी. की निर्धारित बात क्यों नहीं कहते हैं। क्यों

13.00 बजे

इधर–उधर की बात करते हैं। सीधी–साधी बात कीजिए। आज हम किसानों के मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं। यहां आंकड़े गिनाए जाते हैं लेकिन उन आंकड़ों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सच्चाई यह है कि इसके ऊपर हमारे को बहुत जहन करके देखना पड़ेगा। हमने देखा है कि 14 साल के अन्दर जब ये मंडी सिस्टम खत्म हुआ तो किस तरह से बिहार के अन्दर बेचारे लोग आज मजदूरी करने पर उतारू हो जाते हैं। बिहार का आदमी हरियाणा तक मजदूरी करने के लिए आता है। उसकी जमीन जायदाद पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये जो कोरपोरेट की मांग की गई थी।(विघ्न) आज यहां पर स्वामी नाथन रिपोर्ट की बात कही गई है। अध्यक्ष महोदय, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनिफैस्टो था। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उनके आला नेताओं ने अर्धनग्न होकर बार–बार प्रदर्शन किया था लेकिन आज जो हाल हो रहा है वह हम सभी देख रहे है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि 14 अप्रैल, 2016 को 'ई' नाम से देश की मंडियों को इंटरनेट से जोड़ने वाली योजना का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था जिसकी तारीफ के बड़े–बड़े पुल बांधे गए थे और इसे किसान, बिचौलियों व उपभोक्ताओं तीनों के लिए लाभकारी बताया गया था और कहा गया कि 'ई' मंडियों से किसानों को अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में बेचने की आजादी मिलेगी लेकिन आज वे 'ई' मंडियां कहां गई और उससे क्या फायदा हुआ उसके बारे में इस सदन को बताया तो जाये? अगर केवल इंटरनेट से मंड़ियों को जोड़ देते तो किसान भाइयों को इससे फायदा होना था लेकिन जिन 'ई' मंडियों के बारे में इतनी जोर–शोर से बात की गई थी, आज उनका नामों निशान तक कहीं दिखाई नहीं देता है। इसके साथ साथ निर्मला सीता रमण जी ने पूंजीपतियों के एक सेमिनार में पूंजीपतियों को आश्वस्त करने के लिए जो बात कही मैं उसको कोट करके बताती हूँ। उन्होंने कहा कि 'मंडियों की उम्र पूरी हो चुकी है' जब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बात करेंगे तो फिर किस आधार पर किसानों को विश्वास दिलाया जा सकेगा कि मंडियां खत्म नहीं होगी? हम सब जानते हैं कि ऐसा समय आयेगा कि किसान मंडियों के अंदर नहीं जा पायेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके कारपोरेट इन मंडियों को टेकओवर

कर लेंगे जहां पर खरीद फरोख्त की इनको खुली छुट होगी और इसके बाद एम. एस.पी. भी अपने आप खत्म हो जायेगा। (विघ्न)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जिस प्रकार का आरोप लगा रही हैं, उस आरोप को सिद्ध करने के लिए उन्हें एक भी ऐसी मंडी का नाम बताना चाहिए जिसको खत्म करने का काम किया गया हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है बल्कि मैंने तो खुद कहा है कि मंडिया खत्म नहीं हुई हैं। ऐसा लगता है कि मंत्री जी ने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। ध्यान से सुना कीजिए मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, समस्या की असली जड़ समर्थन मूल्य है। अगर सरकार समर्थन मूल्य का कानून बना देती, तो भी किसान कोई बात कर लेते लेकिन समर्थन मूल्य को निर्धारित करने की दिशा में तो कोई बात ही नहीं होती है। यह तीनों काले कृषि कानून हमारे विरोध में हैं–किसानों के विरोध में है। अगर मैं इस बारे में सारी बात बताऊंगी तो ज्यादा समय लग जायेगा लेकिन सच्चाई यह है कि आने वाले समय में कारपोरेट पूरी तरह से हावी हो जायेंगे और बेचारा किसान दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जायेगा। हमारे शिक्षा मंत्री जी चौधरी कंवर पाल जी ने एक बात कही थी कि बता दीजिए कौन से मंत्री ने यह कहा कि किसान चीनी और पाकिस्तानी हैं। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहना चाहूंगी कि हमारे कृषि मंत्री जे.पी. दलाल जी ने यह कहा है। मेरे हाथ में यह डॉक्यूमैंट है इसको पढ़कर बताने से सारा क्लीयर हो जायेगा (विघ्न)

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या अपनी बातों को अखबारों में छपवाने में एक्सपर्ट है लेकिन सिर्फ अखबार में छपवाने से ही सब कुछ नहीं होता है। हकीकत, हकीकत होती है। माननीय सदस्या, पहले खबरें छपवाती हैं और बाद में उन खबरों को कोट करने का काम करती हैं जबकि इनको मौके की कोई जानकारी तक नहीं होती है। मैंने कभी किसान को चीनी–पाकिस्तानी नहीं कहा। अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय सदस्या से निवेदन है कि इनको कभी–कभी धरातल पर भी आने का काम करना चाहिए। आखिर ये कब तक केवल अखबारों का सहारा लेकर चलेंगी?

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रही हूँ बल्कि जो छपा वह बयान कर रही हूँ। I am not saying it. News Channel has said

that मैंने बिल्कुल कुछ नहीं कहा है बल्कि जो न्यूज चैनल्ज ने कहा है उसको बयान कर रही हूँ और अगर विश्वास न हो तो इसको इंटरनेट से निकाल लीजिए। ए.एन.आई. की रिपोर्ट बताती है कि इन्होंने कहा है कि China and Pakistan want to destabilise the country and the whole thing is being managed by them तो यह कहने का इनका क्या मतलब है? यह मेरे हाथ में कॉपी है इसे देख लीजिए अध्यक्ष महोदय। ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। मैं इस डाक्यूमैंट को टेबल करती हूँ तो सारी बात स्पष्ट हो जायेगी।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, चायना हमारा दुश्मन देश है और कांग्रेस पार्टी का दोस्त है यह बात तो मैं आज भी कहता हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः किरण जी, आप जो बात सिद्ध करना चाह रही हैं और आपने जो पढ़कर सुनाया है उससे तो बात में बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। (विघ्न)

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, चीन हमारा मित्र देश नहीं है। चीन और कांग्रेस की दोस्ती हो सकती है लेकिन हमारी नहीं और यही बात मैंने कही है। मैंने कभी नहीं कहा कि किसान आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल जी हर तरीके से और तीनों कृषि कानून के मुद्दे पर सदन को गुमराह करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि किसान आंदोलन को खत्म करने के लिये एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर झूठे उपवास रखने का ढोंग क्यों रचा गया था? यह बात भी सदन को बताई जाये। जब मैं एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में लेकर आई थी तो सदन ने उसे नामंजूर कर दिया, उस समय तो माननीय मंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा। एस.वाई.एल. नहर हमारे दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा है। आज इस मुद्दे को लेकर हमारे प्रदेश के किसानों की आंखों से पानी के आंसू तो निकलते नहीं बल्कि उनकी आखों से खून के आंसू निकलने लगे हैं। अध्यक्ष महादेय, आज प्रदेश की जो हालात बिगड़ती जा रही है वह बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकार इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देती है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों को इस एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, इस समय पंजाब राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। यदि बहन किरण जी इस मुद्दे को लेकर इतनी ही चिंतित है तो

पंजाब में जाकर कहे कि हमारे हरियाणा के किसानों को उनके हिस्से का पानी क्यों नहीं देते हैं। पंजाब सरकार को चाहिए कि एस.वाई.एल. नहर मुद्दे पर कार्यवाही करे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आज तक हम इस इंतजार में हैं कि सरकार एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर कार्यवाही करे और विपक्ष के सदस्यों को भी साथ लेकर कोई प्लानिंग करे ताकि हमें एस.वाईएल. नहर का पानी मिल सके। सरकार इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है बल्कि सदन को इस मुद्दे के नाम पर केवल गुमराह कर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बहन किरण जी, आपको बोलते हुए 10 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है, बाकी माननीय सदस्यों को भी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलना है, इसलिए आप अपनी स्पीच को विराम देते हुए, बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) बहन किरण जी, सदन ने सभी माननीय सदस्यों के बोलने का समय निर्धारित किया हुआ है और आप निर्धारित समय से भी ज्यादा बोल चुकी हैं, इसलिए प्लीज आप बोलना बंद कीजिए और बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, बहन किरण चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने दीजिए। आप अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का समय और बढ़ा दें ताकि बाकी सदस्य भी तथ्यों के साथ अपने–अपने विचार व्यक्त कर सके और सबको बोलने का समय मिल सके। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अविश्वास प्रस्ताव पर पहले चर्चा करने का समय 2 घंटे निर्धारित हुआ था, लेकिन अभी भी बहुत से माननीय सदस्यों के इस प्रस्ताव पर अपने–अपने विचार व्यक्त करने बाकी हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी अविश्वास प्रस्ताव पर सदन को महत्वपूर्ण जानकारी देनी है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का समय एक घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाता है।

आवाजेंः ठीक है, जी।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, इन तीनों कृषि कानूनों के अन्तर्गत कोई भी आढ़ती नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात सदन से पूछना चाहती हूँ कि इन कृषि कानूनों के माध्यम से जो इतने कॉरपोरेट्स मार्किट में आ जायेंगे वहीं तो बिचौलिये हमारे किसान भाईयों का खून चुसेंगे। आढ़ती और किसान का आपसी रिश्ता बना होता है। दोनों ही भाईचारा के साथ मिलकर काम करते हैं लेकिन सरकार कृषि कानून के माध्यम से उस भाईचारे को खत्म करने की बात कर

रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहती हूँ कि कृषि कानून के माध्यम से एक बिचौलिया नहीं बल्कि दर्जनों बिचौलिये मार्किट में आयेंगे, इससे हमारे किसान भाइयों को यही नहीं पता लगेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, कांट्रैक्ट कृषि फार्मिंग से संबंधित एक्ट का जो सैक्शन–9 है, इसको पढ़कर मैं बहुत हैरान हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस सैक्शन के अनुसार जो सर्विस प्रोवाईडर है, कांट्रैक्ट लैंड के ऊपर लोन ले सकते हैं। जिन किसानों ने पूंजीपतियों से कांट्रैक्ट कर लिया तो इन कृषि कानूनों के माध्यम से किसानों की हालत बद से बदतर होती जायेगी। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही अपनी स्पीच समाप्त कर रही हूँ। अध्यक्ष महोदय, बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह से शिफ्ट कर जायेगी, It will be totally in favour of the Corporates. अध्यक्ष महोदय, लीवरिज नहीं रह पायेगा। (शोर एवं व्यवधान) आढ़तियों को तो पकड़ कर उनकी मण्डी का लाइसैंस वगैरह कैंसिल कर सकते हैं लेकिन इन कृषि कानूनों के माध्यम से जब बाहर से बड़े–बड़े पूंजीपति मार्किट में आयेंगे तो गरीब अनपढ़ किसान भाई उनको कहां से पकड़ेंगे? (घंटी) सरकार अपनी जवाबदेही कैसे तैयार करेगी? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही अपनी स्पीच समाप्त कर रही हूँ।

श्री अध्यक्षः बहन किरण जी, आपको बोलते हुए लगभग 14 मिनट हो गये हैं, इसलिए प्लीज आप वाइंड अप कीजिए।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने के लिए थोड़ा समय और दे दीजिए । आज सारा हरियाणा प्रदेश हमारी तरफ देख रहा है । हमें किसान के जेहन में झांकना चाहिए । हमें विचार करना चाहिए कि हम किसान का उत्थान किस प्रकार से कर सकते हैं । मेरी अपील है कि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं है और न ही इसमें राजनीति वाली कोई बात है । आज हमारा किसान उजड़ रहा है । हमें उसके हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए ताकि आने वाली पुश्तें हमको न कोसें कि हमने उस अन्नदाता के खिलाफ काम किया था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, अब आप बैठ जाइये ।

डॉ. अभय सिंह यादव (नांगल चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । वर्ष 2014 में लोक सभा का जो चुनाव हुआ वह हिन्दुस्तान की राजनीति में परिवर्तन की एक स्टेज थी । देश की जनता ने उस चुनाव के द्वारा देश की बागडोर श्री नरेन्द्र मोदी जी

को सौंप दी। श्री नरेन्द्र मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो देश के लिए पूरी प्रतिबद्धता और पूरी निष्ठा के साथ काम करता है । प्रधानमंत्री महोदय देश के लिए एक से बढ़कर एक योजना लेकर आये और हिन्दुस्तान की जनता ने प्रसन्न होकर उनको प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना। दूसरे कार्यकाल में भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कई ऐतिहासिक निर्णय किये जिससे प्रधानमंत्री महोदय का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ने लगा । ज्यों ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ने लगा विपक्ष के साथियों में बेचैनी बढ़ने लगी और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के ग्राफ को नीचे लाने के लिए बहाने तलाश करने शुरू कर दिए । विपक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के ग्राफ को नीचे लाने के लिए सबसे पहले राफेल लड़ाकू विमान में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया लेकिन उससे बात नहीं बनी । उसके बाद विपक्ष ने सी.ए.ए. पर शाहीन बाग में ड्रामा रचा लेकिन उससे भी बात नहीं बनी । उसके बाद तीन कृषि कानून बने । फिर विपक्ष ने सोचा कि यह एक रास्ता है जिससे किसान की भावनाओं को उकसाकर, किसान के कंधे पर बंदूक रखकर शायद सत्ता में फिर से वापसी की जा सकती है । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, किसान को अपनी जमीन से बहुत प्यार होता है । किसान अपनी जमीन के लिए अपनी औलाद की भी कुर्बानी दे सकता है । विपक्ष ने एक शिगुफा गढ़ा कि अगर ये एक्ट लागू हो गए तो किसान की जमीन उससे छिन जाएगी । अध्यक्ष महोदय, जमीन के लिए किसान कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता है । विपक्ष ने किसानों को जमीन छिनने की बात कहकर सभी किसानों को उत्तेजित और आंदोलित कर दिया । इसके अलावा विपक्ष ने निर्णय किया कि किसानों की गलतफहमी और मुगालता को दूर करने का किसी को भी मौका नहीं मिलना चाहिए । इसके लिए विपक्ष ने दो काम किये । पहला यह कि इन्होंने सोशल मीडिया को अपने काबू में किया और दूसरा यह कि एक पूरी बड़ी सोशल ब्रिगेड खड़ी कर दी । अब अगर कोई व्यक्ति तीन कृषि कानूनों पर थोड़ा–बहुत स्पष्टीकरण या सफाई देना चाहे तो वह पूरी सोशल ब्रिगेड तुरंत सक्रिय हो जाती और उस पर टूट पड़ती थी । एक दिन सुबह सैर करते समय मेरे दिमाग में एक अच्छा ख्याल आया । मैंने सोचा कि पंजाब और हरियाणा दोनों प्रदेशों के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर काफी लम्बे समय से एक–साथ बैठे हुए हैं। ऐसे में वहां पर हंसी–मजाक का माहौल भी बनता होगा और उनमें आपसी सद्भावना भी बढ़ रही होगी । मैंने विचार किया कि ऐसे में यदि पंजाब और

हरियाणा दोनों प्रदेशों के किसान एस.वाई.एल. नहर पर एक–दूसरे के साथ आपसी सहमति कर लें । दोनों राज्य वर्तमान हालात के मुताबिक पानी का फैसला दूसरी स्टेज पर कर लें तथा नहर बनाने वाली बात पर सहमति बना लें तो हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए बहुत बड़ा काम होगा।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा इशू है। सरकार को इस पर चर्चा करवानी चाहिए।

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरी बात खत्म होने के बाद माननीय सदस्या अपनी बात रख लें।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर कुछ दिन पहले मेरा इन्टरव्यू हमारे पंजाब केसरी के सीनियर कोरसपौंडेंट श्री बलवंत तक्षक जी ने लिया था और उसको उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस इन्टरव्यू को लगभग 4 लाख लोगों ने देखा और अपने–अपने कमैंट्स लिखे और मैंने भी उनके कमैंट्स को पढ़ा। इनकी ब्रिगेड ने बहुत मोटी–मोटी गालियां लिख रखी थी और मुझे उनको पढ़कर हंसी आयी कि यह इनकी असहिष्णुता है। यह कहा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप– मुख्यमंत्री जी का हैलीकाफ्टर नहीं उतरने दिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री हुड्डा साहब भी यहां पर बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि प्रजातंत्र में यह खतरनाक ट्रेंड है। जब कोई किसी पड़ोसी के घर में आग लगाता है तो वह आग यह नहीं देखती की अगला घर किसका है ? वह घर किसी का भी हो सकता है। यानी वह इनका घर भी हो सकता है और तीसरे आदमी का भी हो सकता है। सत्ता तो आती जाती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी प्रथा डाल रहे हैं जिसको देखकर शर्म आती है। इस प्रकार यह हरियाणा आगे कैसे बढ़ेगा और कैसे इस पर शासन होगा ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने इस बात का कभी समर्थन नहीं किया कि किसी की गाड़ी या हैलीकाफ्टर रोकें। लोगों ने हालात बताए हैं। हमने कभी इन बातों का समर्थन नहीं किया और न ही करेंगे। हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं और इस प्रकार की बातों का समर्थन नहीं करते। माननीय सदस्य गलत कोट न करें।

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा कि यह काम माननीय नेता प्रतिपक्ष ने करवाया है बल्कि मैं यह कह रहा हूं कि राजनीति में गलत परिपाटी की षुरुआत हो रही है। यह एक ऐसी षुरुआत शुरू हो रही है जो हरियाणा की राजनीति में बहुत खतरनाक साबित होगी। यह जो ब्रिगेड है, वह गांवों में जाकर मंत्री और एम.एल.एज. का घेराव करती है। अध्यक्ष महोदय, समाज में कुछ ऐसे एलीमैंट्स हैं, उनमें से कुछ आदमियों को इतना तेज बोलने की आदत है कि जब वे बोलते हैं तो एक आदमी 1,000 से ज्यादा लोगों के बराबर शोर करता है। वे इस मुगालते में हैं कि जो शोर मचा रहे हैं, वे ही किसान हैं और वही प्रजातंत्र है। अध्यक्ष महोदय, जो खामोश हैं उनकी संख्या जो शोर मचा रहे हैं, उनसे कहीं ज्यादा है। ये सत्ता में बैठने के सपने देख रहे हैं, लेकिन जिस दिन उनकी खामोशी टूटेगी तो उस दिन इनका सारा गणित फेल हो जाएगा। फिर ये कहेंगे कि ई.वी.एम. में गड़बड़ हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए इनको आगाह कर रहा हूं कि इस मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि कानून की बात है तो उसके बारे में मैं हाउस को अवगत करवाना चाहता हूं कि जो सैंटर की कमेटी नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बनायी गयी थी, उस रिपोर्ट का कुछ अंश मैं हाउस में भी पढकर सुनाना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में, जो हुड्डा साहब ने सब्मिट की है उसमें क्लीयर कट यह लिखा हुआ है कि–

> "It is surprising but true that farmers have hardly any choice in marketing their produce. Unlike other producers, farmers have to bring their produce to regulated agriculture mandis, which effectively means going to mandis near their farms/villages. These regulated mandis virtually act as monopoly intuitions for sale of farm produce. In the absence of credit and storage facilities, farmers are forced to go for distress sale of their produce. Thus, a suitable change in this system is required. और अगले पैराग्राफ में कहते हैं कि In order to give choices to farmers and for developing more efficient supply chain, it is necessary to bring in private sector investments for developing marketing infrastructure including better handing of agriculture produce. इसके अलावा 2 लाईंज और पढ़कर सुनाता हूं जिसमें लिखा है कि Ministry of Agriculture had circulated a Model Agricultural Marketing Law in 2003 for adoption by the States. The Model Act provides for alternative marketing channels to the farmers. Major features of the model Agricultural Produce Marketing

Committee (APMC) Act is the establishment of private markets and farmers-consumer markets, facilitating contract farming and direct marketing, single point levy of market fee/cess. Setting up special commodity markets, promotion of standardization and grading and promotion of e-trading. States need to adopt these reforms, operationalise them and in fact go beyond the measures proposed in the Model Law to provide a free and competitive market to farmers."

These are the recommendations given by Hon'ble Bhupender Singh Hooda.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महादेय, माननीय सदस्य ने मेरा नाम लेकर बात की है। (शोर एवं व्यवधान) –

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि पहले वे मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें उसके बाद अपनी बात रख ले। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अभय जी ने मेरा नाम लेकर बोला है so, I have to intervene because he named me. मैं बीच में इन्टरविन करूंगा and I stand by these recommendations and we will agree to it. इन्होंने इस सदन में जो पढ़ा है, उसमें मेरे अकेला का नाम नहीं है। उस कमेटी में पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री और बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री भी शामिल थे। मैं इनकी यह बात मानता हूं और ये सही बात कह रहे हैं तथा वह बात भी ठीक है लेकिन जो असली रिकमंडेशन है उसको भी इस सदन में पढ़ना चाहिए कि किसान को एम.एस.पी. सी–2 फार्मूले के तहत दी जायेगी। ये इस बात को क्यों नहीं पढ़ते हैं? सरकार इस बात को मान ले कि किसान की फसल सी–2 फार्मूले के आधार पर खरीदी जायेगी। किसान किसी भी मार्केट में जाये इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा तो यही कहना है कि इसमें ए.पी.एम.सी. की मोनोपली नहीं रहनी चाहिए we will agree to it.(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब को बताना चाहूंगा कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि ये हुड्डा साहब की अपनी कमेटी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में इस सदन में चर्चा नहीं करना चाहता था। परन्तु जो बात माननीय सदस्य ने कही है, मैं इस बारे में कहना

चाहूंगा कि अभय सिंह जी के द्वारा तीनों कृषि कानूनों की जो बात की गई है, इसमें एम.एस.पी. शब्द डाल दो we will agree to it. Don't mislead the House. (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं हुड्डा साहब को बताना चाहूंगा कि किसान को प्राइवेट मंडी में ले जाया जा रहा है, इस बात को कांग्रेस पार्टी गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी। (विघ्न)

श्री अमरजीत ढांडा (जुलाना) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया मैं उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। इस सदन में हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य बैठे हुए हैं। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जहर घोलने का काम किया जा रहा है, हम सभी माननीय सदस्यों को यह बात सोचनी चाहिए कि हम भी किसान हैं। हम इस सदन में बैठे हुए हैं तो सिर्फ किसानों के वोटों की वजह से ही बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ जो एक ताजा दुर्घटना हुई थी मैं उस बारे में इस सदन में जिक्र करना चाहूंगा। मेरे हल्के जुलाना के गांव सिवाह में दो गुटों के बीच झगड़ा हो गया था और वहां पर गांव के सभी बुजुर्ग लोग खड़े हुए थे, जिनका हम आज भी बहुत ही आदर सत्कार करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग अपने बुजुर्गों का आदर सत्कार करती है या नहीं। मुझे इस बात के बारे में जानकारी नहीं है। मैं भी उस भंडारे में गया था और वहां पर गांव की सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और नौजवान बच्चे भी आये हुए थे। वहां कांग्रेस पार्टी के एक व्यक्ति ने पूरे गांव में पुतला फुंकने का काम किया था जिसको मीडिया ने भी अपने चैनलों के माध्यम से दिखाया था और वह आदमी वहां पर गोली चलाकर दिल्ली भाग गया था और दिल्ली में जाकर किसानों के बीच में भाषण देता है कि अमरजीत ढांडा, विधायक किसान विरोधी है। (विघ्न)

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, ढांडा जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सैनी जी, प्लीज बैठ जायें। अगर आप सदन की कार्यवाही को बीच में बाधित करने का काम करोगे तो फिर बाकी सदस्यों को बोलने का मौका कैसे दिया जायेगा? प्लीज आप बैठ जायें। (विघ्न)

श्री अमरजीत ढांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो पहले जुलाना विधान सभा क्षेत्र से विधायक थे। उन्होंने पिछले दिनों ही कांग्रेस पार्टी ज्वॉइन की है। वह रात को 12 बजे उस व्यक्ति के घर गया कि तू पुलिस स्टेशन

में दरख्वास्त दे, हम तेरे साथ खड़े हैं। मुझे इस बारे में किसी व्यक्ति ने फोन करके पूरी जानकारी दी कि विधायक जी आप थोड़े सख्त हो जाओ तो मैंने उस आदमी से पूछा कि भाई क्या बात हो गई है? उसने मुझे बताया कि आपको पता ही है कि किसान आंदोलन चल रहा है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। अध्यक्ष जी, हम भी किसान के बेटे हैं। प्रदेश के किसानों ने अपना वोट देकर हमें यहां पर भेजा है इसलिए यहां पर किसानों के हित की बात कहना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम किसानों के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। विपक्ष के साथियों ने किसानों को हमेशा ही किसानों के रास्ते में कांटे बोने का काम किया है। हमारे जो किसान भाई दिल्ली में बैठे हैं हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार उनकी अधिकतर मांगों को मानकर जल्दी से जल्दी उनको वहां से खुश करके जश्न मनाते हुए घर वापिस लायेगी। हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश में स्थापित होने वाली प्राईवेट सैक्टर की इकाईयों में 75 परसैंट रोजगार हरियाणा प्रदेश के निवासियों को देने का कानून बनाया है हम इसके लिए अपनी सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार से हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में राशन डिपो की अलॉटमैंट में 33 परसैंट राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है। हम अपनी सरकार के इस सराहनीय कदम की भी बहुत–बहुत प्रशंसा करते हैं और बहुत–बहुत धन्यवाद करते हैं। जब चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो उस समय महम और खरखौदा सहित अपने इलाके के अधिकतर विधान सभा क्षेत्रों में ही प्रदेश का ज्यादा से ज्यादा बजट खर्च करने का काम किया था। हुड्डा साहब की सरकार के समय में मेरे जुलाना विधान सभा क्षेत्र की सभी क्षेत्रों में घोर उपेक्षा की गई थी। हुड्डा साहब ने अपने शासनकाल के दौरान मेरे जुलाना क्षेत्र के विकास के लिए एक पैसे का भी प्रावधान नहीं किया था। यह बात मैं खुले चैलेंज के साथ कह रहा हूं। अगर हुड्डा साहब मेरी बात को गलत साबित कर दें तो मैं आज ही राजनीति से सन्यास ले लूंगा। मेरे जुलाना की सारी की सारी मण्डी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और कांग्रेस के माननीय साथी उनकी सरकार के शासनकाल के दौरान हरियाणा के समान विकास की बात करते रहे। (शोर एवं व्यवधान) मेरे जुलाना विधान क्षेत्र में कोई इण्डस्ट्री उस समय नहीं लगाई गई थी। उस समय मेरे विधान सभा क्षेत्र की सारी की सारी सड़कें टूटी हुई थी। स्पीकर सर, मेरी कांग्रेस के साथियों से यही रिकवैस्ट है कि किसान के हितों की लड़ाई को हम सभी को एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए।(शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, हम लोग किसानों

के बीच में रहते हैं। हरियाणा में 36 बिरादरी किसान है न कि केवल मात्र जाट वर्ग ही किसान है। हमारी सरकार किसानों की बात को पूरी तरह से सुनती है। हरियाणा के जो 36 बिरादरी के किसान हैं उन सभी ने हमें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर विधान सभा में भेजा है इसलिए हम हरियाणा की 36 बिरादरी के किसान के विकास की बात करेंगे। कांग्रेस के माननीय साथी वोट की राजनीति के लिए किसानों के मन में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से कांग्रेस के माननीय साथियों को यही सलाह है कि उनको किसानों के मन में सरकार के खिलाफ जहर घोलने का काम नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर ये अभी भी ऐसा ही करेंगे तो निकट भविष्य में इनका यह दांव उल्टा ही पड़ने वाला है। इनकी समझदारी इसी में है कि इनको समय रहते सम्भल जाना चाहिए। इनको विशेष रूप से एक कहावत को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो जैसा बोयेगा उसको वैसा ही काटना पड़ेगा। इन्होंने जो कुछ पहले बोया था उसका परिणाम ये आज भुगत ही रहे हैं। स्पीकर सर, आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

श्री असीम गोयल (अम्बाला शहर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आज जिस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करने के लिए हम हाउस में उपस्थित हुए हैं उस सम्बन्ध में बात करने से पहले मैं सबसे पहले तो जो हमारे अन्नदाता किसान भाई हैं उनको नमन करता हूं। किसान निसंदेह हमारी भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। किसान भाई सर्दी, गर्मी, बरसात और तूफान को सहकर भी इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा परिश्रम करता है। मैं अपने किसान भाईयों के परिश्रम को भी नमन करता हूं। अध्यक्ष जी, यहां पर हर कोई किसी न किसी रूप में अपने आपको किसानी से जुड़ा पायेगा। मैंने सीधे तौर पर किसानी नहीं की है। मेरा पैतृक व्यवसाय आढ़त का रहा है। मैं आज उसी के दम पर यहां खड़ा हूं। इस प्रकार से किसान साथियों की वजह से ही आज मेरा अस्तित्व है। मुझे यह मानने में कोई बुराई प्रतीत नहीं होती है। स्पीकर सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो हम सभी लोग जिस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं वह किसानों से सम्बंधित है। केन्द्र सरकार जो तीन कृषि कानून लेकर आई वह किसान को मजबूत बनाने के लिए ही लेकर आई है। आज जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया है ये अपने आपको मजबूत बनाने के लिए लेकर आया

है। विपक्ष के माननीय साथी यही चाहते हैं कि किसान मजबूर रहे और कभी भी मजबूत न बने। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आने का इनका इतना ही मकसद है। इन्होंने कुछ समय पहले भी एक जाति विशेष को भड़का कर पूरे प्रदेश में अस्थिरता का माहौल क्रिएट कर दिया था। उस समय इन्हीं विपक्ष के साथियों ने पूरे प्रदेश को जलाने की कोशिश की थी। यह हमारे हरियाणा प्रदेश का सौभाग्य रहा कि विपक्ष के साथी उस समय अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाये थे। उसी प्रकार से ये आज किसान आंदोलन के दम पर सत्ता की सीढ़ियां चढ़कर जाना चाहते हैं।

.....

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन की बैठक का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

.....

मंत्री परिषद् के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 और 2019 में अगर हरियाणा की जनता ने और देश की जनता ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया तो इन विपक्ष के साथियों के खिलाफ अविश्वास पारित करने का काम किया। इनको लगा कि सत्ता को हथियाने के लिए यह बैकडोर एंट्री सही है। आज ये किसान भाईयों को गुमराह करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अभी डॉ. अभय सिह यादव जी एक बात बोल रहे थे कि ये लोग गांव में हमें इसीलिए नहीं जाने देते कि किसान भाईयों को एक पक्ष सुनने को मिले। अगर हमने इन तीन कानूनों के पक्ष में अपनी बात रख दी तो उल्टा हमारे गांवों में घुसने पर रोक नहीं लगेगी बल्कि इनको कोई गांवों में घुसने नहीं देगा। अध्यक्ष महोदय, यहां पर नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि यह अविश्वास दो तरह का है। किसान भाईयों के नाते, वोट बैंक की राजनीति को साधने का विश्वास प्रस्ताव भी है और अपने आपको अपनी हाईकमान के आगे साबित करने का विश्वास प्रस्ताव भी है। अभी जी–23 में नेता प्रतिपक्ष ने जो भगवां पगड़ी डाली थी उसके हिसाब से अपने आपको साबित करने का विश्वास प्रस्ताव भी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या ये अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, असीम गोयल जी गलत क्या बोल रहे हैं? अब क्या वे आपके मुताबिक बोलेंगे?

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैं अविश्वास प्रस्ताव पर ही बोल रहा हूं। मुझे एक बात याद आ रही है कि जब ये किसान साथियों की जमीन खा रहे थे तो इनको किसी ने रोका नहीं। जब ये प्लाट आबंटन घोटाला करके खा रहे थे तब इनको किसी ने नहीं रोका और जब नौकरियों के नाम पर पैसे खा रहे थे, मैरिट खा रहे थे, अढ़ाई करोड़ हरियाणा की जनता के युवाओं के हक को खा रहे थे तब इनको किसी ने नहीं रोका और जब ये सत्ता से बाहर हो कर बैठ गये तो इनको किसी ने कहा कि आपने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, इतना कुछ खा लिया। तो इन्होंने कहा कि भाई जब हम ऐसा कर रहे थे तो तुमने हमें रोका क्यों नहीं तो उसने कहा कि भाई साहब हमने तो यह सुना है कि जब कोई खा रहा हो तो किसी को रोका नहीं करते। सारे साथी खाने वाले भी और ना रोकने वाले भी आज विपक्ष में बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये आज नौकरियों की बात करते हैं, ये 75 प्रतिशत हरियाणा के युवाओं को मिलने वाली बात पर ऐतराज करते हैं। ये सरकारी नौकरियों की बात करते हैं कि उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि जो जेल सुपरिंटैंडेंट की और एच.सी.एस. की नौकरियां आपने दी थी एक बार खड़े हो कर सदन में बड़ी जिम्मेदारी के साथ वह लिस्ट उनके पिता के नाम के साथ पढ़ दें तो पता चल जायेगा कि कितने मंत्रियों के, कितने विधायकों के रिश्तेदार उन लिस्टों में लगे हैं और हमारी लिस्ट हम पढ़ते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। इस अविश्वास प्रस्ताव का फैसला हो जायेगा। सही मायने में यह अविश्वास प्रस्ताव तो कांग्रेस के साथियों के खिलाफ है। वह लिस्ट मेरे पास है वह मैं पढ़ कर दिखा दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी श्री असीम गोयल जी को कहना चाहता हूं कि ये वह लिस्ट मुझे दे दें मैं इस महान सदन में वह लिस्ट पढ़ कर सुना दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, आप इनको शांत करवाईये मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मैं इनका ध्यान एक घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस के

साथियों को तो याद होगा कि मध्य प्रदेश में मुलतई कांड हुआ था जिसमें उस गोलीबारी में 24 किसानों की जान गई थी। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और वहां पर ** मुख्यमंत्री थे। किसान साथी अपने मुआवजे के लिए धरने पर बैठे हुए थे और जब वे नहीं उठे तो उन्होंने गोलियां चलवाई जिसमें 24 किसान साथी मारे गये। आज ये लोग हमारे संयम की परीक्षा लेना चाहते हैं। आज बॉर्डर के ऊपर 105 दिनों में एक किसान भाई भी सरकार की गोली से नहीं मरा है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम इस सदन में नहीं लिया जा सकता है इसलिए ** नाम सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री अध्यक्षः ठीक है, ** का नाम सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री असीम गोयल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये यहां से तो डिलीट करवा सकते हैं लेकिन जनता के जहन से और दिमाग से डिलीट नहीं करवा सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने चाहे केन्द्र की सरकार है या प्रदेश की सरकार है हमारे जितने भी फोर्स के साथी हैं उन्होंने बड़े संयम के साथ इस सारे मामले को निपटाने की कोशिश की है। ग्यारह दौर की वार्ताएं हुई किसी लाठी या गोली से हमारा किसान नहीं मरा है। (शोर एवं व्यवधान)

राव दान सिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री असीम जी यह गलत कह रहे हैं कि बॉर्डर पर बैठे कोई आन्दोलनरत किसान नहीं मरा है।

श्री असीम गोयल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राव साहब ने मेरी पूरी बात नहीं सुनी है। मैंने यह कहा है कि किसी की लाठी या गोली से हमारा किसान नहीं मरा है। ये कांग्रेस के सदस्य 24 किसानों के हत्यारे हैं ये यह सवाल नहीं पूछ सकते हैं। मैंने यह कहा है कि किसान नहीं मरा है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 26 जनवरी को लाल किले के अन्दर जो हमारी आस्था, सम्मान और देश के सर्वोच्य प्रभुसत्ता का एक प्रतीक है वहां तिरंगे झण्डे को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए इतना गिर सकती है। ये किनके साथ लग गये, जो देश विरोधी लोग हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्ला, इंशा

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

अल्ला। ऐसे नारे लगाने वाले लोगों के ये साथ मिल गये। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने अपनी विरासत को गिरवी रख दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो देश के गद्दार हैं कांग्रेस पार्टी के सदस्य उनके साथ मिल गये। (शोर एवं व्यवधान) वह सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहती है।(शोर एवं व्यवधान) जो लोग यह कहते हैं कि भारत के टुकड़े होंगे–इंशा अल्ला, इंशा अल्ला। ये उन गद्दारों के साथ मिले हुए हैं।(शोर एवं व्यवधान)

(इस समय कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य श्री असीम गोयल द्वारा की गई टिप्पणियों पर रोश जताने के लिए वैल में आकर अध्यक्ष महोदय से तर्क–वितर्क करने लगे।)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप अपनी–अपनी सीटों पर जाईये। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीट पर जाकर बात कीजिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरे समय का ध्यान रखें।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अपनी–अपनी सीटों पर जाईये। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को कहिए कि वे अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, मेरे समय का ध्यान रखें।(शोर एवं व्यवधान) मेरा समय न काटा जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप अपनी–अपनी सीटों पर जाकर बात कीजिये। नहीं तो मैं आप सभी सदस्यों को नेम कर दूंगा। (शोर एवं व्यवधान) आपने जो कहना है वह लिखकर दे दीजिए। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, मैं आपकी पार्टी के इन सभी सदस्यों को नेम कर दूंगा, फिर आप बाद में मुझे मत कहना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, देशद्रोही शब्द अनपार्लियामैंट्री है इसलिए इसको कार्यवाही से निकलवाया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो घटनाक्रम की बात कर रहा हूं। यह बहुत जरूरी विषय है। जो हमारे विपक्ष के साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल मात्र चर्चा करना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप तो दिल्ली विधान सभा में डिप्टी स्पीकर रही हैं। जब मैं खड़ा हूं तब तो आप बैठ जाईये।(शोर एवं व्यवधान) असीम जी, प्लीज खत्म करिये।

श्री असीम गोयल : सर, मुझे बिना व्यवधान के केवल तीन मिनट दे दीजिए। मेरा समय तो शोर एवं व्यवधान में ही निकल गया।(शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, हमारे 86 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो दो एकड़ जोत या उससे कम जोत के मालिक हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : स्पीकर सर, जैसा कि मलिक साहब ने कहा है कि 86 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो दो एकड़ जोत या उससे कम जोत के मालिक हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : असीम जी, आप किसानों को देशद्रोही नहीं कह सकते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, किसान को किसी ने भी देशद्रोही नहीं कहा है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैंने कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को देशद्रोही कहा है। मैं किसानों को तो नमन करता हूं। मैंने तो यह कहा है कि मेरा अस्तित्व ही किसानों की वजह से है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगर किसानों के बारे में देशद्रोही शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसको डिलिट कर दिया जाए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, मैंने किसान भाइयों के लिए देशद्रोही शब्द का प्रयोग नहीं किया बल्कि काग्रेस पार्टी के लिए किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, असीम गोयल ने किसान भाइयों के लिए देशद्रोही शब्द का प्रयोग किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिए, आप सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाइये और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें।(शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, मैंने किसान भाइयों के लिए ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आपने यह बहुत ठीक बात कहीं कि यदि किसानों के लिए देशद्रोही शब्द प्रयोग किया गया होगा तो उसको प्रोसिडिंग्ज से डिलीट करवा दिया जायेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, मैंने किसानों के लिए देशद्रोही शब्द कहा ही नहीं है तो इस शब्द के डिलीट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा जी, मैं फिर कहता हूँ कि किसानों के लिए देशद्रोही शब्द नहीं कहा गया है अगर कहा भी गया है तो इसे प्रोसिडिंग्ज से डिलीट करवा दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हमें यह क्लेरिफिकेशन लेने का तो हक है कि आखिरकार देशद्रोही शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आपको क्लेरिफिकेशन लेने का पूरा हक है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भपूेन्द्र सिह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, अगर हक है तो फिर हमें बताया जाये कि इन्होंने देशद्रोही किसको कहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, आप क्लेरिफाई कर दो कि देशद्रोही किसको कहा गया है तो बात स्पष्ट हो जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, मैंने कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही कहा है। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य सदन की वैल में आ गए और श्री अध्यक्ष के साथ तर्क–वितर्क करते हुए नारेबाजी करने लग गए।)

श्री अध्यक्षः आप सभी अपनी सीटों पर बैठ जाइये नहीं तो मैं आपको नेम कर दूंगा।(शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कांग्रेस पार्टी को देशद्रोही कहा है (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः असीम जी आप अपनी सीट पर बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान) अब आपकी कोई भी बात प्रोसिडिंग्ज का हिस्सा नहीं होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः ठीक है, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सीट धारण करता हूँ।

श्री देवेन्द्र सिंह बबलीः अध्यक्ष महोदय, मैं भी किसान हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ। मुझे किसानों के बारे में अपनी बात रखने दी जाये।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिए, लीडर ऑफ द पार्टी ने मुझे जो नाम लिखकर दिए हैं उनमें आपका नाम नहीं है इसलिए मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। आप प्लीज अपनी सीट पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, बबली को बोलने की इजाजत दी जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह बबली: अध्यक्ष महोदय, हमें भी किसानों के संबंध में बोलने का मौका दीजिए। अध्यक्ष महोदय, यदि किसानों के हकों की मांग के लिये विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा भी देना पड़े तो सबसे पहले मैं इस्तीफा दूंगा। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं जनता की अदालत में फिर से जाने के लिये तैयार हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बबली जी, प्लीज आप अपनी सीट पर बैठ जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार गौत्तम: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी किसानों के बारे में कहना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं अविश्वास प्रस्ताव का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन का ध्यान लगभग सौ वर्ष पहले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। पहले एक आंदोलन 'पगड़ी संभाल जट्टा' चला था। जितने भी किसान हैं, चाहे वह किसान के बेटे हों, किसान के साथ जुड़े हुए हों या फिर किसी भी वर्ग से संबंधित हों, उसमें शामिल थे। ब्रिटिश सरकार के समय में किसानों से संबंधित तीन कानून The Punjab Land Colonisation Act, The Bari Doab Canal Act or The Punjab Land Alienation Act आये थे। अध्यक्ष महोदय, उस समय के ये तीनों कानून किसानों के खिलाफ थे और इसके विरोध में 'पगड़ी संभाल जट्टा' आंदोलन चला था। उस समय उस आंदोलन को भारत के सुप्रसिद्ध राष्ट्रभक्त एवं क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह जो शहीदे आजम भगत सिंह के चाचा जी थे, सरदार किशन सिंह जो शहीद आजम भगत सिंह के पिता जी थे, लाला लाजपतराय जी और चौधरी मातू राम हुड्डा जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के दादा थे, उन्होंने इस आंदोलन की अगुवाई की थी। अध्यक्ष महोदय, मार्च और मई, 1907 के बीच पंजाब के विभिन्न शहरों में उन तीनों कानूनों का विरोध करने के लिये कई बैठकें हुईं थी। दिनांक 22 मार्च, 1907 को लायलपुर में आयोजित एक बैठक के दौरान लाला बांके दयाल, संपादक, झंग स्माल ने अपनी कविता 'पगड़ी संभाल जट्टा' का पाठ किया था। इसके बाद ही किसान आंदोलन को 'पगड़ी संभाल जट्टा' कहा गया था। अध्यक्ष महोदय, आज हम इस महान सदन में सरदार अजीत सिंह, सरदार किशन सिंह, लाला लाजपतराय और चौधरी मातू राम हुड्डा को नमन करते हैं, जिन्होंने ब्रिटिश कानून

के खिलाफ बहुत बड़ी जंग लड़ी थी। अध्यक्ष महोदय, आज इसी तरह से अपने दादा के विचाराधारा पर चलते हुए चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा इन तीनों कृषि कानून किसानों के साथ लड़ रहे हैं। इन ब्रिटिश कानून को खत्म करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने उन नेताओं पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी के ऑर्डर इशू किये थे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी बताना उचित समझता हूँ कि सरदार अजीत सिंह उस समय सांघी गांव में चौधरी मातू राम हुड्डा के घर आकर रूके थे। अध्यक्ष महोदय, ब्रिटिश सरकार को भी झुकना पड़ा था और तीनों कानून वापिस लेने पड़े थे। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने पगड़ी संभाल जट्टा किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले सरदार अजीत सिंह को पंजाब के किसानों का मुखिया बनाया था। मैं कहूंगा कि इसी तरह का एक किसान आन्दोलन अमेरिका में भी हुआ था । वर्ष 1979 में सारे अमेरिका के किसान कृषि कानूनों के खिलाफ वाशिंगटन में विरोधस्वरूप इकट्ठे हुए थे । वे किसान ट्रैक्टरों पर बैठकर ही वहां आये थे । उन किसानों में एक ऐंडरसन नाम की लेडी 1300 मील दूर तक ट्रैक्टर चलाकर उस आन्दोलन में शामिल हुई थी । उस समय अमेरिका की सरकार भी झुकी थी । जब वे किसान कृषि कानूनों के खिलाफ वाशिंगटन में ट्रैक्टरों पर बैठकर विरोधस्वरूप इकट्ठे हुए थे तो उससे अमेरिका के वाशिंगटन के लोगों में अनरैस्ट आ गया कि ये किसान हमारी शांति भंग करने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद वाशिंगटन में एक बर्फीला तुफान आ गया । किसानों ने अपने ट्रैक्टरों को लगाकर वहां की सड़कों से सारी बर्फ को हटा दिया और वहां के शहरवासियों की मदद की । इससे वाशिंगटनवासियों के मन में किसानों के प्रति सद्भावना जाग्रत हुई और वे लोग किसानों के समर्थन में आ गए । उस समय अमेरिका के प्रैजीडैंट श्री जिम्मी कार्टर थे जोकि स्वयं भी एक किसान थे । उन्होंने उस समय किसानों के लिए एक बहुत अच्छी पोलिसी बनाई जिससे वहां के किसानों का उत्थान हुआ । अतः मैं कहना चाहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री महोदय को भी किसानों के लिए एक बहुत अच्छी फार्म पोलिसी बनानी चाहिए जिससे किसान आगे बढ़ें और उनका उद्धार हो । सदन में प्राइवेट प्लेयर्स के बारे में कल भी बात हुई थी और आज भी बात हुई है । प्राइवेट प्लेयर्स की जहां तक बात है that is under the A.P.M.C. Act. उसको कोई सुनने को तैयार नहीं है । ए.पी.एम.सी. स्टेट का एक्ट है । उसमें अगर प्राइवेट प्लेयर आएगा तो उससे किसी को भी एतराज नहीं

होगा । फिर किसी भी किसान को किसी भी बात से एतराज नहीं होगा । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि सरकार हमारे प्रदेश में एम.एस.पी. से संबंधित कानून बनाए । इससे किसान का जीवन खुशहाल होगा और वह अपने आपको सुरक्षित महसूस करेगा । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री सोमबीर सांगवान (दादरी) : स्पीकर महोदय, सबसे पहले तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस सदन में माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह यादव ने किसानों के लिए 'गिरोह' शब्द का प्रयोग किया है । मेरी आपसे विनती है कि इस शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए । (शोर एवं व्यवधान) देशवासियों को पेट भरने वाले अन्नदाता के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सोमबीर जी, जहां तक मेरी जानकरी है सदन में माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह यादव ने किसानों के लिए 'गिरोह' शब्द का प्रयोग नहीं किया है ।

श्री सोमबीर सांगवान : अध्यक्ष महोदय, पिछले 107–108 दिन से किसान आन्दोलन कर रहे हैं । किसानों के वहां पर बैठे हुए सारी सर्दियां निकल गई और अब गर्मियां भी आ चुकी हैं । इन तीनों कृषि कानूनों के बारे में हमने कानूनविदों और शिक्षाविदों से अच्छी तरह से चर्चा की लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि इन कानूनों से किसानों का भला होगा । आज भाजपा और जजपा का कोई भी नेता, मुख्यमंत्री, उप–मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद आदि हरियाणा प्रदेश के किसी भी गांव में कोई सभा नहीं कर सकते । (शोर एवं व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं ऐसे हालात क्यों पैदा हुए ? (शोर एवं व्यवधान) इसका क्या कारण है ? आप मुझे सिर्फ 2 मिनट सुन लें । (शोर एवं व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश बदनाम क्यों हुआ ? (शोर एवं व्यवधान) इसका कारण यह है कि सत्ता पक्ष ने किसानों की भलाई के विषय में बड़ी–बड़ी बातें की और उनकी भलाई के नाम पर रेल तक को रोकने का काम किया था। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने किसानों की भावनाओं को ठेस पहुंचायी है। यह उसी बात का परिणाम है कि आज किसान रोड पर बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा सरकार का कोई माननीय मंत्री और संत्री जन सभा नहीं करना चाहता है। यह लोकतंत्र में बहुत बड़ा जुल्म है। यह नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्य इस पर विचार करें। भारत कृषि प्रधान देश है और हरियाणा प्रदेश

खेती करने वाला सबसे मजबूत प्रदेश है, इसलिए विधान सभा में किसानों के हक में कोई प्रस्ताव लाकर उसको सैंट्रल गवर्नमैंट के पास भेजना चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डॉ0 अभय सिंह यादव जी ने कहा कि मेरी रिपोर्ट में एम.एस.पी. का जिक्र नहीं है। माननीय सदस्य इसकी क्लैरिफिकेशन खुद ही दे दें कि यह बात इस रिपोर्ट में है या नहीं है। (विघ्न)

डॉ0 अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि इन्होंने यह बात मुझे दिखा दी है। माननीय नेता प्रतिपक्ष यह बात भी मान लें कि इसमें प्राईवेट मंडियों की रिकमेंडेशन इन्होंने ही की हुई है और यह रिकार्ड की बात है।

श्री सोमबीर सांगवान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बैस्ट विधायक का अवार्ड मिल चुका है। इस विषय पर ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है। माननीय सदस्य ने अपनी बात रख ली है और अब मुझे भी अपनी बात रखने दें।

श्री अध्यक्षः मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि उन्हें आपस में बहस करने की बजाए चर्चा करनी चाहिए। माननीय सदस्यों को हल्ला नहीं करना चाहिए। अगर माननीय सदस्य ने कोई गलती की है तो उसको ठीक करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पार्लियामैंटरी वे में सभ्य तरीके से चर्चा करनी चाहिए। सदन में हल्ला करने से किसी को कोई लाभ नहीं होगा।

श्री मामन खानः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मामन जी, आप सबसे ज्यादा बोलते हैं। प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री सोमबीर सांगवानः अध्यक्ष महोदय, यह किसानों की आत्मा की आवाज है। जब से पंजाब के किसान भाइयों के नेतृत्व में किसान आंदोलन शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक पूरे हिन्दुस्तान के किसान उसके समर्थन में हैं। यू.एन.ओ. के सैक्रेटरी ने भी कहा है कि यह सबसे बड़ा जन आंदोलन है। हमने लोकतंत्र में पहले कभी इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा, इसीलिए लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं। इन किसानों की अनदेखी क्यों की जाए? अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों और सरकार से प्रार्थना है कि किसानों के हक में इन तीनों कानूनों को वापिस करके कोई चौथा कानून लेकर आएं, जिससे किसानों का भला हो और साथ ही साथ देश और प्रदेश का भी भला हो। आज किसान दुःखी हैं। नार्थ इंडिया का मध्यम वर्गीय किसान मजबूत है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बिहार का किसान अपना भाड़ा लगाकर दिल्ली में आकर आंदोलन नहीं कर सकता। यह किसान आंदोलन मजबूत होने के कारण

आज किसान पिछले साढ़े तीन महीने से दिल्ली के अलग–अलग बॉडर्ज पर बैठे हुए हैं। इस आंदोलन को कई तरह से कमजोर करने का षडयंत्र किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) इन तीनों कानूनों को निरस्त करके किसानों की भलाई के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः प्लीज, आप सब बैठ जाएं।

श्री सोमबीर सांगवानः अध्यक्ष महोदय, जब मैं दूसरी पार्टियों के माननीय सदस्यों से कहता हूं कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें तो वे कहते हैं कि हम भी इस बात से दुःखी हैं। लेकिन इसमें यही बात है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे ? अध्यक्ष महोदय, जितने भी माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं उनकी अंतरात्मा को पता है कि किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, परन्तु वे बोल नहीं सकते। उनमें से कोई मंत्री बनने के चक्कर में है, कोई अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है और कोई चमचागिरी करने के चक्कर में है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आज तुरंत प्रभाव से किसानों की आवाज सुनकर किसानों की भलाई के लिए चौथा कानून लाकर इस आंदोलन को खत्म करवाया जाए। जोकि इस देश, समाज और किसानों के हित में होगा। मेरी आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि इस काम को करवाया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

14:00 बजे

श्री हरविन्द्र कल्याण (घरौंडा): स्पीकर सर, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज सुबह से बहुत–सी बातों पर चर्चा हो रही है और उनमें भी खासतौर पर कृषि कानूनों के विषय में चर्चा हुई है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यह अविश्वास प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के मंत्रिमंडल के खिलाफ आया है। मगर हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के अन्दर मजबूत व्यवस्थाएं, पारदर्शी शासन के साथ सबका साथ–सबका विकास और सबका विश्वास की सोच लेकर लगातार पिछले 6 सालों से काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने चाहे केन्द्रीय स्तर की बात हो या प्रदेश के हित की बात हो। हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारी सरकार इस बात पर गम्भीरता से कार्य कर रही है कि किसानों का भला कैसे हो और उनके भले के लिए क्या–क्या कदम उठाये जायें। इस तरह का एक

बीड़ा केन्द्र सरकार ने उठाया हुआ है और मैं समझता हूं कि एक तरह से यह कठिन भी है। आज तक बहुत सी सरकारें आईं और चली गईं। जिन्होंने किसानों से संबंधित विषय पर अलग–अलग समय में बहुत सारे नारे भी दिये। मगर हकीकत में हम पूरे देश की राजनीति की बात करें तो बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं, जिन्होंने किसानों के हक में ठोस कार्य किये हों। आज की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ऐसा ही एक ठोस कदम इन तीनों कृषि कानूनों को लागू करके अपने आप को साबित करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे मन में कुछ सवाल जरूर उठते हैं। मैं इस महान सदन में बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में जिस बात का जिक्र करती है वो पूरे तरीके से गलत कैसे हो सकता है? क्या ये तीनों कृषि कानून कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के कहने से काले कानून इस वजह से हैं कि ये कानून माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की कलम से बने हुए हैं? अगर कुछ कमियां रह भी जायें तो हमेशा सुधार की गुजाइंश रहती है और सरकार जिसके लिए हमेशा से ही तैयार रहती है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्यों उस तरीके से सार्थक चर्चा नहीं की जा रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य बैठें हुए हैं। मैं इस महान सदन में एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्ति नया मकान बनाता है तो वह अपने खून पसीने की कमाई से बनाता है। कई बार देखा गया है कि नये मकान के अंदर भी कई प्रकार की कमियां रह जाती हैं जैसे कोई टायल टूट गई, फर्श टूट गया, पानी लीक हो गया, टंकी लीक हो गई या बिजली का कनेक्शन ठीक से नहीं जोड़ा गया आदि। मैं कांग्रेस पार्टी से यह बात पूछना चाहता हूं कि ऐसे में हम मकान को ठीक करवाने का काम करते हैं या मकान को जे.सी.बी. के द्वारा तोड़ने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे देश में ये तीनों कृषि कानून लागू करके यह दर्शाया है कि कहीं न कहीं ये कृषि बिल किसान वर्ग की बेहतरी के लिए हैं और उनके बेहतर भविष्य के लिए है। मैं विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि ऐसे में विपक्ष की भूमिका कैसी रहनी चाहिए? क्या विपक्ष की भूमिका यह नहीं रहनी चाहिए कि इन तीनों कृषि कानूनों पर आपस में बैठकर विचार–विमर्श और मंथन किया जा सके ताकि ये तीनों कृषि कानूनों को और बेहतर बनाया जा सके या इनमें और कोई सुधार लाने की गुजाइंश है तो वह भी लाने का काम किया जा सके। ऐसे समय में

विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि वह इस संवेदनशील विषय पर राजनीति न करे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस बारे में अपनी बात कहने का मौका दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, मैं रनिंग कमेंट्री बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आप हर बात पर कमेंट कर रहे हैं। जब आपको बोलने का मौका दिया जायेगा उस समय आप अपनी बात रख लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सत्ता पक्ष के सदस्य अपनी बातें 15–15 मिनट तक बोलते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, जब आपको बोलने का समय दिया जायेगा तब आप अपनी बात रख लेना इसलिए मेरी आपसे विनती है कि मैं किसी भी सदस्य को बार–बार कहूं, यह बात भी ठीक नहीं है। मैं रनिंग कमेंट्री बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। जब आपको बोलने के लिए समय दिया जायेगा तब आप अपनी बात रख लेना। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगा अगर आपके नेता ने आपका नाम मुझे नोट करवाया होगा तो आपको बोलने का समय जरूर दिया जायेगा। अगर आपके नेता ने आपका नाम मुझे नोट नहीं करवाया तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होगा।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, आप सत्ता पक्ष के सदस्यों को बोलने के लिए 15–15 मिनट का समय दे देते हो और मुझे अपनी बात भी पूरी करने का मौका नहीं मिलता है। (विघ्न)

श्री हरविन्द्र कल्याण : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ये सवाल मेरे अकेले के नहीं हैं। आने वाले समय में प्रदेश की जनता इन सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी से पूछेगी। मैं आज इस मौके पर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी के कथन का जिक्र करना चाहूंगा जो उन्होंने वर्ष 1959 में कहे थे। उन्होंने कहा था कि हमारी जनता भोली है अगर समझाया जाये तो समझ जाती है, पर झूठी बात या झूठे नारे दिये जायें तो बहक जाती है। वास्तव में कृषि कानून से संबंधित विषय बहुत ही संवेदनशील हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि राजनीति करने के बहुत मौके और जगह आते रहेंगे। मैं खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं। मेरे पिता जी चौधरी देवी सिंह जी सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहे हैं। वे चौधरी देवी लाल जी के बहुत करीबी साथियों में से एक थे। डॉ. रघुवीर सिंह कादियान और चौधरी रणजीत सिंह जी बैठें हुए हैं। मैं इनका बहुत आदर सत्कार करता हूं।

मेरे परिवार का इन दोनों परिवारों के साथ बहुत ही नजदीक के संबंध भी रहे हैं। मैंने अपने परिवार को कृषि में अग्रणी भूमिका निभाते हुए देखा है। अध्यक्ष जी, 1960 के दशक में जब को–आपरेटिव मूवमैंट चली थी तो उस समय को–आपरेटिव मूवमैंट को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पिता जी के बहुत प्रयास रहे थे। सन् 1907 से हमारे परिवार के डेयरी फार्मिंग और 1980 के दशक पोलट्री और फिशरीज के कांसैप्ट को अडॉप्ट किया था। स्पीकर सर, मैंने खेत का प्रत्येक काम खुद अपने हाथों से किया हुआ है। हमारे परिवार में सभी को खेती के सम्बन्ध में बहुत सख्त ट्रेनिंग देने का प्रचलन था। मुझे कांट्रैक्ट फार्मिंग से यह याद आया कि कैसे किसानों का शोषण होता था। मैं स्वयं इन चीजों को अनुभव कर चुका हूं। सन् 1990 में जब मण्डल कमिशन का विरोध हुआ था उस समय हरियाणा प्रदेश के बहुत से रास्ते पूरी तरह से बंद थे। वह आंदोलन भी बहुत बड़े रूप में चला था। मगर एक कहावत है कि दो और दो चार रोटी अर्थात् भूखे को तो रोटी दिखती है। मेरा पोलट्री फार्म था। मेरे पोलट्री फार्म में बर्ड की पूरी खेप तैयार थी। यह मेरा सौभाग्य था कि उस समय सिर्फ जी.टी. रोड ही खुला था और हरियाणा के बाकी सभी रोड बंद थे। स्पीकर सर, उस समय के दौरान मैं लगातार 6 रात जागा हुआ हूं। यह मेरा रिकार्ड है। उस समय मैंने 6 दिन और 7 रात जागकर अपने पूरे के पूरे पोलट्री बर्ड की सेल की थी। उस समय मैंने यह जाना कि दिल्ली की मण्डी में किसानों का किस तरह से शोषण होता था। मुझे मौका मिला तो मैंने उस समय मुनाफा कमाया। मैं इन सारे अनुभवों में से निकला हुआ हूं। आज सत्ता पक्ष का एक विधायक होने के नाते नहीं बल्कि उससे भी पहले किसान होने के नाते मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस सदन में यह कहता हूं कि तीनों कृषि कानून वास्तव में किसान के हक में हैं और ये कृषि कानून आगे बढ़ने चाहिएं और इस सम्बन्ध में सभी स्तरों पर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। स्पीकर सर, मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि आज और इससे पहले भी कई बार इस तरह की बात भी इस सदन में आती है कि कौन असली किसान है और कौन नकली किसान है? इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि इस सदन में बैठा हुआ हर सम्मानित सदस्य किसी न किसी तरीके से डॉयरैक्टली और इनडॉयरैक्टली किसान जगह से और कृषि जगह से जुड़ा हुआ है। मैं यह भी समझता हूं कि इस सम्बन्ध में सभी के अपने–अपने विचार और अपने–अपने पक्ष हो सकते हैं। किसी को किसी से अपनी ईमानदारी और अपने किसान होने का सर्टीफिकेट लेने की किसी भी दृष्टि से

जरूरत नहीं है। स्पीकर सर, एक बात का अभी माननीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने जिक्र किया, जोकि एक बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं उन्होंने कैमला गांव की रैली का जिक्र किया क्योंकि कैमला गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक गांव है और उस रैली का आयोजक भी मैं खुद था। यहां पर इस बात का जिक्र आया कि माननीय मुख्यमंत्री का हैलीकॉप्टर वहां पर नहीं उतर पाया। मैं आज इस सदन के अंदर यह बात कहना चाहूंगा कि यह माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की दूर–दृष्टि है, यह माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की एक अच्छी सोच है और उनकी संवेदनशीलता है कि उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया। वर्ना वह रैली तो पूरी तरह से कामयाब थी। आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल जी और खेल राज्य मंत्री श्री संदीप जी उस रैली में थे। इसके अलावा 10 हजार लोग उस रैली के अंदर मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आये थे। इतना ही नहीं पूरे दो घंटे तक वह रैली चली है। जब वहां पर उस रैली में व्यवधान पैदा करने के लिए कुछ लोग आये उनकी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं थी यह बात रिकार्ड के अंदर है और मेरे पास उसके वीडियोज भी हैं मगर यह भी सच है कि वहां पर उपद्रव करने की मंशा से सभी किसान नहीं पहुंचे थे बल्कि किसान के रूप में वहां पर विपक्षी दलों के कुछ कार्यकर्ता भी थे और उस समय यह डर था कि वहां पर कोई ऐसे हालात न बन जायें जिनसे निर्दोष जनता का खूनखराबा हो जाये। स्पीकर सर, मैं अंत में एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि वास्तव में प्रदेश में यह वातावरण बनाया जा रहा है। सदन में इस बात को बड़ी शान के साथ रखा गया है कि सत्ता पक्ष का कोई भी विधायक और कोई भी मंत्री हरियाणा प्रदेश के किसी भी गांव में नहीं जा पा रहा है और कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहा है। स्पीकर सर, इस प्रकार के माहौल कभी–कभी बनते हैं और इस प्रकार के माहौल कभी–कभी बनाये भी जाते हैं लेकिन इस प्रकार के माहौल ज्यादा लम्बे नहीं चलते। अध्यक्ष जी, मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस वातावरण को विपक्षी दल अपनी कोई उपलब्धि न समझें और इस आधार पर भविष्य में उनको कोई राजनीतिक लाभ होगा उसका आकलन भी आज न करें क्योंकि पब्लिक और ये समाज बहुत बारीकी से हर बात का और हर पहलू का आकलन करते हैं। अध्यक्ष जी, अंत में एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जो किसान धरनों के ऊपर बैठे हैं और जिन्होंने अपनी जान गंवाई है मैं उन सभी के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं मगर मैं यह बात भी साथ ही साथ

कहूंगा कि ये जो वातावरण बना है इसमें जो विपक्ष की भूमिका है उसको कभी भी समाज माफ नहीं करेगा। अध्यक्ष जी, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ दोबारा अपनी पुरजोर मांग उठाते हुए सभी माननीय सदस्यों से यह अपील करता हूं कि वे इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अपना वोट करें और हरियाणा सही तरीके से दोबारा तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े सभी माननीय सदस्य इसे भी सुनिश्चित करने का काम करें। अध्यक्ष जी, आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्रीमती शकुन्तला खटक (कलानौर) (एस.सी.) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूं। आज जो यह अविश्वास प्रस्ताव आया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं कल सदन में नहीं थी और मेरी अनुपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल महिलाओं के बारे में एक बात कही थी। मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए भावुक होकर रोये थे। मैं आज आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को दोनों हाथ जोड़ कर यह कहना चाहती हूं कि जो हमारे लिए भावुक हुए वही भावुकता जो हमारी बहन बेटियां बॉर्डर पर किसान आंदोलन के समर्थन में अपने छोटे–छोटे बच्चों को गोद में लेकर धरने पर बैठी हैं, उनके लिए भी होनी चाहिए और उनकी समस्या भी सुनें। मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि शकुन्तला खटक अपने आपको पुरूषों से कम नहीं गिनती है। कभी मुख्यमंत्री जी यह न सोच रहे हों, यह महिला ही महिला है ऐसा नहीं है। जो विधान सभा में चुनकर आ गई वे सारी महिलाएं और बाहर की महिलाएं भी पुरूषों से कम नहीं हैं। महिलाएं तो आज आसमान को छू रही हैं और मुख्यमंत्री जी ट्रैक्टर धकेलने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते थे कि महिलाएं पुरूषों के समान हैं और आज ट्रैक्टर को धक्का लगा दिया, हमारा प्रदर्शन था तो मुख्यमंत्री जी रोने लगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा महसूस हुआ। मुख्यमंत्री जी के ये घड़ियाली आंसू और ये राजनीतिक ड्रामा मुझे अच्छा नहीं लगा। न तो मैं ऐसा करती हूं, न मैं देखती हूं और न ही ऐसा मैं सुनती हूं। रही बात बोलने की तो मैं सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगी। जितनी भी सदन में बातें हुई हैं मैं उनको रिपीट नहीं करूंगी। मैं एक कविता के माध्यम से किसान की व्यथा बताना चाहती हूं कि–

समझ जाओ किसान का दर्द एक बार खेत में हल चला कर तो देखो,
किसी जमीन के टुकड़े में कभी अनाज उगा कर तो देखो।
कभी जून की धूप में, कभी दिसम्बर की सर्दी में,
एक बार खेतों में जाकर तो देखो,

भूखे प्यासे खेतों में, एक बार हल चला कर तो देखो।
कभी दोपहर के दो बजे, कभी रात के तीन बजे,
एक बार सिंचाई के लिए मोटर चला कर तो देखो।
कंधों पर 15–15 लीटर की टंकी बांध कर
एक बार खेतों में स्प्रे करवा कर तो देखो।
कभी मौसम की मार, कभी नकली बीज,
खाद और दवाइयों का व्यापार,
कभी बीमारी से कभी कीड़ों के वार से
अपनी फसल लुटा कर तो देखो।
समझ जाओगे किसानों का दर्द,
एक बार खेतों में हल चला कर तो देखो।
अगर यह समझ भी लिया और यह सब कर भी लिया तो
लागत से कम में फसल बिखरा कर तो देखो।
कभी बाजार में मांग न हो तो सड़कों पर अपनी फसल बिखरा कर तो देखो।
जो चाहूं मुझे सरकार से वह मिल नहीं पाता,
मेरा नन्हा पौधा आंधी, तूफान, बारिश सहन कर नहीं पाता।
मैं रोता हूं बोता हूं आंसुओं के बीज जमीन पर
बी.जे.पी. सरकार के लालच से बेहद परेशान हूं,
हां मैं कर्ज में डूबता हुआ एक किसान हूं।
अध्यक्ष महोदय, आप सुनते जाईये। आगे भी देखिये कि क्या–क्या लिखा है।
देश का पेट भरने वाला मैं देश का अभिमान हूं।
खेत मेरा आशियाना है इस मिट्टी की मैं पहचान हूं।
बैल मेरा साथी है और हल मेरा सारथी है,
कड़कती धूप में पसीना बहाता, मैं एक किसान हूं।
मेरी मेहनत का मुझे सही दाम नहीं मिलता,
मुझे लूटने से सरकारों को आराम नहीं मिलता।
मेरी कमाई से भरती हैं उनकी तिजोरियां
मगर मुझे कभी सलाम नहीं मिलता।
उनकी सेवा में लगा रहता हूं दिन–रात,
मैं अपनी मिट्टी का इक्लौता एक स्वाभिमान हूं,
हां, मैं कर्ज में डूबा एक किसान हूं।''

अगर आप सभी इन लाइनों का अर्थ अच्छी तरह से समझ जाओ तो आप अपने घर बैठकर शांति से मेरी इस कविता को जरूर पढ़ना ।

श्री महिपाल ढ़ांडा : बहन जी, तभी तो 3 फिट का आलू उगाते हैं।

श्रीमती शकुन्तला खटक : महिपाल जी, इसका उत्तर भी मैं देती हूं। आप जैसे किसानों की हमारे जैसे मजदूर खेती करते हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : बहन जी, सही कह रही हैं। इनका खूब शोषण हो रहा है। मैं छः साल से देख रहा हूं कांग्रेस के साथियों ने इनको कभी बोलने का समय नहीं दिया। बहन जी, इतना बढिया बोल रही हैं फिर भी आप लोग इनका कभी नाम लिख कर नहीं देते कि आज बहन जी बोलेंगी। पिछले पांच साल ऐसे ही निकल गये उनमें भी बहन जी को कभी नहीं बोलने दिया। आज भी इन्होंने बहन जी को मौका तब दिया है जब यह देखा कि आप ये चारों तरफ से घिर गये हैं। बहन जी, इतना बढ़िया बोल रही हैं लेकिन फिर भी इनकी पार्टी की तरफ से इनका नाम बोलने के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता।

श्रीमती शकुन्तला खटक : मंत्री जी, कौन कहता है कि मेरा नाम रिकमेंड नहीं किया जाता। मैं हर रोज नहीं बोलती हूं। मैं काम की बात बोलती हूं और मतलब की बात बोलती हूं। अर्थपूर्ण बात बोलती हूं। मेरी तो मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि हमारी जो बहन–बेटियां अपने छोटे–छोटे बच्चों को लेकर वहां बोर्डर पर बैठी हुई हैं उनकी तरफ अवश्य ध्यान दें। मेरी बार–बार यही प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

डॉ. कमल गुप्ता (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आज हमारे विपक्ष के भाईयों ने अपने झूठे स्टेटस को बनाने के लिए जो सरकार जनता की वोट की चोट से बनती है और बहुमत में आती है उसको बिना किसी आधार के चैलेंज करने का काम किया गया है। इनके पास न नम्बर बल है, न कोई सामाजिक कारण है, न कोई सोशल कारण है और न कोई टैक्निकल कारण है। (शोर एवं व्यवधान) बहन जी, आप बोल लेने दीजिए हम तो आपके छोटे भाई हैं। आप लोगों ने उस चीज को चैलेंज करने की जो नापाक कोशिश की है। अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि आपके पास जो 30 आदमी हैं वे भी आपकी तरफ हैं या नहीं। जिस प्रकार तुलसीदास व बाल्मिकी जी ने रामायण रची। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष जी, आप इनको बैठाईये और आप मुझे प्रोटैक्ट करिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तुलसीदास जी के साथ वाल्मिकी जी का नाम भी जोड़ दिया जाए।

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ठीक उसी प्रकार इस देश के दूसरी दफा बने प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जगत शिरोमणि किसान के लिए तीन सुनहरे कानून बनाए हैं। अब विपक्ष के सभी लोग उन कानूनों को काले कानून, काले कानून कहते हैं। हम कहते हैं कि आप अपना काला चश्मा हटाईये, आप अपने काले दिल को भी बदलिये, जो काला मन है उसको भी बदलिये, काले दिमाग को भी बदलिये। विपक्ष के साथी इन कानूनों को समझें तो सही। उनमें पहला कानून क्या है। अब मैं पहला कानून बताता हूं। मेरे पास कानून की किताब है। आज तक जितने भी लोग बोले हैं उनमें कानून किसी ने नहीं बताए। मैं वे कानून बताता हूं। उनमें पहला कानून है– ''कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक।'' अब इस विधेयक में क्या है कि किसान को अपनी फसल बेचने की आजादी दी गई है। इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। पहले भी किसान अपनी फसल को बाहर सड़कों पर और बाजार में बेचता था लेकिन जो अधिकारी हैं वे उस किसान को तंग करते थे। अधिकारी किसान से पैसे लेते थे। हमारी सरकार ने उस बात को खत्म करने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने तो किसान को व्यापारी बनाने का ही काम किया है। मैं एक उदहारण देता हूँ कि मान लो किसी किसान के पास 20 बीघे जमीन है और उसके चार बच्चे हो गए। आगे जाकर इन चार बच्चों के भी चार–चार बच्चे हो गए तो बताओ 21 आदमियों का यह परिवार 20 बीघा जमीन से कैसे गुजारा कर पायेगा? इसी दशा को सुधारने के लिए यह तीन कृषि कानून लाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, देश की आजादी के बाद सन 1947 से लेकर आज तक अमूमन देश में वंशवाद की ही सरकारें रही जिन्होंने किसान की हालत को सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद कहा था कि इस कांग्रेस पार्टी को तोड़ दो लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं तोड़ी गई। अध्यक्ष महोदय, आजादी की लड़ाई में तो सब लोग शामिल थे। बाद में कांग्रेस का फायदा उठाकर अनेक वर्षों तक देश विरोधी ताकतों ने देश पर राज किया लेकिन किसान की दशा और दिशा सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के लोग जो यह नो कांफिडेंस मोशन लेकर आये हैं, के संदर्भ में मैं इनको बता देना चाहूंगा कि नो कांफिडेंस मोशन लाकर सरकारें नहीं बदला करती हैं। सरकारें बदलने के लिए जनता के पास जाया जाता है। आज पूरे देश के 29 स्टेट्स में से मुश्किल से 3

राज्यों में ही कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के लोगों को जनता ने पीट–पीटकर घर बैठाने का काम किया है और आज ये लोग इस आंदोलन का सहारा लेकर सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं। अब मैं किसान आंदोलन की असलियत बताना चाहूंगा। किसान आंदोलन का कोई बेस नहीं है बल्कि यह आंदोलन केवल मात्र अंदेशे पर ही चल रहा है। मैं इसका उदाहरण देकर बताता हूँ। हमने एक राह चलते हुए व्यक्ति को कहा कि भाई अब तू पैदल चल रहा है और तुझे दूर जाना है और क्योंकि आज हमारे पास संसाधन है तो हम तुझको साइकिल दे देते हैं या कार देते है ताकि तुम आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच जाओ लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं जैसे किसी जन ने उसको डरा दिया कि अगर वह साइकिल पर चढ़ेगा तो गिर जायेगा और कार में बैठेगा तो एक्सिडेंट हो जायेगा। अगर इसी प्रकार हमने किसी व्यक्ति से कहा कि भई तूं हवाई जहाज पर बैठ जाओ तो बहुत कम समय में अपने दूरस्थ स्थान पर पहुंच जाओगे तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं जैसा कोई जन कह देता है कि अगर हवाई जहाज में बैठेगा तो हवाई जहाज गिर जायेगा और इस प्रकार का एक अंदेशा उस व्यक्ति के अंदर पैदा कर दिया। ठीक इसी प्रकार यह आंदोलन भी अंदेशे के आधार पर चल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि क्या हमें साइकिल नहीं सीखनी चाहिए, क्या हमें कार नहीं चलानी चाहिए या क्या हमें हवाई जहाज से नहीं जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने 74 साल से किसान को कभी भी उभारने का काम नहीं किया जबकि हमारी सरकार ने किसान को उभारने का काम किया है। जो काम कांग्रेस पार्टी 74 साल तक नहीं कर पाई, हमने उस काम को अपने हाथ में लेते हुए किसान को व्यापारी बनाकर उसे उंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, अगर हम उस 20 बीघे के मालिक किसान को यह नहीं सिखायेंगे कि आप जो आलू एक रुपये किलो मंडी में बेचते हैं, उसको डायवर्सिफाई करते हुए आलू के चिप्स बनाकर महंगे दामों पर बेचा जा सकता है, टमाटर की सॉस बनाकर महंगे दामों पर बेचा जा सकता है तब तक उस किसान का कल्याण नहीं हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, जब तक हम किसान के बच्चों को उद्योगपति नहीं बनायेंगे तब तक किसान कैसे उभरेगा और उसका कैसे उद्धार हो सकेगा? कांग्रेस पार्टी के लोग किसान को उभरने ही नहीं देना चाहते। हमारे देश में 70 परसेंट लोग किसान हैं व ग्रामीण हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी के लोग यह समझते हैं कि ये लोग अनपढ़ रहे या डिपैंडैंट रहें? अध्यक्ष महोदय, इन्हीं कारणों के मद्देनज़र ये लोग चाहते हैं

कि मोदी जी ने किसान हित के जो कानून बनाये हैं वे लागू न हों। अध्यक्ष महोदय, एक बच्चे को हम तैरना सीखाना चाहते हैं और अगर उसको तैरना सीखने के लिए जाने ही नहीं दिया जायेगा तो वह कैसे तैरना सीखेगा? कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कोरोना वैक्सीन के बारे में भी लोगों को बहकाने का काम किया कि अगर यह वैक्सीन लगवा लेंगे तो रिएक्शन हो जायेगा और मर जाओगे और लोग इस प्रकार के बहकावे में आ जाते हैं और अंदेशे के आधार पर ऐसी बातों से दूर भागने का काम करने लगते हैं। मान लो कोई आदमी बीमार है और उसको वैक्सीन लगाना जरूरी हो लेकिन एक राह चलता आदमी उसको कह दे कि यह वैक्सीन मत लगाना क्योंकि इससे बुखार हो जायेगा और जान भी जा सकती है तो बताओ कौन वैक्सीन लगवायेगा? ठीक इसी प्रकार के अंदेशे दिखाकर कांग्रेस पार्टी के लोग देश का माहौल बिगाडने का प्रयास कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है और इस तरह के हथकंडों से राज नहीं आने वाला है। यह तो वही बात हो गई कि एक लोमड़ी को अंगूर दिख गए, उसने उनको खाने के लिए कईं बार छलांग लगाई परन्तु अंगूरों तक पहुंच ही नहीं सकी और अंत में बोली कि अंगूर तो खट्टे हैं। यह हालत कांग्रेस पार्टी की आज पूरे देश में होकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए यह जानने की जरूरत है कि आज वे किस स्टेज पर खड़े हैं। किसान आंदोलन तो इन्हीं लोगों की एक साजिश है। इन्होंने किसानों को डरा दिया कि एम.एस.पी. बंद हो जायेगी या मंडी बंद हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013–14 में एम.एस.पी की जो राशि मिली थी वह 98000 करोड़ रुपये थी और वर्ष 2020–21 में यह राशि 247 लाख करोड़ रुपये है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि किस प्रकार से मण्डियां बंद हो जायेगी अर्थात् एम.एस.पी. कैसे बंद हो जायेगी। आज कांग्रेस पार्टी के सदस्य केवल और केवल किसानों में भय का वातावरण बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहता हूँ कि एक हजार करोड़ रुपये मार्किट फीस आयेगी, इस प्रकार से सरकार किस प्रकार से मार्किट फीस को बंद कर देगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरा कृषि कानून अर्थात् आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक के संबंध में कहना चाहता हूँ। हमारे देश में एक वर्ष में 280 करोड़ क्विंटल अनाज पैदा होता है और उसमें से हमारी खपत 135 करोड़ क्विंटल अनाज की है। इस प्रकार से 145 क्विंटल अनाज बचता है अगर उस अनाज को स्टोर नहीं करेंगे तो वह अनाज सड़ जायेगा, इसलिए यह कृषि कानून केन्द्र की सरकार लेकर आई है। कांग्रेस पार्टी के नेता

इस बिल के संबंध में कहते हैं कि कालाबाजारी शुरू हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार किसलिए बैठी है, क्या वह कालाबाजारी को नहीं रोकेगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से तीसरे कानून के संबंध में कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि किसान की जमीन चली जायेगी। यदि कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण इन कृषि कानूनों को बड़े ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे तो उन्हें पता चल जायेगा कि इस बिल में किसान भाइयों की जमीन छीनने का कोई नामोनिशान नहीं है। किसान की अगर फसल नष्ट हुई तो केवल फसल की अमाउण्ट देनी पड़ेगी। अगर व्यापारी की तरफ से कोई गड़बड़ी हुई तो उसको डेढ़ गुणा पैसा देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में आकर एक रट लगाया हुआ है कि ये कृषि कानून किसानों के हित में नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाये गये इस अविश्वास प्रस्ताव के बिल्कुल खिलाफ हूँ और आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री बलराज कुण्डू (महम): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपने–अपने तरीके से विचार व्यक्त कर रहे थे और मैं सभी के विचारों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष की तरफ से संख्या बल पूरी तरह से नजर आती है अर्थात् सरकार के पास पूरा बहुमत दिखाई देता है। कांग्रेस पार्टी यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, मैं उनके साथ नहीं खड़ा हूँ बल्कि कांग्रेस पार्टी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव किसानों की भलाई के लिया गया है, मैं इसके लिये किसानों के पक्ष में खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं हर रोज सामाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से एक ही बात भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से सुनता हूँ कि ये कृषि कानून किसान हितैषी हैं और मौजूदा हरियाणा सरकार के नेतागण इन कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन कृषि कानूनों में सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि इसमें काला नाम की क्या चीज है, जिसे हम सभी को मालूम होना चाहिए। पिछले सत्र के दौरान भी मैंने इस संबंध में जानना चाहा था लेकिन मुझे बोलने का समय ही नहीं दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे से पहले माननीय सदस्य श्री हरविन्द्र कल्याण जी ने कृषि कानून के संबंध में बड़ी–बड़ी बातें कही हैं। संसदीय कार्य मंत्री श्री कंवर पाल जी भी

किसान परिवार से संबंध रखते हैं और उन्होंने भी किसानों को ये कृषि कानून किसान हितैषी बता दिया और बड़ी–बड़ी बातों का उजागर सदन में कर डाला। माननीय कृषि मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल जी ने भी पूरे विस्तार से कृषि कानूनों के बारे में बताया और अपनी मोहर इन कृषि कानूनों पर लगा दी। अध्यक्ष महोदय, डॉ. कमल गुप्ता जी ने तो सदन में इन कृषि कानूनों की इस तरह से व्याख्या कर दी, जैसे मानो इन कृषि कानूनों की पूरी जानकारी केवल उन्हीं को है बाकी सदस्यों को तो इन कृषि कानूनों की कोई जानकारी ही नहीं है। अगर सरकार मेरे 4 सवालों का सही जवाब दे देती है तो मैं वादा करता हूं इस प्रस्ताव के खिलाफ सबसे पहला वोट मैं दूंगा । (विघ्न)

.....

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 1 घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

.....

मंत्री परिषद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री बलराज कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार मेरे 4 सवालों का सही जवाब दे देती है तो मैं जयकारा लगाऊँगा । मैं व्यक्तिगत रूप से मोदी जी की विचारधारा का व्यक्ति हूं । अब जो सिस्टम चल रहा है मैं उसके खिलाफ हूं । पार्टी कोई खराब नहीं होती लेकिन उसके नेता अवश्य गलत होते हैं । अगर सत्तापक्ष के माननीय सदस्य मुझे इन कानूनों का कोई एक फायदा भी गिना दें तो मैं वादा करता हूं कि मैं सत्तापक्ष के पक्ष में ही वोट दूंगा । अगर कोई भी माननीय सदस्य या माननीय कृषि मंत्री जी मुझे इन कानूनों का एक फायदा भी गिना दें तो मैं वादा करता हूं कि मैं इन्हीं के साथ खड़ा हो जाऊँगा । माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह यादव ने अभी बताया कि सरकार किसानों को तैरना सिखाना चाहती है लेकिन विपक्ष किसान को रोक रहा है । मैं माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह यादव से कहना चाहूंगा कि ये मुझे एक फायदा बता दें तो मैं इन्हीं के पक्ष में खड़ा मिलूंगा । (विघ्न) माननीय सदस्य डॉ. अभय सिंह जी मुझे सिर्फ एक फायदा बता दें । किसान के नाम पर राजनीतिक खिलवाड़ बन्द होनी चाहिए । किसान के नाम पर

राजनीति नहीं होनी चाहिए । कहीं ऐसा न हो कि एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे की तरह यह मुद्दा भी सिर्फ चुनावों में वोट लेने तक ही सीमित रह जाए । किसान पर रहम किया जाना चाहिए । मेरा निवेदन है कि किसान के हक की बात की जानी चाहिए और उसके साथ न्याय होना चाहिए । मेरा निवेदन है कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए । बहुत–से माननीय सदस्य अपने आकाओं को खुश करने के लिए इन कानूनों के पक्ष में बोलते हैं । मेरा कहना है कि उनको ये तक नहीं पता कि इन कानूनों में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है । मुझे पता है कि वे केवल अपने नंबर बढ़ाने के लिए इन कानूनों के पक्ष में बोल रहे हैं । मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि किसान के इस मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए । माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि संवाद से समाधान निकलता है । इस समय सदन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय बैठे हैं । मैं इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि संवाद का रास्ता बंद क्यों है । इनको संवाद करना चाहिये और समाधान निकालना चाहिए । समाधान निकालने में हम भी सरकार के साथ खड़े हैं । आज सरकार ने किसान के साथ संवाद बंद कर रखा है और उसकी सूध लेने वाला कोई नहीं है । इससे किसान के दिल पर क्या बीत रही है यह भी सरकार को सोचना चाहिए । वहां पर हर रोज किसान मर रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदेश के मुखिया हैं । आज भाजपा–जजपा सत्ता में है, इसलिए इनको किसानों के परिवारों की भी चिन्ता करनी चाहिए । आज जिस अविश्वास प्रस्ताव पर पिछले 3 घंटे से चर्चा चल रही है मेरा कहना है कि इससे कुछ नहीं होना है । इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या 30 है । किसान के विषय पर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में एक वोट मैं दे दूंगा और एक वोट माननीय सदस्य श्री सोमबीर सांगवान जी दे देंगे लेकिन इनके अलावा इस प्रस्ताव के पक्ष में और कोई वोट नहीं करेगा । सत्तापक्ष के पास माननीय सदस्यों की संख्या 56 है । इस तरह अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में वोटों का आंकड़ा ज्यादा है । मैं चाहता हूं कि किसान के जिस मुख्य विषय के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाया गया है उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए । किसान के नाम पर राजनीति न की जाए और जनता को बेवकूफ न बनाया जाए । मैं चाहता हूं कि सदन में किसान के हक और उसको न्याय दिलाने की बात की जाए । यह असली विषय है और इन्हीं विषयों को उठाने के लिए जनता हमें विधान सभा में भेजती है । मैं पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हम सब एक–दूसरे

पर लांछन लगाना, टोका–टिप्पणी करना, नोक–झोक करना, किसी के हित के साथ खिलवाड़ करना आदि को छोड़कर किसान को उसका हक कैसे दिलवाया जाए, उसको न्याय कैसे दिलवाया जाए आदि बातें करें हम सब कंधे–से–कंधा मिलाकर सरकार के साथ चलने के लिए तैयार हैं । हमें किसान के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए । आन्दोलन में गये हुए किसान जो वहां पर इतने दिनों से बैठे हुए हैं वे वहां पर हर रोज मर रहे हैं । मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस खेल को बंद करके उस किसान की चिन्ता की जाए जिसने यहां पर बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों को अपनी वोट देकर इस सदन में भेजने का काम किया है । यहां पर माननीय सदस्य एक दूसरे पर लांछन लगाकर, किसानों का मजाक बनाकर खेल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः कुडूं जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री बलराज कुडूं: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों और यहां पर बैठे हुए दूसरे सभी माननीय साथियों से निवेदन करता हूं कि वे किसानों की चिन्ता करके उनकी समस्या का हल निकालने का प्रयास करें।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहती हूं कि क्या वे किसानों के खिलाफ हैं ?

श्री बलराज कुडूं: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि मैं किसानों के लिए इस प्रस्ताव के हक में अपना वोट दूंगा।

पुरात्तत्व एवं संग्राहलय राज्य मंत्री (श्री अनूप धानक) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लायी है और माननीय सदस्य इस पर चाहे कोई भी बात कहें।

श्री बलराज कुडूं: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि यह अविश्वास प्रस्ताव कृषि कानूनों के संबंध में लाया गया है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः किरण जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री अनूप धानकः अध्यक्ष महोदय, आज जो यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, वह सिर्फ राजनीति करने के लिए यहां पर लाया गया है। मैं इसके विरोध में खड़ा हुआ

हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे माननीय विपक्ष के नेता द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले उन्हें यह कहना चाहूंगा कि वह पहले अपनी पार्टी में विश्वास जताने का काम करें। यह जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसमें इनकी पार्टी के लगभग 27 मैम्बर्ज के ही साईन हैं। इसलिए इनको सबसे पहले अपनी पार्टी में विश्वास बनाने का काम करना चाहिए। इनकी पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों ने इनके नेतृत्व के विरोध में झंडा खड़ा कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के साईन नहीं है। यह गलत बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशन लाल सैनी: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटक: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनूप धानक: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान जी सीनियर मैम्बर हैं और उन्होंने मुझे 2 बार विधायक की शपथ दिलवायी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं।

श्री कुलदीप वत्स: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कुलदीप जी, प्लीज, अब बैठ जाएं।

श्री अनूप धानक: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अमरजीत ढांडा: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप वत्स: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं।

श्री अनूप धानक: अध्यक्ष महोदय, डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान बहुत ही सीनियर मैम्बर हैं और उन्होंने मुझे 2 बार विधायक की शपथ दिलवाने का काम किया है। हम उनकी इज्जत करते हैं और वे हमारे सदन के बुजूर्ग मैम्बर हैं। वे कई योजनाओं से लगातार सदन के मैम्बर हैं। उन्होंने बार–बार हमारे डिप्टी सी.एम. साहब के ऊपर कटाक्ष करने का काम किया है। हमारी पार्टी की माननीय विधायिका श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी को झांसी की रानी कहकर संबोधित करके कहा कि आप भी इसका समर्थन करें। उन्होंने कहा कि डिप्टी सी.एम. साहब चौधरी देवी लाल जी के वंशज हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य

को कहना चाहूंगा कि चौधरी देवी लाल जी हमें नजर आते हैं और हम उनकी राहों पर चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और माननीय उप–मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में सरकार कार्य कर रही है। हमारी सरकार लगातार किसानों और कमेरे वर्ग की भलाई के लिए कार्य कर रही है, उसके कारण विपक्ष के माननीय सदस्यों के पेट में दर्द है। ये इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं और बार–बार इस प्रकार की बातें करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि चौधरी देवी लाल जी डॉ0 साहब को भी नजर आने चाहिए और दूसरे माननीय सदस्यों को भी नजर आने चाहिए। वे कभी किसानों और कमेरे वर्ग पर राजनीति नहीं करते थे। वे सिर्फ किसान और कमेरे वर्ग की भलाई के लिए ही कार्य करते थे। विपक्ष के माननीय सदस्य सिर्फ राजनीति करने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं और मैं इसके विरोध में इसीलिए खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार ने मंडियों में धान की खरीद करने का काम किया है। पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में किसान अपना धान बेचने के लिए 2–2, 4–4 दिन तक रात को भी मंडियों में ही रहते थे, परन्तु उनकी फसल नहीं बिकती थी। लेकिन हमारी सरकार ने तुरंत प्रभाव से धान और गेहूं की फसल खरीदने का काम किया है और उनको तुरंत पेमैंट देने का काम किया है। इसके लिए भी इनकी पार्टी के माननीय सदस्यों के पेट में दर्द है। हमारे प्रदेश के अनुसूचित जाति के बी. पी.एल. परिवारों को लाभ दिये जा रहे हैं और उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार नयी–नयी घोषणाएं कर रहे हैं। इन बी.पी.एल. परिवारों के घरों में मरम्मत आदि करवाने के लिए हमारी सरकार द्वारा अनेकों प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं। हमारी सरकार द्वारा संत महापुरूष सम्मान के प्रसार योजना के तहत समाज में एक सामाजिक भाई चारे का उदाहरण भी प्रस्तुत करने का काम किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी द्वारा ''मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना'' को भी शुरू करने का काम किया है। हमारे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। जिसके कारण हमारे प्रदेश के युवाओं को भी नौकरी मिल जायेगी। इसके लिए हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने निजी क्षेत्र में राज्य के लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। मैं इसके लिए पूरी सरकार का धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार ने ग्राम स्तर पर महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में एक असाधारण कदम उठाते हुए पंचायतों में महिलाओं की आरक्षित

संख्या 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। जिसके कारण महिलाएं और सशक्त हो जायेंगी। इस महान सदन में थोड़ी देर पहले बात की जा रही थी कि कोई हल चलाकर के देखो और कोई फसल काटकर के देखो। हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों पर ये बातें लागू होती हैं। जो ये बड़ी–बड़ी बातें कह रहे हैं, क्या इन्होंने कभी हल चलाकर देखा है। मैं जिस वर्ग से आता हूं। वहां पर तो हमने मजदूरी का काम करके हल चलाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो मजदूरी करते–करते इस सदन में पहुंचा हूं। हमें पता है कि किसान मजदूर और कमेरे वर्ग की तकलीफ क्या होती है? कल इस महान सदन में पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने यह बात खुद मानी थी कि कांट्रेक्ट फार्मिंग एक्ट का लॉ उनकी सरकार के समय में लाया गया था। हमारे श्री जगबीर सिंह मलिक जी हाउस से बाहर जा रहे हैं इनकी अपनी आढ़त की दुकान है। इनको भी इस बात का पता है कि एक किसान को किस–किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इस सदन में हमारी एक माननीय सदस्या अपनी बात कह रही थी कि हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में। यह बात तो उल्टी है कि हुड्डा तेरे राज में, किसान की जमीन गई ब्याज में। यह बात कांग्रेस पार्टी पर फिट बैठती है। अध्यक्ष महोदय, मैं कादियान जी की बड़ी इज्जत करता हूं क्योंकि इन्होंने अध्यक्ष महोदय की कुर्सी पर बैठकर इस हाउस में मुझे दो बार शपथ दिलवाने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी को चौधरी देवी लाल जी की बातों का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि उन्होंने कभी भी किसानों पर राजनीति नहीं की। वे हमेशा ही कमेरे वर्ग और किसानों का भला करने के बारे में सोचते थे। अंत में मैं यह बात कहना चाहता हूं कि हम सड़क से लेकर सदन तक चौधरी देवी लाल जी के बताये हुए रास्तों पर ही चल रहे हैं। चौधरी देवी लाल जी के बताये हुए रास्तों पर चलते हुए माननीय उप–मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि हम जब तक इस सदन में हैं तब तक फसलों पर एम.एस.पी. लागू रहेगी। इसके अलावा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं तब तक फसलों पर एम.एस.पी. लागू रहेगी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। इस महान सदन में कांग्रेस पार्टी द्वारा राजनीति से प्रेरित होकर के अविश्वास प्रस्ताव लाई है। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) (एस.सी.) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं। यह प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया गया है मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हुई कहना चाहती हूं कि हमारे देश की आन, बान और शान हमारा किसान, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हमारा किसान है। केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये तीनों कृषि कानूनों को प्रदेश में लागू किया जाना है। जिनको हम काला कानून बता रहे है। जब ये तीनों कृषि कानून ऑर्डिनेंस के रूप में थे, तब भी कांग्रेस पार्टी ने इनका विरोध किया था। जब कोरोना की आड़ में इन तीनों कृषि कानूनों को अवसर में बदला गया और इस ऑर्डिनेंस को धक्के से लोक सभा और राज्य सभा में नम्बर गेम के कारण कानून का दर्जा दिया गया, तब भी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन तीनों कृषि कानूनों पर स्टे लगा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन में कहना चाहती हूं कि अगर इन तीनों कृषि कानूनों में इतना सब कुछ बढ़िया है तो क्यों देश की राजधानी के चारों तरफ हमारे देश और प्रदेश का किसान, अन्नदाता और कमेरा वर्ग बैठा हुआ है। जिन हुकुमरानों ने ये कानून बनाये हैं, इनसे कुछ मांग रहा है। क्या कारण है कि हमारे देश और प्रदेश की बहन बेटियों को अपना काम छोड़कर इस आंदोलन में बैठना पड़ रहा है? हमारा भारत देश विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र है। अभी हमारे सत्ता पक्ष के कुछ साथी इस बात का जिक्र कर रहे थे लेकिन मैं उस बात का जिक्र नहीं करना चाहूंगी। हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे महत्वपूर्ण लोकतंत्र है। हम चुनी हुई सरकार के खिलाफ आज एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आये हैं क्योंकि यह सरकार का जनता का विश्वास, जनप्रतिनिधियों का विश्वास, कर्मचारियों का विश्वास, दलितों का विश्वास और किसानों का विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। इस सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने का काम किया है। यह सरकार घमंड, अहंकार और हठधर्म पर चल रही है। मैं कहना चाहती हूं कि आज हमारा संविधान खतरे में है, आज किसानी खतरे में है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहती हूं कि आज हमारा संविधान खतरे में है, आज किसानी खतरे में है, बेरोजगार नशे की चपेट में और आज जवानी खतरे में है, व्यापारियों का व्यापार खतरे में है और बहन व बेटियों की इज्जत एवं आबरू खतरे में है। क्या यही अच्छे दिन हैं? क्या इन्हीं अच्छे दिनों के बारे में लोगों ने सोचकर प्रदेश और देश में भारतीय जनता

पार्टी की सरकार को चुनने का काम किया था? हमें सोचना होगा। हमारी स्टेट एक वैलफेयर स्टेट है। हमारा देश और प्रदेश वैलफेयर एक्टीविटीज के लिए जाना जाने वाला देश और प्रदेश है लेकिन देश और प्रदेश की सरकार द्वारा देश और प्रदेश को पुलिस स्टेट की तरफ धकेलने का काम देश और प्रदेश की सरकारें कर रही हैं। आज हमें सोचना होगा कि हमारे संविधान में गवर्नमैंट के बारे में यह कहा गया है कि Government of the people, by the people and for the people हम उन्हीं लोगों की आवाज को विधान सभा में मजबूती के साथ उठाने के लिए आज विधान सभा में चुनकर आये हैं। हम उनकी आवाज को सड़क से लेकर विधान सभा तक और सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम करेंगे। आज हमारे बहुत से साथी गरीब किसानों की बात कर रहे हैं। किसान गरीब भी है और किसान अमीर भी है। हमारा यह देश जिसने इतना बड़ा यह नारा दिया–जय जवान, जय किसान। हम इस नारे के साथ यह जोड़ना चाहेंगे कि जय जवान, जय किसान और जय संविधान। संविधान के तहत और संविधान के अनुरूप ही हमें अपने सभी कार्य करने चाहिएं। कोई भी व्यक्ति या संस्था संविधान से बड़ी नहीं है। हमें अगर कुछ करना है तो संविधान के नियमों के हिसाब से करना पड़ेगा। हठधर्म से सरकारें नहीं चलती बल्कि सरकारें चलाते समय राजधर्म का पालन किया जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि हमारी जो यह एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है इसको और अपनी जमीन को किसान अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करने का काम करते हैं। हमें सोचना होगा कि चंद पूंजीपतियों के चक्कर में और केवल कुछ लोगों के चक्कर में आज जो हमारा अन्नदाता 105 दिन से ज्यादा धरने पर बैठा हुआ है सरकार को उनकी सुध लेने का काम करना चाहिए। आज सरकार को राजधर्म का पालन करने का काम करना चाहिए न कि जिन लोगों ने किसानों के हित के लिए सरकार के खिलाफ और तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई है उनके ऊपर देशद्रोह के मुकद्दमें दर्ज करने का काम करना चाहिए। इसी प्रकार से सरकार के इशारे पर सोशल एक्टीविस्ट्स को बंद किया जा रहा है और पत्रकारों के ऊपर मुकद्दमें दायर किये जा रहे हैं और उनके परिवारों को तंग किया जा रहा है। लोकतत्र में अपनी बात को मजबूती के साथ रखने का सभी को अधिकार प्राप्त है। हमारे यहां पर राईट टू फूड का कानून लागू है। सरकार द्वारा यहां पर यह कहा जा रहा है कि कोरोना के समय में सरकार ने प्रदेश के लोगों को 2 रुपये

प्रति किलोग्राम के हिसाब से अन्न उपलब्ध करवाने का काम किया है। यह बहुत अच्छी बात है और देना भी चाहिए क्योंकि कोरोना की आड़ में पता नहीं प्रदेश में कितने घोटाले और कितने घपले हुए हैं? कुछ लोगों ने हमारे आंदोलनरत किसान भाईयों को आंदोलनजीवी कहने का काम किया है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहती हूं कि कल वे बहन–बेटियों को लेकर बहुत भावुक हो गये थे हम उनकी भावना को समझते हैं लेकिन किसी दिन आप उन बहन–बेटियों की हालत अपनी आंखों से देखें जिन्होंने अपने भाई और पिता खोये हैं। बहुत से बच्चों के सिर से मां–बाप का साया उठ गया है। स्पीकर सर, ये आंदोलनकारी केवल आंदोलनजीवी नहीं हैं। पूर्व में हुए आंदोलनों की वजह से ही आज हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। जिन व्यक्तियों की किसान आंदोलन के दौरान मृत्यु हुई है उनके लिए हमें कम से कम दो शब्द तो बोलने का काम करना ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज मैं यह बात कहना चाहती हूं कि आज याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आये। वे इस आंदोलन में अपनी मांगों के लिए नहीं गए थे बल्कि जो तीन कृषि कानून बनाये गये हैं उनके खिलाफ गये थे। वो इसलिए गये थे कि उनकी जमीनों को न छीना जाये, उनकी किसानी को भी न छीना जाये और उनके बच्चों के भविष्य को भी न छीना जाये और इन कानूनों को वापिस लिया जाये। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध है कि वे भी याद उन्हें तो कर लें जो अपने घर से गये थे और वापिस लौट कर नहीं आये। आज हम उन सभी को श्रद्धांजति देते हैं। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने यहां पर किसानों को श्रद्धाजंलि देने की बात कही है उसको स्वीकार किया जाये। अध्यक्ष जी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे नेताओं और हमारे महान शहीदों की आत्मा दुखी हो रही होगी क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसे देश के बारे में नहीं सोचा होगा। यहां पर कुछ माननीय साथियों द्वारा राईट टू रिकॉल की बात की जा रही थी। मेरा यह कहना है कि राईट टू रिकॉल तो हो गया जब प्रदेश की जनता द्वारा सत्ता पक्ष के विधायकों, उप–मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक को उनके हल्कों में नहीं जाने दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष के विधायक साथी अपने हल्के के निवासियों से बात तक नहीं कर सकते। इस प्रकार से प्रदेश के मतदाताओं द्वारा सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को घरों में बांधकर रखने का काम कर दिया गया है। अध्यक्ष

जी, मैं यह चाहती हूं कि ये जो प्रस्ताव हम लेकर आये हैं जो माननीय साथी यहां सदन में उपस्थित हैं अंतरात्मा से, मन की आवाज पर, अपनी आत्मा पर बिना कोई बोझ रखे हुए सरकार के खिलाफ वोट करें। अध्यक्ष जी, आपको सरकार के खिलाफ वोट करने वाले साथियों को सदन में बोलने के लिए भी समय देना चाहिए। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठकर किसी की भी आवाज को दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मेरा यह अनुरोध है कि व्हीप के या ऐंटी डिफैक्शन के चक्कर में आप उनकी आत्मा की आवाज के अनुसार वोट करने का अधिकार दें। इसी प्रकार से जो डोमीसाइल बनवाने के लिए निर्धारित 15 साल की रिहायश से घटा कर 5 साल करने की बात आई है उससे मैं समझती हूं कि यह सरकार का रिजर्वेशन को खत्म करने का एक हिडन ऐजेंडा है। जो अधिकार हमें संवैधानिक तौर पर मिला हुआ है वह हमें दें। किसान आंदोलन में मरने वाले हमारे किसान ने जो कहा कि भगत सिंह ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी मैं अपने किसान भाईयों के लिए अपनी जान दे सकता हूं। ऐसा लिख कर जिन किसान भाईयों ने अपनी जान दी है इस अविश्वास प्रस्ताव से आज उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर हमारे साथी विधायक इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करेंगे तो यह कोई सरकार को तोड़ने या बनाने की बात नहीं है। यह हमारे किसानों की, हमारे अन्नदाता की, गरीब की लड़ाई की बात है। मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपना वोट करती हूं। धन्यवाद।

श्री गोपाल कांडा (सिरसा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस गरिमामयी सदन में बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरी स्थिति कुछ और है। यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष है और मैं एक इंडिपैंडैंट के तौर पर अपने इलाके से चुन कर आया हूं। मेरा कर्त्तव्य मेरे इलाके के लोगों में जिनमें किसान भी हैं मजदूर भी हैं कमेरा वर्ग भी है सभी ने मुझे इस सदन में भेजा है इसलिए मुझे सभी की बात रखनी है। वैसे तो इस सदन में बैठे हर व्यक्ति को पता है कि पूरा हिन्दुस्तान, पूरा भारत गांवों में बसता है। अगर सरकार किसान हितैषी नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि इस देश और प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। रही बात विपक्ष की तो वह अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से सरकार के सामने रख रहा है कि किसानों का यह होना चाहिए, एम.एस.पी. होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि इन काले कानूनों से किसानों की जमीन ली जा

रही है जबकि सरकार कह रही है कि नहीं ली जा रही है। मैं कह रहा हूं कि ज्यादा वक्त दूर नहीं है। किसान आज इतना समझदार भी है और अगर उनको लगेगा कि ये कानून हमारे हितैषी नहीं हैं तो क्या दोबारा चुनाव नहीं होगा? तीन साल बाद फिर वक्त आयेगा और लोग सरकार के खिलाफ वोट डालकर अपना फैसला दे देंगे। पर आज इस सदन में जो सरकार पूरे प्रदेश के लिए कार्य कर रही है, मुझे भी बाहर कुछ लोग मिले और बोले कि भारतीय जनता पार्टी ने आपकी तो सपोर्ट ही नहीं ली है। मैंने अपने दिल से फैसला लिया है और जो सरकार हरियाणा में है, जिन्होंने मुझे चुन कर भेजा है उनके लिए मैं हरियाणा सरकार के साथ हूं। मैं सरकार के साथ क्यों हूं क्योंकि मेरा कर्त्तव्य बनता है। हर व्यक्ति जो सदन में बैठा हुआ है उनका कर्त्तव्य है कि जिन्होंने उनको यहां सदन में पहुंचाया है उनके विकास की बात करें, उनके कार्य की बात करें, चाहे वह किसान के रूप में है चाहे किसी वर्ग के रूप में है।

श्रीमती शकुन्तला खटकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहती हूं कि वे सरकार के सामने अपने नम्बर बनाने के लिए सरकार के फेवर में बोल रहे हैं।

श्री गोपाल कांडाः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने मेरे सारे नम्बर देखे हुए हैं। सरकार ने मेरे नम्बर आज नहीं बहुत साल पहले देखे हुए हैं कि मेरे पास एक नम्बर है या दो नम्बर है। ''वफाएं इंशान के खून में होती हैं साहब, वरना बंदे तो सारे खाक के हैं।'' हमारे खून में वफाएं हैं कि जिसका साथ दिया उसका साथ निभाया। जहां तक मेरे ईलाके कि बात है मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग रखी थी जोकि सभी के लिए जरूरी थी। सिरसा में मैंने एक मैडीकल कॉलेज बनाने की बात रखी थी। जोकि ये हर व्यक्ति के जरूरत की बात है। आप पार्टी की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं और भाई कुण्डू साहब जी ने कांग्रेस के सदस्यों को बोल ही दिया है जो आपको मालूम ही है कि आपके पास ये 30 ही सदस्य हैं तो फिर ये अविश्वास प्रस्ताव का ढकोसला क्यों? मैं बात कर रहा हूं सच्चाई की। उस मैडीकल कॉलेज की हर व्यक्ति को जरूरत है। आज 50–60 सालों से सिरसा के कितने लोग कहां–कहां किस–किस पोस्ट पर रहे पर सिरसा शहर को मैडिकल कॉलेज नहीं दिला पाए। आज हमने मुख्यमंत्री जी के सामने ये मांग रखी तो उन्होंने उसको तुरंत पूरा किया है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं और यह रिक्वेस्ट भी करता हूं कि उस कॉलेज को जल्दी से

जल्दी शुरू भी करवाएं। कृषि के ऊपर मुझे मुख्यमंत्री जी की सिर्फ एक बात का पता है कि इन्होंने डबवाली में किसानों को कहा था कि तुम्हारा मुआवजा आ जाएगा जबकि सिरसा के किसानों का मुआवजे वर्ष 2016–17 में 300 करोड़ रुपये पैंडिंग था जोकि हरियाणा में सबसे ज्यादा था। वह मुआवजा इन्होंने देने का काम किया है। इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो उन्होंने सिरसा के किसानों को उनकी फसल का पिछला पैंडिंग पड़ा हुआ मुआवजा दिया है क्योंकि सिरसा के किसान तो उस मुआवजे को भूल ही चुके थे कि यह मुआवजा भी कभी आएगा। उसके बाद वर्ष 2018–19 और वर्ष 2019–20 का मुआवजा भी किसानों को मिल रहा है। देखिये चर्चा, बहस ये सभी चीजें सदन में होती हैं और चलती रहती हैं। पर सच्चाई का तब पता चलता है जब वोट आती है कि कौन किसके साथ है। मैं आप सभी साथियों को कल की ही बात बता देता हूं कि मेरे दफ्तर में कुछ लोग आए। वे वहां आकर कहने लगे कि हम किसान आन्दोलन के लोग हैं और हमें ज्ञापन देना है। मेरे ऑफिस के लोगों ने कहा कि कांडा जी अभी सुबह–सुबह नीलकंठ से आए हैं। आप अगर आधा या एक घंटा रूको तो हम उनको ऑफिस में बुला लेते हैं, वरना आप उनको घर जाकर ज्ञापन दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं आप हमारा ज्ञापन यहीं ले लीजिए और हम जा रहे हैं। कल कुछ लोग मेरे ऑफिस में आए मैं सिर्फ आन्दोलनकारियों की बात नहीं करता हूं क्योंकि उनका हक है पर उनके अन्दर जो कुलकलंकित लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं अभी उनका नाम लेकर बता सकता हूं कि वे कौन–कौन आए थे। उन्होंने कहा कि कल जो लोग आए कि एम.एल.ए. या विधायक जी को बुलाईये। उन्होंने कहा कि कुटिया में गरीब कन्याओं की शादी है वे वहां पर गये हैं। उस समय असलियत में मैं फेरों के ऊपर बैठ चुका था। हमने कहा था कि आस पास की जितनी भी कन्याएं हैं क्योंकि वो एक ऐसा स्थल है वहां हम करीब 700–800 लड़कियों की शादी करवा चुके हैं। कल भी 26 जोड़े आए जिनकी शादी की और दहेज का सारा सामान दिया। उस समय मैं फेरों में बैठ चुका था। उन्होंने कहा कि अगर आपको ज्ञापन देना है तो आप कुटिया में चले जाओ। आप यहां उनके ऑफिस में आकर क्यों मांग रहे हैं। आप उनको कुटीया में जाकर मिल लें लेकिन वे मेरे पास वहां नहीं आए क्योंकि उनमें राजनीतिक लोग ज्यादा थे। उनमें एक जोधका गांव का इनेलो पार्टी का अध्यक्ष था, एक व्यक्ति रानियां का जोकि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है जिसके ऊपर टाटा कम्पनी के 10

केस चल रहे हैं। वह कहता है कि कांडा साहब को यहीं बुलाईये। मेरे ऑफिस वालों ने कहा कि वे भी तो गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं लेकिन उनको उस बात से कोई मतलब नहीं था। हिन्दुस्तान के हरियाणा का किसान बहुत भोला–भाला है जिनको ऐसे आन्दोलनकारी लोग बीच में बरगला रहे हैं जोकि बिल्कुल गलत बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो किसानों के हक की बात है उसको हम मुख्यमंत्री जी के आगे रख सकते हैं और ये हमारी बात को जिन्होंने ये कानून बनाए हैं उनके आगे रख सकते हैं। मैं नहीं समझता कि जिनको हरियाणा और देश की जनता ने सबसे ज्यादा वोट दिये हैं वे उनके लिए गलत कानून बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आज कोई कुछ भी बात करे, यह सच्चाई है कि हर इंशान का, हर पार्टी का अपना फर्ज है। वह अपना फर्ज पूरा कर रही है। आज मेरे शहर के लिए बहुत सी बातें हैं, बहुत सी मांगे हैं जो मुख्यमंत्री जी ने पूरी की हैं। मैं सदन का ज्यादा वक्त न लेते हुए मुख्यमंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं तो पहले भी बोल चुका था कि मैं मेरी सिरसा की जनता के लिए मुख्यमंत्री जी के साथ हूं क्योंकि उसमें किसान भी है, दुकानदार भी हैं और हर व्यक्ति है। मैं इनके साथ हूं और मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं मुख्यमंत्री जी के साथ हूं।

15-00 बजे

परिवहन मंत्री (पंडित मूलचंद शर्मा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसानों के हित के लिए मोदी और मनोहर के नेतृत्व में जो यह कानून बनाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा सुंदर और कोई कानून नहीं बन सकते थे। निश्चित रूप से ये किसानों के लिए लाभकारी होने वाले कानून हैं। जमीन के एक टुकड़े पर किसान का बढ़ता परिवार आखिरकार किस प्रकार खेती करके अपना पेट पाल सकेगा, इस तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए तथा किसान की आगे आने वाली पीढ़ियों को रोजगार देने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं फरीदाबाद जिले में रहता हूँ जिसके एक तरफ दिल्ली है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है। इस तरह के हालात होते थे कि हमारे फरीदाबाद के व्यापारी, दिल्ली में आकर सब्जी तक नहीं बेच सकते थे और ठीक इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के यमुना किनारे के साथ लगते इलाके के किसान भी हमारे यहां आकर मंडियों में अपनी फसल तक नहीं बेच सकते थे। यही नहीं फरीदाबाद में सैक्टर्ज की संख्या 100 के करीब है, इन सैक्टर्ज में जब किसान अपनी गेहूं की ट्रालियों को गेहूं से भरकर गेहूं को बेचने के

लिए आवाज लगाया करते थे तो वह अपनी उपज को 100 रुपये प्लस में बेचकर जाता था और और हाथों हाथ उसको नकद पैसा भी मिल जाता था लेकिन उस समय मार्किट कमेटी के लोग उसके पीछे पड़ जाया करते थे लेकिन आज मोदी और मनोहर के नेतृत्व में दिल्ली के एन.सी.आर. में किसान अपनी सब्जी को कहीं भी ले जाकर बेच सकते हैं। उन्हें आज ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता है। किसान कहीं भी जाकर दूध बेच सकते हैं। किसी भी जगह जाकर अपना अनाज बेच सकते हैं। पहले की सरकारों के समय में मार्किट कमेटी के कर्मचारी किसानों के कांटे तक उठा लिया करते थे उनको मार्किट कमेटी के दफ्तर में ले जाकर बंद कर दिया करते थे। अध्यक्ष महोदय, किसान की आजादी के लिए जो यह कानून बनाये गए हैं, यह निश्चित रूप से किसानों के हित में हैं। आदरणीय भूपेन्द्र हुड्डा जी ने इन बिलों के बारे में बड़ी–बड़ी बातें करते हुए कहा कि यह किसान विरोधी बिल हैं, के परिपेक्ष्य में मैं बताना चाहूंगा कि वह किसान के बेटे हैं इसलिए अपने आपको किसान मानते हैं और मैं चूंकि ब्राहम्ण के घर पैदा हुआ हूँ, चाहे मैं कितना भी बड़ा जमींदार हूँ, लेकिन वे मुझको किसान नहीं मानते हैं। चौधरी ईश्वर जी ने इस बारे में बहुत ठीक बात कही थी कि गरीब आदमी जिनके पास जमीन नहीं है, वह किसान के खेत में काम करते हैं, मेहनत करके अपनी आजीविका कमाने के साथ–साथ किसान को उभारने का काम करते हैं, किसान के फसल की कटाई का काम करते हैं लेकिन बावजूद इसके उस गरीब खेती का काम करने वाले आदमी को ये लोग किसान नहीं मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज ब्राहम्ण, गुर्जर, मुसलमान तथा दलित हर जगह खेती करता हुआ मिलेगा लेकिन ये लोग उनको किसान नहीं मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज 36 बिरादरी के लोग किसान हैं। आज किसान कोई एक क्षेत्र में रहता हो ऐसा नहीं है। हमारे दक्षिण हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव तथा मेवात में किसान बड़ी शांति के साथ रह रहे हैं, हमारा जो हाइवे न. 2 है, उसके साथ लगते एरिया में किसान बड़ी शांति के साथ रह रहे हैं, अलीगढ़ जाने वाले रोड के साथ लगते एरिया में किसान बड़ी शांति से रह रहे हैं लेकिन जो रोहतक और सोनीपत के एरिया में किसान रहते हैं, क्या उन्हीं को ही सारी परेशानियां हैं? क्या किसान की परेशानियां इसी एरिया में आकर ठहर गई है? पूरे भारत में कोई किसान कुछ नहीं कह रहा है? सारे भारत के किसान चाहे वह मध्य प्रदेश के किसान हों, चाहे उतरांचल के किसान हों या चाहे पूर्वांचल के किसान हों सब शांत होकर अपना काम कर रहे हैं तो ऐसी क्या बात हो गई कि सारी समस्या

सोनीपत और रोहतक के किसान को है। अध्यक्ष महोदय, इसका सीधा सा मतलब है कि यह किसान की लड़ाई नहीं है बल्कि यह सत्ता की लड़ाई है और ये लोग किसान के नाम से सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने मोदी और मनोहर के नेतृत्व में पहले, वर्ष 2014 में सत्ता सौंपी थी उसके बाद वर्ष 2019 में दोबारा से सत्ता सौंपी और यह सत्ता किसान के बेटों ने ही सौंपी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के प्रति समर्पित सरकार है। अध्यक्ष महोदय, किसान के बेटों ने जय–जयकार करते हुए और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिताने का काम किया है। अभी गोपाल कांडा जी ने ठीक ही कहा था कि जो लोग सत्ता से दूर चले गए वही लोग किसान का रूप धारण करके ज्ञापन देने का काम करते हैं। अरे खेत नहीं, कटिया नहीं– बछिया नहीं और अपने आपको किसान कहते हैं? अध्यक्ष महोदय, यहां सदन में सभी कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, मैं इनके सामने एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि दक्षिण हरियाणा जिनमें फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात व पलवल का इलाका आता है, में पानी की इतनी खराब हालत है कि यहां पर सैंकड़ों बहन बेटियां कैंसर से ग्रस्त होकर मर रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्रों ने इस समस्या की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया क्या ये इलाके हरियाणा के इलाके नहीं हैं? अध्यक्ष महोदय जो यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है मैं सरासर इसके खिलाफ हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं इन कांग्रेसी मित्रों को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनोहर के नेतृत्व में किसानों के हित में काम करते हुए पलवल, सिरसा व फतेहाबाद जिले के लिए ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान की भरपाई तथा सफेद मक्खी से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 200 करोड़ रुपये देने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की फसल पर आई हर आपदा चाहे सफेद मक्खी के प्रकोप से हो या फिर तेज आंधी ओलावृष्टि आदि से हो जिससे किसानों की फसल नष्ट हुई है उसके लिये मुआवजे की राशि समय–समय पर और ज्यादा से ज्यादा दी है। अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में हमारी बहन श्रीमती किरण चौधरी जी उपस्थित हैं। यह सदन उनसे जान सकता है कि हरियाणा का विकास चौधरी बंसी लाल जी ने ही करवाया था अर्थात् जिन नहरों का निर्माण चौधरी बंसी लाल जी ने करवाया था, आज उन नहरों में पानी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी के सदस्य डॉ. अभय सिंह यादव जी ने माननीय

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मिलकर अंतिम टेल तक पानी पहुँचाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी एस.वाई.एल. नहर को लेकर कोई भी काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के सदस्य एस.वाई.एल. नहर के ऊपर केवल और केवल राजनीति करते रहे और प्रदेश की जनता को बहकाते रहे। कांग्रेस पार्टी की नीति और सोच के कारण ही हमारे दक्षिण हरियाणा को एस.वाई.एल. नहर का पानी नहीं मिला, जो हमारे क्षेत्र की जीवन रेखा कहलाती है। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश में विकास के अनेकों काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिन्द।

श्री शीश पाल सिंह (कालांवाली) (एस.सी.): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं अविश्वास प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। (विघ्न)

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे भी बोलने का मौका दीजिए।

श्री अध्यक्षः गौतम जी, आपकी पार्टी की तरफ से बोलने वालों की सूची में आपका नाम शामिल नहीं है, इसलिए जिन सदस्यों के नाम उनकी पार्टी के नेता ने अलाऊ किये हुए हैं, केवल उन्हीं सदस्यों को बोलने का समय दिया जा रहा है।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, यदि मेरा नाम सूची में नहीं है तो मैं यहां करने के लिये क्या आया हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शीश पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने–अपने तरीके से विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने की क्या जरूरत थी। अविश्वास प्रस्ताव सदन में इसलिए लाया जाता है जब जनता का विश्वास सरकार से उठ गया हो या फिर विधायकों का विश्वास सरकार से उठ गया हो। अध्यक्ष महोदय, आज के परिपेक्ष्य में यदि हम देखेंगे तो पायेंगे कि इस सरकार से जनता और विधायकों दोनों का विश्वास उठ चुका है। अध्यक्ष महोदय, सरकारे आती भी हैं और जाती भी हैं। सरकार के जो सदस्य पिछली बार थे वे इस बार नहीं है और

जो सरकार के सदस्य इस बार हैं वे अगली बार भी नहीं होंगे। आज हम किसानों के बारे में सदन में चर्चा करते हैं लेकिन हमारा किसान दिल्ली के सिंधु, टीकरी, गाजियाबाद आदि बॉर्डर्ज पर पिछले तीन महीने से कड़ाके की सर्दी में धरने पर बैठा हुआ है और कुछ हमारे किसान शहीद भी हो रहे हैं, इन सबके बावजूद भी सरकार की तरफ से उन किसानों के प्रति कोई संवेदना नहीं है। उनके शहीद होने पर सरकार की तरफ से एक भी शब्द नहीं बोला जाता है । हमारे चमोली में एक बहुत ही दुःखद दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हो गई थी । हमने उस दुःखद दुर्घटना में मारे गए लोगों को भी विधान सभा की कार्यवाही में शामिल करवाने के लिए कहा था । मैं नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया । कृषि कानूनों के विषय पर मैं कहना चाहूंगा कि ये कानून काले हैं । इन काले कानूनों के विषय में हमारी पार्टी और रूलिंग पार्टी क्या कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है । अगर कोई व्यक्ति किसान के पास जाए और उससे पूछे कि इन काले कानूनों की हकीकत क्या है तो मैं समझता हूं कि वह किसान इस बारे में इस सदन में बैठे हुए हर व्यक्ति से बेहतर बता पाएगा कि ये कानून क्यों काले हैं । अगर किन्हीं दो चीजों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि इनमें से बेहतर कौन है । इन कानूनों को वर्ष 2006 में बिहार में लागू किया गया था । मैं बताना चाहता हूं बिहार के किसान की औसत आमदनी 5000 रुपये प्रति माह है जबकि हरियाणा के किसान की औसत आमदनी 14,434 रुपये प्रति माह है । इनकी तुलना करने से पता चल जाएगा कि इनमें से कौन–सी व्यवस्था के तहत चलने वाला प्रदेश आज अच्छी स्थिति में है । हमारा किसान खुद आधे कपड़ों में रहता है लेकिन हमारे लिए कपड़ों की व्यवस्था करता है, किसान स्वयं भूखे पेट सोता है लेकिन हमारे लिए अनाज पैदा करता है और उसके घर की कच्ची छत तो टपकती रहती है लेकिन वह हमारे लिए परमात्मा से दूआ करता है कि हे परमात्मा ! तू बारिश कर दे क्योंकि उसने हमारे लिए अन्न पैदा करना होता है । अगर मैं हरियाणा के परिपेक्ष्य में बात करूं तो हरियाणा पूरी तरह कृषि प्रधान प्रदेश है । माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हौंसला करना चाहिए और प्रधानमंत्री महोदय से किसानों के विषय पर बात करनी चाहिए । उनको प्रधानमंत्री महोदय से कहना चाहिए हरियाणा प्रदेश किसान–बहुल प्रदेश है और ये कृषि कानून प्रदेश को प्रभावित करते हैं और आपको इन पर पुनः विचार करना चाहिए । ऐसे में मैं मानता हूं प्रधानमंत्री महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बात

को निश्चित तौर पर मानेंगे परंतु इसके लिए हौंसला करना पड़ेगा और पार्टीबाजी से ऊपर उठना पड़ेगा । आज के परिपेक्ष्य में मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 1956 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी देश के रेल मन्त्री हुआ करते थे । उस समय एक दुर्घटना घटी और उसमें 112 लोगों की मौत हो गई । उन्होंने इसका जिम्मा लेते हुए तुरन्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया । आज किसान आन्दोलन में 250 लोगों की मौत हो चुकी है । (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ 2 मिनट और बोलूंगा । हमारे प्रधानमंत्री महोदय ऐसा हौंसला नहीं कर पाए । वर्ष 1975 के आपातकाल लगने के बाद जब पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लगा कि उनकी सरकार देश का विश्वास खो चुकी है तो उन्होंने 18 जनवरी, 1977 को ही लोकसभा भंग कर दी थी जबकि उनकी सरकार का कार्यकाल नवम्बर, 1977 में खत्म होना था । आज के दिन ऐसे ही हालात हमारे हरियाणा प्रदेश में हैं । आज जनता का हरियाणा प्रदेश की सरकार से विश्वास उठ चुका है । मैं कहना चाहूंगा कि किसान न तो इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी का है न भाजपा का है । किसान की कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता है । किसान सिर्फ किसान होता है । अतः मेरा निवेदन है कि किसान को केवल किसान की नजर से ही देखा जाए । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : शीशपाल जी, अब आप प्लीज बैठ जाइये ।

श्री शीश पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट और बोलूंगा । आज हमारे पास सदन में बोलने के लिए कर्मचारियों के अविश्वास, महिलाओं की स्थिति जैसे बहुत–से मुद्दे हैं । (विघ्न) मैं अपनी बात संस्कृत भाषा के एक श्लोक के साथ खत्म करना चाहूंगा –

हंसः श्वेतः बकः श्वेतः को भेदः बक हंसयोः
नीरक्षीर विवेक तु हंसो हंसः बको बकः ।

इसका अर्थ है कि हंस भी श्वेत रंग का होता है और बगुला भी श्वेत रंग का होता है तो उनमें क्या अंतर है । जब दूध और पानी को अलग करने की बात आती है तो पता चलता है कि कौन हंस है और कौन बगुला है । यहां पर बैठे हुए सभी माननीय सदस्य हंस हैं। मैं यह चाहता हूं कि आज इस परीक्षा की घड़ी में वह अपने आपको हंस साबित कर दें और इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के अन्दर कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारी सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और मैं इसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब सदन में इस पर बहस की षुरुआत हुई तो मैं उम्मीद कर रहा था कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा जिस कारण यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसके ऊपर अपनी बात रखेंगे कि जो किसान आज दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। उनके प्रति उनकी सोच क्या है ? यह बात रखेंगे कि कैसे 3 कानूनों ने कृषि क्षेत्र को कमजोर करने का काम किया है। मगर जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखते हुए अपने भाषण की पहली लाइन में यह कह दिया कि मैं कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं करूंगा। उन्होंने इससे आज इस देश और प्रदेश की जनता को यह दिखाने का काम किया है कि वह कितनी गम्भीर सोच के साथ हमारी सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। उन्होंने प्रदेश में अनइम्पलायमैंट की बात की, उन्होंने प्रदेश में स्कैम की बात की, उन्होंने बात कि कैसे कृषि क्षेत्र कमजोर हो गया ? अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर पिछले सवा साल से निरन्तर अलग–अलग विषयों पर चर्चा हुई और हमारी सरकार ने इनके एक–एक सवाल का जवाब दिया था और गम्भीरता के साथ कोई अनियमितता पायी गयी तो उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत भी की है। मगर हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों में एक चीज जो परसों, कल और आज देखने को मिली है, वह केवल मियर फ्रस्ट्रेशन है। इन्होंने धीरे–धीरे करके अपनी बातों की पोल खोलने का काम किया है। परसों माननीय सदस्य श्री भारत भूषण बतरा जी ने यह बात रखी कि वर्ष 2014 में हुड्डा जी ने कांट्रैक्टचूअल फार्मिंग इन्ट्रोड्यूस की थी। आज डॉ0 अभय सिंह यादव जी ने हुड्डा साहब की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिकमेंडेशन वाली किताब उनको देते समय कहा था कि ए.पी.एम.सी. एक्ट की सिफारिश भी उन्होंने ही की थी। इस बात पर हुड्डा साहब ने छाती पीटकर कहा कि ए.पी.एम.सी. एक्ट की सिफारिश भी उन्होंने की थी। इस बात पर मैं एक कहावत जरूर बताना चाहूंगा कि 'मुहं लाए डूमनी, गांव अचर पचर।' ये धीरे–धीरे करके अपनी सारी पोल खोल रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने कृषि कानूनों को देश की जनता को आगे करके उनको पहले काले कानून बताया ? फिर किस तरीके से मिस–रिप्रजेंट किया कि ये कानून तो केन्द्र की एन.डी.ए. की सरकार ने लाने का काम किया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष इस सदन में खड़े होकर कहते हैं कि इसकी पहली सिफारिशें उनके द्वारा की गयी थी। अध्यक्ष महोदय, अगर ये कृषि

क्षेत्र के इतने हितैषी थे तो इनको अपनी पार्टी की सरकार के 10 साल भी याद रखने चाहिए। जिसमें ये किसानों की जमीन लेने के लिए सैक्शन 4, सैक्शन 6 और फिर सैक्शन 9 लागू करते थे। जब जमीन एक्विजिशन करने का समय आता था तो फिर बाद में उस निर्णय को बदल दिया जाता था। जब किसानों की जमीन प्राईवेट बिल्डर्ज के नाम रजिस्टर हो जाती थी तो उसको रिलीज करके करोड़ों रुपये का मुनाफा किसको दिया जाता था ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहूंगा कि बी.पी.टी.पी. किसकी कम्पनी है ? प्रदेश में ग्रीन बैल्ट में किसके पैट्रोल पम्प लगे हुए हैं? रिलायंस कम्पनी को किसने किसानों की जबरदस्ती 1,000 एकड़ जमीन एक्वायर करके दी है ? अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी की सरकार में इन्होंने 70,000 एकड़ से ज्यादा जमीन इसी तरीके से 10 सालों तक लूटने का काम किया है। अभी कुछ समय पहले माननीय मंत्री श्री अनूप धानक जी ने ठीक बात कही है। माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी परसों प्रशंसा कर रही थी, परन्तु इस समय वह सदन में उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि 'हुड्डा तेरे राज में, जीरी गयी जहाज में'। यह नारा उस राज में एक बार लगा होगा। मगर इनकी पार्टी की सरकार के 10 सालों में यह नारा भी लगा कि 'हुड्डा तेरे राज में, किसान की जमींन गयी ब्याज में।' अध्यक्ष महोदय, हमने पिछले एक साल में खरीफ सीजन और रबी सीजन की दो फसलें प्रोक्योर की हैं। हमारी सरकार ने इन फसलों को खरीदने में कोई छोटा अमाउंट किसानों को पे नहीं किया है। हरियाणा प्रदेश बहुत ही छोटा प्रदेश है जिसकी देश में 2 प्रतिशत की आबादी है। फिर भी हमारी सरकार ने 30 हजार करोड़ रुपये की अलग–अलग प्रकार की फसलें एम.एस.पी. पर प्रिक्योर करने का काम किया है। मैं आज कांग्रेस पार्टी से यह कहना चाहूंगा कि 1 अप्रैल, 2021 में मंडियों में जाकर देखना इनको असली धरातल का पता लग जायेगा। हमारी सरकार ने प्रदेश में पिछली बार ''कोविड–19 वैश्विक'' महामारी के दौरान भी 1800 परचेज सैंटर बनाये थे। इन मंडियों में किसी भी किसान को रात में अपनी गेंहू की रखवाली करने के लिए नहीं रहना पड़ा था। हमारी सरकार ने इस बार भी वही व्यवस्था बनाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने ऐसा प्रावधान कर दिया है कि जब किसान अपनी फसल मंडी में लेकर आयेगा और जैसे ही किसान का जे–फार्म कटेगा दो दिन के अंदर–अंदर किसान के खाते में पैसे मूल के साथ भेजने का काम किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में एक रेस चल रही है कि किस प्रकार से

सत्ता परिवर्तन किया जा सके। इस महान सदन में कादियान साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि आंख बंद करो और चौधरी देवी लाल जी की तरफ देखो। मैं बताना चाहता हूं कि वे कोई शख्सियत नहीं थे, वे अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था थे। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर इस हाउस के 88 के 88 सदस्य अपनी आंख बंद करके देखें तो इनमें से 50 सदस्य ऐसा महसूस करेंगे कि उनको राजनीति में लाने काम और उनके राजनीति के अनुभव को बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो वह चौधरी देवी लाल जी ने किया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सदस्य लीडर बनना चाह रहे हैं। ये सत्ता परिवर्तन करके ये सोच रहे हैं कि रातों रात मैं खुद लीडर बन जाऊं और अपने लड़के को प्रधान बना दूं। आज इनकी यह हालत हो चुकी है। पहले दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगती थी यह बात तो श्रीमती किरण चौधरी जी भी मानेगी। अब नई पगड़ी पहनकर जी–23 के दरबार में हाजिरी लगने लग गई है और अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जो ऐसा ही अविश्वास प्रस्ताव ये आज कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई है शायद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी लाने का काम कर सकते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने नो कांफिडेंस मोशन में 20 मुद्दे लिखे हुए हैं। प्लीज आप सभी बैठ जायें।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस पार्टी 10 साल तक सत्ता में थी तो उस वक्त इस प्रदेश में क्या हाल था? श्रीमती गीता भुक्कल जी ने उन 250 किसानों की फोटो दिखाई तो मुझे भी देखकर बड़ा दुख हुआ। आज कोई भी नागरिक इस देश के अंदर किसी भी विरोध प्रदर्शन में अपनी जान गंवाता है तो हमें भी बड़ा दुख होता है। ऐसी बात नहीं है, हमारी सरकार की संवेदना भी उन किसानों के प्रति है। ये कांग्रेस पार्टी के वही लोग हैं, जब टीचरों ने इनके दरवाजों पर विरोध प्रदर्शन किया था तो सीधा गोली मारकर उनकी जान लेने का काम किया गया था। ये वही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जब हीरो होंडा के कर्मचारी एक पार्क में धरने पर बैठे हुए थे तो पहले इनको पार्क में घेरने का काम किया और बाद में इन पर लाठियों से पीटने का काम किया गया। ये वही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने मारूति कम्पनी में जाकर लाठीचार्ज करने का काम किया था। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार में जहां किसानों ने आंदोलन किया, किसान उग्र हो गये थे लेकिन हमारी सरकार ने उन किसानों पर किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं

किया बल्कि सहानुभूति के साथ किसानों से आग्रह किया कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेंन रखा जाये। अध्यक्ष महोदय, हालत देखिये आज दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमारी सरकार उनको मूलभूत सुविधाएं देने काम कर रही है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक मंत्री ने किसानों की मौतों पर मखौल उड़ाने का काम किया गया था। मंत्री होने के नाते ये बातें इनको शोभा नहीं देती हैं। (विघ्न)

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं किरण बहन जी को कहना चाहता हूं कि आप जम्मू में शांति सम्मेलन समारोह के आयोजन में जाते तो सब कुछ ठीक हो जाता है। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को कहना चाहती हूं कि मैं जहां पर भी हूं, वहां ठीक हूं। (विघ्न)

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं तो विपक्ष के माननीय साथियों से इतना ही पूछना चाहूंगा कि वे यह बता दें कि उन्होंने पिछले चार से साढ़े चार घंटे के समय के दौरान प्रदेश की सरकार की कोई ऐसी कमी बताने का काम किया हो जिसके आधार पर ये सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाये हैं। मैं इनसे भी पूछता हूं। इनकी भी सरकार थी और उस सरकार में श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे। मुझे यह बताया जाये कि उस समय पानीपत में किसके मुंह पर थप्पड़ पड़ा था? इसी प्रकार से वर्ष 2016 में डी–पार्क में किसके ऊपर चूडियां फैंकने का काम किया गया था? कभी–कभी सरकार के फैसलों का विरोध भी होता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे क्या उनके ऊपर स्याही नहीं फैंकी गई थी? विरोध करना सभी का अधिकार है लेकिन अगर मर्यादा में रहकर विरोध किया जाये तो ज्यादा बेहतर होता है। मैं एक बात अवश्य बोलना चाहूंगा कि ये दिन किसी के भी पक्के नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी कुर्सी और विधान सभा किसी की बापौती नहीं हैं। ये तो आज किसी की है और कल किसी और की होगी। मैं विपक्ष के साथियों को एक बात जरूर बोल सकता हूं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने समय को भूल जाते हैं। कल हमारे एक साथी ने बड़े प्यार से खड़े

होकर यह कहा कि प्रदेश से इण्डस्ट्री का पलायन हो रहा है। इस सम्बन्ध में संसद में कल ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस यह आंसर दिया गया। इसके अंदर हरियाणा का नाम नहीं है। उसमें यह कहा गया है कि zero industry has moved out from Haryana जबकि कांग्रेस शासित राजस्थान के बारे में यह कहा गया है कि 479 कम्पनियों का पलायन हुआ है। इसी प्रकार से कांग्रेस शासित पुडुचेरी से 31 कम्पनियों का पलायन हुआ है। कांग्रेस के माननीय साथियों को जब इस विषय पर चर्चा करनी हो तो उनके पास पूरे का पूरा डाटा होना ही चाहिए। हमारी सरकार तो आज बड़ी गम्भीरता के साथ इण्डस्ट्री को हरियाणा प्रदेश में लेकर आने का काम कर रही है। आज उसी का नतीजा है कि पिछले सवा साल में 17 हजार करोड़ की इनवैस्टमैंट हरियाणा प्रदेश में आई। इससे लगभग 9000 रोजगार हमारे प्रदेश में बढ़ेंगे। इस प्रकार से यह अभूतपूर्व कदम हमारी सरकार ने उठाया है। आज अगर हमारी सरकार द्वारा निजी रोजगार में 75 परसैंट हिस्सेदारी देने की बात कर रही है तो यह हमारी सरकार का एक बेहद सराहनीय काम है। यह हमारी पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा था और हम पूरी गम्भीरता के साथ इस प्रदेश में लागू करेंगें इसी के साथ अगर कोई इण्डस्ट्री का विषय होगा तो हम उसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। हम इसको गम्भीरता के साथ लागू करेंगे ताकि हमारे प्रदेश का पढ़ा–लिखा युवा रोजगार की तलाश में दर–दर की ठाकरें न खाये। हमारी सरकार उसको सक्षम बनाकर उसके हाथ में रोजगार के साधन देने का काम करेगी। अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब यहां पर नौकरी देने की बात करते हैं। मैं हुड्डा साहब को यह कहना चाहता हूं कि वे मुझे यह डाटा तो दे दें कि उनके राज में हरियाणा प्रदेश में कुल कितने लोग ग्रुप डी में नौकरी लगे थे? आज यह हालत है कि हुड्डा साहब के पास इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं हैं। कांग्रेस की 10 साल के शासनकाल के दौरान एक नारा जरूर था कि हरियाणा नम्बर वन और कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश के मतदाता ने तीसरे नम्बर पर लाकर छोड़ा था। अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब को यह बात याद रखनी चाहिए। स्पीकर सर, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि कादियान साहब यह बात कह रहे थे कि हमने चुनाव में क्या–क्या बोला? मैं यहां पर एक बात पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी नेचुरल अलायंस है। चौधरी देवी लाल जी जनसंघ के साथ जुड़कर इस सदन में आये थे, उसके बाद चौटाला साहब भी आये थे। आज जननायक जनता पार्टी बनी तो

आज हम भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस प्रदेश को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए हम सरकार में शामिल हैं। अध्यक्ष जी, कांग्रेस के साथियों को मुझे यह तो बताना ही चाहिए कि हम कांग्रेस के साथ कब खड़े थे? अध्यक्ष जी, कांग्रेस पार्टी की सरकारों में तो इस राजधानी को ही गिरवी रखने का काम शुरू कर दिया था। जिस पर चौधरी देवी लाल जी ने तत्कालीन सरकार के इस फैसले के विरूद्ध अपनी मुहिम शुरू की थी। मैं एक बात इस सदन में और बोलना चाहूंगा कि आज कांग्रेस पार्टी की केवल मात्र एक ही मंशा है कि यहां पर अविश्वास प्रस्ताव न गिरे अपितु यहां पर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए और सत्ता कांग्रेस पार्टी के साथियों के हाथ में आये। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से कांग्रेस के साथियों से यही कहना है कि वे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें। मैं यह बात पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि पूरी मजबूती के साथ हमारी यह गठबन्धन सरकार पांच साल इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेगी और मजबूती के साथ प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम करेगा और प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का काम करेगी। मैं इस सदन में ऑन रिकार्ड बोलता हूं कि आने वाली एक तारीख से जब मण्डियों में गेहूं की प्रक्योरमैंट शुरू होगी, जो भ्रम कांग्रेस के साथियों ने फैलाया था कि इन कानूनों से एम.एस.पी. बंद हो जायेगा और मण्डियां भी बंद हो जायेंगी हमारी सरकार मण्डियों को और मजबूत भी बनायेगी और एक–एक किसान को एम.एस.पी. के अनुसार उसकी फसल का मूल्य दो दिनों के अंदर–अंदर उसके खाते में देने का काम करेगी।

.....

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

.....

मंत्री परिषद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में कह कहावत है कि भैंस छतरी को देख कर चमक जाती है लेकिन अपने रंग को नहीं देखती। आज कुछ इसी प्रकार की हालत कई लोगों की हो चुकी है जो हमारी पार्टी जो केवल मात्र दो वर्ष के अन्दर बनी है, जो लोगों के विश्वास पर खड़ी है, सरकार में बैठी है उसको देख कर डर जाते हैं। मैं तो विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं कि पहले ये जनता का विश्वास अपने पक्ष में करने की कोशिश करें। आज जनता इनके पक्ष में नहीं है। हमारे साथ लगता हुआ राजस्थान और साथ ही लगता हुआ पंजाब दोनों प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी का शासन है, मैं इनसे आग्रह भी करता हूं और ऑन दा फ्लोर ऑफ दा हाउस चैलेंज करता हूं कि इन दोनों राज्यों में 1 अप्रैल से प्रोक्योरमैंट शुरू करवाओ। जो 6 फसल हरियाणा एम.एस.पी. पर प्रोक्योर कर रहा है ये उन्हीं 6 फसलों की सिर्फ घोषणा करवा दें कि इस बार ये फसलें चना और दाल भी एम.एस.पी. पर खरीदी जायेंगी। ये वहां के किसान को हौंसला तो दें। हम तो अपने किसान के प्रति समर्पित हैं। मुझे याद है कि 5 साल पहले दादरी में किसान का टमाटर सड़कों पर गिरा करता था। हमारे माननीय साथी सोमबीर सांगवान जी बैठे हुए हैं। पिछले साल हमने भावांतर भरपाई स्कीम के तहत हरियाणा से टमाटर उठाकर राजस्थान की फैक्ट्रियों में भेजा। किसानों के मामले में हमारी सरकार गम्भीर है। केवल मात्र ये 5–6 फसलें ही नहीं चाहे सब्जियां हैं या और भी कोई ऐसा किसान का उत्पादन हो जो किसान की मेहनत से उगता है उसका हम पूरा भाव देने का काम करेंगे। मैं तो शकुन्तला खटक जी का उनकी उस कविता के लिए धन्यवाद करूंगा जो पढ़ते–पढ़ते इतनी भावुक हो गई कि वे बताने लगी कि खेती करके देखो, खेती करके देखो। मैं विपक्ष के उन साथियों को कहना चाहूंगा जो एक गमले में ग्रास व्हीट उगाकर रख लेते हैं, आज वे जायें और किसानों की समस्या सुनें। अगर व्हीट ग्रास का पानी गमले वाले गेहूं से पीओगे तो फिर किसान की लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। इसलिए इन लोगों को पहले अपने नेतृत्व में विश्वास लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार मजबूती के साथ 5 साल तक चलेगी। धन्यवाद।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, पिछले 6 साल में यह हमारी दूसरी टर्म है और दूसरी टर्म के दूसरे साल में हमारे खिलाफ यह जो अविश्वास प्रस्ताव

लाया गया है मैं वास्तव में विपक्ष का खासकर कांग्रेस पार्टी का अहसानमंद हूं कि कम से कम मुझे अपनी सरकार का सारा लेखा–जोखा रखने का विशेष अवसर मिल रहा है। मैं विशेष अवसर इसलिए कह रहा हूं कि हर सत्र में मुख्यमंत्री को लीडर ऑफ दा हाउस होने के नाते आखिर में बोलने का अवसर मिलता है लेकिन जो परम्परा मैंने अभी तक देखी है कि अपनी–अपनी बात सभी कह लेते हैं और जब लीडर ऑफ दा हाउस को अपनी बात कहनी होती है तो वॉक आउट करके चले जाते हैं और आखिर में केवल कुछ ही विधायक बचते हैं। आज चूंकि विशेष अवसर है अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी की तरफ से लाया गया है चूंकि इनकी एक मृग तृष्णा है। राजस्थान में या किसी रेतीले इलाके में गर्मियों के दिनों में जब लू चलती हैं तो गर्म हवा पानी की तरह हिलती दिखाई देती है तो मृग को लगता है जैसे पानी मिल गया और वह उसकी तरफ भागता है लेकिन जब काफी भागने के बाद वहां पहुंचता है तो उसको केवल रेत ही मिलता है। इसी तरह से कांग्रेस के लिए यह मृग तृष्णा है कि सत्ता से इतने दिन बाहर रह गये और सत्ता में वापिस कैसे आयें लेकिन इनको रेत ही मिलेगा। तृष्णा पूरी होने वाली नहीं है इसलिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा क्योंकि आज विश्वास और अविश्वास को जनता तो जानेगी। हमें यह तो मालूम है कि हमें विपक्ष का विश्वास तो कभी नहीं मिलेगा क्योंकि विपक्ष का काम ही आलोचना करना होता है और करनी भी चाहिए। जैसे कल भी मैंने कहा था कि विपक्ष की आलोचना करने से हमें लाभ हो जाता है लेकिन हमें तो जनता का विश्वास चाहिए और जब जनता का विश्वास लेना होता है तो उसमें बहुत सा रोल ये सारे कार्यक्रम करते हैं। आज जैसे यह अविश्वास प्रस्ताव आया है उसके बारे में सारी बातें मुझे जनता को भी बतानी हैं और आपको भी बतानी हैं। आप उसको सुनेंगे भी और आप सदन में बैठेंगे भी इसलिए आज मुझे इस समय यह समस्या नहीं है कि मैं जल्दी अपनी बात को खत्म करूं कहीं विपक्ष उठकर न चला जाए। आज मैं चाहे दो घंटे बोलूं, चाहे तीन घंटे बोलूं आज आप पूरा समय सदन में बैठेंगे ही इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक आग्रह करता हूं कि आप लोकतांत्रिक इतिहास का एक रिकॉर्ड बनाईये। आप हर 6 महीने में एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आईये क्योंकि आज तो आप लोगों ने यह मान लिया है और हुड्डा जी ने भी अपनी बात–चीत में शुरू में ही कह दिया था कि सरकार को बहुमत है। आप अपने बहुमत के कारण से अपनी बात रखेंगे और उसको हमें मानना पड़ेगा। ऐसा बीच–बीच में हमारे कुछ विधायकों ने भी कहा है

और हमारे विधायक कुण्डू जी ने भी कहा है और भी हमारे मित्रों ने कहा है। शीश पाल जी ने भी कहा है कि आज सरकार और विपक्ष के बीच का मामला नहीं है। अब ये मामला तो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। विपक्ष प्रस्ताव की भूमिका में भी वही बात लेकर आया है। उस पर सदन में बहुत सी बातें हो भी चुकी हैं और हो सकता है कि जब मैं एक–एक करके बात कहूंगा तो बहुत सी बातों का दोहराव भी होगा। मेरा तो इतना ही कहना है क्योंकि रिजल्ट तो आपने बता ही दिया है और होना तो वही है जो हम भी सोचते हैं और आप भी सोचते हैं। विपक्ष के द्वारा जो आलोचना की गई उसका सत्ता पक्ष के लोगों ने विरोध किया और सत्ता पक्ष के लोगों ने जो आलोचना की तो उसका विपक्ष के साथियों ने विरोध किया। मेरे इस भाषण में मेरा इतना ही अनुरोध है कि जो मुझे कहना है वह तो कहना ही है। हो सकता है उसमें बहुत सी बातें विपक्ष के साथियों को पसंद न आएं क्योंकि यह स्वाभाविक है क्योंकि पक्ष–विपक्ष है। आज आप मुझे जितना कम टोका –टाकी करेंगे उतना ही मैं अपनी बात को जल्दी पूरा कर लूंगा। अगर आप टोका–टाकी ज्यादा करेंगे तो बात वही होनी है। आपके करने का और मेरे कहने का अर्थ वही निकलना है। कोई अलग–अलग नहीं है इसलिए मेरा विपक्ष से निवेदन है कि जब तक मैं बोलूंगा आप बीच में टोका–टाकी न करें तो अच्छा रहेगा क्योंकि जो मुझे कहना है वह तो कहना ही है। मित्रों इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि 'बशीर भद्धर' एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। उसमें मैंने उनका एक शेयर पढ़ा था तो मुझे लगा कि यह वास्तव में अच्छा है।

''मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एतराम करता हूं।''

'दुश्मन' शब्द को वैसा न लें यह एक विरोधी जैसे विपक्ष का होता है उतना ही इसका अर्थ है इसलिए उसमें से मैं आपका ध्न्यवाद करता हूं कि आप इस प्रकार का कोई विरोध करते हैं तो उससे हमें कुछ ताकत मिलती है। अविश्वास की वास्तव में कांग्रेस पार्टी की पुरानी संस्कृति है कि जब भी कोई बात पसंद न आए अच्छी हो, माड़ी हो अविश्वास पैदा कर दो। वैसे तो कांग्रेस का यह अविश्वास विद ईन दा ऑर्गनाईजेशन खूब देखने को मिलता है। अभी भी मेरे पास एक समाचार आया है, हालांकि वह हमारे हरियाणा का नहीं है। देश के किसी दूसरे कोने का है। 'ई.सी. चाको' अभी–अभी कांग्रेस पार्टी को छोड़ गये जोकि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। इतना अविश्वास है। इससे पहले जो एक क्रम पिछले दिनों का बना हुआ है उसमें कहीं कुछ निकलता है, कहीं कुछ निकलता है। यह कांग्रेस की एक संस्कृति

है और वे बहुत जल्दी अविश्वास प्रकट करते हैं। उस अविश्वास में प्रदेश में चाहे हुड्डा साहब व सुरजेवाला का हो, चाहे बहन शैलजा व सुरजेवाला का हो। इन सब का अविश्वास सभी लोग जानते हैं। हमें तो इतना पता है कि कांग्रेस की अविश्वास की जो कार्यशैली है वह कांग्रेस पार्टी को कभी लाभ देने वाली नहीं है क्योंकि विश्वास ही लाभ देगा। विश्वास चाहे अपने अंदर का हो या चाहे एक दूसरे के प्रति हो। डैमाक्रेसी में आलोचना करना उचित है लेकिन उसको इस लैवल तक लेकर जाना जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक बात नहीं है। एक विषय पर जिस तरह की बातचीत की जा रही है, उससे एक बात सामने निकलकर आई है कि इस विषय को महज आलोचना तक सीमित न करके, इसकी आड़ में राजनीतिक लाभ लिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों के प्रति इन लोगों के मन में भी प्रेम है और हमारे मन में भी प्रेम है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केवल ये लोग ही किसान हितैषी हैं और हम नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम भी किसान हितैषी हैं और यही कारण है कि हमने पिछले छह साल में किसानों के हित में एक से बढ़कर एक काम किए हैं। मेरे पास इसकी पूरी फेहरिस्त है, हालांकि इन विषयों पर बहुत से लोग बोल भी चुके हैं लेकिन बावजूद इसके मैं भी दो मिनट में इस पूरी फेहरिस्त की सूची को पढ़कर बताऊंगा कि हमारी सरकार ने किसानों के हित में कितने काम किए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस के मित्रों को किसान हित में सरकार द्वारा जो दूसरे काम भी किए गए हैं, उन पर भी इनको अविश्वास होने लगता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान की बात की तो इन लोगों ने तरह–तरह की आलोचनायें करने का काम किया। सारे देश में और दुनिया में हमारे देश में चलाए गए स्वच्छता अभियान की खूब चर्चा हुई लेकिन इन कांग्रेस के मित्रों को उस पर भी अविश्वास होने लगा। अब बात आती है चुनाव की। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनाव जीतती है तो ई.वी.एम. में कोई गड़बड़ी नहीं और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव जीतती है तो ई.वी.एम में गड़बड़ी के आरोप लगा दिए जाते हैं, यहां पर भी अविश्वास। जब हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए दुश्मनों को मारने का काम किया तो कांग्रेस के नेताओं ने तरह तरह के प्रश्न खड़े करते हुए इस प्रकार के सबूत मांगने का काम किया कि बताओ वहां पर कितने लोग मरे या उनकी संख्या कितनी थी। कहने का मतलब इन लोगों ने हमारी सेना का मनोबल गिराने तक का काम किया। जब हमारे

सैनिक, चीनी सैनिकों को खदेड़ने के लिए गलवान घाटी में गए तो कांग्रेस के नेताओं को इस पर भी अविश्वास होने लगा। यह सभी तथ्य हैं मैं कोई अलग बात नहीं कह रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, बालाकोट की घटना के बाद हमारे अनेकों सैनिक शहीद हुए जिनके परिवार के लोग दर–दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं, सरकार को उनके परिवारों के प्रति भी ध्यान देने देने की जरूरत है?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि यह काम भी सरकार कर लेगी लेकिन अब चूंकि अविश्वास की बात चल रही है तो एक बार उन्हें संदर्भित विषय की बात को ध्यान से सुनने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों को अविश्वास क्यों होता है। यदि एक आध बार ऐसा हो जाये तो यह स्वाभाविक सी बात मानी जा सकती है लेकिन हर बार इनके द्वारा ऐसा करना ठीक नहीं है। वास्तव में विपक्ष का काम यह होता है प्रदेश सरकार द्वारा या देश की सरकार द्वारा जो अच्छे काम किए जा रहे हैं, उनकी खुले मन से प्रशंसा करनी चाहिए क्योंकि ऐसा करना देश व समाज के हित में होता है। आलोचना केवल मात्र आलोचना के लिए हो, यह कभी भी तर्कसंगत नहीं होता है। कांग्रेस की सरकार जब होती है तो वह जो करे सो ठीक लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आ जाये या किसी और पार्टी की सरकार सत्ता में आ जाये और वह कुछ काम करे तो सब कांग्रेसी उसके विरोधी हो जाते हैं और उट–पटांग बातें करने लगते हैं जैसे कि मंगल ग्रह पर प्लॉट दे दो, प्लॉट नहीं मिले तो इनको अविश्वास होने लगता है। कहने का भाव है कि ये लोग ऐसी ऐसी कल्पनायें करने लगते हैं जिनका कोई आधार ही नहीं होता है। मेरा कहना है कि अगर कोई बात उचित है तो उसकी डिमांड करो, सरकार उस डिमांड को पूरा करने का काम करेगी लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो असंभव होती हैं उन बातों के लिए डिमांड करके वातावरण को बिगाड़ना ठीक नहीं है। अभी–अभी कोविड काल में कोरोना की रोकथाम के लिए जो वैक्सीन तैयार की गई है, इन लोगों को उस पर भी अविश्वास हो गया। भारत वर्ष में हमारे साइटिंस्ट की मेहनत से इजाद की गई इस वैक्सीन को आज दुनिया मानती है और हमने इस वैक्सीन को न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी भेजने का काम किया है लेकिन कांग्रेस के मित्रों को इस पर भी अविश्वास है। अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम भारत में अपने आर.एन.डी. सैंटर्ज के अंदर यह वैक्सिन तैयार हुई। इस दवाई का

जो अवष्किार हमारे साइटिंस्ट्स ने किया था, इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए थी लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि समय के साथ हमें अपनी संस्कृति को थोड़ा बदलना चाहिए इसका बहुत फायदा होता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं है कि मुझे सदन में नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि कांग्रेस के नेता राहुल जी जो पता नहीं आज इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं या कल अध्यक्ष थे या आगे होंगे मैं उनके बारे में एक बात बताता हूँ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति इस हाउस का सदस्य नहीं है उसका नाम सदन में लेना ठीक नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः मुख्यमंत्री महोदय, आप उनका नाम न लें।

श्री मनोहर लालः ठीक है, अध्यक्ष महोदय परन्तु मैं बिना नाम लिए उनके द्वारा कही गई एक बात इस सदन को जरूर बताना चाहूंगा। इतने बडे नेता होते हुए भी वे केरल में जाकर कहते हैं कि वह केरल में इसलिए आया है क्योंकि यहां के लोग इशूज पर बात करते हैं और इशूज पर बात करना उन्हें अच्छा लगता है। अब उनसे अगर कोई पूछे कि इसका क्या मतलब हुआ? क्या उत्तर भारत के लोग इशूज पर बात नहीं करते? मतलब यहां भी अविश्वास। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति इस हाउस का सदस्य नहीं है उसके बारे में यहां चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब नाम नहीं लिया है केवल किसी संदर्भ को लेकर बात रखी है। अतः आप प्लीज बैठिए और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई औचित्य नहीं था। जो विचार अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये थे, वे अपने विचार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से भी सदन में रख सकते थे। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी द्वारा यह अविश्वास प्रस्ताव लाने का उद्देश्य केवल यही है कि ये लोग सरकार को गिरायेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक कहावत 'पल्ले नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने' वाली बात चरितार्थ होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव का लाभ कांग्रेस पार्टी को कम है और हमारी सरकार को ज्यादा हुआ है। जब भी कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है उसने राज को भोगा है लेकिन हमारी पार्टी की सरकार

शुरू से ही राज को सेवा का एक माध्यम मानती है। सेवा के नाते समाज का कोई भी वर्ग हो हमको सबकी चिंता रहती है। उसमें चाहे किसान, मजदूर, दुकानदार, उद्योगपति, कर्मचारी, पैंशनभोगी, महिला, नौजवान, बेरोजगार आदि हो सबकी चिंता बराबर करते हैं। सरकार की हर साल की काम करने की प्राथमिकता अलग–अलग होती है। हमारी इस साल काम करने की यह प्राथमिकता है और अगली साल यह प्राथमिकता होगी। सरकार की समय के साथ–साथ काम करने की प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने शुरू से ही अर्थात् पिछले 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान पहले दो वर्षों में 90 के 90 निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर बराबर विकास के कामों की घोषण की है। कभी किसी क्षेत्र को यह महसूस नहीं होने दिया कि इस क्षेत्र का नुमाइंदा हमारी पार्टी का नहीं है। हमारी सरकार ने चाहे किसी भी पार्टी अर्थात् इनैलो, कांग्रेस, भाजपा या निर्दलीय विधायक हो बराबर उस क्षेत्र में विकास के कामों की घोषणा की है। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में एक विषय यह जरूर आता है कि सरकार ने पहले उस क्षेत्र के विकास के कामों की घोषणा की है। अध्यक्ष महोदय, यह विधायक के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने क्षेत्र के बारे में कितना चिंतित और सजग है। जिन विधायकों ने अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की पैरवी आगे बढ़ कर की, उन क्षेत्रों में विकास के कामों की घोषणा पहले हुई है। जिन विधायकों ने ऐसा काम नहीं किया, उन क्षेत्रों में विकास के कामों की घोषणा सिस्टमवाईज हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, एक विषय घोषणा के संबंध में यह आया है कि घोषणा क्यों पूरी नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, घोषणा के समय दबाव संबंधित सांसद, विधायक, स्थानीय नेताओं और कार्यकत्ताओं का रहता है और मंच पर कहते हैं कि आप हमारी यह घोषण कर दें, इसके लिए हम जमीन वगैरह भी देने के लिये और सब कुछ करने के लिये भी तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक मंच पर कई बार विभाग की अनुमति के बिना और फिजिबिलिटी को देखे बिना 2–4 घोषणाएं करवा लेते हैं। हम भी यही कहते हैं कि अगर हमारी घोषणा से आप लोगों की समस्या हल होती है तो हम जरूर करेंगे लेकिन बाद में संबंधित विभाग उस घोषणा पर विस्तारपूर्वक चर्चा करता है। सरकार को अपने काम विभागों से मिलकर करने होते हैं। कांग्रेस पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव के जो कारण रहे हैं वे हमारी सफलता के कारण भी रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कभी–कभी विपक्ष को भी यह लगता है कि इस तरह के काम हमारी सरकार के होते क्यों नहीं हुए। यदि यह अच्छा कार्य सरकार कर रही है तो इसका श्रेय इस सरकार को मिलेगा और भविष्य

में हमें जनता से किसी प्रकार का श्रेय नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से हम 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम सफलता पूर्वक लेकर आये और इसके बारे में विपक्ष के साथी कहते हैं कि हमने भी इस संबंध में काम किया था। हमारी सरकार ने इसमें और ज्यादा कार्यक्रम आयोजित करके इस काम को और आगे बढ़ाया है। इस प्रकार से इसका श्रेय हमें लाजिमी तौर पर ज्यादा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने घोषणा कर दी कि हर घर में शौचालय होगा और हर घर में 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत रसोई गैस कनैक्शन दिये जायेंगे। विपक्ष के साथियों की यह आलोचना हो सकती है कि रसोई गैस के सिलेंडर महँगे हो गये हैं लेकिन रसोई गैस के सिलेंडर हर घर में तो पहुँच रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह जानकारी भी देना चाहता हूँ कि देश का पहला केरोसिन मुक्त राज्य हरियाणा बना है। यह हमारे प्रदेश के लिये गौरव की बात है। (इस समय मेजें थपथपाईं गईं।) आज प्रदेश के राशन डिपो पर केरोसिन की सप्लाई नहीं होती है। इसी तरह से कोरोना काल में हमने वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से विपक्ष के सभी बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की और उस समय सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि अगर सरकार जनता की मदद के लिए थोड़ा–सा कर्ज भी ले लेगी तो हम उसके लिए सरकार को कभी नहीं कहेंगे । उस समय सभी के साथ 5 हजार करोड़ रुपये कर्ज के रूप में लेने की बात हुई थी । अतः जो गैप है वह उस समय लिये गये उस 5 हजार करोड़ रुपये कर्ज की वजह से है । एक बार तो यह गैप 17 हजार करोड़ रुपये का हो गया था लेकिन उसके बाद हम इस गैप को कम करते गये हैं । फिलहाल जो गैप है वह बजट के आंकड़ों से पता चल पाएगा । मेरा कहना है कि कुल मिलाकर हमें विपक्ष का सहयोग भी मिला है । अविश्वास प्रस्ताव के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पर जनता का विश्वास बना हुआ है । अतः जनता की सेवा के कामों में हमारे और जनता के बीच में किसी को भी ज्यादा दखलअंदाजी करने की जरूरत नहीं है । दखलअंदाजी के विषय में मैं एक कहावत कहना चाहूंगा कि –

बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ।

अतः मेरा कहना है कि विपक्ष ऐसा भाव न पाले । हमारी सरकार का जनता के साथ बहुत अच्छा संबंध है फिर चाहे वह किसान हो, मजदूर हो या कोई अन्य वर्ग हो । कई बार हमारे विपक्ष के मित्र अफवाहों के बाजार को भी गर्म कर देते

हैं । सोशल मीडिया पर झूठ के विषय पर मैं कहना चाहूंगा कि एक ब्रिगेड बनी हुई है और जैसे ही हम अपने अच्छे कार्यों को सोशल मीडिया पर डालते हैं तो विपक्ष के मित्रों की बनाई हुई वह ब्रिगेड तुरन्त उस पर प्रहार करना शुरू कर देती है । मैं जब कल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विपक्ष के सदस्यों के प्रश्नों का जवाब दे रहा था तो मैंने उस समय सरकारी नौकरियों के विषय में बताया था कि फलां भर्ती माननीय न्यायालय में फंसी हुई है, फलां भर्ती का रिजल्ट अवेटिड है, फलां भर्ती 5 साल पुरानी है आदि तो उस पर भी सोशल मीडिया पर अनेकों झूठ बोलकर सरकार पर प्रहार कर रही थी । मैं यह नहीं कहता कि सरकार में कोई कमी नहीं है लेकिन झूठ का सहारा लेना गलत है । 'गोएबल्स' (Joseph Goebbels) का सिद्धांत है कि यदि एक झूठ को सौ बार बोलो तो जनता उसे सच मानने लगती है । मेरा कहना है कि इस सिद्धांत पर थोड़े समय तक तो चला जा सकता है लेकिन ज्यादा लम्बे समय तक इस सिद्धांत पर चला नहीं जा सकता, इसलिए विपक्ष को इस सिद्धांत पर नहीं चलना चाहिए । वह जमाना अब नहीं है । अब जमाना बदल चुका है । अब टैक्नोलॉजी का जमाना है । अगर कोई सौ बार झूठ बोलेगा और जनता को सत्य का पता चल गया तो जनता उसके झूठ को नकार देगी । सत्य निश्चित रूप से जनता के सामने आएगा । इसके विषय में मैं कहना चाहूंगा कि –

"झूठ को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान न ले,
सत्य को हमेशा ख्वाहिश होती है कि सभी उसको जान लें ।"

अतः स्पष्ट है कि झूठ बोलने वाले को हमेशा डर लगता है और वह बड़ी ही सावधानी से झूठ बोलता है । हम चाहते हैं कि जनता हमारे सत्य को जान ले और हम इसकी पूरी कोशिश भी करेंगे । विपक्ष इस कार्य में चाहे जितनी रूकावट डाले वह इस कार्य को करने से हमें रोक नहीं पाएगा । किसानों के विषय पर नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के अन्य माननीय सदस्यों द्वारा भी सदन में कई बातें और कई अन्य विषय भी उठाए गए जिनका मैंने सदन में जवाब दे दिया था । इसके अलावा जो विषय आयेंगे उनका जवाब मैं बजट पर चर्चा के बाद दे दूंगा । डोमिसाइल के विषय पर मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष 1990 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है जिसमें कहा गया है कि स्टेट गवर्नमैंट डोमिसाइल शब्द का प्रयोग न करके 'बोनाफाइड रैजीडैंट' शब्द का प्रयोग करेगी । इस विषय में हमने विभिन्न राज्यों से आंकड़ें मंगवाये हैं । डोमिसाइल के लिए यू.पी. में 3 वर्ष, बिहार में 3 वर्ष, पंजाब में

5 वर्ष, मध्य प्रदेश में 5 वर्ष, तमिलनाडु में 6 वर्ष, कर्नाटक में 6 वर्ष, आंध्र प्रदेश में 7 वर्ष, गुजरात में 10 वर्ष और राजस्थान में भी 10 वर्ष की समयसीमा निर्धारित की गई है। डोमिसाइल के लिए हमने 9 राज्यों के आंकड़ों का अध्ययन करके हरियाणा में डोमिसाइल के लिए 5 वर्ष की समयसीमा निर्धारित करने का निर्णय किया है। हालांकि पहले इसके लिए 15 वर्ष की समयसीमा की नोटीफिकेशन थी और उसमें लोगों को कई तरह के ऐतराज थे । सरकारी नौकरी के लिए एस.सी. कैटेगरी के व्यक्तियों को जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके लिए सरकार का नियम है कि या तो उसने हरियाणा में जन्म लिया हो, या वह हरियाणा में सरकारी नौकरी में हो या सरकारी नौकरी में कभी रहा हो तो उसकी संतान का एस.सी. कैटेगरी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा । यह जानकारी मुझको आज ही दी गई है । विपक्ष के साथी इसको देख लें कि यह ठीक है या नहीं । अतः स्पष्ट है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए सरकार की कंडीशन है कि यह सिर्फ उसी व्यक्ति का बनेगा जिसने या तो हरियाणा प्रदेश में जन्म लिया हुआ हो, या वह हरियाणा में नौकरी कर रहा हो, या उसने हरियाणा में नौकरी की हुई हो । अगर कोई नौकरी कर रहा है या रिटायर हो गया है तो उसमें हो सकता है कि वह नौकरी में बिना एस.सी. की रिजर्वेशन के जनरल कैटेगरी में लग गया हो। जनरल कैटेगरी में दूसरे राज्यों से कोई भी यहां पर सर्विस के लिए एप्लाई करके नौकरी लग सकता है। इस पर सवैंधानिक प्रतिबंध नहीं है। यह हो सकता है कि उस नौकरी करने वाले को बाद में अपने बच्चों को जरूरत पड़ने पर रैजिडैंट सर्टिफिकेट बनवा लिया हो। ऐसी जानकारी है। ऐसे ही कल एक विषय पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे का आया था। इसमें नेशनल स्टेटिस्टिक्ल ऑफिस (एन.एस.ओ.) ने मार्च, 2019 में देश भर में 9.1 प्रतिशत अनइम्पलायमैंट दिखाया है, जबकि सी.एम.आई.ई. ने 7.9 प्रतिशत दिखाया है। इसमें 1.2 प्रतिशत का अन्तर है, परन्तु सर्वे में 1 या 2 प्रतिशत का अन्तर आ सकता है। एन.एस.ओ. ने पंजाब राज्य का मार्च, 2020 में 9.3 प्रतिशत अनइम्पलायमैंट दिखाया है, जबकि सी.एम.आई.ई. ने उसी पीरियड का 10.8 प्रतिशत दिखाया है। अर्थात इसमें 1.5 प्रतिशत का अन्तर है। देश भर के सर्वे में यह अन्तर कम है और पंजाब राज्य में यह अन्तर 1.5 प्रतिशत का है। एन.एस.ओ. ने हरियाणा राज्य का जनवरी, 2020 के पीरियड में 7 प्रतिशत अनइम्पलायमैंट बताया है जबकि सी.एम.आई.ई. ने उसी पीरियड में 23.7 प्रतिशत बताया है। इस प्रकार दोनों के आंकड़ों में 16.7 प्रतिशत का अन्तर है। इसीलिए यह बात गले ही

नहीं उतर रही है कि पूरे देश और प्रदेश के राज्यों का डिफरैंस 1 या 1.5 प्रतिशत का है, परन्तु हरियाणा प्रदेश में यही अन्तर 16.7 प्रतिशत का है। यह बात गले नहीं उतरती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन से निवेदन है कि सी.एम. आई.ई. के किसी भी आंकड़े पर कभी भरोसा न करें। इसके अतिरिक्त माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री हुड्डा साहब ने कहा कि खाद और उर्वरकों पर 28 प्रतिशत तक टैक्स बढ़ा दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि आज भी रिकार्ड है कि इसमें लोअस्ट स्लैब 5 प्रतिशत का है। यानी हरियाणा प्रदेश में खाद और उर्वरकों पर आज भी 5 प्रतिशत जी.एस.टी. है और यह 28 प्रतिशत का आंकड़ा गलत है। अगर इनकी जानकारी ऑथैंटिक हो तो मुझे बता दें। अब मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा। हालांकि हमारे माननीय उप– मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रियों ने भी बहुत –सी बातों के बारे में बता दिया है। हमने पिछले 6 सालों में किसानों की भलाई के लिए बहुत कार्य किये हैं। जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना केन्द्र सरकार की योजना है। इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के 19 लाख किसानों को 2212 करोड़ रुपये दिये गये हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का प्रीमियम तो 913 करोड़ रुपये है, लेकिन पिछले 6 सालों में लगभग 13 लाख किसानों को 2980 करोड़ रुपये की कम्पनसेशन मिली है। हमने प्राकृतिक आपदा के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ के मुआवजा को बढ़ाकर 12,000/– रुपये प्रति एकड़ कर दिया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में भी प्रति एकड़ 10,000/– रुपये मुआवजा देने की रिकमेंडेशन है। इसमें अभी सरकार ने 2811 करोड़ रुपये मुआवजा दिया है। किसानों ने जो फसली ऋण हरको बैंक/कॉपरेटिव बैक से लिए थे, उनके के लिए भी एकमुश्त निपटान योजना बनायी है और इसके लिए 1001 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। इसमें लगभग साढ़े तीन लाख किसानों के ब्याज और जुर्माना माफ किया है। भूमि अधिग्रहण की बात पर चर्चाएं हुई हैं और हम एक दूसरे की आलोचना भी करते रहे हैं। इस विषय पर ज्यादा चर्चा न करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमने किसानों की मर्जी से जमीन लेने के लिए ई– भूमि वैब पोर्टल बनाया है। इस पर किसान अपनी मर्जी से जमीन की कीमत भर सकते हैं। बाद में उनके साथ नेगोशिएसन करके अगर उनकी संबंधित रेट्स पर सहमति बनती है तो ही हम उनकी भूमि अधिग्रहण करते हैं। हमनें इस प्रकार सैंकड़ों–हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहण की है। जहां पर आवश्यकता होती है, सरकार वहां पर जमीन अधिग्रहण करती है। अगर किसान

ज्यादा रेट्स भरते हैं और उनको नेगोशिएसन के समय लगता है कि उन्होंने ज्यादा रेट्स भरे हैं तो वे उनको ठीक कर लेते हैं। वैसे अपनी जमीन बेचने वाला किसान कम रेट्स क्यों भरेगा ? जहां पर सरकार को लगता है कि उनके भरे हुए रेट्स में वहां के कलैक्टर रेट्स से ज्यादा अन्तर नहीं हैं तो उनकी जमीन अधिग्रहण कर लेते हैं। यानी उनमें 30–40–50 प्रतिशत का ही अन्तर है तो उस जमीन का तुरंत अधिग्रहण कर लेते हैं।

.....

बैठक का समय बढ़ाना

16.00 बजे **श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्यगण, अगर हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

———————————

मंत्री परिषद् के विरुद्ध अवश्विास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने किसानों की 10 फसलें एम. एस.पी. पर खरीदी हैं, उनके बारे में मैंने सदन को जानकारी दे दी है। गेंहू, धान, सरसों, चना, सूरजमुखी, मक्का, बाजरा, मूंग, कपास और मूंगफली आदि। केन्द्र सरकार द्वारा केवल दो फसलें गेंहू और धान खरीदा जाता है और बाकी 8 फसलों को हरियाणा सरकार खरीदती है। हरियाणा प्रदेश के साथ लगते हुए अन्य प्रदेश भी इतनी फसलों को नहीं खरीदते हैं। अभी हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब असैम्बली में हरियाणा प्रदेश का उदाहरण देकर कहा है कि पंजाब को भी हरियाणा प्रदेश की तर्ज पर फसलें खरीदनी चाहिएं। हमारी सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ''मेरी फसल मेरा ब्यौरा'' पोर्टल बनाया है । किसान इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवायें ताकि किसान को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। पिछले वर्ष इसके माध्यम से बढ़िया तरीके से फसल की खरीद हुई थी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार पिछले 3–4 सालों से लगातार ''मेरी फसल मेरा ब्यौरा'' पोर्टल पर काम कर रही थी। हमारा हर संभव तरीके से यह प्रयास था कि किसानों की जो पेमैंट है वह सीधे के सीधे उनके खातों में चली जाये और उनको समय पर भुगतान हो ताकि किसान उन्नति के रास्ते में आगे बढ़ सके। पिछले वर्ष 50 परसैंट से अधिक किसानों को उनके बैंक

खातों में सीधी पेमैंट की गई थी बाकी किसानों को आढ़तियों के माध्यम से पेमैंट दी गई थी। सरकार का मकसद है कि जिस किसान की फसल है, उसी किसान को ही उस फसल का पैसा मिलना चाहिए। आढ़तियों और किसानों के बीच पैसों के मामले में क्या लेन देन है, वह अलग बात है लेकिन सरकार किसी के दवाब में न आकर किसानों की फसल की 100 प्रतिशत पेमैंट उनके बैंक खातों में पहुंचाने का काम करेगी। इस बार किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं दिया जायेगा इसलिए हम किसानों के हित में इस प्रकार का फैसला कर रहे हैं। बागवानी विभाग द्वारा ''भावांतर भरपाई योजना'' के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि 19 फसलें ऐसी हैं, जो किसान की लागत होती है अगर लागत से ज्यादा उस किसान को घाटा होता है तो किसान को वह पैसा सरकार द्वारा दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 486 एफ.पी.ओज. बना दिये हैं और 1000 एफ.पी.ओज. बनाने का लक्ष्य है। किसानों के लिए बागवानी बीमा योजना भी हरियाणा प्रदेश में शुरू की गई है। पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लोन का 5 प्रतिशत का प्रीमियम देना पड़ता था अब उसको 2.5 प्रतिशत प्रीमियम देना पड़ेगा। इसी प्रकार फलों और सब्जियों के जो शीत भंडार हैं। उनमें हमने 35 प्रतिशत का अनुदान देना शुरू किया है। हमारी सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन पर बक्शे और उपकरण आदि पर 85 परसैंट और 75 परसैंट तक अनुदान की राशि दी जाती है और मशरूम खेती के लिए 40 परसैंट तक अनुदान की राशि दी जाती है। सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की है। जिसके तहत 1 लाख 7 हजार किसानों के क्रेडिट कार्डों को बैंकों द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया है। जो किसान पशु रखते हैं या पशु लेना चाहते हैं, उनको लोन देने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु धन सुरक्षा बीमा योजना लागू की है। इसी तरह से मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को सम्मानित करने का काम भी किया जायेगा। इस योजना के तहत किसानों को खेत में अच्छी उपज पैदा करने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा किसान के लिए प्रगतिशील किसान मित्र योजना और प्रगतिशील किसान ट्रेनर योजना भी शुरू की गई है। अगर प्रगतिशील किसान एक है तो वह प्रगतिशील किसान 5 या 10 किसानों को ट्रेंड बनाने का काम करेगा ताकि यह संख्या डबल बढ़ती चली जाये। इस महान सदन में माइक्रो इरिगेशन की बात पहले भी बताई गई है। हमारी सरकार ने 4 जिलों में विशेष अभियान चलाकर

के इस बार माइक्रो इरिगेशन के लिए 85 परसैंट का अनुदान देने की योजना बनाई है ताकि हमारे प्रदेश में पानी की जो कमी है वह पूरी हो सके। इसके अलावा जहां खेतों में पानी बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है, वहां पर माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से खेतों को पानी दिया जा सके। एक विषय एम.एस.पी. के बारे में भी उठा है। यह विषय काफी लम्बा है और कानून के मुताबिक इस विषय में काफी कंट्रोवर्सी भी है। कानून के मुताबिक यह कानून बने या न बने इस पर विचारविमर्श चल रहा है लेकिन मैं उसका एक पहलू इस सदन में रखना चाहता हूं। मान लो अगर एम.एस. पी. का कानून बनता है तो इसके आने वाले समय में दुष्परिणाम क्या–क्या होंगे? मैं दो–तीन–वाक्यों के माध्यम से समझाना चाहता हूं इसका सब सदस्य अध्ययन करें। पहली बात तो यह है कि अगर एम.एस.पी. का कानून बनता है और इसकी गारंटी सरकार को लेनी पड़ती है तो इसके लिए देश के कुल पैदावार की जो इनवेस्टमैंट चाहिए, वह इनवेस्टमैंट लगभग 17 लाख करोड़ रुपये बनती है। आज हमारे प्रदेश के किसानों की फसलों की जो प्रोक्योरमैंट होती है, वह मात्र 1.50 लाख करोड़ रुपये की प्रोक्योरमैंट होती है। केन्द्र सरकार का इसके लिए टोटल बजट देखें तो 27–28 लाख करोड़ रुपये का है। कहने का मतलब है कि 30 लाख करोड़ रुपये के नीचे–नीचे बैठता है। अगर प्रदेश में सभी फसलों में एम.एस.पी. लागू करें तो हमें भी यह चीज देखनी पड़ेगी और केन्द्र सरकार को भी देखनी पड़ेगी। क्या केन्द्र सरकार किसानों के लिए 17 लाख करोड़ रुपये स्पेयर कर सकती है? इसका मतलब यही है कि बाकी सारे काम बंद करके केन्द्र सरकार को फसलों की प्रोक्योरमैंट के लिए 17 लाख करोड़ रुपये लगाने पड़ेंगे। अब जैसे गेहूं और धान की फसल की बात है अमूमन इन दोनों फसलों का 6 परसैंट भाग की प्रोक्योरमैंट की जाती है। जिसकी कुल राशि 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपये के लगभग बनती है। अध्यक्ष महोदय, अगर पूरे भारतवर्ष के हिसाब से देखें तो गेहूं और धान का 55 परसैंट हिस्सा पंजाब और हरियाणा से खरीदा जाता है जिसका कुल मूल्य 1 लाख करोड़ रुपये के लगभग बनता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो 1 लाख करोड़ रुपये बनता है यह हरियाणा और पंजाब प्रांत के विकास कार्यों पर ही लगाया जायेगा। जहां तक एम.एस.पी. की बात है अगर इस बारे में कोई कानून बनता है तो निःसंदेह उसका लाभ भारत के सभी प्रदेश उठायेंगे। और अगर सारे के सारे प्रदेश इस कानून का लाभ उठायेंगे तो जितनी पैदावार जिस स्टेट में होती है उसी हिसाब से उनका प्रक्योरमैंट का कोटा बन सकता है क्योंकि सभी क्लेम करेंगे और

अगर सभी क्लेम करेंगे तो इससे सबसे ज्यादा नुक्सान पंजाब और हरियाणा को ही होगा। अब मैं कुछ प्रदेशों की व्हीट के आंकड़े सदन में रखना चाहता हूं। यू.पी. में देश की व्हीट की कुल पैदावार का 31.98 यानि देश के टोटल व्हीट का 32 परसैंट व्हीट अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। इसी प्रकार से पंजाब में 18 परसैंट होता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में 16 परसैंट होता है और हरियाणा में मात्र 11 परसैंट होता है। अगर हरियाणा और पंजाब दोनों का मिलायें तो यह 28.28 परसैंट व्हीट की पैदावार है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 6 परसैंट व्हीट की प्रक्योरमैंट होती है। मेरा उनसे यह कहना है कि वे इस फीगर को ठीक कर लें क्योंकि यह किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। वास्तव में अब यह प्रक्योरमैंट 16 परसैंट तक पहुंच गई है। एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पंजाब से ज्यादा व्हीट की प्रक्योरमैंट मध्य प्रदेश में होती है और इसी प्रकार से पैडी की प्रक्योरमैंट पंजाब से ज्यादा उड़ीसा में होती है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, अब मैं राईस के बारे में बताना चाहूंगा। देश में सबसे ज्यादा राईस बंगाल में होती है। दूसरे नम्बर पर पंजाब आता है जहां पर राईस के कुल राष्ट्रीय उत्पादन की 12 परसैंट राईस पंजाब में होती है। इसी प्रकार से यू.पी. में 12 परसैंट से थोड़ी सी कम धान होती है। फिर आन्ध्र, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, आसाम, छत्तीसगढ़ और 4 परसैंट राईस के उत्पादन के साथ हरियाणा 11वें नम्बर पर है अर्थात् पूरे हरियाणा में पूरे देश भर का केवल मात्र 4 परसैंट ही राईस होता है। अगर पंजाब और हरियाणा दोनों को मिलाया जाये तो यह 16 परसैंट के लगभग हो जायेगा यानि पंजाब और हरियाणा दोनों स्टेट्स में 28 परसैंट व्हीट होता है और इसी प्रकार से पंजाब व हरियाणा दोनों स्टेट्स में 16 परसैंट राईस होता है लेकिन आज भी हमारे यहां से कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 55 परसैंट व्हीट और राईस प्रक्योर होता है। अगर नई व्यवस्था लागू हो गई तो इसमें सबसे ज्यादा लूजर हरियाणा प्रदेश ही रहेगा। हरियाणा के बाद पंजाब का नम्बर आता है। स्पीकर सर, मैं सदन में यह एक अंदेशा बता रहा हूं जो मुझे लग रहा है। वास्तव में तो मैं यही चाहता हूं कि भगवान करे ऐसा कभी न हो क्योंकि इससे हमारा बहुत ज्यादा नुक्सान हो जायेगा। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से यहां पर एक विषय भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने उठाया था कि हमें इस कानून के सैक्शन 42 को डिलीट करना

चाहिए अर्थात् सैक्शन 42 ए.पी.एम.सी. में डिलीट करना चाहिए। इसमें हमें कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है लेकिन मैं यह भी क्लीयर कर देता हूं कि ऐसा हो जाने पर एक खतरा है और वह खतरा यह है कि अगर किसान कोर्ट्स के चक्कर में पड़ गया तो कोर्ट्स में ये दीवानी मुकदमें कितने लम्बे चलते हैं यह सभी को अच्छी तरह से मालूम है। निश्चित रूप से इस मामले में कोर्ट में किसान छोटा पड़ जायेगा और जो खरीददार होगा वह बड़ा पड़ जायेगा। अगर इस सारी की सारी प्रक्रिया के अंदर किसान की लुटाई होनी शुरू हो गई तो उससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जायेगी। इसी प्रकार से एम.एस.पी. में एक अन्य विषय एक माननीय सदस्य ने यहां पर उठाया था। इसके अंदर 2006–07 में जब यह कानून बनाया गया था तो सैक्शन 8–ए, सब क्लॉज–7 के एक प्रावधान अंदर भी यही कहा गया था कि वहां पर भी जो गवर्नमैंट का सिस्टम है उसके तहत सुधार होगा और इस प्रकार के मामलों में कोर्ट में जाना वर्जित है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, हम तो यही चाहते हैं कि प्रदेश के किसी भी किसान के साथ धोखा न हो। कानूनों में अमैंडमैंट होती रहती है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, यह हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के किसान के साथ किसी भी प्रकार का धोखा न हो लेकिन अगर इस काम के लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ की जाये तो उससे शायद किसान भी बच जायेगा। इसके विपरीत अगर हमने उस मामले को कहीं कोर्ट में डाल दिया तो यह मामला हमारे हाथ से भी निकल जायेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से इस मामले में यह डिमाण्ड है कि इस मामले को ब्यूरोक्रेसी के हाथ में न छोड़ा जाये। सरकार द्वारा इसके लिए दो सदस्यीय कमिशन का गठन कर दिया जाये। जो भी सरकार उचित समझें वही फैसला करे।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मैं तो यही चाहता हूं कि इस मामले में सभी को हमें सहयोग करना चाहिए क्योंकि हम यह बात किसी प्रकार से नहीं चाहते हैं कि किसान का किसी भी दृष्टि से अहित हो। हमारी सरकार किसान के हित के लिए सभी कुछ करने के लिए तैयार है लेकिन मेरा यह भी कहना है कि जो कोर्ट का रास्ता है वह बहुत अच्छा रास्ता नहीं है। मैं तो अगली बात कहता हूं कि अगर कोर्ट के रास्ते पर जाने के लिए पूरा सदन सहमत हो तो हमारी सरकार उस प्रकार का प्रॉविजन करने के लिए भी तैयार है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूं कि ए.

पी.एम.सी. एक्ट की सैक्शन 8ए के सब सैक्शन 7 को भी रिपील कर दीजिए। सैक्शन 42 को भी रिपील कर दीजिए और इन दोनों की जगह एक नई व्यवस्था अगर कोई करनी है तो देख लीजिए। मैं विपक्ष के साथियों को कहता हूं कि आज अपना दिमाग लगा लें और कल की छुट्टी है कल भी सोच लें। अगर परसों यानी शुक्रवार सुबह तक किसी बात पर सहमति बनती है तो हम 15–16 तारीख तक इसको लागू करवा देंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया प्राइवेट मैम्बर बिल टैक्निकली भले ही रिजैक्ट हो गया लेकिन अगर 15–16 तारीख तक किसी बात पर सहमति बनती है तो हम संशोधन ले आयेंगे। सर्वसम्मति से एक राय बना कर अगर कोई संशोधन करने की बात आती है तो हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ए.पी.एम.सी. एक्ट में इस बात को लेकर कोई संशोधन करना चाहती है तो हम अपनी पार्टी की तरफ से उसका स्वागत करेंगे। हम भले ही विपक्ष में हैं लेकिन जहां पर स्टेट हित की बात आयेगी तो हम सरकार के साथ हैं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि इस रेजोल्यूशन को बनाने के लिए दोनों पार्टियों की तरफ से दो–दो लॉ ग्रेजुएट सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाये जो सभी पहलुओं पर विचार करके एक निष्कर्ष पर पहुंच जाये। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉ. अभय सिंह यादव तथा श्री सुधीर सिंगला जी के नाम मैं फाइनल करता हूं।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की तरफ से दादा रामकुमार गौतम का नाम रख लिया जाये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्री भारत भूषण बतरा व श्रीमती किरण चौधरी को इस कमेटी में रख लिया जाये।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, यह पांच सदस्यों की कमेटी जो भी प्रस्ताव तैयार करेगी उस पर हम ए.जी. और एल.आर. की राय ले लेंगे उसके बाद हाउस में जो भी निर्णय होगा उस हिसाब से संशोधन कर लिया जायेगा। अगर प्रशासनिक सिस्टम में ही एस.डी.एम., डिविजनल कमिश्नर या किसी कमीशन के माध्यम से कुछ करना है तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। अगर सभी को यह लगता है कि इसमें सिविल कोर्ट का प्रावधान होना चाहिए तो हम संशोधन कर देंगे

लेकिन अगर कल को उससे कुछ नुकसान होगा तो उसके लिए केवल सत्ता पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा बल्कि सभी दल जिम्मेदार होंगे।

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, जो लैंड रेवेन्यू के मामले हैं वे तो एस.डी.एम. कोर्ट में ही सुने जाते हैं।

श्री मनोहर लालः डॉक्टर साहब, लैंड रेवेन्यू की बात तो ठीक है लेकिन ये तो फसल खरीद के मामले को कोर्ट में लेकर जाना चाहते हैं। उससे कितना नुकसान होगा उसके बारे में बैठ कर सोचेंगे।

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, Jurisdiction under the APMC Act can be exercised by the farmers to all posible courts. यहां तक लिखा है कि सैन्ट्रल एक्ट में भी जो प्रोविजन दिये हुए हैं, हालांकि अभी सैन्ट्रल एक्ट पर स्टे लगा हुआ है उसका फेट क्या होगा यह तो समय बतायेगा लेकिन ए. पी.एम.सी. एक्ट में जो ज्यूरिशडिक्शन आपने डिफाइन की हुई या जो प्रोसीजर आपने डिफाइन किया हुआ है कि पहले मार्केट कमेटी के पास जायेगा फिर डायरेक्टर के पास जायेगा there is a provision. And second option of the farmers is that they can go to the Civil Court. There are both the options available not only Civil Court but also Executive Court. Procedure is also there if he wants to lead there.

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि हम इसमें बिल्कुल ओपन हैं। इसमें कहीं कोई विरोध नहीं है अगर सहमति बनती है तो किसानों के हित में हम यह कोर्ट का प्रावधान करने के लिए भी तैयार हैं। अगर इस कमेटी में किसी मंत्री को भी डालने की जरूरत हुई तो हम उस बारे में भी विचार–विमर्श कर लेंगे। अब कृषि कानूनों के बाद जो शंकाएं हैं उन पर भी विचार करने की जरूरत है। इन कृषि कानूनों के बाद जो उपजी शंकाएं हैं मैं उनके बारे में भी बात करना चाहता हूं। इन शंकाओं के बारे में हमें लगता है कि जैसे किसी को उकसाया जाता है उसी तरह से इनमें भी उकसाने का काम किया जा रहा है। जैसे एक बार कागज पर किसी ने गज़ल लिखी और गज़ल को हिन्दी में शेर भी कहा जाता हैः–

कागज पर लिखी गज़ल बकरी चबा गई,
चर्चा हुआ पूरे शहर में कि बकरी शेर खा गई।

इसलिए ये जो चर्चाएं हैं ये ऐसी चर्चाएं हैं कि एक बार दो व्यक्ति आपस में दोस्त थे उनमें से एक दोस्त नदी किनारे घूमने–फिरने गया और वहां बैठे–बैठे अपने

सपने बुन रहा था। उसने क्या सपना बुना कि मैं एक खेत लूंगा और उस खेत में अपना फसल चारा बोउंगा। थोड़ी देर में घूमता हुआ उसका दोस्त भी वहां पहुंच गया। उसने कहा कि आप यहां बैठे हुए क्या सोच रहे हैं। उसने कहा आज तो मैंने एक बहुत बढ़िया काम सोच लिया है। वह कहने लगा कि क्या काम सोचा है? उसने कहा कि मैं एक खेत खरीदूंगा। उसने कहा ठीक है मैंने भी सोच लिया कि मैं एक भैंस खरीदूंगा। वह कहने लगा कि ठीक है तूं भैंस खरीद। वह कहने लगा कि मैं अपनी भैंस को चराने के लिए तेरे खेत में ले जाऊंगा। उसने कहा कि तूं मेरे खेत में ले जाएगा तो तेरी भैंस मेरे खेत में चारे को उजाड़ देगी जिससे मेरा नुकसान होगा इसलिए तूं भैंस नहीं खरीदेगा। उसने कहा मैं तो भैंस खरीदूंगा। अगर मैं भैंस नहीं खरीदूंगा तो तूं खेत नही खरीदेगा। उनका आपस में झगड़ा हो गया और उस झगड़े को लेकर दोनों थाने में पहुंच गये। दोनों ने थाने में जाकर कहा कि एफ.आई.आर. लिखिये। वह कहते हैं कि लिखवाईये। उनमें से एक कहता है कि यह कहता है कि मैं तेरे खेत में भैंस चराऊंग और दूसरा कहने लगा कि यह मुझे कहता है कि तूं भैंस मत खरीद। थाने वाले कहने लगे कि आप ये बताईये कि आपका खेत कहां है। वह कहने लगा कि कहीं भी हो। दूसरे को कहने लगे कि आपकी भैंस कहां है, वह कहने लगा कि कहीं भी हो। अब झगड़े का विषय तो यह है कि यह भैंस खरीदेगा और वह खेत खरीदेगा। उस खेत को भैंस चरेगी। यह झगड़ा है, इसको लिखिये। अब अगर उनको कोई समझाए कि न तुम्हारे पास खेत है और न तुम्हारे पास भैंस है तो फिर काहे के चक्कर में पड़े हुए हो। अब ये तीन कानून जिनके ऊपर स्टे लग गया है और फिर भी आप इनके ऊपर बहस में लगे हुए हैं। जब स्टे टूट जाए और जब वे कानून लागू हो जाएं तो उसके बाद देखेंगे कि उनसे क्या नुकसान होता है और क्या फायदा होता है लेकिन विपक्ष के साथी आज ही रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने पहुंच गये।

श्रीमती गीता भुक्कल : मुख्यमंत्री जी, आप यह बात वहां जाकर उन किसानों को समझा दीजिए।

श्री मनोहर लाल : गीता जी, अब जब स्टे लग गया है तो अब तो यह सुप्रीम कोर्ट का विषय रह गया है। अब यह आपकी और हमारी लड़ाई नहीं रह गई हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगी: अध्यक्ष महोदय, इन कानूनों से तो किसानों की जमीनें बिक जाएंगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल :गोगी जी, यह बात किसान नहीं सोच रहा है। उनको यह सोचने के लिए तो हम उकसा रहे हैं कि अगर ये हो गया तो तेरी जमीन बिक जाएगी, तेरा घर–बार लुट जाएगा, तेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इस तरह के इंजैक्शन हम उनको दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, जब मैं यह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया तो मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मैं इन तीन कानूनों पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आपने मुझे कहा है कि इन पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है लेकिन आपके सदस्यों ने उन तीनों कानूनों पर चर्चा की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, आप यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैंने कल भी यह कहा था कि आप जिस विषय पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं उस पर तो स्टे है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों की मजबूरी को समझता हूं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं नेता विपक्ष को बताना चाहता हूं कि किसी की कोई मजबूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, इन तीनों कानूनों का जिक्र पक्ष और विपक्ष के हर सदस्य ने किया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ तो यह बनी हुई है कि एक गांव में एक कहने लगा कि बकरी शेयर को खा गई, एक बोला बकरी ऊंट को खा गई। वह कहने लगा कि हां जी बकरी ऊंट को खा गई। इसी गांव में रहना है तो हां जी, हां जी कह रहे हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसके लिए इनके सदस्य तो हां जी, हां जी, कहेंगे ही।

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, इसमें मेरा इतना ही निवेदन है कि आप एक बार यह कह दो कि ये तीनों कानून कोर्ट के हवाले हैं और जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं करता है तब तक इस आन्दोलन का कोई लाभ नहीं है इसलिए आप आन्दोलन खत्म कर दीजिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, हम यह नहीं कह सकते।

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, आप यह क्यों नहीं कह सकते। इसका मतलब इस आन्दोलन को आपकी मूक सहमति है। अगर आपकी मूक सहमति है तो फिर इस आन्दोलन में होने वाले सारे नुकसान की जिम्मेवारी आपकी है क्योंकि इस

आन्दोलन को आपकी मूक सहमति है और मूक सहमति होने के नाते जो भी नुकसान हो रहा है उसकी सारी जिम्मेवारी आपकी है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, कोई भी राजनीतिक दल किसान आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहा है बल्कि किसान स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं। यह बात मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूँ। हम तो केवल उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं।(विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, वहां पर सारे राजनीतिक आदमी जा रहे हैं। हुडा साहब आप अकेले नहीं जा रहे हैं यह अलग बात है लेकिन आपने तो इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया है। आपने तो दिल्ली के अंदर तक जाने का भी समर्थन दिया है। आपने सारे काम किए हैं लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ऐसी बातों से कुछ नहीं होता है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इस तरह से आरोप–प्रत्यारोप से समस्या हल नहीं हुआ करती है। समाधान यही है कि दो कदम सरकार आगे बढ़े और दो कदम किसान आगे बढ़े तभी कोई न कोई हल निकाला जा सकता है। हम तो खुद यह चाहते हैं कि किसान आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त हो। वहां पर रोज आदमी मर रहे हैं बताओं यह किसको अच्छा लगता है?(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, सरकार तथा सरकार के मंत्रियों द्वारा जो किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। जनता इसके लिए आप लोगों को माफ नहीं करने वाली है। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः देखिए किसानों का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है बल्कि असलियन यह है कि आप लोग किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने किसान आंदोलन की आड़ में इतना बड़ा होवा खड़ा कर दिया है कि जैसे सारी मानवता नष्ट होने वाली है। इस प्रकार का होवा खड़ा करने से न तो किसान का भला होगा और न ही आपका भला होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, सरकार को किसानों के साथ बात करनी चाहिए ताकि समस्या का हल निकल सके। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने एक बात कही है कि यह कानून विद हैल्ड हैं। ऐसे शब्दों से साफ पता चलता है कि आज किसान आंदोलन के माध्यम से किसान हितों की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, यह लड़ाई, कानूनी लड़ाई से भी आगे जा चुकी है। आज किसान के सामने उसके

मान–सम्मान और पगड़ी की लड़ाई शुरू हो गई है। अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता द्वारा जो आरोप लगाये गए हैं, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो किसानों को बहका सके? किसी भी राजनीतिक दल में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह किसान को बरगला सके? किसान कुदरत की नीयत को भांपने की भी हैसियत रखता है? मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी जो सदन में बार–बार कह रहे हैं कि किसानों को बहकाया जा रहा है, उन्हें यह बात गाठ बांध लेनी चाहिए। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, तीनों कृषि काननों पर स्टे है और जहां तक मेरी जानकारी है किसान चाहते हैं कि इन तीनों कृषि कानूनों को खत्म कर दिया जाये यह कैसे संभव हो सकता है? आप विपक्ष की भूमिका में हैं अतः आप लोगों को किसानों को उकसाने की बजाय समझाने का काम करना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, अगर कोई अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है तो यह भी एक जिम्मेदारी का काम होता है कि धर्म की लड़ाई में उसका साथ दिया जाये? (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, जब लोकतंत्र में कोई चीज गलत हो रही हो तो उसको गलता कहना भी तो धर्म ही होता है?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, जब घर जल रहा हो तो क्या उसमें तेल डाला जाता है? आज कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन में तेल डालकर इसको और भड़काने का काम कर रही है और इस काम को ये लोग धर्म की संज्ञा दे रहे हैं इसके लिए इन्हें शर्म आनी चाहिए? क्या इस तरह तेल डालने का काम किसी जिम्मेदार विपक्ष का होता है? विपक्ष अपनी मार्यादाओं को अब भी अच्छी तरह से समझ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा? ये लोग किसानों के बीच जाकर उन्हें भड़काने का काम करते हैं। गांव–गांव जाकर बेबुनयादी बातें करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिए जिस तरह का काम आप कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं आने वाले समय में आपको जनता बख्शने वाली नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, इन कानूनों को किसी भी किसान ने नहीं माना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिए, जब कानूनों पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्टे हो गया है तो इन्हें मानने या न मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता? आप प्लीज बैठिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपनी बात पूरी करने दें।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, जहां तक बात कही गई कि किसानों ने इन कानूनों को नहीं माना है, के परिपेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि बहुत से कानून ऐसे होते हैं जो देशहित के लिए होते हैं, यह बात भी ध्यान रखने योग्य है। मुझे मालूम है कि कानूनों के संदर्भ में कुछ शंकायें हैं लेकिन शंका का निवारण तो हो सकता है? अब क्योंकि इन कानूनों पर कानूनी स्टे है इसलिए इस वास्तवकिता को कांग्रेस पार्टी के लोगों को समझने की जरूरत है? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आज हमारे एक माननीय सदस्य ने इन कानूनों के सदंर्भ में डेढ साल के एक प्रपोजल की बात कही थी, अगर वह लागू हो जाये तो इसमें क्या दिक्कत है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कानून विद हैल्ड हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आज पार्लियामेंट की मर्यादायें कहा चली गई हैं?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं कादियान जी को बताना चाहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट से उपर है और कृषि कानूनों पर अगर स्टे लगी है तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाना चाहिए?

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट उपर कैसे हो गया? कानून पार्लियामैंट से पास हुए हैं, यह बात ध्यान रखनी चाहिए? पार्लियामैंट की मर्यादाओं को तार–तार करने का काम किया जा रहा है लेकिन आज कोई भी इस पर कुछ नहीं कह रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? जनता आप लोगों को बख्शने वाली नहीं है, यह बात आपको याद रखनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप प्लीज बैठिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, आप उनकी बात को सुन लें?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति को समझने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा शोर मचाने से बात गले उतर जाये? तर्क के साथ बात करनी पड़ती है। तीनों कानून वैकल्पिक हैं और इन कानूनों को मानने का किसी पर कोई बंधन नहीं है। अगर किसी को लगता है कि इन कानूनों के प्रावधान को मानना जरूरी है तो वह मुझे लाकर दिखा दे, मैं बात करूंगा? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ रघुवीर सिंह कादियनः अध्यक्ष महोदय, जिओ का सिम भी वैकल्पिक है जिसने बी.एन.एन.एल. का भट्ठा बिठा दिया है। इसी तरह किसानों की मंडियां भी बंद कर दी जायेगी और किसान बेचारा दर–दर की ठोकरें खाने के लिए मजूबर हो जायेगा। (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं बार बार कह रहा हूँ और आगे के लिए आज फिर से कह रहा हूँ कि मंडियां बंद नहीं होंगी। मंडियां बंद नहीं होंगी। मंडियां बंद नहीं होगी। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, एक मंडी में टैक्स है दूसरी मंडी में टैक्स नहीं है। परचेजर कहा जायेगा। जहां टैक्स नहीं होगा वहां जाकर वह खरीदेगा। सदन के नेता हाउस को मिसगाइड कर रहे हैं। हाउस को इतना मिसगाइड करना ठीक नहीं है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से पूछना चाहती हूँ कि सरकार नये कृषि कानूनों से एम.एस.पी. और मण्डियों के बारे में भी अपनी स्थिति सदन में स्पष्ट कर दे। नये कृषि कानून लागू होने से प्रदेश की मण्डियां बंद हो जायेंगी अर्थात् मण्डियों के साथ–साथ हमारी आढ़ती व्यापारी भी खत्म हो जायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, तीनों कृषि कानून के संबंध में शुरू में टैक्स के विषय के संबंध में यह कहा गया था कि यह बाहर लागू नहीं होगा बल्कि यहीं लागू होगा। एफ.सी.आई. गेहूँ और धान फसल की खरीद करती है और पेमैंट भी एफ.सी.आई. ही करती है। एफ.सी.आई. ने ही कहा है कि हम सरकारी व्यवस्था से ही फसल की खरीद करेंगे, प्राईवेट व्यवस्था से नहीं खरीदेंगे। अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि जब एफ.सी.आई. ने ही मैक्सिमम खरीद गेहूँ और धान फसल की करनी है और उसमें से हमको 4 प्रतिशत मिल रहा है तो इसमें हमें आपत्ति किस बात की है। दूसरी बात यह कही गई है कि जो नॉन एम.एस.पी. आइटम्ज के लिये किसानों को बाहर जाना पड़ेगा तो उसके लिये हमने कहा हुआ है कि नॉन एम.एस.पी. आइटम्ज का रेट 4 प्रतिशत से 1 प्रतिशत कर दिया है और अब 1 प्रतिशत ही लागू है। तीसरी बात यह है कि जो मार्किट फीस है, यह किसी इनैक्टमैंट से नहीं है बल्कि यह एक नोटिफिकेशन के माध्यम से ही सूचित किया जाता है कि आज से यह रेट हो गया है। अध्यक्ष महोदय, जब कल मण्डी का विषय आयेगा तो हमको 4 प्रतिशत पर रखना जरूरी नहीं है। हम भी

इसको जीरो कर देंगे, इसके लिए हमें कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। परिस्थिति के अनुसार अर्थात् हमने यह देखना है कि इसका इफैक्ट कितना पड़ता है। हमारी सरकार किसानों के हित में पूरी तरह से जागरूक है और हर दिन नया सोचती है। जिस दिन सरकार को यह लगेगा कि इसको जीरो करना है तो हम उसको तुरंत प्रभाव से जीरो कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, अंतर केवल इतना है कि जितनी मार्किट फीस और एच.आर.डी.एफ. कम करते जायेंगे उतना ग्रामीण क्षेत्र के विकास में जो रेवेन्यू खर्च होता है वह कम होने लग जायेगा। यदि उसको ज्यादा करना होगा तो राज्य के बजट में से देना होगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आज ओपन मार्किट का जमाना आ गया है। किसान के हित में यदि कोई चीज ओपन कर दी तो कर दी। हमने कहा हुआ है कि सरकार फसल एम.एस.पी. पर खरीदेगी। एम.एस.पी. से ज्यादा रेट किसी मण्डी में मिलता है तो किसान के लिए विकल्प खुले छोड़ेगी। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में एक बात गारंटी के साथ कहता हूँ। जिस दिन ये कृषि कानून लागू हो जायेंगे उस दिन के बाद एक–एक पल का ध्यान रखा जायेगा और जहां पर हमारे किसान भाइयों का लॉस नजर आता दिखाई देगा वहां पर किसान के हित में जो काम करना पड़ेगा, यह सरकार वह काम जरूर करेगी। (इस समय मेजें थपथपाईं गईं।)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, जब आप सुबह बोल रहे थे तो उस समय आपको कोई भी अन्य सदस्य बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहा था लेकिन अब जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे हैं तो उनको बीच में डिस्टर्ब किया जा रहा है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में अगर हमारी सरकार के कार्यकाल के बारे में कोई बात कही है तो मैं केवल उसका स्पष्टीकरण दे रहा हूं । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। मैं मण्डियों के विषय में कहना चाहता हूं कि प्रदेश में 2 तरह की मण्डियां हो जाएंगी । (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

16:00 बजे

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : जी हां ।

श्री अध्यक्षः ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

मंत्री परिषद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने यही कहा है कि ये सारी चीजें अभी तो सिर्फ परसैप्शन पर आधारित हैं । मैंने ओपन स्टेटमैंट दी है कि किसान के हित के विषय में अगर हमें कहीं भी लगता होगा कि वह फ्रीज हो रहा है तो हम इस बारे में गम्भीरता से संज्ञान लेंगे । (शोर एवं व्यवधान) मैं सदन में किसान के हित के विषय में एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जिन फसलों पर एम.एस.पी. नहीं है उन पर हमने वर्ष 2019–20 में टैक्स को घटाने का प्रावधान किया है । इसकी वजह से जहां पहले हमारा रेवेन्यू 229 करोड़ रुपये आता था वह अब 159 करोड़ रुपये घटकर केवल 74 करोड़ रुपये रह गया है । इस एक प्रावधान की वजह से हमारी सरकार को 159 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है । अतः हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है । इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें भविष्य में किसान के हित में जो भी फैसले लेने होंगे वे अवश्य लेंगे । मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम फसल की जो खरीद करते हैं उस पर एम.एस.पी. अवश्य रहेगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : बलराज जी, आप बैठिये ।

श्री बलराज कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर बहुत ही जरूरी बात कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : नहीं बलराज जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाइये ।

श्री बलराज कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय पर बहुत जरूरी स्पष्टीकरण देना है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बलराज कुण्डू जी जो कुछ बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाए । अगर कोई माननीय सदस्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय के वक्तव्य के बीच में बोलेगा तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा ।

श्री बलराज कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, फिलहाल हम केवल सरकार द्वारा खरीद की जाने वाली फसलों की बात कर रहे हैं । कृषि कानूनों के विषय में जो कहा जा रहा है कि जिन फसलों को सरकार नहीं खरीदती उनके लिए एम.एस.पी. और बैंक

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।**

गारण्टी आदि का प्रावधान किया जाए तो इस पर मेरा कहना है कि इन विषयों पर जब केन्द्र सरकार कुछ निर्णय करेगी तो हम भी उन चीजों को देख लेंगे। फिलहाल हम केवल सरकार द्वारा खरीद की जाने वाली फसलों की बात करेंगे। अब मैं किसान आन्दोलन के विषय पर आता हूं और यह मेरा अन्तिम विषय है। इस पर बात करना जरूरी है क्योंकि इस आन्दोलन से ही बहुत–सी चीजें उपजी हैं। (शोर एवं व्यवधान) प्राइवेट मैम्बर बिल पर मैंने बात कर ली है। सदन में एक विषय और आया था कि किसान कौन है, इसकी डैफीनेशन क्या है ? केन्द्र सरकार ने कहा है कि यह प्रदेश सरकार तय करेगी कि किसान कौन है । मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि सैंटर्ल एक्ट हो या स्टेट एक्ट उसमें जिसके नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन है आज तक उसको किसान माना जाता है । जिसके नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन है उसी को जमीन का कंपनसेशन मिलता है, फसल की बिक्री के समय भी उसी को ट्रैक किया जाता है, 'प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना' के तहत दिया जाने वाला लाभ भी उसी को मिलता है । किसान की इस डैफीनेशन पर हमने केन्द्र सरकार के समक्ष ऐतराज जताया है । जिसके नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन है उसके दो रूप हैं पहला लैण्ड ऑनर और दूसरा खुदकास्त । हमारा विचार है कि अगर वह खुदकास्त है तब तो वह किसान है अदरवाइज वह केवल लैण्ड ऑनर है । लैण्ड ऑनर अपनी जमीन को किसी को बिजाई के लिए भी दे सकता है, कांट्रैक्ट पर भी दे सकता है, बंटाई पर भी दे सकता है आदि । ऐसे में हमारे विचार से किसान वह है जो उस जमीन पर बुवाई करता है लेकिन सारे लाभ उसको मिलते हैं जिसके नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन है । कुछ केसिज में भू–मालिक और ठेके पर जमीन लेने वाले सरकार की ओर से मिलने वाले फायदों पर आपसी समझौता कर लेते हैं लेकिन कुछ मामलों में विवाद ही रहता है । हम नये कानूने के अंतर्गत व्यवस्था कर रहे हैं कि यह जरूरी नहीं कि जिसके नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में जमीन है सरकार की ओर से मिलने वाले फायदे उसी को दिए जाएं । अगर वह व्यक्ति खुदकास्त है तब तो वह किसान है अदरवाइज अगर वह अपनी जमीन को किसी को बंटाई पर देता है और वही व्यक्ति उस जमीन पर खेती–किसानी करता है तो उसी को किसान माना जाएगा । इसमें अभी कई कानूनी अड़चनें हैं । अभी तक यही माना जाता है कि खाना काश्त में जिसका नाम लिखा जाएगा, वही कल उस जमीन का मालिक बनकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे कुछ केसिज हुए हैं, परन्तु वे कानून के अभाव के कारण हुए हैं। हम उन सभी लीगल प्वायंट्स पर सोच रहे हैं। मलकियत

के खाने में जिसका नाम होगा वही उस जमीन का मालिक होगा। गिरदावरी में दो अलग–अलग खाने होते हैं जिसमें एक खाना मालिक और दूसरा खाना काश्त होता है। इसमें काश्तकार को केवल वर्तमान फसल की जितनी भी योजनाएं या लाभ हैं, उसको वही मिलेंगे। उसमें मलकियत उसी की होगी जिसका खाना मालिक में नाम होगा, जमीन उसकी ही होगी। अभी इस विषय पर बातचीत चल रही है और मैंने इसके बारे में सदन को एडवांस में बताया है। मुझे लगता है कि इससे बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी और यह भय खत्म हो जाएगा कि खाना काश्त में जिसका नाम हो, वह उसका मालिक नहीं होगा। इसके लिए जब कानून बनेगा तो कोर्ट्स भी उसको मान्यता देंगे। अलटिमेटली, जो कानून बनेगा वह सैंट्रल गवर्नमैंट और प्रैजीडैंट तक जाएगा। वह लीगल दृष्टि से ठीक होगा तो उससे हमारी बहुत सी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। इसके लिए हमने केन्द्र सरकार से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि आप एक बार इसका कानूनी प्रावधान बनवाकर ले आएं ताकि हम उसका अध्ययन करवा सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें किसी को समस्या नहीं होगी कि जो बुआई करता है, वो किसान है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, इससे कान्ट्रैक्ट एग्रीमैंट करने वाले फार्मर्ज का तो फायदा नहीं होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जिसने कान्ट्रैक्ट किया है, वह तो कान्ट्रैक्टर है, लेकिन खेती करने वाला कौन है ?

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, इसमें बेनिफिट किसको मिलेगा?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इसमें जो खेती करता है, यह बेनिफिट उसको मिलेगा। इसके लिए कानूनी प्रावधान चैक करवा लेंगे और उसमें जो ठीक होगा, उसी को लागू करेंगे।

श्री बलराज कुंडू: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय किसान आंदोलन का है। यह बात ठीक है कि कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वे मानते हैं कि संविधान ने हमें एजिटेशन करने का अधिकार दिया है। कानून के जानकार जानते हैं कि हमें कानून में अपनी बात को एक्सप्रैस करने का राईट और फ्रीडम है। लेकिन मैं यह बात दावे के साथ कहता हूं कि freedom is never absolute freedom. फ्रीडम की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं। अगर हमारा कोई फंडामैंटल

राईट है तो हम किसी दूसरे के फंडामैंटल राईट को इन्फ्रिन्ज नहीं कर सकते। हमेशा फंडामैंटल राईट की एक सीमा हो जाती है, जहां से दूसरे का फंडामैंटल राईट शुरू होता है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी की इन्फ्रिन्जमैंट नहीं हुई।

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, यह क्वैश्चन ऑवर नहीं है। प्लीज, आप बैठ जाएं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, किसानों ने किसी का रास्ता नहीं रोका।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान ही बैठे हैं और कौन बैठे हैं ?

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आप बता दें कि किसने रास्ता रोका हुआ है ? अभी आप कह रहे थे कि वे किसान हैं और अब कह रहे हैं कि वे किसान नहीं हैं ?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि माननीय सदस्य इन सब बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, पहले आप कह रहे थे कि वे किसान हैं और अभी आप कह रहे हैं कि वे किसान नहीं हैं।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, वहां पर रास्ता तो सरकार ने रोका हुआ है। किसान तो रामलीला ग्राउंड में जाकर बैठना चाहते थे।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कभी भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को जो ठीक लगता है, उस समय वही कार्य करना होता है। ये लोग इकट्ठे न हों और अपने–अपने एरियाज में जिसको जहां पर प्रर्दशन करना है, वे अपने लोकल एरिया में करें। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी इन्टर–स्टेट आंदोलन होता है तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने से रोकने का काम सरकार का होता है। इन्टर –स्टेट में कोई मूवमैंट होती है तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मेनटेन करने का काम सरकार का है। हमने उनको बॉर्डर पर रोककर कहा था कि आपको हरियाणा प्रदेश के एरिया में आंदोलन नहीं करना चाहिए। खैर, उस समय हमने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने प्रावधान करने थे, वे किए थे। इसमें एक बात तय थी कि वे किसान हैं फिर चाहे वे देश के किसी भी प्रदेश के हों। वे हमारे अपने भाई हैं और हमने किसानों के खिलाफ फोर्स यूज नहीं की। फोर्स यूज करने का मतलब होता है कि लाठी– गोली का प्रयोग हो

सकता है, परन्तु हमने ऐसा नहीं किया। हमने तो सिर्फ वॉटर कैनन का प्रयोग किया, टीयर गैस सैल्स का प्रयोग किया, गढ्डे भी खोदे और बैरियर भी लगाए। लेकिन इतने बड़े–बड़े बैरियर को जबरदस्ती तोड़ा गया, जिसको सामान्य व्यक्ति हटा नहीं सकता था। इस कार्य को हैंडलिंग करके बड़े–बड़े इंस्ट्रूमैंट लाकर बैरियर्ज को हटाया गया। सरकार को इसके बारे में मालूम है, लेकिन फिर भी सरकार ने संयम बरता है। हमारा संयम हमारी ताकत है, हमारे संयम को हमारी कमजोरी कोई न समझें। हमारा संयम हमारी ताकत है। चाहे सब रास्ते रोकने की कितनी भी कोशिश की गयी हो, परन्तु हमने संयम से काम लिया। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख इस बात का है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मेनटेन रखने के लिए विपक्ष के माननीय सदस्यों ने कोई सहयोग नहीं किया। हमने कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि मुख्यमंत्री और उप– मुख्यमंत्री का हैलीकाफ्टर उतरने नहीं दिया। जनता किसी भी बात का विरोध करे, फिर भी हम आपस में संयम बरतें और कोई बात नहीं, इनकी बात सुनो। हमारे अपने ही है। मेरा अपना परिवार पौन तीन करोड़ की आबादी का है। उसमें से जो लोग इन तीनों कृषि कानूनों का विरोध वाले हैं उनकी संख्या इतनी बड़ी नहीं है कि सरकार डर जायेगी। इस आंदोलन में लाख या दो लाख के लगभग समर्थक होंगे। अगर 2 करोड़ 80 लाख का परिवार है तो हमें 2 करोड़ 78 लाख लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी दंबगई से, अपनी किसी प्रकार की ताकत से, ये लोग वहां कोई नुकसान न करें। मैं बताना चाहूंगा कि चाहे नुकसान इधर का हो या फिर उधर का हो, मैं समझता हूं कि इसमें अपने परिवार का ही नुकसान होगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ******** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, प्लीज आप बैठ जायें। जो कादियान साहब बोल रहे हैं वह अब रिकॉर्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : कादियान साहब, हमारी सरकार ने इस आंदोलन में पूरा संयम बरता हुआ है। (विघ्न) आपको अपनी गलतफहमी ही मारेगी। आप इस बात का ध्यान रखो कि कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक भविष्य खत्म होने वाला है। पहले ही यह कांग्रेस पार्टी गर्त में डूबी हुई है और डूबने वाली है। (विघ्न) मैं यह कह रहा हूं

———————————————————————————————

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

कि दो–चार प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और आने वाले समय में इन प्रदेशों में भी नहीं आयेगी। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश में कम से कम 10 साल तक और इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में भी नहीं आने वाली है। (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, **** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : कादियान साहब, मैंने आपको बता दिया है और मैंने कांग्रेस पार्टी का पतरा भी देख लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, **** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप इस विधान सभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर रहे हैं। आपको तो नियमों की जानकारी होनी चाहिए। मुझे यह देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है। (शोर एवं व्यवधान) आपकी बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है। प्लीज आप बैठ जायें।

श्री मनोहर लाल : कादियान साहब, मेरे पास इस आंदोलन की 26 नवम्बर 2020 से 9 फरवरी 2021 तक की रिपोर्ट है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, **** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है।

श्री मनोहर लाल : कादियान साहब, सुनने का दम रखो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, मैं आपको वार्न कर रहा हूं। प्लीज आप बैठ जायें। अदरवाइज मैं नेम कर दूंगा और आपको सदन से बाहर जाना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप बैठ जायें। आप तो कमाल कर रहे हैं कि बार–बार कहने के बावजूद भी नहीं बैठ रहे।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, **** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको छोड़कर इस महान सदन में बोलने का राइट किसी दूसरे माननीय सदस्य को नहीं है, सिर्फ आपको ही है? प्लीज आप बैठ जायें। मैं आपको कह रहा हूं कि प्लीज आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

———————————

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ******** (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इन्होंने इस महान सदन से वॉक–आउट करने के बारे में विचार कर लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : कादियान साहब, किसान आंदोलन में क्या–क्या काम नहीं करवाये गये, किसने उनको उकसाया, किसने देखा, कौन चूप रहा और किसने विरोध किया, ये सारी बातें हरियाणा प्रदेश की जनता देख रही है। उन्हीं लोगों ने किसानों को बहकाने का काम किया है, उन्हीं लोगों ने टोल्ज को फ्री करवाने का काम किया है। यही लोग अब भी किसानों को उकसाने में लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि टोल फ्री करने के चक्कर में इन तीन महीनों में लगभग 212 करोड़ रुपये का लॉस हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ******** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप बार–बार सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचा रहे हैं इसलिए आप सदन से बाहर जा सकते हैं। आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : कादियान साहब, यह पैसा तो जनता को ही भरना पड़ेगा। किसके बहकावे में आकर किसान टोल पर बैठें हुए हैं? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ******** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप बार–बार सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हो। आप मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं। आपकी बात करने का यह कोई तरीका नहीं है? आपको सदन की मर्यादा का ही नहीं पता है? आप सदन की मर्यादा को बार–बार तोड़ रहे हैं। (विघ्न) आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ******** (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, मैं रूल के हिसाब से ही आपको कह रहा हूं। हां मेरे पास रूल की किताब है और मैं आपको कह सकता हूं। आप अपनी सीट पर बैठे–बैठे नहीं बोल सकते हैं। आप बार–बार सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचा रहे हैं (विघ्न)

———————————

***चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, कुल मिलाकर मेरे पास 26 नवम्बर से 09 फरवरी तक का 2 महीने 13 दिन जो लगभग अढ़ाई महीने का आकलन आया है। यह एक इनफॉर्मल सा आकलन है इसमें हमने किसी कोई इंक्वॉयरी करवाकर उसका कोई डाटा नहीं लिया लेकिन वहां के जो इण्डस्ट्रीयलिस्ट और वहां के जो लोकल लोग हैं उन्होंने अपने आंकड़े दिये हैं। इस अढ़ाई महीने की समयावधि में 8 हजार करोड़ रुपये का लॉस उन्होंने बताया है। इसमें रेवेन्यू लॉस भी है और इसी में उनकी मॉल का लॉस भी शामिल है। इस प्रकार से आखिरकार इस आंदोलन में किसी को भी लाभ नहीं हुआ है बल्कि सभी का लॉस ही लॉस हुआ है। अगर मैं इसमें एक महीने का समय और जोड़ लूं तो यह लॉस 11 से साढ़े 11 करोड़ बनता है। इस प्रकार 11 से साढ़े 11 करोड़ रुपये का लॉस अब तक हो चुका है। टोल फ्री करवाने की बात मैंने कह दी इसी प्रकार से जो यह बात निकल रही है कि सत्ता पक्ष के लोगों का विरोध करो। उनको कहीं भी मत जाने दो और उनकी मूवमैंट रोक लो। मैं विपक्ष के साथियों से भी यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह लोकतंत्र है? विपक्ष के साथियों में से किसी ने भी यह नहीं कहा कि यह गलत है और ऐसा किसी भी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए। एक–दो गांवों में लोगों ने विरोध किया है लेकिन हम चाहते हैं कि इस विरोध के अंदर अगर हम अपनी कोई एक्टीविटी कर भी लेंगे तो हम अपना भी समय खराब करेंगे और उनका भी समय खराब ही करेंगे। एक विरोध के कारण कल को परिस्थितियां हमारे प्रदेश की ही बिगड़ेंगी। हमारे प्रदेश में लोगों का भाईचारा टूटेगा। विपक्ष के साथियों को एक बात बोल देना चाहिए कि सत्ता पक्ष के विरोध का जो रास्ता प्रदेश की जनता ने अख्तियार किया है वह गलत है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, मैं और हमारी पार्टी इसके समर्थक नहीं हैं। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार इस मसले का बातचीत के माध्यम से जल्दी से जल्दी कोई न कोई सर्वसम्मत समाधान निकाले क्योंकि प्रजातंत्र में तो बातचीत के माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान निकाला जाता है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बातचीत के लिए किसान नेताओं से जुड़ी एक जानकारी सदन में देना चाहूंगा। अभी मेरे पास कल का ही समाचार है कि वहां पर जो संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है उनके प्रवक्ता सुरजीत सिंह फुल ने मीडिया को यह कहा है कि उन्होंने एक नौ सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई नौ सदस्यीय कमेटी बनी है तो जरूर

बातचीत करके इस विषय को समाधान की दिशा में आगे बढाने के लिए बनी ही होगी। यह मैं भी मानता हूं कि इस समस्या के जल्द से जल्द समाधान के लिए बातचीत होनी ही चाहिए क्योंकि इस आंदोलन के और लम्बा चलने का किसी को भी लाभ नहीं है। मेरी अपनी भी यही राय है कि संवाद के जरिये इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी निकाला ही जाना चाहिए। इससे जो नुक्सान हो रहा है उसके बारे में भी बताना इसलिए जरूरी है ताकि आप सभी लोग भी इसको आगे बतायें कि इससे बहुत ज्यादा नुक्सान हो रहा है। आंदोलनकारियों में आपसी भाईचारा तो है लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन पर अड़ियल रूख अपनाया जा रहा है। सरकार की भी ऐसी बहुत सी संवैधानिक मजबूरियां हैं जिनके कारण सरकार के स्तर पर इन कानूनों को वापिस नहीं लिया जा सकता। (विघ्न) हमें उम्मीद है कि इस मामले में कोई न कोई रास्ता अवश्य ही निकलेगा। किन–किन बातों पर रास्ता निकलेगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। इससे पहले भी किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केन्द्र सरकार के मंत्रियों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। उस वार्ता के दौरान बहुत से सुझाव दोनों तरफ से आये हैं। उन सुझावों के अंदर जो कोई सहमति बनेगी वह बनकर ही रहेगी। इस आंदोलन के इतना ज्यादा लम्बा चलने से किसानों का भी बहुत नुक्सान हुआ है।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से रिकवैस्ट है कि उनको इस सम्बन्ध में देश के प्रधानमंत्री जी से मिलकर समाधान की बात करनी चाहिए और अगर हो सके तो इन कानूनों को वापिस करवाने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को सबसे पहले तो यही बता देना चाहता हूं कि मैं यह नहीं कहूंगा कि इन कानूनों को वापिस किया जाये। मैं समझता हूं कि सारी की सारी परिस्थितियां बहुत जल्द ही सम्भल जायेंगी। हुड्डा साहब भी इस बात से सहमत हैं कि ये तीनों कृषि कानून ठीक हैं। जहां तक उनमें संशोधन करने की बात है संशोधन तो किसी भी कानून में कभी भी किया जा सकता है। केन्द्र सरकार के स्तर पर इस बारे में किसानों को नये सिरे से कन्वींस करवाया जायेगा जिससे इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकल सके। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 11 की 11 मीटिंग में लगातार 2 से 3 घंटे तक मीटिंग चलना कोई मायने तो रखता ही है। इस प्रकार से जो मीटिंग चलती है उसमें कुछ न कुछ तो बातचीत होती ही होगी। ऐसी बात

नहीं है कि वहां पर सभी मुंह पर पट्टी लगाकर बैठे होंगे। आखिर में जो एक बात बताई जाती है कि इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाये। मेरा इस सम्बन्ध में यही कहना है कि अगर ये कानून रद्द होने होते तो ये आज से दो महीने पहले रद्द हो गये होते। अब हम सभी को यह मानकर चलना चाहिए इन कानूनों में संशोधन करने की बात आयेगी वह चाहे तो सुप्रीम कोर्ट कर दे या फिर चाहे आपसी बातचीत में यह सहमति बन जाये। विपक्ष के साथियों को मेरा यही कहना है कि हमारे और उनके कहने से तो यह भी नहीं होगा। इसमें मेरा विपक्ष के साथियों के माध्यम से आंदोलनकारियों को यह कहना है कि हमें किसानों का नुक्सान भी नहीं कराना चाहिए। जैसे वहां पर यह आह्वान किया गया कि अपनी खड़ी फसलों को नष्ट कर दो।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, इस मामले में मैं भी मुख्यमंत्री जी की बात से सहमत हूं क्योंकि एक किसान द्वारा अपनी खड़ी फसल को नष्ट करना और आत्महत्या करना ठीक नहीं है। हम भी इसके पक्ष में नहीं हैं। मैं भी इस मंच के माध्यम से प्रदेश के किसानों से यह अपील करना चाहता हूं कि वे अपनी खड़ी फसल को नष्ट मत करें क्योंकि यह तो उनके अपने बच्चों के बराबर होती है क्योंकि फसल को तैयार करने में किसान की बहुत मेहनत लगती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, इन आंदोलनकारियों ने किसान का एक और नुकसान करवाया है। यह बात ठीक है कि हर किसी को अपनी जीनस बेचने का अधिकार होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृहमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वे गृहमंत्री बन गये हैं तो क्या वे किसी का मर्डर करवा देंगे? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, आप अपनी भाषा को मर्यादित रखिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी मेरे दोस्त हैं इनके न तो नाक हैं और न ही कान हैं, इनके पास सी.आई.डी. विभाग नहीं है और सी.आई.डी. न होने के कारण ये गोपनीय सूचनाएं सूंघने और सुनने का काम नहीं कर सकते।(हंसी)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब को कहना चाहूंगा कि इनको आग लगाने में मजा आ रहा है लेकिन यह आग इन लोगों की लंका को जला देगी। (हंसी)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि गृह मंत्री जी का खुद का बयान है कि मेरे पास सी.आई.डी. विभाग नहीं है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन को एक विषय और ध्यान करवाना चाहता हूं। मैं किसान नेता जो इस आंदोलन के अगवा बने हुए हैं उनको एक बात पहुंचाना चाहता हूं हो सकता है नेता प्रतिपक्ष भी उस बात से सहमत हों या न हों वह इनकी मर्जी होगी। हर किसी को अपनी जीनस या और सामान बेचने का अधिकार है और खरीदने वाला उसको मार्केट के सिस्टम के अनुसार खरीदता भी है। एम.एस.पी. का कानून बनेगा या नहीं बनेगा वह अलग बात है। अब लोगों ने आह्वान किया कि 100 रुपये लीटर से नीचे दूध नहीं बेचेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि वह 150 रुपये या 200 रुपये लीटर बिके लेकिन इस प्रकार की जिद से नुकसान किसका हुआ? क्या किसी का दूध 100 रुपये लीटर बिका? आंदोलनकारियों को आह्वान करने की क्या जरूरत थी, उससे नुकसान तो किसान का ही हुआ है। क्या 5 दिन कोई लीटर दूध बिका? मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर इन लोगों की सहमति उसमें थी तो अच्छा होता ये लोग उसको खरीद लेते और सबको पिलाते। किसान का भी भला हो जाता और बाकियों का भी भला हो जाता उनको दूध फ्री में पीने को मिल जाता।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मुख्यमंत्री जी, हमारी इन कामों के लिए कोई सहमति नहीं होती है। आप खाहमखा में हमें ऐसे जिम्मेवार मत बनाईये।

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, मेरा तो आखिर में इतना ही कहना है कि इस आन्दोलन में किसी को लाभ होने वाला नहीं है। अगर आप इसमें कुछ कर सकते हो तो आप इस आन्दोलन को उकसाने की बजाए इसको खत्म करने में हमारी मदद करें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : मुख्यमंत्री जी, इस आन्दोलन को लोग अपनी पगड़ी समझते हैं इसलिए वे आपकी इस बात को नहीं मानेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल :कादियान साहब, आप इस तरह की बात करके किसानों को भड़का ही तो रहे हो, और भड़काना क्या होता है। भड़काना यही होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप उनको रोकिये।(शोर एवं व्यवधान) कादियान साहब, आप जो व्यवहार कर रहे हैं वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है।(शोर एवं व्यवधान) आप मुझे मजबूर मत कीजिए।(शोर एवं व्यवधान) सदन के कुछ नियम होते हैं। मैं आपको नेम भी कर सकता हूं और आपको सदन से बाहर भी निकलवा सकता हूं।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष जी, आप मुझे बाहर जाने की बात नहीं कर सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर निकलवाना ही पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : कादियान साहब, मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से आपको संबोधित कर रहा हूं कि जो ये आन्दोलन चल रहा है उसके लिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि–

> '' आग लगाने वालों को नहीं है इसकी खबर, कि रूख हवाओं का बदला तो खाक वो भी हो जाएंगे।''

ध्यान रखना ये रूख बदलेगा और अगर रूख बदल गया तो आप लोग कहीं के नहीं रहोगे। अब अन्त में मैं एक ही बात कहने जा रहा हूं कि चाहे आप किसानों को उकसा रहे हैं या नहीं उकसा रहे हैं। इसका तो विवाद हो गया है। आप कह रहे हैं कि हम उकसा नहीं रहे हैं और हम कह रहे हैं कि उकसा रहे हैं। यह विवाद है इस बात का फैसला तब होगा जब होगा लेकिन इतना ध्यान रखें कि यह विवाद प्रदेश के हित में नहीं हैं और खासकर जब चेलेंज की भाषा बोली जाती है वह चेलेंज उचित नहीं है क्योंकि चेलेंज किसको करना है।(शोर एवं व्यवधान) अभी तो सभी लोग संवाद करने के लिए ही तैयार नहीं हो रहे हैं। अगर संवाद के लिए तैयार हों तो संवाद हो। हम जब संवाद करने के लिए जाते हैं तो आपका नारा यह है कि इनको मत आने दो, इनको मत घूसने दो।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : मुख्यमंत्री जी, आपने यह खुद कह दिया है कि ये कानून लागू रहेंगे। यह खत्म नहीं होंगे।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इनमें संसोधन हो सकता है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी को इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। ये तो इतने प्रगतिशील मुख्यमंत्री हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष जी, कादियान जी सदन में गैर जिम्मेवारान ब्यान दे रहे है।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष जी, *** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी ने जो कहा है वह रिकॉर्ड न किया जाए।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि–

''देखिये रास्ता बड़ा लम्बा है, अगर आपको कोई गुमा है,
तो उसको निकाल दें। (शोर एवं व्यवधान)
अगर आपको गुमा है कि मेरी उड़ान कम है,
मुझे यकीन है कि ये आसमान कम है।''

.....

बैठक का समय बढ़ाना

17:00 बजे

श्री अध्यक्षः यदि सदन की सहमति हो तो बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें: ठीक है जी,

श्री अध्यक्षः बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

.....

मंत्री परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं अपील करता हूँ कि विपक्ष के द्वारा जो यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इसका सभी सदस्य विरोध करें और इस प्रस्ताव को भारी मतों से गिरा दें।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मैं आप सब को सूचित करना चाहूंगा कि अब विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है अतः यदि कोई भी माननीय सदस्य सदन के बाहर बैठे हैं, तो तुरंत सदन के अंदर आ जायें।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अब कार्यवाही को आगे बढ़ाइये।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब मैं अविश्वास प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

''हम श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले हरियाणा मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास व्यक्त करते हैं।''

श्री अध्यक्षः अब डिवीजन के माध्यम से मतों की गिनती होगी।

(तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय ने, उन सदस्यों को, जो इस प्रस्ताव के ''हां'' पक्ष में हैं तथा जो ''न'' पक्ष में हैं, को क्रमशः अपने–अपने स्थान पर खड़े हो ने इस प्रस्ताव के लिए कहा तथा गणना करने पर घोषणा की कि प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।)

(प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में आज के संदर्भ में महाभारत काल की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। महाभारत में कौरव और पाण्डव दोनों पक्ष आमने–सामने थे। कौरवों की संख्या थी और पाण्डवों की संख्या कम थी। इस दौरान गंधर्व आ गये और वे संयोग से कौरवों के विपरीत थे। कौरवों का गंधर्वों से भी विरोध था और पांडवों से भी विरोध था । गांधारी के भाई गंधर्व जब युद्धिष्ठिर के पास गये और कहने लगे कि आप भी कौरवों के विरोध में हैं और हम भी कौरवों के विरोध में हैं, इसलिए पांडवों और गंधर्वों को मिलकर कौरवों के साथ लड़ाई करनी चाहिए । उस समय युद्धिष्ठिर ने कहा कि आप गंधर्व हैं । हम और कौरव आपस में भाई–भाई हैं । हम आपस में जितनी चाहें लड़ाई करें लेकिन अगर कोई तीसरी पार्टी हम में से किसी पर आक्रमण करेगी तो 'वयम पंचाधिकम शत्म' अर्थात् तब हम 105 हो जाएंगे । इसी तरह सदन में भाजपा और जजपा दोनों पार्टियों के 56 माननीय सदस्य इकट्ठे हैं । आज इस अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में भाजपा और जजपा दोनों पार्टियों के माननीय सदस्यों के 55 वोट पड़े हैं क्योंकि माननीय स्पीकर महोदय इसमें अपना एक वोट नहीं डाल सकते थे नहीं तो हमारे पक्ष में 56 वोट पड़ते । इस तरह से सदन में गंधर्व का स्थान आपको मिला है और यह स्थान आपको मुबारक हो ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में जो किस्सा सुनाया है मैं भी सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों की एकता के विषय में एक किस्सा सुनाना चाहता हूं । एक बार न्यायालय में क्रॉस एग्जामिनेशन के समय वकील ने एक गवाह से पूछा कि जब मर्डर हुआ था तो आप उस समय खड़े थे या बैठे थे । उस प्रश्न को सुनकर उस गवाह ने जवाब दिया कि जनाब, मैं कभी खड़ा हो जाता था और कभी बैठ जाता था । अतः भाजपा और जजपा के माननीय सदस्यों की एकता तो इसी तरह की है ।

.....

वर्ष 2020–21 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री जी वर्ष 2020–21 के अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करेंगे ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2020–21 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करता हूं ।

———————————

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्री सुभाष सुधा, विधायक, चेयरपर्सन प्राक्कलन समिति, वर्ष 2020–2021 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

Chairperson, Committee on Estimates (Shri Subhash Sudha): Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Instalment) for the year 2020-2021.

वर्ष 2020–2021 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2020–2021 के अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) पर चर्चा तथा मतदान होगा । पिछली प्रथा अनुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्ज (संख्या 3, 4, 6, 15, 17, 23 तथा 24, 27, 36, 45 तथा 47) एक साथ पढ़ी तथा मूव की गई समझी जायेंगी । माननीय सदस्यगण, किसी भी डिमांड पर हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के तहत ही चर्चा कर सकते हैं लेकिन बोलने से पहले वे उस डिमांड का नंबर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं ।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 63,52,03,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **3–सामान्य प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 30,62,39,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **4–राजस्व** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने

वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 390,85,48,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या 6–**वित्त** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **15–स्थानीय शासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 245,83,22,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **17–रोज़गार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 363,22,40,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **23–खाद्य एवं आपूर्ति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **24–सिंचाई** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **27–कृषि** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **36–गृह** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 2,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **45—राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 800,00,00,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **47—आकस्मिकता निधि** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(कोई भी सदस्य बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ ।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विभिन्न डिमांड्ज को सदन में वोटिंग के लिए रखा जायेगा।

मांग संख्या 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है —

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 63,52,03,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **3—सामान्य प्रशासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए ।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 4

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है —

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 30,62,39,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **4—राजस्व** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 6

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है —

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 390,85,48,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या 6—**वित्त** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने

वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 15

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **15–स्थानीय शासन** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 17

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 245,83,22,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **17–रोज़गार** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 23 तथा 24

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 363,22,40,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **23–खाद्य एवं आपूर्ति** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **24–सिंचाई** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 27

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,000 रुपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **27–कृषि** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 36

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **36–गृह** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 45

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 2,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **45–राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 47

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 800,00,00,000 रुपये से अधिक न हो, मांग संख्या **47–आकस्मिकता निधि** के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

विधायी कार्य–

(i) पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

(1) दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमैंडमैंट) बिल, 2021

श्री अध्यक्ष : अब माननीय शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :–

> कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

> कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री अध्यक्षः अब माननीय शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे ।

शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित हुआ ।

(विधेयक पुरःस्थापित हुआ ।)

---

(2) दि हरियाणा योग आयोग बिल, 2021

श्री अध्यक्ष : अब स्वास्थ्य एवं आयूष मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा योग आयोग विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा योग आयोग विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा योग आयोग विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा योग आयोग विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(अनुमति प्रदान की गई।)

श्री अध्यक्षः अब स्वास्थ्य एंव आयूष मंत्री हरियाणा योग आयोग विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा योग आयोग विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : हरियाणा योग आयोग विधेयक, 2021 पुरःस्थापित हुआ।

(विधेयक पुरःस्थापित हुआ)

---

(3) दि हरियाणा एन्टरप्राईजिज प्रमोशन (अमैंडमैंट) बिल, 2021

श्री अध्यक्ष : अब माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(अनुमति प्रदान की गई।)

श्री अध्यक्षः अब माननीय उप–मुख्यमंत्री हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे ।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित हुआ।

(विधेयक पुरःस्थापित हुआ।)

———————————

(ii) विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक

(1) दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2021

श्री अध्यक्ष : अब माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2021 पर तुरंत विचार किया जाए ।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा ।

सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए ।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ ।)

एक फिल्म ''मेरा फौजी कालिंग'' फिल्म के संबंध में सूचना

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में एक सूचना पढ़ने के लिए खड़ा हुआ हूं। सदन के सभी माननीय सदस्यों को एक इन्विटेशन कार्ड दिया गया है जिसमें 'मेरा फौजी कॉलिंग'' नाम की एक फिल्म का नाम लिखा हुआ है। यह फिल्म दिनांक 12.03.2021 को रिलीज होगी। यह फिल्म बहुत अच्छी है। मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा है और मैंने काफी लोगों से इस फिल्म के बारे में भी

चर्चा सुनी है। यह फिल्म फौजी के ऊपर बनी हुई है। हमारी सरकार ने इस फिल्म का टैक्स भी माफ कर दिया है। इस फिल्म का एक स्पेशल शो कल दिनांक 11 मार्च, 2021 को सुबह 11:30 बजे पर पी.वी.आर., एलांते मॉल, 178ए, पूर्व मार्ग, इन्डस्ट्रियल एरिया फेज–1, चण्डीगढ़ में दिखाया जायेगा। एलांते मॉल वालों ने सभी विधायकों और अधिकारियों के लिए इस फिल्म को देखने के लिए एक स्पेशल शो बुक किया है। इस फिल्म का जो हीरो है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि काफी साल पहले ''थ्री इडियट्स'' नाम से एक फिल्म आई थी। उसमें राजू नाम का एक कलाकार था, वह इस फिल्म का हीरो है। उसने इस फिल्म में एक फौजी का रोल अदा किया है। इस फिल्म का डायरेक्टर ''राजा विक्रम सिंह'' है इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों को इस फिल्म को देखने के लिए आमंत्रित करता हूं।

आवाजें : ठीक है जी।

———————

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

(2) दि हरियाणा गुडस एंड सर्विसिज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2021

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज–2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, बैठक का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

.....

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

(3) दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2021

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक) : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री श्री विज साहब को सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि अगर वे इस बिल को सिलैक्ट कमेटी को भेजें तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसके अंदर ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो एम्बीग्युटी क्रियेट करते हैं। माननीय मंत्री जी के पास सारा कारपोरेशन का, म्युनिसिपल कमेटी और अर्बन एरिया है। इसके अलावा और भी कारपोरेशंज हैं। जो कारपोरेशन एक्ट है मैं उसकी सभी क्लॉजिज पर अपनी बात एक बार में ही कह दूंगा। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वैस्ट है कि वे भी इसका संज्ञान लें। मैं यह कहना चाहूंगा कि सैक्शन 87 में जो सरकार अमैंडमैंट करने जा रही है जो कि पहले पेज के ऊपर है –

> "87 (i) (a) a property tax payable by the owner or the occupier of a building or land in the municipal area, calculated is depending upon the area. . ."

मैं यह पूछना चाहता हूं कि खाली लैंड पर म्युनिसिपल कमेटी का टैक्स कहां से लगने लग गया? And how it is? Land is not taxable. Similarly, जब नो ऑब्जैक्शन आता है तो सरकार अकारडिंगली लैंड को डिफाईन करे क्योंकि कारपोरेशन के एरिया के अंदर तो बहुत से गांव आते हैं और बहुत सी एग्रीकल्चर लैंड भी आती है। स्पीकर सर, मेरी आपके माध्यम से विज साहब से गुजारिश है इस प्रकार के प्रावधान से भविष्य में बहुत सी प्रॉब्लम्ज क्रियेट होंगी। म्युनिसिपल कमेटी में लैंड को इस प्रकार से डिफाईन किया गया है कि where a building has come जब उसका नक्शा पास हो उसके बाद ही उस लैंड पर कोई टैक्स लग सकता है। इसके विपरीत अगर वेकैंट लैंड पड़ी है तो उसके ऊपर टैक्स कहां से

और किस हिसाब से लग जायेगा इसलिए मेरी बार–बार यही गुजारिश है कि इस बिल को रिव्यू करने में कोई बुराई नहीं है। अगर सरकार इस बार इसका रिव्यू कर लेती है तो फिर इसको अगले सैशन में भी पास करवाया जा सकता है। अगर सरकार इस मामले में अरजैंट कार्यवाही करना चाहती है तो बीच में उसके लिए आर्डीनैंस लाया जा सकता है। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि सर्वप्रथम 'land' word को डिफाईन किया जाये। मैं अपनी पूरी सबमिशन कर देता हूं। इसमें सरकार ने सैक्शन 96 के अंदर एन.ओ.सी. लेने के लिए अमैंडमैंट की है। जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि कारपोरेशन के अंदर तो गांवों की जमीन और एग्रीकल्चर लैंड भी पड़ती है। इसके लिए एन.ओ.सी. लेने की क्यों आवश्यकता होगी? स्पीकर सर, यह मैं 96–ए को रैफर कर रहा हूं। स्पीकर सर, आपका पंचकूला का एरिया भी कारपोरेशन का एरिया है इसलिए आपके हल्के के निवासियों को भी इससे प्रॉब्लम आयेगी कि जो प्लॉट और जो लैंड खाली पड़ी है उसके ऊपर म्युनिसिपल टैक्स क्यों लगाया जायेगा? इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि इस बिल को एक बार रिव्यू के लिए सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाये। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जनरली यह देखा गया है कि प्लॉट्स पर भी कारपोरेशंज और म्युनिसिपल कमेटीज द्वारा डिवैल्पमैंट टैक्स लिया जा रहा है। होना तो यही चाहिए कि जब मैं कारपोरेशन या म्युनिसिपल कमेटी से नक्शा पास करवाकर अपना मकान बनवा लूंगा उसके बाद ही मुझसे डिवैल्पमैंट टैक्स चार्ज किया जाना जायज बनता है। मेरा बार–बार यही कहना है कि कमेटी इस पूरे बिल को सभी आवश्यक पहलुओं को दृष्टि में रखकर रिव्यू करे। अगर कोई किसान अपनी जमीन बेचता है या कोई ओनर अपना खाली प्लॉट बेचता है तो उसके लिए भी उसको कारपोरेशन या म्युनिसिपल कमेटी से एन.ओ.सी. लेना कोई जायज बात नहीं है। सरकार द्वारा इस बिल के तहत कारपोरेशन और म्युनिसिपल एरिया के अंदर जो लैंड आ रही है उसको टैक्सेबल किया जा रहा है।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इन दो क्लॉजिज का जवाब दे दें उसके बाद मैं तीसरी क्लॉज के बारे में पूछूंगा। यह लोगों को परेशान करने वाली बात है, कभी जमीन पर टैक्स नहीं लगता है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, इस बिल में लिखा हुआ है मेरे काबिल दोस्त ने इसको शायद ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। Whoever unlawfully constructs or reconstructs any building or part of a building on his land.

इसका मतलब यही है कि अगर किसी ने अनलॉफुली जमीन पर कंस्ट्रक्शन कर ली है तो उसको इसमें कवर किया जा रहा है। हमें नीति आयोग से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने क्लैक्टर रेट पर सभी नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों में टैक्स लगाने के लिए हिदायतें दी हैं और नगरपालिका एक्ट में भी टैक्स लगाने का प्रावधान है।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, नगरपालिका एक्ट में बिल्डिंग पर टैक्स लगाने का प्रावधान है या जमीन पर भी टैक्स लगाने का प्रावधान है?

श्री अनिल विजः सर, इसमें यह लिखा हुआ है whoever unlawfully constructs or reconstructs any building or part of a building on his land without obtaining permission.

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, आप सैक्शन 87 के शुरू में पढ़िये a property tax payble by the owner or occupied of a building or land . . .

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेन सैक्शन 87 नहीं पढ़ा है इसमें लैंड वर्ड है। जो मंत्री जी पढ़ रहे हैं वह सैक्शन 87–डी. है और साथ ही सैक्शन 87–ई. है। आप इसको क्लैरीफाई कीजिए। It will create problem.

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, इसमें प्रोपर्टी के साथ लैंड का भी जिक्र किया गया है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने नीति आयोग की सिफारिश पर सम्पति के मूल्य का निर्धारण सम्पति की कीमत पर करते हुए सम्पति कर लगाने का सुझाव दिया है। अब तक हरियाणा में ऐसा नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा न्यूनतम सम्पति कर की दरें निर्धारित की हैं तथा नगरपालिकाओं को इस न्यूनतम दरों से उच्चतर दरों पर सम्पति कर लगाने की स्वतंत्रता होगी। इसलिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के सैक्शन 87 में संशोधन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, यह अक्तूबर, 2013 का एक नोटिफिकेशन है उसमें म्यूनिसिपैलिटीज में वैकेंट लैंड के ऊपर भी प्रोपर्टी टैक्स का प्रावधान दिया हुआ है। उसके रेट तो हम बैठ कर तय कर सकते हैं कि वैकेंट लैंड पर कितना टैक्स लगाना है और बिल्डिंग पर कितना टैक्स लगाना है। उसका नोटिफिकेशन के हिसाब से तय हो जायेगा अन्यथा यह पहले से एक लैंड और टैक्सिज ऑन लैंड्स एण्ड बिल्डिंग्ज इवन यह कांस्टीच्यूशन में जो स्टेट लिस्ट है उसके पेज ऐंटे नम्बर 49 पर है उसके अन्दर भी इसी हैड से दिया हुआ है कि

टैक्सिज ऑन लैंड्स एण्ड बिल्डिंग्ज म्यूनिसिपैलिटीज में लैंड पर भी टैक्स लगाने का पहले से प्रावधान है।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, इसमें यह डिफाइन नहीं किया हुआ है कि एग्रीकल्चर लैंड पर टैक्स लगेगा या दूसरी लैंड पर लगेगा। इसमें न ही तो एग्रीकल्चर लैंड डिफाइन है और न ही लैंड डिफाइन है।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, जो गांव नगर निगम में आ गये हैं वहां पर तो एग्रीकल्चर लैंड भी है और दूसरी लैंड भी है। इस बारे में कुछ स्पष्ट कीजिए।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, हमने इस पर विचार किया है। टैक्स कितना लगाना है क्या लगाना है यह हम विचार करके लगायेंगे। यह हमें अधिकार दिया गया है लेकिन एक्ट में प्रावधान करना जरूरी है।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या एग्रीकल्चर लैंड पर भी टैक्स लगेगा? नगर निगमों में जो गांव आ गये हैं क्या उनकी एग्रीकल्चर लैंड पर टैक्स लगेगा?

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। Agriculture land is exempted from the tax.

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस बिल में लिखा हुआ है कि नगर निगम में आई हुई एग्रीकल्चर लैंड टैक्स से एग्जम्पटिड होगी?

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन एग्रीकल्चर लैंड टैक्स से एग्जम्पटिड है।

.....

विधेयक का स्थगितकरण

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कौन सी जमीन पर टैक्स लगेगा और कौन सी जमीन पर छूट रहेगी, यह इसमें क्लीयर नहीं है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बिल पर और ज्यादा विचार करने के लिए अगले सत्र तक डैफर कर दिया जाए।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, इसको क्लैरीफाई किया जा सकता है। अगर क्लैरीफाई नहीं हुआ तो इसका मिसयूज हो सकता है। मंत्री जी, अगर यह बिल इसी फोर्म में जाता है तो इसका मिसयूज हो सकता है क्योंकि लैंड तो लैंड है। इसमें आप या तो

आईडैंटिफाई कर दें कि यह लैंड एग्रीकल्चर है, रेजीडैंशियल है या कॉमर्शियल है या फिर आप कहें तो इस बिल को अगली सिटिंग के लिए डैफर कर देते हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, हमने तो इस बिल को देखा ही नहीं था। यह तो बहुत खतरनाक काम है। इसमें लैंड आईडैंटिफाई नहीं है कि यह लैंड एग्रीकल्चर है, रेजीडैंशियल है या कॉमर्शियल है, इसलिए आप इस बिल को अगली सिटिंग के लिए डैफर कर दीजिए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमने इस बिल को इंट्रोडयूस तो कर दिया है लेकिन यदि माननीय सदस्य इस पर विस्तार से चर्चा करना ही चाहते हैं तो इस बिल को अगली सिटिंग तक डैफर कर दिया जाए ताकि इस पर विस्तार से चर्चा हो सके।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अगर हाऊस की सहमति हो तो इस बिल को अगली सिटिंग तक डैफर कर दिया जाए।

आवाजें : ठीक है, जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, इस बिल को अगली सिटिंग तक विचार के लिए डैफर किया जाता है।

.....

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

4. दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एण्ड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 2021

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021 पर तुरंत विचार किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज–2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पारित हुआ।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 2021 दोपहर 12:00 बजे के लिए स्थगित किया जाता है।

(तत्पश्चात् सभा शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 2021 दोपहर 12:00 बजे तक के

17.38 बजे

***स्थगित हुई।)**

———————————